राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ७] चतुर्थ विधान सभा के सप्तम सत्र का तृतीय दिवस [संख्या ४

बुधवार,

दिनांक ११ मार्च, १९७०

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ ½ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[समाज कल्याण, विधि, राजस्व, खनिज जन-स्वास्थ्य, गृह विद्युत्, उद्योग, स्वायत्त शासन, वक्फ एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

प्रश्न संख्या ४२

श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट !

श्री मनोहरसिंह मेहता : वे हैं नहीं लेकिन यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है इसलिये अध्यक्ष महोदय, इसको ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : बाद में देख लेंगे।

श्री रामकिशन !

बीकानेर के भूतपूर्व एडीशनल मुंसिफ मजिस्ट्रेट के फैसलों पर प्रतिकूल टिप्पणियां

४३. श्री रामकिशन (वैर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बीकानेर के भूतपूर्व एडीशनल मुंसिफ-मजिस्ट्रेट श्री पी. सी. सिंघवी के विरुद्ध सत्र न्यायाधीश, बीकानेर ने कितने फैसलों में प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं और आइन्दा इसकी पुनरावृत्ति न करने के आदेश दिए ? कृपया फैसलों की संख्या बतायें व कितनी प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं उनके मुकदमों के उनवान व नम्बर तारीख सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) राज्य सरकार उक्त प्रतिकूल टिप्पणियों पर क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

उप-विधि मन्त्री (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (१) बीकानेर के भूतपूर्व एडीशनल मुंसिफ-मजिस्ट्रेट, पनेचन्द सिंघवी के विरुद्ध सत्र न्यायाधीश बीकानेर ने दो फैसलों में प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं एवं आइन्दा पुनरावृत्ति न करने के आदेश दिए हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है:

(क) राज्य बनाम धर्मराम ।

Page No. 2

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

(ख) पूनमसिंह बनाम हणुताराम।

(२) ऐसी टिप्पणियों पर किसी कार्यवाही को राज्य सरकार स्तर पर कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रामकिशन : टिप्पणियों के बाद पोस्टिंग उनका कहां हुआ ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : पोस्टिंग कहां है वह तो जानकारी नहीं है। आर. ए. एस. केडर के थे इसलिये आर. जे. एस. से रिवर्ट हो गये।

श्री रामकिशन : रिवर्ट होने का सवाल नहीं है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : कहां पोस्टिंग हुआ यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना): प्रश्न यह है कि वे टिप्पणियां क्या हैं और किस नेचर की हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह है कि उन्होंने वैधानिकता को नहीं देखा। धारा ४०४ और ४०५ की वैधानिकता को देखते तो सजा नहीं होती। भविष्य में देख कर कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : दूसरा, पूनमसिंह बनाम हणुताराम के बारे में क्या टिप्पणी है ?

(विराम)

दोनों की एक ही है क्या ?

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : ऐसा लगता है....

श्री अध्यक्ष : पहले उत्तर आने दीजिये। उत्तर आ रहा है। वह देख रही हैं पत्र।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : सदन की जानकारी और आपकी जानकारी के लिये विस्तृत फैसले की नकल मंगवा कर देख ली जाय।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मेरे पास यही जानकारी है कि उन्होंने वैधानिकता को भी नहीं देखा।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : दूसरे में क्या टिप्पणी है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : दोनों में इसी प्रकार की है। और भी मैं देखकर पीछे बता दूंगी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इसको स्थगित करायें।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : स्थगित का सवाल नहीं है।

श्री रामकिशन : हमारी जानकारी के अनुसार तो उन टिप्पणियों के कारण वे सर्विस में भी नहीं रह सकते। उनको आर. ए. एस. में भेज दिया गया और सेल्स टैक्स में लगाया गया तो हटाया क्या ? और अच्छा काम लिया जा रहा है। फैसलों के परिणामस्वरूप जो सजा हुई और जो व्यवहार किया उसकी जानकारी न हो यह बड़े दुःख की बात है, इसकी जानकारी नहीं मिली है अध्यक्ष महोदय !

श्री अध्यक्ष : विधि मन्त्री !

श्रीमती प्रभा मिश्रा : उनको हटाया गया है।

Page No. 3

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : दोनों फैसलों की नकलें माननीय अध्यक्ष महोदय के पास भिजवा दी जायें।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री मनोहरसिंह मेहता : ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी चाहिये। डॉक्टर के हाथ से मरीज नहीं मरना चाहिये लेकिन वह मार दिया गया।

विधि मन्त्री (श्री बरकतुल्लाखां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट की जानकारी करवा ली गयी। इस सवाल के आने के पहले भी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को यह प्रश्न भिजवा दिया गया और उनके नोटिस में यह लाया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री रामकिशन : वह हाई कोर्ट में तो नहीं रहे।

श्री बरकतुल्लाखां : जो भी एक्शन लेगी वह हाई कोर्ट ही लेगी।

श्री रामकिशन : इसको दुबारा रखा जाय।

श्री अध्यक्ष : फैसलों की नकल आने दीजिये। मैं माननीय सदस्य को बुला लूंगा फिर कोई प्रश्न बाकी रह जाय तो रख दीजिये।

नेक्स्ट ! श्री नथमल चोहला !

ग्राम नड़ोबड़ा में भूमि का आवंटन

४४. **श्री नथमल चोहला (लक्ष्मणगढ़)**: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर में ग्राम नड़ोबड़ा के तन में खसरा नम्बर १०३ रकबा ४७.११२ में से दो हरिजन बेवाओं को ३० बीघा भूमि दिनांक १-६-६८ को एलॉट हुई थी ?

(२) अगर हां, तो क्या उक्त भूमि का कब्जा आवंटनधारियों को दे दिया गया ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर अड़ोसी-पड़ोसी काश्तकारों ने तहसीलदार से मिल कर उपरोक्त आवंटन होने के पश्चात् अतिक्रमण किया है ? अगर हां तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त खसरा नम्बर में एक काश्तकार ने नाजायज अतिक्रमण करके कुआ भी बनवा लिया है ? अगर हां तो क्यों ?

(५) क्या सरकार उपरोक्त खसरा नम्बर को पैमाइश कराके उक्त नाजायज अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चोधरी) : (१) यह सही है कि राज्य सरकार के पत्रांक संख्या एफ. २ (३) राज/ख/६८, दिनांक १-६-६८ द्वारा श्री मगवानी पुत्र बालूराम खटीक, हरिजन व श्रीमती मूली बेवा तनसुख खटीक हरिजन, निवासी लक्ष्मणगढ़ को १५-१५ बीघा भूमि सिवाय चक खसरा नम्बर १०३ स्थित ग्राम नड़ोबड़ा में से आवंटन करने के आदेश हुए थे।

(२) उक्त भूमि का कब्जा इन व्यक्तियों को नहीं दिया गया। क्योंकि यह भूमि बंजड़ जोहड़ है जो गोचर भूमि की श्रेणी में आती है। और गोचर भूमि का कृषि हेतु आवंटन निषेध है।

(३) यह सही नहीं है।

(४) यह सही नहीं है।

(श्री गंगाराम चौधरी)

(५) इस भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अतः अतिक्रमण हटाने एवं पैमाइश का प्रश्न नहीं पैदा होता है।

श्री नथमल चौहल्ला : इन बेवाओं को कब्जा कब तक दे दिया जावेगा ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह भूमि चरागाह में परिणत की जिससे जिलाधीश की राय के अनुसार सिवाय चक में तब्दील कर दिया है और कब्जा इन दोनों में जल्दी दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह कूड़ी !

नागौर जिले में खनिज विभाग को विभिन्न मदों से आय

४५. श्री रामसिंह कूड़ी (जायल) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) नागौर जिले में खनिज विभाग से किस-किस मद से किस-किस साल में कितनी-कितनी सरकार को आमदनी राजस्थान बनने से आज तक हुई ? वर्ष वार व मद वार आंकड़े दिये जावें।

(२) नागौर जिले में असिस्टेन्ट माइनिंग इन्जीनियर की पोस्ट कब से है एवं किस-किस तारीख से कौन-कौन व्यक्ति इस पर आज तक शुरू से जब से यह पोस्ट मन्जूर हुई है, तब से किस-किस तारीख तक रहे हैं ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री भीमसेन) : (१) जिला नागौर, वर्ष १९६२-६३ के पूर्व खण्ड जोधपुर के अन्तर्गत होने से नागौर की सारी आय जोधपुर के शामिल होने से पृथक् की जाना संभव नहीं है।

वर्ष १९६२-६३ में उप-खण्ड अधिकारी, मकराना का कार्यालय पृथक् स्थापित होने से नागौर की आय की सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(२) सहायक खनिज अभियन्ता मकराना, का पद दिनांक २०-५-६१ से है तथा जिन-जिन व्यक्तियों ने कार्य किया उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री रामसिंह कूड़ी : यह दो-दो, तीन-तीन, चार-चार महीने से अधिकारियों को हटाने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : यस !

(विराम)

श्री रामसिंह कूड़ी : दो-दो तीन-तीन महीने से हटाने का कारण क्या है ?

श्री अध्यक्ष : कारण निकाल रहे हैं।

(खनिज मंत्री) श्री हरिदेव जोशी : श्री रामकुमार गुप्ता का जैसे ही पोस्टिंग हुआ उनका प्रोमोशन हो गया इसलिये उनको हटा देना पड़ा। बाकी कम समय रहे नहीं।

श्री गोवर्धन सोनी (मेड़ता) : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही नहीं है। नागौर जिले का हिसाब अलग जाता होगा इतनी आमदनी हुई ?

श्री हरिदेव जोशी : इस तरह नहीं रखा जाता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

अकलेरा ग्रामीण जलप्रदाय योजना

४६. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अकलेरा में ग्रामीण जलप्रदाय योजना हेतु जो राशि ग्राम पंचायत की राज्य सरकार में जमा की हुई है वह कितनी है ?

(२) उक्त योजना किस स्थिति में है और कब तक कार्य प्रारम्भ हो जाने की आशा है ?

(३) क्या स्वयं मंत्री महोदया इसके बाबत अकलेरा में आश्वासन देकर आई थीं कि शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ किया जावेगा ?

राज्य मंत्री, जन-स्वास्थ्य (श्रीमती-सुमित्रा) : (१) रुपये १०,०००.०६

(२) योजना बनाई जा चुकी है। योजना की स्वीकृति के बाद कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

(३) इस संबन्ध में इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया।

श्री **विट्ठलप्रसाद** : क्या आपने रेस्ट हाउस में इस प्रकार का आश्वासन नहीं दिया था, वह आश्वासन क्या सरकार का आश्वासन नहीं था ?

श्रीमती सुमित्रा : यह आश्वासन नहीं दिया था कि कल या परसों ही काम शुरू हो जायगा। मैंने कहा था कि आपने राशि जमा करा दी है तो उस पर विचार किया जायगा। मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन कर दूं यह काम जब प्रारम्भ करने की बात आयी तो प्लानिंग डिपार्टमेन्ट ने नये तरह का डिसीजन ले लिया पांच हजार के नीचे की आबादी वाले स्थानों में पाइप्ड-वाटर स्कीम न बनायी जाये। टैंक एन्ड पम्प की स्कीम चालू की जावे। इसके रिवाइज्ड एस्टीमेट नहीं पहुंचे हैं।

श्री विजयसिंह (मकराना) : यदि माननीय राज्य मंत्री दिलचस्पी लें तो रिवाइज्ड एस्टीमेट जल्दी मंगवा सकते हैं और कार्य भी प्रारम्भ करवा सकती हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसमें दिलचस्पी का प्रश्न है।

प्रश्न सं० ४७

नेक्स्ट ! श्री देवीलाल बुरासिया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

पोली फेज मीटर्स की खरीद

४८. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सन् ६७-६८ व ६८-६९ में बड़ोदा इलेक्ट्रिकल, आनन्द से पोली फेज मीटर्स का क्रय किया गया था ? अगर हां, तो कब-कब, कितना-कितना व किस-किस दर से ?

(२) क्या यह सही है कि आर० एम० ई० बी० के असिस्टेंट इन्जीनियर श्री बृज ने इस माल का कम्पनी के गोदाम पर निरीक्षण किया व विभाग को यह रिपोर्ट दी कि यह माल इंडियन स्टेण्डर्ड स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं है ?

(३) क्या यह सही है कि यह माल आई. एम. एस. के पास भेजा गया जिसने

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
भी श्री बृज की राय का समर्थन किया ? यदि हां, तो ये मीटर्स क्यों खरीदे गये ?

(४) क्या यह सही है कि इन मीटर्स के क्रय के लिये टेण्डर्स आमन्त्रित किये गये थे ? अगर हां, तो जिन-जिन फर्म ने टेण्डर्स दिये उनके दरों की तुलनात्मक सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री खेतसिंह) : (१) जी हां, मैं० बड़ोदा इलेक्ट्रिक मीटर्स लि० को आॅर्डर पोज़ी फेज मीटर के लिये दिये गये थे।

आॅर्डर की तारीख	संख्या	दर
२७-२-१९६८	१,०००	८५) एम्पी.
२४-१०-१९६८	४,६००	८५) १०.२५ एम्पी.
		५०) ५० एम्पी.

बाद में २७-२-६८ के आर्डर की क्रय दर ८१ रु० की गई।

(२) जी हां। २४-१०-६८ के आॅर्डर के अधीन मीटर्स आइ० एम० एस० के अनुसार थे पर २७-२-६८ के आॅर्डर के अधीन मीटर्स में आई० एम० एस० के अनुसार वोल्टेज वेरिएशन टेस्ट में थोड़ा फर्क था।

(३) आई० एस० एस० ने श्री बृज की राय का समर्थन किया था। दोनों रिपोर्ट पर विचार करने पर तकनीकी सदस्य ने राय दी कि इसके कारण मीटर्स की कार्य प्रणाली पर कोई असर नहीं पड़ता। चूंकि मण्डल को मीटर्स की सख्त जरूरत थी। और फर्म ने ५ प्रतिशत यानी ४ रु० प्रति मीटर की कम दर पर देना स्वीकार कर लिया इसलिये स्टोर परचेज कमेटी ने ये मीटर आठ रुपये की दर पर खरीदने का निर्णय लिया।

(४) जी हां, फर्मों की सूची जिन्होंने टेण्डर दिये थे मय तुलनात्मक दरें सूची ए० बी० व सी० सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री कृष्णकुमार गोयल : जब असिस्टेण्ट इन्जीनियर और असिस्टेण्ट सेक्रेटरी दोनों ने यह बात बतायी कि मोटर्स स्टेण्डर्ड के अनुसार नहीं है तो फिर खरीदने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री खेतसिंह : मैंने उत्तर के भाग (२) में निवेदन किया था कि उस वक्त अरजेन्सी थी और टेक्निकल मेम्बर को राय ले ली गई थी उनके अनुसार इतने अधिक वेरिएशन्स नहीं थे जिससे उनको रिजेक्ट किया जाय।

श्री कृष्णकुमार गोयल : टेण्डर स्वीकार करने से पहले मीटर्स के सेम्पल का टेस्ट नहीं किया गया उसको एग्जामिन नहीं किया गया ?

श्री खेतसिंह : यह जरूरी नहीं कि सारे वेरिफिकेशन्स पहले ही कर लिये जाय। कई दफा मीटर्स के कोटे के आजाने के बाद भी उसको चेक कर सकते हैं। ४०० मीटर आ गये उसके बाद चेक किया गया। ऐसी कोई खास बात नहीं थी जिसके कारण मीटर्स को रिजेक्ट किया जाय।

श्री कृष्णकुमार गोयल : फाइनेन्शियल रूल्स के अन्तर्गत आवश्यक है कि टेण्डर्स के

Page No. 7

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

स्वीकार करने से पहले जो सेम्पल होता है उसको टेस्ट किया जाय और उसको एग्जामिन कर लिया जाय ?

श्री खेतसिंह : फाइनेन्शियल रूल्स में क्या है यह मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि वह मेरे पास में हैं नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : फाइनेन्शियल रूल्स के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि जो टेन्डर्स मन्जूर किये जांय उनके सेम्पल को एक्सपर्ट्स द्वारा टेस्ट करवा लिया जाना जरूरी है ताकि मालूम हो सके जिस प्रकार की चीज की आवश्यकता है उसके अनुसार सप्लाई की गई है या नहीं ?

श्री खेतसिंह : रूल्स के बारे में तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन यह बात है कि टेण्डर्स में जिस प्रकार का स्पेसीमेन बताया था उसका चेकिंग कराया था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा प्रश्न स्पष्ट है टेण्डर्स स्वीकार करने से पहले जो सेम्पल दिया था उसका टेस्टिंग वगैरह करवाया गया जो कि फाइनेन्शियल रूल्स के अन्दर होना अनिवार्य है।

श्री खेतसिंह : उस वक्त कराया गया या नहीं यह मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं। लौट के आने बाद जो चेकिंग किया गया उसमें कुछ वेरिएशन्स थे उससे वर्किंग में कोई असर नहीं पड़ने की राय टेक्निकल मेम्बर ने दी थी।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : इसके अन्दर फाइनेन्शियल रूल्स की पालना नहीं की गई ?

श्री अध्यक्ष : आपके पास स्पेसिफिक रूल्स हैं क्या ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं यकीनन कह सकता हूं कि फाइनेन्शियल रूल्स के अन्दर यह अनिवार्य है कि टेण्डर्स की मन्जूरी के पहले जो सेम्पल हों उसका टेस्टिंग होना आवश्यक है ?

श्री अध्यक्ष : फाइनेन्शियल रूल वह कौनसा है आप बता दीजिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या फाइनेन्शियल रूल्स के अन्दर किसी भी सेम्पल का टेस्टिंग आवश्यक नहीं है ?

श्री खेतसिंह : फाइनेन्शियल रूल्स न आपके पास हैं और न मेरे पास हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : ये तो आपके पास होने चाहियें। यह जानकारी होना चाहिये आप सरकार में बैठे हैं, यह सरकार है या भड़भूंजे की दुकान है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमंत्रीजी क्लीन बोर्ड हो गये ?

श्री दौलतराम सारण : क्या इस मामले के अन्दर फाइनेन्शियल रूल्स की अवहेलना की गई ?

श्री अध्यक्ष : फाइनेन्शियल रूल्स न इधर हैं और न उधर ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप इतनी लम्बी-चौड़ी सरकार और लवाजमा लेकर बैठे हैं क्या आप उनसे जानकारी नहीं ले सकते ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रश्नकर्त्ता पूछ रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उप-मंत्री बिल्कुल अयोग्य हैं, गये बीते हैं ?

श्री खेतसिंह : आप तो मेरे से भी गये बीते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न की गम्भीरता को समाप्त नहीं किया जाय टेण्डर्स जो आमन्त्रित किये गये उसके अन्दर फाइनेन्शियल रूल्स के अन्तर्गत आवश्यक नहीं था कि सेम्पल की जांच कराई जाय ?

श्री खेतसिंह : फाइनेन्शियल रूल्स के अन्तर्गत क्या आवश्यक हैं बिना उनके देखे मैं अर्ज नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष : आप दूसरा प्रश्न पूछिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टेण्डर पास करता है जो स्पेसिफिकेशन देते हैं उसके अनुसार वह है या नहीं क्या इसको देखने की आवश्यकता नहीं है और उसके अनुसार उसको चैक किया गया या नहीं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर फाइनेन्शियल रूल्स लागू नहीं होते ?

श्री खेतसिंह : टेस्टिंग की रिपोर्ट को टेण्डर के साथ नत्थी कर दिया था। बार बार टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर फाइनेन्शियल रूल्स लागू हैं या नहीं ?

विद्युत मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब एक चीज की अलीपुर में टेस्टिंग हो जाती है तो उसको गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्सेप्ट कर लेती है और उसको स्टेट गवर्नमेन्ट भी एक्सेप्ट कर लेती है। जो अलीपुर लेबोरेटरी की रिपोर्ट थी उसके आधार पर मीटर खरीदे गये और चूंकि खरीदने के बाद, ये रिपोर्ट के आधार पर सही है या नहीं....

श्री अध्यक्ष : सही नहीं पाये गये....

श्री बरकतुल्ला खां : इनमें थोड़ा सा फ्लक्चुयेटिंग वेरीयेशन पाया गया लेकिन टेक्निकल मेम्बर ने यह बताया कि यह वेरीयेशन इतना जबर्दस्त नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस पर असिस्टेन्ट इन्जिनीयर की जो रिपोर्ट है वह आप पढ़ कर सुना दीजिये। उनमें उसने यह माना है कि ये मीटर आई. एस. आई. के स्टेण्डर्ड के माफिक नहीं हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : जो अलीपुर लेबोरेटरी की रिपोर्ट है, वह मैं आपको समझा रहा हूं। आप एक मीनिट मुझे दीजिये....

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप एक नहीं दस मीनिट लीजिये।

श्री बरकतुल्ला खां : रिपोर्ट आने के बाद, उसके आधार पर वे मीटर करेक्ट हैं या नहीं इनका टेस्टिंग किया गया। इसका हमने जो टेस्ट किया उसके अन्दर थोड़ा वेरियेशन था। उस वेरियेशन को सामने रखते हुए हमने टेक्निकल मेम्बर की ओपिनियन ली। उन्होंने यह राय दी कि जो वेरीयेशन आया है वह इतना ज्यादा नहीं है और इनको खरीद लिया जाये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो आपके इन्जिनीयर की रिपोर्ट है और जो बाद में

Page No. 9

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
आपके ए. ई. एन. ने भेजी है उसको आप पढ़ कर सुना दीजिये। वह रिपोर्ट जिसके अन्दर यह आपत्ति है कि यह माल स्टेण्डर्ड के अनुसार नहीं है। वह आप पढ़ कर सुना दीजिये।

श्री अध्यक्ष : वह भी पूछ लीजिये, फाइनेन्शियल रूल्स।

श्री बरकतुल्ला खां : टेक्निकल मेम्बर की रिपोर्ट शायद अभी अवेलेबल होगी किन्तु जहां तक असिस्टेन्ट इन्जिनीयर का ताल्लुक है....

श्री कृष्णकुमार गोयल : दोनों चाहिये। आपने घटिया माल खरीदा है।

श्री बरकतुल्ला खां : अगर आप यह मानते हैं कि इस मामले में वह रिपोर्ट ज्यादा यूजफुल हो सकती है तो मैं इस पर बाद में भी चर्चा कर लेने के लिये तैयार हूं। अभी आप इसको पोस्टपोन कर दीजिये। मैं इसको दोनों रिपोर्ट्स और फाइनेन्शियल रूल्स भी ले आऊंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसके अन्दर लोएस्ट टेन्डर को भी आपने रिजेक्ट किया है।

श्री हरिदेव जोशी : जब प्रश्न को पोस्टपोन कर रहे हैं तो क्यों पूछ रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : मैंने अभी कहां निर्णय लिया है? पोस्टपोन इस आधार पर कि दोनों रिपोर्ट्स, फाइनेन्शियल रूल्स और Who is the final authority, एप्रूव कौन करता है? आप लेकर आयेंगे। मैं इसको स्थगित करता हूं।

श्री बृजवल्लभ बोहरा !

श्री बृजवल्लभ बोहरा : प्रश्न संख्या ४९.

तहसील लाडपुरा एवं दीगोद के कमाण्ड क्षेत्र के गांव

४९. **श्री बृजवल्लभ बोहरा** (दीगोद) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील लाडपुरा एवं दीगोद के कई एक गांव लिफ्ट इरिगेशन के तहत कमाण्ड क्षेत्र में घोषित कर रखे हैं?

(२) क्या यह भी सही है कि इन ग्रामों को कमाण्ड में घोषित करने से इनके साथ कोलोनाइजेशन एक्ट लागू कर रखा है?

(३) क्या यह भी सही है कि इन ग्रामों में अकाल होते हुए भी सरकार ने कोई रियायत नहीं बरती है? यदि हां, तो क्यों?

उप-मन्त्री (श्री गंगाराम चौधरी) : यह प्रश्न अन्य विभाग से सम्बन्धित है। इसलिये इसको स्थानान्तरित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ४९ स्थानान्तरित किया जाता है।

नेक्स्ट श्री दौलतराम सारण !

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न संख्या ५०.

पलाना कोयला खान

५०. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पलाना कोयला खान सरकार ने कब अपने अधिकार में ली? पहले किस

Page No. 10

(श्री दौलतराम सारण)
प्रकार कोयला निकाला जाता था और उस कोयले का क्या उपयोग लिया जाता था? उस समय उत्पादन कितना था और खपत क्या थी?

(२) कोयला निकालने की पुरानी प्रक्रिया और उपयोग को कब तक उसी प्रकार पुराने ढंग पर चालू रखा गया? उससे क्या हानि अथवा लाभ होता था?

(३) इस कोयला खान के विस्तार, विकास और उत्पादन पद्धति में सुधार करने के लिये अथवा खर्च में कमी करने के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की कब-कब कौन-कौनसी समितियां बनाई गई? उन समितियों ने कब-कब अपनी रिपोर्टें दी? उनकी रिपोर्टों की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखी जावे।

(४) उपरोक्त समितियों पर कितना-कितना व्यय हुआ?

(५) उक्त रिपोर्टों में की गई सिफारिशों में से राज्य सरकार ने किन-किन को कब-कब स्वीकार किया? उनके अनुसार कार्य करने के परिणाम क्या रहे?

(६) इस खान पर अब तक प्रति वर्ष आय-व्यय मदवार क्या-क्या हुआ तथा लाभ एवं हानि की क्या स्थिति रही?

(७) बीकानेर जिले में इस कोयले का कितना भण्डार है? क्या इसके साथ अन्य खनिज भी निकलते हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे?

(८) अब पलाना खान का क्या हो रहा है? भविष्य में इस खान के उपयोग की क्या योजना है?

उप-मन्त्री (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (१) पलाना कोलेरी अप्रैल, १९४९ में राजस्थान सरकार के हाथ में आई। उस समय भी कोयला अण्डर ग्राउण्ड माइनिंग मेथड से निकाला जाता था जैसा कि हमेशा निकाला जाता रहा है। यह कोयला बीकानेर के बिजली घर में बिजली बनाने के काम में आता था। उस समय उत्पादन लगभग ३०,००० से ४०,००० टन सालाना था लेकिन अलग-अलग वर्षों में उत्पादन घटता या बढ़ता जा रहा था। वार्षिक उत्पादन की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सन् १९६२ तक कोयले का उत्पादन पहले के वर्षों के अनुसार चलता रहा। लेकिन उसके बाद चूंकि बीकानेर के बिजलीघर ने कोयला लेना बन्द कर दिया इसलिये उत्पादन एकदम कम कर देना पड़ा। लाभ और हानि के आंकड़े सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(३) पलाना कोयला खान के विषय में विशेषज्ञों ने जो रिपोर्ट दी है वह खर्चे को कमी करने के सम्बन्ध में नहीं है बल्कि खान के ओपन कास्ट माइनिंग द्वारा विकास व उत्पादन पद्धति में सुधार करने के विषय में है।

पहली रिपोर्ट श्री ए० बी० गुहा की अध्यक्षता में भारतीय विशेषज्ञों की समिति ने जुलाई, १९५९ में प्रस्तुत की थी।

दूसरी रिपोर्ट एच. के. घोष, मुख्य खनिज अभियन्ता, पलाना खनि मंडल ने स्वयं १९६३ में बनाई थी।

तीसरी रिपोर्ट रूसी तकनीकी विशेषज्ञों ने फरवरी, १९६५ में प्रस्तुत की थी।

Page No. 11

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

श्री गुहा समिति की तथा रूसी तकनीकी विशेषज्ञों की रिपोर्टों की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) गुहा समिति के समस्त सदस्य सरकारी अफसर हैं इसलिये उनके कार्य में सिर्फ यात्रा सम्बन्धी व्यय हुआ। राजस्थान सरकार की ओर से एक ही सदस्य था और उस पर भी सिर्फ यात्रा व्यय ही हुआ।

श्री घोष स्वयं राज्य सरकार के पलाना खनिज मण्डल के मुख्य खनि अभियन्ता थे इसलिये उनको कोई अलग व्यय इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में नहीं करना पड़ा। रूसी तकनीकी विशेषज्ञों की रिपोर्ट तैयार करवाने पर सरकार का ६९,०००) रुपया व्यय हुआ।

(५) गुहा समिति की मुख्य सिफारिशों को केन्द्र सरकार ने ४ जनवरी, १९६० को स्वीकार किया:—

(१) जिस भूमि पर 'ए' का चिन्ह लगा है उसमें ओपन कास्ट माईनिंग किया जावे।

(२) जब तक ओपन कास्ट माईनिंग शुरू न हो तब तक अण्डर-ग्राउन्ड माइनिंग जारी रखा जावे।

(३) बीकानेर और आसपास के क्षेत्र में ड्रिलिंग करके प्राथमिकता के आधार पर इन्टेन्सिव प्रोसपेक्टिंग द्वारा उपलब्ध भंडार का पता लगाया जावे।

(४) सैन्ट्रल फ्युअल रिसर्च इन्स्टीट्यूट से लिगनाइट के आधार पर उद्योगों के लिये एक योजना तैयार करने को कहा जावे।

रूसी दल की सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया क्योंकि योजना आयोग द्वारा थरमल पॉवर स्टेशन की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।

गुहा समिति की रिपोर्ट में विस्तृत सर्वेक्षण का भी सुझाव था और इसको कार्यान्वित किया गया जिसके फलस्वरूप पूरे कोयले का भण्डार १,८०,००,००० टन से बढ़ कर २,३५,००,००० टन सिद्ध किया गया।

(६) आय-व्यय की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(७) पलाना क्षेत्र में भूरे कोयले का कुल भण्डार २,३५,००,००० टन ड्रिलिंग (ड्रिलिंग) द्वारा मापा गया है। इस क्षेत्र में मुलतानी मिट्टी व फायर क्ले भी मिलती है जो अण्डर-ग्राउन्ड पद्धति से नहीं निकाली जा सकती। ओपन कास्ट माईनिंग करने पर ही यह निकाली जाना सम्भव है।

(८) इस समय में पलाना खान आग लगने के कारण बन्द है। इस कोयले के भण्डार का क्या किया जायेगा इस विषय में अभी तक पूर्ण रूप से कुछ निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन एक बड़े बिजलीघर के स्थापना की योजना सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री दौलतराम सारण : इस कोयले का उपयोग सरकार कब तक करना शुरू कर देगी ?

श्री प्रद्युम्नसिंह (उप मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया इस कोयले का उत्पादन शुरू में गंगानगर

Page No. 12

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

श्रौर बीकानेर के बिजलीघरों को चलाने के लिये किया जाता था। इस कोयले का ट्रान्सफर नहीं किया जाता क्योंकि हवा लगते ही वह फट जाता है श्रौर किसी कार्य का नहीं रहता। श्रब वहां पर इस कोयले का उपयोग थरमल पावर स्टेशन लगाने के लिये किया जा सकता है लेकिन थरमल पावर स्टेशन लगाने के लिये योजना श्रायोग ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत स्वीकार नहीं किया है इसलिये राज्य सरकार निश्चित रूप से यह कहने की स्थिति में नहीं है कि इस कोयले का उपयोग कब तक करना शुरू कर देगी।

श्री दौलतराम सारण : थर्मल पावर स्टेशन की योजना के लिये क्या कोई प्रावधान किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : यह कहा नहीं जा सकता क्योंकि इसकी कास्ट काफी वेरीड करती है। श्रमुक कोयले के श्राधार पर चीज बनी श्रौर इसकी कास्ट यह श्राई। श्रभी राजस्थान की पावर पोजीशन काफी सुदृढ़ है श्रौर श्रगले कुछ वर्षों तक हमें श्रौर पावर की जरूरत रहेगी पर इससे किस भाव कितनी बिजली मिल सकेगी इसका जब तक पता नहीं लगेगा तब तक वर्क करना सम्भव नहीं होगा।

श्री दौलतराम सारण : श्रापने बताया कि केवल बिजली उत्पादन के काम में ही यह लिया जाता था श्रौर लिया जा सकता है तो क्या यह सही नहीं है कि यह ईंटों के भट्टों में श्रौर ईंटें पकाने में श्रौर श्रन्य इसी प्रकार के कार्यों मे भी काम में लिया जाता रहा है, लिया जा सकता है श्रागे भी ?

श्री हरिदेव जोशी : वे छोटी-छोटी चीजें हैं। बल्कि सप्लाई की जहां जरूरत हो तब तो इसकी माइनिंग इकॉनोमिकल पड़ सकती है नहीं तो नहीं। श्रब एक हजार टन प्रति दिन निकालें तब तो खर्चा कम श्राता है पर श्रगर सौ टन रोज का ही निकालें तो श्रोवर-हैड एक्सपेन्सेज श्रौर मैकेनिकल एक्सपेन्सेज तो बन्धा हुश्रा है तो वह ज्यादा श्रावेगा। इस तरह वह कोयला इतना ज्यादा एक्सपेन्सिव हो जावेगा। थोड़ी तादाद में श्रगर निकाला तो उस खान को इकॉनोमिक बेस पर चलाना सम्भव नहीं होगा। पिछले वर्षों में सरकार ने इसका काम जारी रखा था श्रौर हर वर्ष पांच-छ लाख, श्राठ लाख का लोस रहा।

श्री दौलतराम सारण : क्या श्रभी राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच, पड़ताल नहीं की कि बिजली के श्रतिरिक्त श्रौर क्या उपयोग इसका किया जा सकता है ?

श्री हरिदेव जोशी : श्रापने देखा लास्ट शिड्यूल में बताया गया है कि इसको सैन्ट्रल रिसर्च लेबोरेटरी को भेजा गया था श्रौर उन्होंने बताया है कि इसे फरटीलाइजर्स श्रौर यूरिया के लिये भी काम में लिया जा सकता है। पर यह सारी बात प्लान पर निर्भर करती है श्रौर इन्वेस्टमेन्ट पर भी निर्भर करती है। इसलिये इसके लिये श्राज नहीं कह सकते कि क्या होगा श्रौर क्या नहीं होगा।

श्री रामकिशन (वैर) : जितना निकला पड़ा है उसकी कास्ट श्रन्दाजन क्या होगी ?

श्री हरिदेव जोशी : स्टॉक ऐसा बड़ा नहीं है। दो करोड़ ३० लाख तो श्रण्डर-ग्राउण्ड रिजर्व है, जिसका श्रनुमान लगाया गया है।

Page No. 13

लाभचन्द्र वैद (सुजानगढ़) : क्या राज्य विद्युत् मण्डल ने इस कोयले का उपयोग करने के लिये अपने प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजे और इससे थर्मल पावर स्टेशन बनाने की बात सरकार के विचाराधीन है ?

श्री हरिदेव जोशी : आपने रिप्लाई में सुना होगा। रूसी विशेषज्ञों की इस पर रिपोर्ट थी, और वह इसीलिये थी कि इस पर आधारित थर्मल पावर स्टेशन से बिजली जनरेट की जावे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : फिर फर्टीलाइजर्स और यूरिया आदि बनाने का सुझाव है तो इसको प्राथमिकता देनी चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : सारी चीजें इस बात पर निर्भर करती हैं कि इकॉनोमिकली ये सारी चीजें प्लान में किस तरह आ सकती हैं और टैक्निकली इनका किस तरह से यूज किया जा सकता है इसकी जांच पूरी तरह से कराई जावे।

श्री दौलतराम सारण : इस तरह की जांच आपने कराई है ?

श्री हरिदेव जोशी : कराई है।

श्री दौलतराम सारण : कब ?

श्री हरिदेव जोशी : थर्ड फाइव ईयर प्लान के दर्मियान।

श्री दौलतराम सारण : और तब से अब तक जांच का कोई परिणाम नहीं आया ?

श्री हरिदेव जोशी : कुछ आ गया है।

श्री दौलतराम सारण : क्या सरकार यह उपयुक्त नहीं समझती कि जिस क्षेत्र में केवल मात्र यही इतनी बड़ी खान हो और जो वर्षों से चल रही हो तो इस पर उस इलाके के बेरोजगारों को काम देने के लिये काम जारी रखा जाय ? आये दिन लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उनकी गिनती बढ़ रही है, अकाल पड़ते हैं तो उनके हित के लिये भी इसको चालू रखा जाय और इसके लिये जिस तरह से भी हो सके योजना में प्रावधान रखा जाय।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य ने इसको अगर ध्यान से सुना हो तो मालूम हुआ होगा कि इसको बन्द तो इसलिये करना पड़ा कि इसमें आग लग गई थी। यह लिगनाइट ऐसा मिनरल है कि जो बहुत ही ज्वलनशील है और अगर यह एक बार आग पकड़ लेता है तो फिर माइन्स बन्द हो करनी पड़ती हैं।

श्री दौलतराम सारण : यह आग कब लगी थी ?

श्री हरिदेव जोशी : लगभग साल भर पहले लगी थी। जनवरी, ६९ में। फिर इसके बारे में माननीय सदस्य ने ऑडिटर जनरल और पी० ए० सी० की रिपोर्ट देखी होगी। इनमें काफी प्रकाश इस पर डाला गया है। टेक्निकल रिपोर्ट पर भी काफी विषद् रूप से विचार हुआ है और इन सबके आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि अब इस माइन्स के अन्दर अण्डर-ग्राउण्ड में काम नहीं हो सकेगा। इसको ओपन कास्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक कई हजार टन कोयला नहीं निकले तब तक यह अनइकोनोमिकल साबित होगी और इसका उपयोग करने के लिये कोई दूसरा काम भी इतना

(श्री हरिदेव जोशी)

ही बड़ा होना चाहिये। फर्टीलाइजर फैक्टरी या थर्मल पावर स्टेशन होना चाहिये। ये दो ही मुख्य काम बताये गये हैं। अब पावर जो इससे बने वह भी इतना सस्ता होना चाहिये जो एटोमिक पावर और हाईडल पावर के मुकाबले में आ सके तब जाकर यह सब हो सकेगा। इसलिये इन सारे दृष्टिकोणों से हम इसको देख रहे हैं और विशेषज्ञ इन पोइन्ट्स पर इन सबकी जांच कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने प्लानिंग कमीशन को यह एश्योरेन्स दिया है कि थर्मल पावर प्लान्ट लगाने के लिये इस कोयले की आवश्यकता है और इसके उपयोग करने की व्यवस्था पर सरकार विचार कर रही है?

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत): अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष: उत्तर आ जाने दीजिये पहले इसका। आफ्टर दी रिप्लाई।

श्री हरिदेव जोशी: हम तो चाहते हैं कि थर्मल पावर प्लान्ट लगता। हमने कहा भी था। हम यह भी चाहते हैं कि अगर हमारे पास सरप्लस पावर हो तो वह न केवल हमारे काम में आवे बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी काम आवे। पर ये सब चीजें ऐसी हैं कि जिसके लिये मैं कोई ऑफ हैण्ड कह दूं कि थर्मल पावर प्लान्ट लगेगा तो उपयुक्त नहीं होगा। इसके लिये कई फैक्टर्स पर हमें सोचना होगा। सबसे पहली जरूरत तो यह है कि इतना रिजर्व है जो १५-२० साल तक चल सके। अब रिजर्व्स प्रूव हो जावें तो यह प्रश्न सामने आयेगा तै करने के लिये कि उससे बनने वाले पावर की कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? रशियन्स ने जो रिपोर्ट दी, उनमें भी इन मुद्दों का उल्लेख है।

श्री भैरोंसिह: यों मत कहो।

श्री हरिदेव जोशी: मैं तो यही कहूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप सुनिये ही मत।

श्री हरिदेव जोशी: तो अध्यक्ष महोदय, जो रशियन टीम ने रिपोर्ट दी है उसके आधार पर प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि वह कोई ऐसा मार्ग सुझावें, प्लान बतावें कि जिससे उसका उपयोग हो सके।

श्री भैरोंसिह: तो मेरा तो क्वेश्चन यह है जिसका आपने जवाब नहीं दिया कि क्या यह सही है कि रशियन एक्सपर्टो की रिपोर्ट पर जिन्होंने कि अपनी रिपोर्ट का आधार इस बात को बनाया है कि इसमें इतना रिजर्व है, कितने वर्षों में वह निकाला जा सकता है, इस रिपोर्ट के आधार पर प्लानिंग कमीशन को राज्य सरकार ने लिखा है कि थर्मल पावर स्टेशन के लिये जरूरत है और चौथी योजना में इसे चालू करना चाहते हैं?

श्री हरिदेव जोशी: एक स्टेज पर चाहते थे कि टेक अप कर लिया जावे इस पर पावर की पोजीशन अब ऐसी नहीं है कि हम सरप्लस पावर को अपने पास रख कर इसके खर्चे को बढ़ाते चले जावें।

श्री भैरोंसिह: तो क्या यह समझा जावे कि प्लानिंग कमीशन को पुनर्विचार करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कहा है कि एटोमिक पॉवर से काफी बिजली मिलने वाली है इसलिये इसके उपयोग की हमारे लिये समस्या होगी और इसलिये अतिरिक्त उत्पादन

Page No. 15

(श्री भैरोंसिंह)
नहीं करना चाहते और नैक्स्ट ईयर इस प्रोजेक्ट को नहीं ले रहे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हम तो पचासों चांजें चाहते हैं प्लानिंग कमीशन से।

श्री भैरोंसिंह : क्वैश्चन बड़ा इम्पोर्टेन्ट है। स्टेट गवर्नमेन्ट इसको चाहती है या नहीं ? प्रश्न यह है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कान्ता कथूरिया !

श्रीमती कान्ता कथूरिया : जवाब में अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि आग लग गई इसलिए बन्द करना पड़ा। जनवरी, ६९ की डेट बताई गई है, जबकि माइन्स का काम इससे पहले ही बन्द कर दिया गया था। मैंने इसकी तरफ ६७-६८ में भी ध्यान आकर्षित किया था और कहा था कि डोमेस्टिक फ्युअल के तौर पर भी इसे काम में लिया जा सकता है और ईंटें पकाने के काम में भी लिया जा सकता है। छोटे-मोटे और कई कामों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। वह अकाल पीड़ित क्षेत्र है। लोगों को काम दिया जा सकता है, इससे तो दिया जाना चाहिये। तो यह ६९ से पहले ही बन्द कर दिया गया था जिसका हिसाब भी बताया था कि इतने करोड़ का घाटा सरकार ने इसमें उठाया है। स्टाफ रख रखा है और काम नहीं होता।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने बात कही है वह जो कही जा चुकी है उसी की पुनरावृत्ति है। जो स्टेटमेन्ट मैंने हाउस में सबमिट किया है उसके अनुसार अध्यक्ष महोदय, ५८-५९ में ३ लाख ४८ हजार, ५९-६० में ३ लाख ३ हजार, ६०-६१ में ३ लाख ३०० और ६१-६२ में १५६ हजार और इसी प्रकार से ६७-६८ तक ६ लाख २९ हजार ४५१ रुपये के नुकसान की बात मैंने कही है। जोड़ मैंने नहीं की है। आपने एक करोड़ कहा। उन्होंने जोड़ लगाई होगी। मैं भी जोड़ कर बता दूंगा।

मेरी माननीय सदस्या से सहानुभूति है क्योंकि यह माइन उनकी कान्स्टीट्यूएन्सी में पड़ती है। वे मुझे लेकर वहां गई भी थी मैंने देखा भी था और मैंने....

श्री भैरोंसिंह : उस समय तो आपने हां भर ली थी।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने हां नहीं भरी थी और आपकी हमारी हालत जैसी है....

श्री बरकतुल्ला खां : आप हां भरते हैं तब आप साथ होते हो क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : और अध्यक्ष महोदय, कभी यह महसूस करके कि यह बात करनी चाहिये, 'हां' करके भी विचार करके यह देखना पड़ता है कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ८ लाख या ९ लाख का घाटा केवल इसलिये कि कुछ भट्टे वालों अथवा कुछ अन्य लोगों को कोयला मिले इसलिये नहीं चलाया जा सकता है। बहुत कम लेबर रख कर मन्जूर करवा लें और यह माइन्स चले इसलिये बन्द करना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल !

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि मजदूरों ने खुद बन्द करने का विरोध किया और जो कारण बताये गये उनके बारे में उन्होंने राज्य सरकार को जानकारी दी

(श्री दौलतराम सारण)
कि यह कारण सही नहीं है और जो आग लगाने की बात कही जाती है वह आग अपने आप नहीं लगती है आग लगाई जाती है।

श्री हरिदेव जोशी : यह बिल्कुल गलत है। आग लगाना इतना आसान नहीं है। आप दियासलाई से यहां आग लगावें, इस तरह लगाने से आग नहीं लगती है। आग अपने आप लगी है, माईनिंग के क्षेत्र में यह साबित भी हो चुका है। गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के एक्सपर्ट ने कहा है कि कुदरत से आग लगी है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तरों से क्या मैं यह समझूं कि पलाना कोयला खान का क्या उपयोग किया जाय इस सम्बन्ध में सरकार अभी तक निर्णय नहीं कर पाई।

श्री हरिदेव जोशी : मैं अध्यक्ष महोदय, केवल टेक्निकल एडवाइजर से गाइड हो सकता हूं और उसमें जो जानकारी मिली है वह यह है कि या तो इससे फर्टिलाइजर बनाया जा सके अथवा थर्मल के काम में लिया जा सके। इसके दो तरीके हो सकते हैं। यहां का कोयला ऐसा नहीं है जो ट्रांसपोर्ट किया जा सके और राजस्थान में इसका तात्कालिक उपयोग हो सके। इस तरह की चीज मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल ! गृह मंत्री महोदय !

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, पलाना कोयला खान में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मेरे पास १२ प्रश्न अभी शेष हैं। ऑर्डर-ऑर्डर।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : एक मिनिट अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। गृह मंत्री महोदय !

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, वहां अकाल है कितने मजदूर बेकार हो गये है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर ! गृह मन्त्रीजी !

राजकीय प्रवास भवन में चोरियां

५१. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या गृह मन्त्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् १९६२ से फरवरी, सन् १९६९ तक राजकीय प्रवास भवन में कितनी बार चोरियां हुई हैं और उनमें कितना-कितना माल चोरी गया है तथा किस-किस कमरे में चोरियां हुई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) उपरोक्त चोरियों में से कितनी चोरियां बरामद की गई हैं, व कितना-कितना माल व अन्य सामान बरामद किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) उपरोक्त चोरियां होने के क्या कारण हैं और उनको रोकने की सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): (१) सन् १९६२ से फरवरी, सन् १९६९ तक चोरियों के कुल ४३ केसेज रजिस्टर हुये हैं और किस-किस चोरी में कितना-कितना माल चोरी गया व कितना बरामद हुआ इस बाबत एक

Page No. 17

(श्री हीरालाल देवपुरा)

स्टेटमेंट सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(२) कुल ४३ चोरियों में से १५ चोरियां बरामद हुई। इन चोरियों में रु० ५९२९.४७ पै० का माल चोरी गया एवं २१७९.६० का माल बरामद हुआ है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) राजकीय प्रवास भवन में बाहर के व्यक्तियों की आमदरफ्त अधिक रूप में होती है और अपराधी को चोरी करने का मौका मिलते ही चोरी कर भाग जाता है। अधिकतर साइकिल चोरी की घटनायें हैं। अतएव इन घटनाओं पर नियन्त्रण पाने के लिये गश्त की व्यवस्था की गई है। राजकीय प्रवास भवन में साइकिलें व्यवस्थित रखने हेतु साइकिल स्टेन्ड निर्माण हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री श्रवणलाल : यह जो आप ४३ चोरियां बता रहे हैं उन ४३ में जो माल बरामद हुआ है या जिस प्रकार का माल बरामद हुआ है वह वहां के फराशों से हुआ है या अन्य कर्मचारीगण हैं उनसे हुआ है या किसी दूसरों से ही हुआ है।

श्री हीरालाल देवपुरा : वहां के कर्मचारियों से नहीं हुआ है, बाहर के व्यक्तियों से हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, माल बरामद होता है बाहर वालों से और वहां के कर्मचारियों को जो फराश हैं उनको तंग किया जाता है, उन पर इल्जाम लगाया जाता है। भैंस चोरी होती है, ट्रांजिस्टर चोरी होते हैं, और चाहे किसी विधायक का कोई सामान जाता है तो इन बेचारे फोर्थ क्लास कर्मचारियों पर इल्जाम लगाते हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जी, यह सही नहीं है। जानबूझकर कोई इल्जाम नहीं लगाया जाता है। तफतीश के लिये उनसे पूछा जाता है।

श्री श्रवणलाल : वहां के एक मैनेजर की भैंस चोरी हो जाती है और बेचारे फोर्थ क्लास कर्मचारी को बुरी तरह उसमें घसीटा जाता है, उसको पीटा जाता है और उसके खिलाफ अनेक प्रकार की कार्यवाही की गई।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, किसी केस में इन्वेस्टीगेशन करने के लिये किसी व्यक्ति को बुलाया जा सकता है। पुलिस प्राइमाफेसी तफतीश करने के लिये किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकती है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, किसी की भैंस चोरी चली गई, ट्रांजिस्टर चोरी चला गया किन्तु सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजकीय प्रवास भवन से विधायक चोरी चले गये इसके लिये सरकार ने कुछ नहीं किया। इस चोरी के खिलाफ सरकार ने कुछ नहीं किया।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य स्वयं इसमें मुल्जिम हों तो मुझे पता नहीं।

Page No. 18

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालो- दिया !

नगरपालिका, टौंक द्वारा आने-जाने वाली सवारियों पर लगाया गया टैक्स

५२. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या नगरपालिका, टौंक द्वारा पुराना एक आना नये ६ पैसे प्रति सवारी आने-जाने पर टैक्स लिया जाता है ? यदि हां, तो किस कानून व नियमों के अन्तर्गत ?

(२) क्या यह सच है कि राज्य की अन्य नगरपालिकाओं में इस प्रकार का सवारी टैक्स नहीं लिया जाता है ? यदि हां तो फिर टौंक में ही क्यों लिया जाता है ?

(३) इस टैक्स से कितनी आमदनी हर साल होती है ? उसमें से कितना सालाना यात्रियों को सुविधा पर खर्च किया जाता है ?

(४) क्या यह भी सच है कि इसकी वसूली के लिये सवारियों को गिनती को लेकर मोटर कर्मचारियों व चुंगी कर्मचारियों में हमेशा विवाद होता है जिससे गाड़ियां १५-२० मिनट तक वहां रुकी रहती हैं और एक ही गाड़ी को दोनों ओर को चौकियों पर रुकने से करीब आधा घन्टा लेट होना पड़ता है ? यदि हां, तो टैक्स की वसूली बुकिंग पर ही टिकट बिक्री के आधार पर क्यों नहीं को जाती है ? क्या यह भी सच है कि बसों के अलावा जीपों, कारों आदि गाड़ियों से यह सवारी टैक्स नहीं लिया जाता है ? यदि हां, तो फिर बसों में चलने वाली जनता से ही क्यों लिया जाता है ?

(५) क्या सरकार इसे बन्द करके जनता की परेशानी दूर करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब से और नहीं तो क्यों ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री मुल्कराज सिन्ह) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब अभी प्राप्त नहीं हुआ है इसलिये इसको स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन किया गया।

श्री जयनारायण सालोदिया : प्राप्त क्यों नहीं हुआ साहब ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

माउन्ट आबू में बिजली की व्यवस्था

५३. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि माउन्ट आबू में बिजली का ठेका आबू इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को दे रखा है ? यदि हां, तो कितने समय के लिये और इसका मालिक कौन है ?

(२) क्या लोकतान्त्रिक शासन में मोनोपोली पद्धति उचित है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त कम्पनी उपभोक्ताओं को बिजली का कनेक्शन देते समय मेन रोड़ से बिजली लाइन का पैसा उपभोक्ताओं से चार्ज करती है ? यदि हां तो क्या यह इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के विरुद्ध है ? यदि हां, तो इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(४) उक्त कम्पनी उपभोक्ताओं से मिनिमम साढ़े चार रुपया चार्ज करती है वह नियमों के विरूद्ध है ?

(५) क्या यह सही है कि कम्पनी उपभोक्ताओं से डेढ रुपये के स्टाम्प पर एक-तरफा एग्रीमेंट लिखवाती है ? यदि हां, तो किस नियम से ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री खेतसिंह) : (१) हां, माउन्ट आबू में बिजली का ठेका मांउन्ट आबू इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि०, माउन्ट आबू को भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० की धारा ३ के अन्तर्गत दे रखा है। इसकी मूल अवधि २९ अक्टूबर, १९६९ तक थी। इसके मालिक ई० सी० कावासजी व जे० सी० जाल थे।

(२) जी नहीं। यह ठेका सन् १९३९ में जब भारत स्वतन्त्र नहीं था तब दिया गया था।

(३) कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं को मेन रोड से जो विद्युत् लाइन दी जाती है उसमें से मकान के प्रेमिसेज के बाहर १०० फीट को छोड़कर बाकी लाइन का पैसा उपभोक्ताओं से चार्ज होता है जो भारतीय विद्युत् अधिनियम के अन्तर्गत है।

(४) उक्त कम्पनी अपने उपभोक्ताओं से अपने मूल लाइसेन्स के प्रावधान के अन्तर्गत मिनिमम चार्जेज निर्धारित दर पर वसूल कर रही है।

(५) स्टाम्प पर एग्रीमेंट कराने का प्रावधान नियमों में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पूर्व अनुमति से ?

श्री खेतसिंह : जी हां। पूर्व अनुमति से ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह आपने बताया १९६९ तक क्या इसकी अवधि बढ़ाई जायगी ?

श्री खेतसिंह : मैंने बताया अवधि बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता है। नई लाइन खींची जा रही है। इनको शो काज नोटिस दे दिया गया है। कार्यवाही चल रही है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या इसी कम्पनी के द्वारा काम हो रहा है ? किन नियमों के अन्तर्गत यह कम्पनी कार्य कर रही है ?

श्री खेतसिंह : जो लाइसेन्स में टर्म्स एन्ड कन्डीशन्स थीं उसमें पहले ३० साल के लिये दिया गया था। हमने टेक ओवर नहीं किया है। उस लाइसेन्स के तहत कार्य कर रहे हैं। जो लाइसेन्स में टर्म्स एन्ड कन्डीशन हैं उनको वह फुलफिल नहीं कर रहे हैं इसलिये शो काज नोटिस दिया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : राज्य सरकार अब कब तक इसे अपने हाथ में ले लेगी ?

श्री खेतसिंह : विचार किया जा रहा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह पूर्ण मोनोपोली का सवाल है। राजस्थान सरकार के लिये कलंक की बात है। इसे कब तक ले लेंगे। निश्चित अवधि बता दें, शीघ्रातिशीघ्र से काम नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर। श्री हाड़ा!

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार यह आश्वासन दे कि वह अपने हाथ में कब तक ले लेगी ?

श्री खेतसिंह : अति शीघ्र।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं राज्य सरकार से यह जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार इसको कब तक अपने हाथ में ले लेगी ?

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न ले लिया है। उत्तर आना अवशेष है।

श्री खेतसिंह : इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, १६१० के....

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : किस नियम के तहत वसूल कर रहे है ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि उसको गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ने सन् १६५६ में मिनिमम चार्ज वसूल नहीं किया जाय ऐसा....

श्री खेतसिंह : आप सही कह रहे हैं। इसी पर हमने शो काज नोटिस दिया है। इलेक्ट्रिक एक्ट के अन्तर्गत मिनिमम चार्ज वसूल नहीं कर सकते हैं फिर भी किया जा रहा है और नियमों की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : इनका लाइसेन्स क्यों नहीं खोस लिया जाय ? क्या एग्रीमेन्ट है उसके तहत साढ़े चार रुपया मिनिमम चार्ज वसूल नहीं कर सकते ?

श्री खेतसिंह : जी हां। एक एग्रीमेन्ट में यह कन्डीशन है।

श्री दिग्विजयसिंह : क्लाज नाइन में लिखा है—

"Provided that in a minimum charge of Rs. 3/- per annum shall be payable for the domestic supply of all installations of not more than ten lights and fan points whether energy of this value has been consumed or not. If installations of more than ten lights and fan points of charge of Rs. 3/- will be levied per mensom per Kilo-Watts installed whether energy of this value is consumed or not."

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर। समझ गये हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : ३ रुपये हैं तो फिर ४॥ रुपये किस आधार पर ले रहे हैं ?

श्री खेतसिंह : वह जो कुछ ले रहे हैं गलत ले रहे हैं और नियमों के अनुसार नहीं ले रहे हैं।

विद्युत् मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : शीघ्रातिशीघ्र कर देंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या आप १६७०-७१ में ही ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष : शीघ्रातिशीघ्र कह दिया है। यह वर्ष भी इसी में आ जाता है।

श्री दिग्विजयसिंह : एक मेरा निवेदन यह है कि क्या यह सही है कि कलेक्टर, सिरोही ने इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर ऑफ राजस्थान के यहां इस सम्बन्ध में जब रिप्रेजेन्टेशन दायर किया था कि यह मिनिमम चार्जेज नहीं ले सकते और उसका फैसला हो गया है कि नहीं ले सकते और कलेक्टर ने ६१ के अन्दर २ अगस्त, ६१ को यह कहा था कि यह

Page No. 21

(श्री दिग्विजयसिंह)
चार्जेज लेना बन्द किये जायें तो अब तक आपने क्या किया ?

श्री खेतसिंह : मैं प्रश्न को समझा नहीं।

श्री दिग्विजयसिंह : आपको समझाऊं अच्छी तरह से, विराजो आप। कलेक्टर, सिरोही ने इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर ऑफ राजस्थान के यहां यह रिप्रेजेन्टेशन किया कि यह जो मिनिमम चार्जेज ले रहे हैं यह गलत है और उसका फैसला यह हुआ कि वाकय में गलत ले रहे हैं तो फिर २ अगस्त, ६१ को कलेक्टर ने राज्य सरकार को लिखा कि इसका डिसीजन किया जाये और जो चार्जेज वसूल कर रहे हैं वह गलत है तो सन् ६१ से आज तक क्या कार्यवाही की ?

श्री खेतसिंह : मैंने निवेदन किया कि इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर की रिपोर्ट थी कि यह चार्जेज गलत है और उस रिपोर्ट को ही हमने लॉ डिपार्टमेन्ट को रेफर किया है और लीगल ओपीनियन ली जा रही है। उसके बाद में जो कार्यवाही की जानी चाहिये, वह करेंगे। इसके साथ ही निवेदन करूंगा कि वाटर वर्क्स, आबू ने स्टेट की तरफ से मुकदमा दायर कर दिया और मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, सिरोही के यहां चल रहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार की तरफ के अजीब से उत्तर हैं। यह तो बिलकुल स्पष्ट है कि वायोलेशन आफ एग्रीमेन्ट का यह मामला है। अगर आपका एग्रीमेन्ट वायोलेट होता है तो उसकी खिलाफवर्जी के लिए कोई पेनल्टी भी तो इवोक होती है। ९ वर्ष तक आप क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता। यह क्या सरकार है ? अगर आप वायोलेशन को रेगुलेराइज करें, उसको क्षम्य मानकर कोई दूसरी व्यवस्था करें तो भी ९ वर्ष तक वायोलेशन ऑफ एग्रीमेन्ट अण्डर कन्सीडरेशन रहेगा। (शेम-शेम)

श्री खेतसिंह : यह वायोलेशन ऑफ एग्रीमेन्ट नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी पक्ष के नेता समझे नहीं। यह वायोलेशन नहीं है। एग्रीमेन्ट के अन्दर यह कन्डीशन है कि वह रेट्स ले सकता है....

कुछ माननीय सदस्य : नहीं ले सकता है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपकी समझ में वायोलेशन ऑफ एग्रीमेन्ट की डेफीनेशन दूसरी है तो वह हमारी समझ के बाहर है। वायोलेशन बिलकुल एक ही अर्थ रखता है। आप वायोलेशन के ऊपर भी लैतलाली लगाकर एक्स्प्लेन-अवे करते हैं तो यह बड़ा शेमफुल है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है कि आप वायोलेशन में लैतलाली लगा रहे हैं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा एक प्रश्न और है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि १०० फुट तार छोड़कर बाद का चार्ज करते हैं। इसी प्रकार एग्रीमेन्ट के अन्दर उसके नियमों के विरुद्ध मिनिमम चार्जेज जो लिये हैं कम्पनी ने जो नियम विरुद्ध मिनिमम चार्जेज के नाम पर और लाइनिंग के नाम पर जनता से अधिक पैसा लिया है तो क्या सरकार उसको रिफण्ड करने की कार्यवाही करेगी ?

श्री खेतसिंह : जो कुछ कानूनन कार्यवाही की जा सकेगी वह की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हाड़ा।

ईरान प्रचारार्थ जाने वाले शहर काजी का खर्चा

५४. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(१) क्या यह सत्य है कि बूंदी के शहर काजी चिमन-कादरी को राजस्थान सरकार की सिफारिश के फलस्वरूप ईरान प्रचारार्थ जाने-आने का व्यय भारत सरकार से दिया जाना स्वीकार किया है ?

(२) उपरोक्त सारा खर्चा भारत सरकार वहन करेगी या उसका आधा अंश राजस्थान सरकार वहन करेगी ?

(३) कुल कितना खर्चा स्वीकृत किया गया है ?

वक्फ मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : (१) जी नहीं, राजस्थान सरकार ने कोई ऐसी सिफारिश नहीं की और न राजस्थान सरकार को कोई जानकारी ही है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : क्या चिमन कादरी ईरान गये थे ?

श्री बरकतुल्ला खां : ईरान तो बहुत से लोग जा सकते हैं सब के बारे में मैं जानकारी नहीं रख सकता और न वह इतने इम्पार्टेन्ट हैं कि मैं उनकी जानकारी रखूं कि वह कब गये ?

श्री केशरीसिंह हाड़ा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो इम्पार्टेन्ट है तब ही तो यह प्रश्न किया गया कि क्या यह ईरान राजस्थान सरकार और भारत सरकार के द्वारा भेजे गये ?

श्री अध्यक्ष : जी नहीं कह दिया है। आगे चलिये।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : तो क्या माननीय मंत्री महोदय नहीं कह सकते कि वाकय में चिमन कादरी हिन्दुस्तान के बाहर गये या नहीं ? इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

नेक्स्ट, श्री सूरजमल

श्री सूरजमल : प्रश्न संख्या ५५

जिला झुंझुनू में भूमिहीन हरिजनों को आवंटित भूमि

५५. श्री सूरजमल : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने १९६९ में यह निर्णय लिया था कि इस वर्ष में आगे जो भूमि आवंटित होगी वह केवल भूमिहीन हरिजनों को ही होगी ? यदि हां, तो क्या जिलाधीशों को व जिलाधीशों ने अपने संबंधित अधिकारियों को सरकार के उक्त निर्णय के आदेश जारी कर दिये हैं ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह सही है कि तहसील स्तर पर भूमि आवंटन हेतु जो कमेटियां गठित की गई हैं उनमें हरिजनों का प्रतिनिधित्व केवल एक कमेटी को छोड़कर और अन्य में नहीं है ? यदि हां, तो जो जमीनें आवंटित की जावेंगी क्या उसका सही आवंटन हो सकेगा ?

(श्री सूरजमल)

(३) क्या जिला झुंझुनू के भूमिहीन हरिजनों को भी कोई भूमियां आवंटित की गई हैं ? यदि हां, तो यह भूमि किन-किन हरिजनों को आवंटित की गई ? क्या आवंटित भूमियों का पट्टा जारी कर दिया गया और उनको कब्जा दिला कर काबिज कर दिया गया ? यदि हां, तो किन-किन हरिजनों को कब्जा दिया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखी जावे। यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्रीजी

श्री गंगाराम चौधरी (उप-मंत्री, राजस्व): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से संबंधित सूचना एकत्रित नहीं की जा सकी है इसलिए पोस्ट-पोन कर दिया जाये।

श्री सूरजमल : कब तक आ जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : अगले टर्न पर।

नैक्स्ट, श्री पृथ्वीसिंह

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : प्रश्न संख्या ५६

रंगास्वामी एवं मेघवाल जाति के बेघरबार परिवार

५६. **श्री पृथ्वीसिंह :** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नगरपालिका सादड़ी (मारवाड़), तहसील देसूरी में रंगा स्वामी एवं मेघवाल जाति के कितने परिवार बेघर हैं ?

(२) इन परिवारों को बसाने हेतु सरकार के पास क्या योजना है और उन्हें कब तक बसाया जा सकेगा ?

श्री अध्यक्ष : स्वायत्त शासन मंत्री

श्री मुल्कराज सिंह (उप-मंत्री, स्वायत्त शासन) : अध्यक्ष महोदय, इसका सम्बन्ध समाज कल्याण विभाग से है इसलिए उनको भेज दिया गया है।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका की सीमा के अन्दर कोई आदमी बेघर है और उसकी सूचना इनको नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ट्रान्सफर कर दिया गया है।

नैक्स्ट, श्री चुन्नीलाल इंदलिया

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : प्रश्न संख्या ५७

बिड़दवाल-छतरगढ़ सड़क निर्माण कार्य

५७. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील सूरतगढ़ के ग्राम बिड़दवाल के पास से जाने वाली छतरगढ़ रोड़ का निर्माण कार्य कब तक पूरा कराने की सरकार की योजना थी और अब कब तक यह कार्य पूरा करवा दिया जायेगा ?

(२) बिड़दवाल से छतरगढ़ कितने मील है इससे कितनी मील डामर की सड़क व कितने मील कंकरीट सड़क बनी है ? बाकी का कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : सार्वजनिक निर्माण मंत्री

श्री माधोसिंह (उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण) : अध्यक्ष महोदय, इसका संबंध सिंचाई नहर परियोजना विभाग से है और यह उनको ट्रान्सफर कर दिया गया है।

विजयसिंह (मकराना) : इन्होंने भी डामर का ढोल पीट दिया है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि जिस सड़क के लिए क्वेश्चन रखा है वह पी० डब्ल्यू० डी० की सड़क है और आप कह रहे हैं कि सिंचाई विभाग से सम्बन्ध रखता है....

श्री माधोसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह पी० डब्ल्यू० डी० की सड़क नहीं है। सिंचाई विभाग इसको बना रहा है और इसके तहत बन रही है और हमारे विभाग से कोई संबंध नहीं है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : क्या इस सड़क का पी० डब्ल्यू० डी० ने ठेका नहीं दिया है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, वह जवाब आ जायेगा।

श्री फूलचन्द बाफना।

विद्युत् लाइनों के लिये तार खींचने का कार्य

५८. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) विद्युत् लाइनें खींचते समय स्तम्भ खड़े करने या तार खींचने का कार्य खाली पड़े आबादी भूमि प्लॉटों में करना कहां तक उचित है ? क्या ऐसे कार्यों से जनता को व्यर्थ के संकट नहीं झेलने पड़ते हैं ?

(२) क्या विद्युत् मंत्रालय ऐसी आज्ञा निकालना उचित नहीं मानता है कि:—

(क) आबादी के भूमि प्लाटों में बिजली लाइनों के वर्त्तमान में खड़े स्तम्भ व खींचे हुए तारों को हटाकर आम रास्तों के किनारे-किनारे लगाये जायें, एवं

(ख) भविष्य में भी आबादी भूमि प्लाटों में बिजली के स्तम्भ खड़े करने या तार खींचने का कार्य नहीं किया जाकर आम रास्तों के किनारे-किनारे ही यह कार्य किया जाये ?

(३) क्या यह सही है कि उपर्युक्त आज्ञा निकालने से व उसकी पालना से कई व्यर्थ के झगड़े व जनता को परेशानी होना बंद हो जायेगा ? यदि हां, तो ऐसी आज्ञा कब तक निकाल दी जावेगी ?

उप मंत्री, विद्युत् (श्री खेतसिंह) : (१) डिमार्केटेड आबादी भूमि प्लाटों पर प्राय: लाइनें नहीं खींची जाती है। अतः संकट का प्रश्न आम तौर पर नहीं उठना चाहिए।

(२) (क) वर्तमान प्रेक्टिस के अनुसार जिस समय लाइन खींची जाय उस समय यदि भूमि प्लाटों का साफ-साफ डिमार्केशन हो तो लाइन नहीं खींची जाती। अगर लाइन खींचने के बाद खाली भूमि किसी को आवंटित होती है तो आवेदन प्राप्त होने पर, मण्डल लाइन हटा देता है, जिसका खर्चा संबंधित पार्टी

(श्री खेतसिंह):

को भुगतना पड़ता है। अतः इस प्रकार के आदेश निकालने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) यद्यपि उपर्युक्त उत्तर के अनुसार इसके आदेश निकालने की आवश्यकता नहीं है फिर भी एहितात के लिये एक बार और निर्देश जारी कर दिये जायेंगे।

(३) प्रायः किसी भी डिमार्केटेड भूमि प्लाटों पर लाइन नहीं खींची जाती है। फिर भी उपर्युक्त अनुसार निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

श्री फूलचन्द बाफना : अध्यक्ष महोदय, खम्बे जो ग्राम रास्ते पर होते हैं वहां तो होते हैं लेकिन उसके अलावा प्लाटों पर यह खम्बे नहीं होने चाहिए। इसलिए ग्राम रास्तों पर ही यह खड़े किये जायें इस तरह की आज्ञा निकाल दी जाये तो क्या हर्ज है?

श्री खेतसिंह : जैसा मैंने उत्तर में निवेदन किया है कि कोशिश यही की जाती है कि ग्राम रास्तों के पास ही खम्बे गाड़े जायें लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्लॉट डिमार्केटेड नहीं होते हैं और सामने दूसरा कन्ज्यूमर कनेक्शन मांगता है और चूंकि प्लॉट डिमार्केटेड नहीं है सो कोई खम्बा बीच में आ जाता है। फिर भी कोई कहता है तो उसके आवेदन करने पर उसको हटा देते हैं।

श्री फूलचन्द बाफना : दस-बारह महीने के बाद मकान बन जाते हैं और लोगों को दूसरी मंजिल बनाते समय तार बीच में आते हैं....

श्री खेतसिंह : कोई केस सामने आयेंगे तो जरूर कार्यवाही की जायेगी।

(१२ मध्याह्न)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री नन्दवाना।

ग्राम पंचायत पुठोली में नाजायज कब्जे नियमित करने के लिये आमंत्रित बैठक

५६. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले में तहसीलदार, गंगरार, ने नाजायज कब्जे रेग्युलेराइज करने हेतु ग्राम पंचायत, पुठोली में दिनांक ११ सितम्बर, व १२ सितम्बर, १९६९ को एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग आमंत्रित की थी, यदि हां, तो उस दिन कौन-कौन सदस्य उपस्थित हुए? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि बिना एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों के तहसीलदार, गंगरार, ने दिनांक ११-९-६९ को रेग्युलेराइज करने वाली फाइलों को देखकर लोगों के जुर्माने दर्ज कर भूमि से बेदखल करने के आदेश दे दिये हैं? यदि हां, तो फिर कमेटी के सदस्यों को बुलाने का कारण क्या रहा है?

(३) क्या यह सही है कि दि. १२-९-६९ को पुठोली का कार्यक्रम रख कर सदस्यों को बुलाने का निमन्त्रण दिया गया और तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं आए? यदि हां, तो क्यों?

Page No. 26

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (१) जी हां, दिनांक ११-९-६९ को तहसीलदार उपस्थित हुए थे तथा दिनांक १२-९-६९ को श्री रामकुमार नन्दवाना तथा प्रधान, पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ का वहां उपस्थित होना बताया गया है।

(२) यह सही है कि तहसीलदार ने पत्रावलियों में बेदखली व जुर्मानों के आदेश दिये। तहसीलदार ने सलाहकार समिति की बैठक इसलिए बुलाई थी कि शायद कोई नियमन जैसा हो तो वह सलाहकार समिति की बैठक में रखा जा सके।

(३) यह सत्य है कि दिनांक १२-९-६९ को तहसीलदार मौके पर नहीं पहुँचे। क्योंकि दिनांक ११-९-६९ को ही वे कार्य समाप्त कर वापस गंगरार चले गये थे और इसका कारण यह था कि तहसीलदार को ऐसी कोई पत्रावलियां नहीं मिली जिनमें नियमन हो सकता था। फलस्वरूप उन्होंने उक्त तिथि का वह दौरा निरस्त कर दिया।

श्री रामकुमार नन्दवाना : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जब ११ तारीख को तहसीलदार ने मीटिंग रखी थी तो वे मीटिंग करके चले गये और १२ तारीख को भी मीटिंग बुलाई थी तो वे उपस्थित नहीं हुए जब कि मेम्बर लोग उपस्थित थे। क्या कारण था कि जब १२ को मीटिंग रखी थी और उसको निरस्त की थी तो उसकी सूचना दी जानी चाहिए थी ? तीन मील का ही तो फर्क था ?

श्री अध्यक्ष : मेम्बर्स को सूचना क्यों नहीं दी गई ?

श्री गंगाराम चौधरी : इस सम्बन्ध में जिलाधीश ने माननीय सदस्य से खेद प्रकट किया है और तहसीलदार को हिदायत कर दी है....

श्री अध्यक्ष : वह बहुत पर्याप्त है।

नेक्स्ट, श्री बाढ़दार।

गलते के कुण्ड से बरामद लाश

६०. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि दैनिक-पत्रों में जनवरी, सन् ७० के प्रथम सप्ताह में गलते के यज्ञ कुण्ड में एक युवक की लाश बरामद होने के समाचार प्रकाशित हुए और युवक की हत्या किये जाने का सन्देह व्यक्त किया गया था ?

(२) क्या पुलिस ने इस विषय में कोई मुकदमा दर्ज किया ? यदि हां, तो किस धारा के अन्तर्गत ?

(३) मृतक के पोस्ट मार्टम में क्या व्यक्ति की हत्या किया जाना प्रकट किया गया ? यदि हां, तो इसके उपरान्त क्या जांच के दौरान किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और हत्यारे का पता लगाया गया ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (१) जी हां।

(२) पुलिस ने इस सम्बन्ध में प्रारम्भ में रामशरण के लापता होने की लिखित इत्तला मिलने पर मुकदमा नं.४६९ धारा ३६४ ता. हि. के अन्तर्गत दिनांक २९-१२-६९ को थाना माणक चौक पर दर्ज किया

Page No. 27

(श्री हीरालाल देवपुरा)

था। बाद में मेडिकल रिपोर्ट्स को देखने पर धारा ३०२ ता. हि. और बढ़ाई गई है।

(३) पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट में मेडिकल ज्यूरिस्ट ने लाश पर ६ चोट एन्टी मार्टम होना दर्ज की है लेकिन साथ ही यह भी दर्ज किया है कि मौत इन चोटों के कारण सम्भव नहीं है केवल बेहोश होना सम्भव बतलाया गया है। मृतक के पेट में कन्जेशन बतलाया गया, जिसके कारण प्वाइजनिंग की सम्भावना व्यक्त की गई है। विसरा का नतीजा नहीं प्राप्त हुआ है। पानी में डूबने से मरने के बारे में कोई तहकीक नतीजा नहीं दिया गया। एक व्यक्ति दिनांक २७-१-७० को गिरफ्तार किया गया है। तफतीश जारी है।

श्री अध्यक्ष : विसरा का नतीजा कोई प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, उसका नतीजा प्राप्त हो गया है।

श्री अध्यक्ष : मेरे में यह लिखा नहीं था।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या यह सच है कि २३-१२-६६ को इस मृत व्यक्ति के सम्बन्धियों ने थाना माणक चौक में इस बात की रिपोर्ट की कि इस आदमी के जीवन को खतरा है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : सबसे पहले इसके सम्बन्धियों ने रिपोर्ट इसके लापता होने की २५-१२-६६ को की थी और उसी आधार पर इत्तिला दर्ज की गई थी, और उसके बाद जब २६ को लाश मिली और जब उसकी पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट आई है तो उसके बेसिस पर थाने में उसको मर्डर माना जाकर उसका केस ३०२ में दर्ज किया गया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इसकी तफतीश कब चालू की गई है और इस तफतीश में कितने अफसरान बदले गये हैं और यह तफतीश किस स्टेज पर चल रही है ?

गृह मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही कम्प्लीकेटेड मर्डर केस है और मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूंगा कि यदि उनके पास कुछ इन्फर्मेशन हो तो वे मुझे वैसे ही दे दें, क्योंकि यह मामला जेर तफतीश है तो उसमें कुछ फैक्ट ऐसे हैं कि जो यहां पर नहीं बताये जा सकते हैं, इन दी इन्टरेस्ट ऑफ दी केस यदि उनके पास ऐसी कोई जानकारी हो तो वह मुझे दे दें। मैं इसके लिये आभारी होऊंगा। वे इन्वेस्टीगेशन ऑफिसर से मिल लें और उससे उनको सन्तोष नहीं हो तो वह आप बता दें तो मैं Investigation Office तब्दील करने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन इस मामले के डिटेल्स इस सदन में पूछना उचित नहीं होगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं डिटेल्स नहीं पूछना चाहता हूं और मैं आपकी डिफिकल्टी को रियेलाइज करता हूं, पर साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्रीजी से अत्यन्त विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि सदन में प्रश्न ..

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछें। परामर्श न दें। प्रश्न पूछें, केवल प्रश्न पूछें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप यह कहते हैं कि कम्प्लीकेटेड मर्डर के विषय में

Page No. 28

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

विशेष न पूछें और मुझसे कहा जाता है कि इसके बारे में तथ्य मालूम हो तो मन्त्री महोदय को बता दूं तो आप अपनी कुर्सी खाली कर दें और मुझे बिठा दें फिर देखें कि बरामद करता हूं कि नहीं।

(विपक्ष की ओर से हियर, हियर)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री नत्थीसिंह : ये बहुत दिनों से निवेदन कर रहे हैं लेकिन आप सुनते ही नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : गृह मन्त्रालय आपके लिये उपयुक्त नहीं है शिक्षा का उपयुक्त है।

घोटालों के सम्बन्ध में जांच

६१. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ गत वर्ष अकाल राहत कार्यों में किये गये घोटालों के सम्बन्ध में कार्यवाहियां चल रही हैं? यदि हां, तो किन-किन के खिलाफ कब-कब से और उनके खिलाफ क्या-क्या आरोप लगाये गये? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उपरोक्त व्यक्तियों में से यदि किसी के खिलाफ कोई जांच की गई तो उसका क्या परिणाम रहा?

(३) इस सम्बन्ध में किन-किन को निलम्बित किया गया है?

(४) उक्त कर्मचारियों व अधिकारियों में से डेली वेजेज व अस्थाई तौर पर कितने-कितने हैं?

(५) क्या कार्यवाही शुरू होने के बाद किन्हीं की सेवाएं भी समाप्त की गईं? यदि हां, तो किन-किन को, किस-किस कारण से?

उप मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुवा है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

नेक्स्ट श्री विजयसिंह

जयपुर नगर में बिजली की व्यवस्था

६२. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे?

(१) क्या यह सही है कि गत दो वर्ष से जयपुर नगर की विद्युत व्यवस्था दिनों दिन गिरती जा रही है?

(२) क्या यह सही है कि अनेक महत्वपूर्ण सड़कों पर दो-दो माह तक ट्यूब लाइट्स और बल्ब फ्यूज होने पर बदले नहीं जाते हैं।

(३) क्या यह सही है कि विद्युत व्यवस्था की देखरेख के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा नगर का कभी निरीक्षण नहीं किया जाता? यदि हां, तो क्यों? यदि निरीक्षण किया गया है, तो अन्तिम निरीक्षण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(४) क्या यह सही है कि जनरल पोस्ट ऑफिस के पीछे सदस्य आवास गृहों की

(श्री विजयसिंह)
सड़क पर गत दो माह से ट्यूब लाइट्स खराब पड़ी हैं तथा नगर परिषद् एवं नगर विकास न्यास को समय-समय पर इसकी सूचना वहां निवास करने वाले सदस्यों द्वारा दी जाती रहने पर भी नहीं बदली गई हैं। यदि हां, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारी कौन हैं तथा उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(५) नगर में विद्युत् की सुव्यवस्था हो, इस सम्बन्ध में क्या सरकार ने गम्भीरता से विचार किया है या करने का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक और क्या ?

उपमंत्री, विद्युत् (श्री खेतसिंह) : (१) जी नहीं, यह सही नहीं है।

(२) फ्यूज बल्ब को बदलने के लिए समय से कार्यवाही की जाती है। जहां तक ट्यूब लाइट बदलने का सवाल है बोर्ड के टेरिफ के अनुसार ट्यूब, लाइटें नगर परिषद् खुद सप्लाई करती है और नई ट्यूब लाइटें नगर परिषद् से उपलब्ध होने पर लगा दी जाती है।

(३) जी नहीं, सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। स्ट्रीट लाइट के सम्बन्ध में निरीक्षण करने की प्रतियां संलग्न हैं।

(४) जहां तक जनरल पोस्ट ऑफिस के पीछे माननीय सदस्यों के आवास गृहों की सड़क आई हुई है उस पर ट्यूब लाइट खराब होने का प्रश्न है; वहां पर एक ट्यूब लाइट खराब थी वह इस विभाग द्वारा ठीक कर दी गई है। इसके उपरान्त पिछले दिनों एक ट्यूब लाइट खराब हो गई थी वह भी दिनांक ७-३-१९७० को बदल दी गई है। इस समय वहां की सड़कों पर सारी ट्यूब लाइटें चालू हैं। अतः किसी अधिकारी को दोषी ठहराने का प्रश्न पैदा नहीं होता, क्योंकि सूचनाओं के आधार पर इस विभाग द्वारा समय-समय पर कार्यवाही कर दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री सत्यीसिंह : अभी पूरा नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : कर दें पूरा।

श्री खेतसिंह : (५) नगर विद्युत् की सुव्यवस्था के विषय में राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल पहले से ही जागरूक है और जहां तक एच० टी० फीडर का सवाल है। करीब-करीब सारे नगर में फैले हुए अटेन्डेन्ट उप-चौकियों पर दो फीडर पहुँचा दी गई हैं जिससे कि एक तरफ से सप्लाई फेल होने पर दूसरी ओर से सप्लाई तुरन्त चालू कर दी जा सके। विद्युत् व्यवस्था में और भी अधिक सुधार के लिए ग्रिड सब-स्टेशनों में नये अधिक क्षमता वाले ट्रान्सफार्मर लगाये जा रहे हैं और जयपुर शहर के चारों ओर ३३ के० वी० का रिंगमैन बनाने की योजना भी विचाराधीन है।

(निरीक्षण करने की प्रतियां राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई हैं)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री विजयसिंह : बड़ी कृपा की।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री पृथ्वीसिंह।

जवाई बांध की डूब में आई भूमि

६३. श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील बाली, जिला पाली के ग्राम सेणा, जावरा, दुदणी व बिसलपुर के

(श्री पृथ्वीसिंह)

कितने काश्तकार जवाई बांध में अपनी खातेदारी की भूमि डूब जाने के फलस्वरूप भूमिहीन हो गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या गांव सेणा की आबादी, पानी की पीचका एवं गोचर भूमि सबके सब जवाई बांध की डूब में आ गये हैं ? यदि हां, तो उनके पुनर्वास हेतु उन्हें कहां पर आबादी भूमि आवंटित की गई है और कहां पर उन्हें गोचर एवं पीचका दिया गया है ? उनके पुनर्वास एवं मुआवजे में उन्हें खातेदारी की भूमि कहां पर आवंटित की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि ग्राम सेणा, जीवदा एवं दूदणी के काश्तकारों की जिनकी भूमि पानी में डूब गई है एवं जिन्होंने डूबी हुई भूमि पानी से निकलने पर काश्त किया है उन पर धारा ९१ के मुकदमे चलाये जाकर जुर्माना किया गया है ? यदि हां, तो इसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष : ट्रांसफर किया गया, राजस्व मन्त्री को सौंपा गया है।

(विराम)

किससे सम्बन्धित है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): उपनिवेशन विभाग को ट्रांसफर किया गया है।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ४२ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं चाहता हूं....

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सर पर मैला ढ़ोने का सवाल है, इसको ले लिया जाय। इसमें थोड़ी सी देर लगेगी, प्रश्न संख्या ४२।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के भाग (३) में जो सवाल पूछा है वह इस पृष्ठ भूमि में पूछा है कि जवाई में डूब के अन्दर आ गई है जिनकी जमीन उनके विरुद्ध ९१ के केसेज चल रहे हैं तो कैसे यह कॉलोनाइजेशन का मामला हो गया ?

श्री अध्यक्ष : कैसे एक्स्प्लेन करते हैं इस प्रश्न को राजस्व मन्त्रीजी।

श्री गंगाराम चौधरी : यह प्रश्न जवाई कमाण्ड एरिया से सम्बन्ध रखता है और कमाण्ड एरिया से कॉलोनाइजेशन का सम्बन्ध है।

श्री पृथ्वीसिंह : कमाण्ड एरिया तो है लेकिन केसेज ९१ में राजस्व विभाग कर रहा है या कॉलोनाइजेशन विभाग ?

श्री गंगाराम चौधरी : डिपार्टमेन्ट की दरख्वास्तें धारा ९१ के प्रार्थना-पत्र तहसीलदार के पास विचाराधीन है।

श्री पृथ्वीसिंह : दरख्वास्तें किसने की ? पटवारी ने या कॉलोनाइजेशन विभाग ने ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न वापिस आयेगा।

नेक्स्ट प्रश्न संख्या ४२, समाज कल्याण मन्त्री ! केवल उत्तर होगा।

श्री अध्यक्ष : केवल उत्तर देंगे। समाज कल्याण मन्त्री।

श्री पृथ्वीसिंह : यह तो स्पष्ट किया जाना चाहिये....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लोज। येस।

सर पर मैला ढोने की कुप्रथा

४२. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य सरकार सिर पर मैला ढोने के लिये क्या योजनाबद्ध कदम उठा रही है ?

(२) क्या राज्य सरकार ने गांधी जन्म शताब्दी के अवसर पर उक्त कुप्रथा को बन्द करने के लिये कोई विशेष कदम उठाये हैं ? अगर हां, तो क्या ?

(३) सरकार इस कुप्रथा को कब तक बन्द कर देगी ?

राज्य मन्त्री, समाज कल्याण (श्री विश्वम्भरनाथ जोशी) : (१) सरकार सिर पर मैला ढोने की प्रथा बन्द करने के लिये योजनाबद्ध तरीके से सक्रिय कदम उठा रही है।

(२) जी हां। सरकार इस दिशा में मुख्य रूप से ३ ओर से कार्य कर रही है:—

(१) मैला उठाने व ढोने के लिए यान्त्रिक अभिकरण जुटाना।

(२) सार्वजनिक टट्टियों को फ्लश टट्टियों में परिवर्तित करना।

(३) निजी कच्चे टट्टियों को फ्लश टट्टियों में परिवर्तित करना। इन कार्यों के लिए राज्य सरकार म्युनिसिपैलिटियों को अनुदान दे रही है। यह कार्यक्रम पहले राज्य के २७ नगरों में ही प्रारम्भ किया जा रहा है।

(३) सरकार इस प्रथा को यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने के लिये प्रयत्नशील है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(किन्हीं माननीय सदस्य के कुछ बोलने पर) ऑर्डर-ऑर्डर।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

अनुपस्थित सदस्य के तारांकित प्रश्नोत्तर

कॉटन कन्ट्रोल ऑर्डर के तहत मुकदमें

श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिलाधीश, अजमेर की ओर से केकड़ी खण्ड मण्डलाधीश श्री प्रवीणचन्द्र जैन द्वारा 'कॉटन कन्ट्रोल ऑर्डर' के तहत कितने मुकदमे दिये गये ?

(२) जो मुकदमे दिये गये उनकी एफ. आई. आर. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(३) उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई और कब-कब की गई ? उसका पूरा विवरण सदन की मेज पर रखें।

(४) मामले अब किस स्टेज पर हैं ?

उत्तर

(१) ९ व्यापारियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किये गये हैं —

१. रामजीवन चान्दमल, केकड़ी।

(श्री गृह मंत्री)

२. लक्ष्मी कॉटन जीनिंग फैक्ट्री, केकड़ी।

३. जमनादास बिट्ठलदास, केकड़ी।

४. अमोलकचन्द बिरदीचन्द, केकड़ी।

५. रामचन्द जसलाल, केकड़ी।

६. शोभामल, केकड़ी।

(२) एफ. आई. आर. की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(३) उपरोक्त ६ अभियोग में से ५ मुकदमों में पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट दी गई थी जो उप-खण्ड मण्डलाधीश केकड़ी ने दिनांक २-४-६८ को स्वीकृत कर दी। शेष एक मुकदमे में मैसर्स रामजस लालचन्द के केस में तफतीश जारी है।

(४) मैसर्स रामजस लालचन्द के अभियोग में तफतीश जारी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अनुसूचित जाति के थानेदार

५९. श्री रावतराम (छापर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में अनुसूचित जाति के पुलिस विभाग में कुल कितने थानेदार हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) इनकी नियुक्तियां किन-किन तारीखों में हुई और ये फिलहाल कहां कार्य कर रहे हैं ?

(३) अनुसूचित जाति के कितने थानेदार थाना इन्चार्ज हैं और कितनों को सी॰ आई. डी. तथा पुलिस लाइन में लगा रखा है।

उत्तर

(१) राजस्थान पुलिस विभाग के अनुसूचित जाति के कुल १७ थानेदार हैं। इनकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची में अंकित है।

(३) उपरोक्त १७ थानेदारों में से १ थाना इन्चार्ज, २ नोखामण्डी में हैं, ५ पुलिस लाइन में, १ अधीक्षक का रीडर, १ एमशोटो में, २ पी. एस. आई. व एक पुलिस वायरलैस में, एवं ४ ट्रेनिंग में हैं।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

बालिका द्वारा आत्म हत्या

६०. श्री देवेन्द्रकुमार (गोगुन्दा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि ग्राम लालपुर महाड़ी परे मामेर पंचायत में कुछ महीने पहिले एक बालिका ने आत्म हत्या की थी ? यदि हां, तो कब, उसके क्या कारण थे ? तफतीश क्या की गई ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि उक्त बालिका को इस दुर्घटना के पूर्व पुलिस वालों ने अपने पास रखा तथा पुलिस वालों ने उसी गांव में बालिका के घर पर ही रहने की कार्यवाही की ? यदि हां, तो कितने पुलिस वाले थे ? यदि नहीं, तो तफतीश का सारा रेकार्ड पेश किया जाय।

(श्री देवेन्द्र कुमार)

क्या यह भी सत्य है कि दिनांक ५-३-६९ को कोटड़ा थाने में माड़ी ग्राम के एक आदिवासी दम्पति सब-इन्सपेक्टर को अपना दुःख सुनाने गए तब कुछ सिपाहियों ने सब-इन्सपेक्टर के घर पर घेरा डाला ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(४) क्या यह भी सत्य है कि आदिवासियों की गरीबी का लाभ उठाने में पुलिस के बड़े अधिकारियों का संरक्षण है। यदि नहीं, तो ५-३-६९ के कांड का दोषी कौन है ?

उत्तर

(१) जी नहीं। ग्राम लालपुर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तारीख ११-८-६८ को ग्राम बावेला में मुसम्मात रुकमा पुत्री भारता उम्र १५ साल के साथ श्री मसवरखां, मु० आ० तथा अब्दुल मजीद आरक्षक द्वारा मारपीट कर बलात्कार करने की घटना हुई थी। जिसके फलस्वरूप लड़की ने फांसी खाकर आत्महत्या कर ली। इन दोनों मुल्जिमानों के खिलाफ तकमील तफतीश कर तारीख २७-९-६९ को अदालत में जेर दफा ३७६ आई. पी. सी. चालान पेश किया जा चुका है।

(२) जी हां। यह सही है। मु. नं. २८/६८, धारा ३०७ ता० हि० की तफतीश के सिलसिले में मु० आ० मसवरखां मय चार सिपाहियों के ता० १०-८-६८ को लड़की के घर गये थे और रात को वहीं रहे थे। तफतीश से मु० आ० मसवरखां व आरक्षक अब्दुल मजीद के विरुद्ध जुर्म जेर दफा ३७६ ता० हि० पाया गया।

(३) जी नहीं।

(४) इसका प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

पुलिस विभाग में नियुक्तियां

६१. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य के हर जिले में सन् १९६९ में पुलिस के कितने सिपाही व अन्य पदों पर नियुक्तियां की गई जिनमें कितने अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोग लिये हैं ? हर जिले की नामवार सूचियां सदन की मेज पर रखें।

(२) जयपुर में अगस्त, सितम्बर व ६ अक्टूबर तक कितने सिपाही पुलिस में भर्ती किये गये जिनमें कितने अनुसूचित जाति व जन-जाति के उम्मीदवारों को भर्ती किया गया ? जातिवार आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर मय नामों के रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

तपस्वी की हत्या

६२. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तारीख १३-८-१९६९ को गुढ़ा बालोतन, जिला जालोर में शिव मन्दिर में बाबा बजरंगपुरीजी (संत एवं तपस्वी) की निर्मम हत्या किसी के द्वारा की गई थी ?

(२) उपर्युक्त हत्या के विषय में किस-किस की अर्जी किस-किस तारीख को किस-किस को प्राप्त हुई और प्रत्येक आवेदन-

(श्री फूलचन्द बाफना)
पत्र पर क्या-क्या कार्यवाही सरकार द्वारा आज तक की गई ?

(३) प्रथम एफ. आई. आर. किस स्थान के पुलिस कार्यालय में किस तारीख को दर्ज की गई थी ? अब यह मामला किस स्थिति में है और सरकार की आगे क्या मन्शा है ?

(४) इतने लम्बे समय तक भी अपराधी का पता नहीं लगने का क्या कारण है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) इस हत्या के विषय में (१) श्री कानाराम निवासी आहौर की ओर से दिनांक १२-९-६९ को, (२) सैक्रेटरी, जैन संघ गुन्टुर की ओर से दिनांक १-१०-६९ को, (३) जैन संघ द्राक्षाराम की ओर से दिनांक १३-१०-६९ को व (४) श्री मोतीलाल ओसवाल, नवयुवक संघ की ओर से दिनांक ११-११-६९ को दरख्वास्तें प्राप्त हुई थीं।

पहला प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट मांगी गई थी। जिला पुलिस को इस अपराध का सुराग नहीं मिल सका अतः यह केस क्राइम ब्रान्च द्वारा लिया जा चुका है।

(३) प्रथम सूचना संख्या ५५, दिनांक १४-८-६९ को थाना उम्मेदपुर में दर्ज हुई थी। इस समय तफतीश क्राइम ब्रान्च द्वारा की जा रही है।

(४) पुलिस द्वारा अपराध का पता लगाने के लिये प्रयास किये जाते हैं, किन्तु अपराध का सफलतापूर्वक पता लग जाना कई बातों पर निर्भर करता है। इस मामले में भी पता रसी माल व मुल्जिमान जरिये मुलाजमान व मुखबिरान होती रही है मगर अब तक सफलता नहीं मिल सकी है।

जिलों का जियोलोजिकल सर्वे

६३. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डौली) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान के कौन-कौन से जिलों का जियोलोजिकल सर्वे हो चुका है और कौन-कौन से जिलों का होना है ? वह कब तक हो जावेगा ?

(२) उपरोक्त सर्वे का परिणाम क्या निकला ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(३) सर्वे के फलस्वरूप किस-किस जिले में कौन-कौन से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में कब तक शुरू करने का सरकार विचार रखती है ?

(४) जिला बून्दी में सीमेन्ट उद्योग निजी क्षेत्र में क्यों नहीं शुरू हो सका ?

(५) क्या यह सत्य है कि बून्दी तक रेल्वे लाइन नहीं होने के कारण उद्योगपति ने इसे शुरू करने से इन्कार कर दिया था ?

(६) कोटा स्थित गुड़ला स्टेशन से रेल्वे लाइन बून्दी होकर चित्तौड़ तक जाने वाली थी और जिसका काम भारत सरकार द्वारा १९४६ में शुरू होने वाला था वह किन कारणों से शुरू नहीं हो सका ?

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

(७) राजस्थान सरकार इस रेल्वे लाइन का काम जल्द शुरू कराने के लिए भारत सरकार से अनुरोध करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) लगभग सभी जिलों में प्रारम्भिक पूर्वेक्षण कार्य किया जा चुका है। विस्तृत पूर्वेक्षण तथा समन्वेक्षण जहां महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार हैं, किया जा रहा है।

(२) सूची संलग्न है। इन खनिजों का पूर्वेक्षण किया जा चुका है। अब इस विषय पर प्राप्त जानकारी विभागीय पुस्तक में प्रकाशित की जा चुकी है। इस पुस्तक की प्रति विधान सभा पुस्तकालय को प्रस्तुत की जा चुकी है।

(३) इन सब पूर्वेक्षणों के फलस्वरूप जिन-जिन खनिजों पर आधारित उद्योग लग चुके हैं या लगने की संभावना है, उसकी सूची संलग्न है। इस सूची के अलावा और भी कुछ औद्योगिक अन्वेक्षण किये जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप यदि सफलता मिली तो कुछ उद्योग स्थापित हो सकते हैं।

(४) बून्दी में सीमेन्ट का एक कारखाना पहले से ही लगा हुआ है।

(५) निजी क्षेत्र में एक दूसरे कारखाने के लिए एक प्रार्थना-पत्र खनन पट्टे हेतु प्राप्त हुआ था, किन्तु रेल्वे लाइन नहीं होने से इन्कार कर गई।

(६) भारत सरकार ने इस लाइन को अलाभकारी होने से स्थगित कर रखा है।

(७) लगातार लिखा जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

बीकानेर ऊन मिल

६४. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बीकानेर ऊन मिल में चालू होने से अब तक कितने कर्मचारी किस-किस पद पर कार्य कर रहे हैं और उनको कितना-कितना मासिक वेतन दिया जा रहा है ? इनमें कितने कर्मचारी स्थाई व कितने कर्मचारी अस्थाई तौर पर रखे गये हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि मिल हानि में चल रही है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

राज्य में जन्म-मृत्यु दर

६५. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में जन्म-मृत्यु का वार्षिक एवं दैनिक अनुपात क्या है ? राजस्थान में कितने रोज पैदा होते हैं और कितने रोज मरते हैं ?

(स्थगित किया गया)

उदयपुर में सुखाड़िया फव्वारे का निर्माण

६६. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या उदयपुर में सुखाड़िया फव्वारे का निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो उस पर कुल कितना खर्चा होगा ? यह नगर परिषद् की ओर से बन रहा है या नगर न्यास की ओर से ?

उत्तर

जी नहीं। उदयपुर में सुखाड़िया फव्वारे का निर्माण नगर परिषद् या नगर न्यास द्वारा नहीं किया जा रहा है।

हिन्डौन नगर सुधार न्यास

६७. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) हिन्डौन में नगर सुधार न्यास कब से कार्य कर रहा है और अब तक इसने कितना खर्चा किस-किस मद में किया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) उपरोक्त नगर सुधार न्यास को अब तक कितनी-कितनी आय किस-किस वर्ष में किस-किस मद में हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) उपरोक्त नगर सुधार न्यास ने अब तक किस-किस स्कीम को अपने हाथ में लिया है और कितने प्लॉट अब तक किस-किस को दिये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) हिन्डौन में नगर सुधार न्यास दिनांक १-७-६४ से कार्य कर रहा है। खर्चे की सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सूची (ग व घ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

नगरपालिका केकड़ी

६८. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या नगरपालिका केकड़ी का सन् १९६८-६९ व १९६९-७० का विभागीय अंकेक्षण हो गया है ? अगर हां, तो अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें। सन् १९६८-६९ के अंकेक्षण आक्षेपों पर विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

नगर विकास न्यास में नामजद सदस्य

६९. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नगर विकास न्यास, बीकानेर में राज्य सरकार द्वारा कुल कितने नामजद

Page No. 37

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

किये गये सदस्य हैं ? नामों सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने बीकानेर शहर व अन्य शहर में नामजद की गई इस तरह के सदस्यों की सूची में पिछड़ी जाति के सदस्य को नामजद नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या सरकार पिछड़ी हुई जाति के सदस्यों को नगर विकास न्यास में नामजद करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) नगर विकास न्यास, बीकानेर में एक अध्यक्ष व तीन सदस्य नामजद किये गये हैं। नाम की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां, मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

नगरपालिका लाडनूं का स्टोर

७०. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नगरपालिका लाडनूं, जिला नागौर के स्टोर का कब-कब किस-किस अधिकारी द्वारा चैकिंग किया गया और उसमें क्या-क्या सामान कितने-कितने रुपयों का कम पाया गया ?

(२) आज दिन स्टोर के स्टॉक रजिस्टर के अनुसार स्टोर में सामान है या नहीं तथा इसकी जांच किस प्रकार से की गई ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

नगरपालिका नागौर द्वारा निर्धारित गृह-कर

७१. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि नगरपालिका नागौर ने जो गृह-कर की राशि निर्धारित कर रखी थी इसमें संशोधन करके पूर्व निर्धारित राशि को कम या अधिक किया है ? यदि हाँ, तो १ जनवरी, १९६७ के बाद अब तक किन-किन मामलों में कितनी-कितनी राशि पूर्व में थी और कितनी-कितनी कम या अधिक किन-किन कारणों से किस अधिकारी द्वारा कब-कब की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या इस कार्यवाही को करने वाला अधिकारी उक्त कार्य के लिये सक्षम था ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

अलमशहर कटला गेट उनियारा में नाजायज तामीर का मामला

७२. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि एक श्री पूर्णमल ने उनियारा नगरपालिका, जिला टौंक में अलमशहर "कटला गेट" पर नाजायज

Page No. 38

(श्री दिग्विजयसिंह)

तामीर की है जिससे वहां स्थित छतरी पर कब्जा कर लिया है ?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त तामीर को लेकर वहां के प्रशासक को स्थानीय जनता ने एक दरख्वास्त दी थी, जिस पर प्रशासक ने उक्त तामीर का मौका देखा था ?

(३) क्या यह सही है कि मौका देखने के बाद प्रशासक ने उक्त तामीर को गलत मानते हुए उसे तुरन्त तुड़वाने की आज्ञा श्री पूर्णमल को दे दी थी ?

(४) क्या यह सही है कि वह तामीर आज दिन तक नहीं हटाई गई है ? यदि हां, तो क्यों नहीं हटाई गई ?

(५) क्या यह सही है कि स्थानीय जनता में इस विषय पर काफी असन्तोष फैला हुआ है और इस कारण स्थानीय सचिव, नगरपालिका द्वारा जान-बूझ कर कार्यवाही न करना है ?

(६) क्या उक्त तामीर की जगह एक सार्वजनिक है और इस तामीर से नगर के सौन्दर्य पर कुप्रभाव पड़ता है ? यदि हां, तो फिर क्यों नहीं उसे हटाया जा रहा है ?

उत्तर

(१) निर्माण कमेटी द्वारा तामीर की स्वीकृति प्रदान की गई थी। छतरी पर कब्जा नहीं किया है।

(२) जी हां।

(३) मौका देखने के बाद अनुचित तामीर को मौके पर ही तुड़वा दिया गया था।

(४) अनुचित तामीर तत्काल मौके पर हीं हटवा दी गई थी। अतः प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(५) प्रशासक, नगरपालिका की सूचनानुसार जनता में असन्तोष फैला हुआ नहीं है। इसमें सचिव की कोई गलती नहीं है।

(६) तामीर जहां हुई है वह पूर्णमल की जायदाद पर है, सार्वजनिक स्थान पर नहीं है। इसका सुन्दरता पर कोई असर नहीं पड़ा है।

सड़कों पर डामर

७३. श्री भवणलाल (हिन्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

हिन्डौन से कोटरी, हिन्डौन से बयाना तथा हिन्डौन से गंगापुर जाने वाली सड़कों पर सरकार कब तक डामर कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

हिन्डौन से कोटरी तथा हिन्डौन से गंगापुर रोड पर डामर हेतु प्रारूप चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्रमशः ३.५० लाख तथा ५.०० लाख का प्रावधान किया है। हिन्डौन-बयाना वाया सूरोठ रोड का कार्य अर्थाभाव के कारण संभव नहीं है।

सड़क निर्माण कार्य में अवाप्त भूमि का मुआवजा

७४. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सड़कों के निर्माण कार्य के लिये किसानों से भूमि

Page No. 39

अवाप्त की जाती है ? यदि हां, तो सन् १६६० से कितने किसानों से भूमि अवाप्त की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) कितने किसानों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया और मुआवजा नहीं देने के एवं देरी से देने के क्या कारण थे ?

(३) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के सन् १६६६-६७ के प्रतिवेदन में ऐसे मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये कुछ नियमों में संशोधन करने की सिफारिश की गई थी ? अगर हां, तो क्या उसकी दृष्टि में कोई संशोधन किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या ?

(स्थगित किया गया)

नोखा मण्डी से पांचूड़ी सड़क

७५. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या नोखा मण्डी से ग्राम कक्कू सारूंड़ा व जिला नागौर के ग्राम पांचूड़ी तक फेमिन द्वारा बनाई गई सड़क पर पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा माइलेज लगा दिया गया है ? यदि हां, तो यह सड़क कुल कितनी लम्बी है ?

(२) क्या यह सही है कि इस सड़क पर काफी यातायात हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क पर डामर कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) जी हां। ३६ मील।

(२) जी हां। इस सड़क पर डामर करने की अभी कोई योजना नहीं है, अर्थाभाव के कारण अभी डामर कराया जाना संभव नहीं है।

सहकारी समितियों का ठेका

७६. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या नागौर जिले में सहकारी समिति को भी पी. डब्ल्यू. डी. का कोई ठेका कभी गत दस वर्षों मे दिया गया ? यदि हां, तो कब-कब व किस-किस कार्य का ? क्या ऐसी किसी सहकारी समिति का कोई चुकारा सरकार में बकाया है ? यदि हां, तो उसका चुकारा कब तक कर दिया जायगा ?

(२) क्या श्रमिक ठेका सहकारी समितियों को ठेका देने में, प्राथमिकता देने, का निर्देश या नियम सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेके देने की कार्य पद्धति में है ? यदि हां, तो नागौर जिले में गत दस साल में दिये गये ठेकों में ऐसे कितने मामले हैं, जिनमें सहकारी समिति भी टेण्डर देने वालों में से एक थी एवं वह ठेका किसी व्यक्ति के नाम मन्जूर हुआ है ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम फलोदी क्वेरी इण्डस्ट्रियल एरिया में आवागमन के लिये रोड सुविधा

७७. श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील सवाई माधोपुर का ग्राम फलोदी क्वेरी

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
इण्डस्ट्रियल एरिया में है और वहां पर आवागमन के लिए रोड की सुविधा उपलब्ध नहीं है ?

(२) क्या उस ग्राम को सवाई माधोपुर से खण्डार सड़क जाती है उससे एप्रोच सड़क बना कर मिलाया जायेगा ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम की आबादी राजकीय घोषणाओं के मुताबिक ५०००-६००० हजार के करीब है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) अभी कोई योजना नहीं है।

(३) जनगणना १९६१ के अनुसार आबादी १५१२ है।

दी रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल इन्डेटेडनेस एक्ट के अन्तर्गत मामले

७८. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) दी रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल इन्डेटेडनेस एक्ट के अन्तर्गत कितने मामले सुलझाये गये और कितने परिवारों को लाभ हुआ ? यह कानून कब से लागू है ?

(२) राजस्थान में कुल कितने ऐसे कर्जदार हैं जो उपरोक्त कानून के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं ?

(३) इस कानून से लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सकें इसके लिये राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

(४) क्या इस कानून के अन्तर्गत बनने वाले नियम बन चुके हैं ? यदि हां, तो कब ? उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

भूमि का एलॉटमेन्ट

७९. श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) झालावाड़ जिले में १-१-१९६७ से १-१-१९७० तक प्रत्येक तहसील में कितनी-कितनी भूमि एलॉट की गई ?

(२) उक्त अवधि में प्रत्येक तहसील में अलॉटमेन्ट सम्बन्धी कुल कितने प्रार्थना-पत्र आये और उनमें से अनुसूचित जाति के कितने-कितने लोगों को जमीनें दी गईं ? कुल कितने लोगों को जमीन दी गई थी और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लोगों की प्रतिशतता क्या रही ?

उत्तर

(१) सूची 'क' संलग्न है।

(२) सूची 'ख' संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

केकड़ी तहसील में भूमि का आवंटन

८०. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) केकड़ी तहसील में सन् १९६९-७० में किन-किन ग्रामों में भूमि का आवंटन किया

Page No. 41

(श्री देवीलाल बुरासिया)
गया ? ग्रामवार, नामवार, खसरावार व रकबावार जमीन आवन्टन की सूची सदन में रखें।

(२) क्या यह सही है कि कई ग्रामों का आवन्टन स्थगित किया गया ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) अजमेर जिले की तहसील केकड़ी में सन् १९६९-७० में जिन-जिन ग्रामों में भूमि आवंटन हुई उनकी सूची ग्रामवार, नामवार मय खसरा नम्बर व रकबे के संलग्न है।

(२) जी हां। यह सही है कि कुछ ग्रामों में उप-जिलाधिकारी, केकड़ी के आदेश क्रमांक ९७७, दिनांक १९-५-६९ से आवंटन स्थगित किया गया। स्थगन करने का कारण धारा पांच नम्बर २ के अन्तर्गत जिन-जिन काश्तकारों की भूमि डूब में आई है उसके बदले में भूमि देने हेतु भूमि आवंटन का कार्य स्थगित किया जाना प्रकट हुआ है।

(सूची विस्तुत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

आराजी खसरा की जमाबन्दी की नकलें

८१. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सरवाड़ तहसील के ग्राम सरवाड़ के आराजी खसरा नम्बर १२२१, रकबा ६२ बीघा पर किन-किन व्यक्तियों का कब्जा है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त आराजी की जमाबन्दी की नकलें लेने हेतु सरवाड़ तहसीलदार को प्रार्थना-पत्र पेश किया था ? अगर हां, तो क्या उनको जमाबन्दी की नकलें दे दी गई थीं ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त जमाबन्दियों की नकलें लेने हेतु एस. डी. ओ., केकड़ी को भी प्रार्थना-पत्र पेश किया गया ? अगर हां, तो उस पर क्या हुआ ?

(४) क्या सरकार ने जमाबन्दी की नकलें देने बाबत किसी प्रकार के नियम बना रखे हैं ?

(५) उक्त आसामियों को जमाबन्दी की नकलें नहीं देने का क्या कारण है ?

उत्तर

(१) सरवाड़ ग्राम की आराजी खसरा नम्बर १२२१, रकबा ६२ बीघा पर कब्जा बरूए रेकार्ड श्री रामकिशन पुत्र श्री नन्दीलाल ब्राह्मण, साकिन किशनगढ़ खातेदार का है। राज्य सरकार के आदेशानुसार खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त बाबत नाम व्यक्ति का अंकित नहीं किया जाता है।

(२) तहसीलदार, सरवाड़ को उक्त आराजी की जमाबन्दी की नकलें लेने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया गया और जिसके अनुसार नकलें दे दी गई थीं।

(३) दिनांक ७-१०-६८ को नकलें जल्दी दिलाने हेतु उप-जिलाधिकारी, केकड़ी को प्रार्थना-पत्र पेश किया गया जो उसी दिन तहसीलदार, सरवाड़ को उन्होंने भेज दिया जिसके आदेशानुसार नकलें दे दी गईं।

Page No. 42

(श्री राजस्व मंत्री)

(४) हां। जमाबन्दी की नकलें देने के लिये सरकारी नियम बने हुए हैं।

(५) उक्त आसामियों को जमाबन्दी की नकलें दी जा चुकी हैं। अतः नकलें नहीं देने के कारण का प्रश्न हो नहीं उठता।

बून्दी जिले में सेटलमेन्ट का कार्य

८२. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बून्दी जिले में सेटलमेन्ट किया गया है या रिवीजन किया गया है ?

(२) बून्दी जिले की चारों तहसीलों में अलग-अलग किस-किस साल में उक्त कार्य किया गया था ?

(३) इस कार्य के अन्तर्गत पर्चे कब दिये गये थे और पानड़ी कितने दिनों बाद में दी गई ?

(४) क्या यह सत्य है कि रिवीजन में जिन काश्तकारों ने नाजायज दूसरों की जमीनें दबा ली थी, सेटलमेन्ट ने उन्हीं के नाम दर्ज कर दी ?

(५) क्या सेटलमेन्ट में समरी रिवीजन कोर्ट ने मौके पर काश्तकारों के उजरात सुने ?

(६) इस रिवीजन के कारण किसने खातों में जमीनें कम की गईं और कितने में बेशी की गईं ?

(७) जिन काश्तकारों ने सरकारी भूमि का अतिक्रमण कर रखा था क्या वह जमीनें भी उन्हीं खातेदारों के खाते में दर्ज कर दी गई हैं ? यदि हां, तो वह तहसीलवार कितनी हैं और अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) रिवीजन बन्दोबस्त किया गया है।

(२) तहसील केशोरायपाटन का सन् १९६२, तहसील बूंदी का सन् १९६३ व नैनवा, हिन्डोली का सन् १९६४ में रिवीजन किया गया था।

(३) पर्चा खतोनी तस्दीक तहसील केशोरायपाटन व बून्दी को सन् १९६३ में व हिन्डोली व नैनवा को सन् १९६४-६५ में। इनमें से तहसील केशोरायपाटन के दिसम्बर, सन् १९६६ में लगान पानड़ी तकसीम हुई।

तहसील बूंदी की रेन्ट रेट रिपोर्ट दि० १३-६-६६ व तहसील हिन्डोली, नैनवा की रेन्ट रेट रिपोर्ट वास्ते स्वीकृति राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर को दिनांक १६-९-६८ को प्रेषित की जा चुकी है। बाद स्वीकृति राज्य सरकार पर्चा लगान (पानड़ी) इन तहसीलों को तकसीम की जावेगी।

(४) जी नहीं। जिन काश्तकारों की भूमि बिला अधिकार दूसरों द्वारा दबा ली गई थी उसको रिवीजन के समय पूर्व के खातेदार के नाम दर्ज किया गया है।

(५) जी हां।

(६) रिवीजन के कारण तहसीलों के प्रत्येक गांव के खातों में जमीनें कमी-बेशी पाई गई हैं, जिसकी सूचियां तैयार करवाई जा रही हैं। ग्रामवार व तहसीलवार सूचियां तैयार करवाने में कुछ माह का समय लगेगा।

(श्री राजस्व मंत्री)

(७) जी नहीं। क्योंकि दौरान सेटलमेन्ट अतिक्रमण की गई भूमि का खाते बांधने का अधिकार भू-प्रबन्ध विभाग को नहीं है।

गोचर भूमि पर कब्जा

८३. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

तहसील नोखा के अधीनस्थ गांवों की गोचर भूमि पर नाजायज कब्जा करने व काश्त करने आदि के कुल कितने मामले इस वक्त चल रहे हैं? गांव का नाम व जिन व्यक्तियों ने गोचर भूमि पर नाजायज कब्जा किया उनके नाम भूमि की तादाद सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

कसुम्बी जाने वाली सड़क पर नाजायज कब्जे

८४. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जसवन्तगढ़ ग्राम के पास जसवन्तगढ़ से लाडनूं व जसवन्तगढ़ से कसूम्बी जाने वाली सड़कों की रोड बाउन्ड्री पर किसी ने नाजायज कब्जे कर लिये हैं? यदि हां, तो किसने, कब और कितनी-कितनी भूमि पर?

(२) इस प्रकार की जानकारी सरकार को कब प्राप्त हुई और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की?

(३) अब तक उक्त नाजायज कब्जे को क्यों नहीं हटाया गया और अब कब तक हटा दिया जावेगा?

(४) क्या उक्त सड़कों पर रोड बाउन्ड्री के जो पत्थर लगे हुए थे उनको कब्जा करने वालों ने हटा दिये हैं? यदि हां, तो कब?

उत्तर

(१) जी हां। यह सही है कि जसवन्तगढ़ से लाडनूं जाने वाली सड़क के भूमि भाग खसरा नम्बर १०९ व ११० के १२ बिस्वा भूमि पर जीवनमल, सोहनलाल, डूंगरमल, पुत्रगण शिवचन्दरावन, दिनेशचन्द्र पुत्र घनश्याम, कौम महाजन, निवासी जसवन्तगढ़ ने नाजायज कब्जा माह अगस्त, १९६९ में किया।

(२) उनकी जानकारी तहसीलदार को माह अगस्त, १९६९ में हुई थी जिस पर धारा ९१ भू-राजस्व अधिनियम, १९५६ के अधीन कार्यवाही की गई।

(३) तहसीलदार, लाडनूं ने भूमि से बेदखली का आदेश दिनांक २०-९-६९ को दिया था जिसकी अपील नगर जिलाधीश, नागौर की अदालत में हुई। अपील के दौरान स्थगन आदेश दिनांक ३०-९-६९ को जारी किया। उक्त अपील का निर्णय १४-१-७० को हुआ जिसमें तहसीलदार का निर्णय रद्द किया गया।

(४) मौके पर बाऊंडरी के कोई पत्थर शेष नहीं हैं।

बंगाली विस्थापितों की कॉलोनी

८५. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला कोटा की तहसील किशनगंज में स्थित बंगाली विस्थापितों की तीन कॉलोनी घट्टा-घट्टी, परानिया एवं गोरधनपुरा

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

में बने विस्थापितों के मकानों पर कितनी-कितनी नालीदार चद्दरें लगी थी और अब कितनी-कितनी चद्दरें लगी हुई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि विस्थापित कॉलोनी में लगाई गई चद्दरों में से बहुत सी चद्दरें गायब हो गई हैं ? यदि हां, तो कब, कितनी चद्दरें गायब हुई और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(स्थगित किया गया)

नायब तहसीलदार का बकाया वेतन भत्ता

८६. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि श्री रणवीरसिंह, नायब तहसीलदार दिसम्बर सन्, १९६३ से ३१ मार्च, सन् १९६४ तक फलौदी, जिला जोधपुर में रहे जो कि फेमीन में नियुक्त थे ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त समय का वेतन व छुट्टियों का वेतन बार-बार रेवैन्यू बोर्ड व जिलाधीश, जोधपुर के लिखने पर भी आज तक नहीं दिया गया ?

(३) उक्त नायब तहसीलदार का फलौदी, नागौर जिला कार्यालय, फेमीन शाखा, टोंक ट्रेनिंग स्कूल, केकड़ी तहसील, किशनगढ़ तहसील में कितना-कितना वेतन भत्ता बकाया रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(४) क्या यह सही है कि उक्त नायब तहसीलदार २२-९-१९६९ को किशनगढ़ से रिटायर हो गये परन्तु अभी तक पेन्शन भी प्राप्त नहीं हुई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(स्थगित किया गया)

तहसीलदार द्वारा भूमि का आवंटन

८७. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या गांव मांडल, तहसील पाली में भू. पू. तहसीलदार श्री कानसिंह ने सरकारी कर्मचारियों को भूमि आवण्टित की ? यदि हां, तो कब-कब कितनी-कितनी भूमि किस किस खसरे में ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सत्य है कि भूमि का आवण्टन चुपके से तहसीलदार व सरपंच ने मिलकर गांव वालों को इच्छा के विरुद्ध गोचर जमीन में कर दिया ?

(३) क्या यह सही है कि भूमि आवण्टन संबंधी नियमों की अवहेलना कर यह भूमि उन व्यक्तियों को दी गई है जिनके पास सैकड़ों बीघा जमीन पहले से मौजूद है ?

(४) क्या यह सत्य है कि कलेक्टर पाली ने एक बार इस भूमि आवंटन को रद्द कर दिया था ? यदि हां तो कब ?

(५) क्या यह सत्य है कि गोचर जमीन जो गांव माण्डल में थी, और वह गांव की पशु संख्या को देखते हुए कम है ?

उत्तर

(१) ग्राम माण्डल, तहसील पाली में भूतपूर्व तहसीलदार श्री कानसिंह द्वारा दिनांक २२-४-६८ को राजकीय जिन कर्मचारियों को भूमि आवंटन किया गया उसकी सूची संलग्न है।

(२) जी नहीं, यह आवंटन दिनांक २२-४-६८ को मजमें ग्राम में किया गया था।

(३) यह तथ्य जांच करने के पश्चात् ही ज्ञात हो सकता है कि भूमि जिन व्यक्तियों को आवंटित की गई है उनके पास पूर्व से सैंकड़ों बीघा जमीनें उपलब्ध है।

(४) जी हां, यह सत्य है। कलेक्टर पाली की आज्ञा दिनांक १४-२-६८ के अन्तर्गत पूर्व में किया गया आवंटन रद्द कर दिया गया था।

(५) जी नहीं, ग्राम माण्डल की मवेशी संख्या को देखते हुए गोचर जमीन पर्याप्त है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

फालना में दिया गया वायर

८८. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(अ) निम्न दिनों विद्युत् बोर्ड के फालना कार्यालय से सादड़ी (जिला पाली) कार्यालय के नाम कितना-कितना निम्न प्रकार का वायर इश्यू हुआ और सादड़ी कार्यालय में कितना-कितना जमा हुआ:—

तारीख	वायर का प्रकार
३०-६-६५	वेदर प्रूफ वायर
६-७-६५	वेदर प्रूफ वायर
२३-११-६५ से ८-१२-६५ के बीच	नम्बर ६ का कॉपर वायर

(ब) क्या यह सही है कि सादड़ी में आज तक कहीं भी सम्बन्धित कॉपर वायर का कतई उपयोग नहीं हुआ है ? यदि हुआ है, तो किस-किस जगह, कितना-कितना हुआ है ?

उत्तर

(अ) फालना कार्यालय से दिनांक ३०-६-६५ को ४ कोइल वेदर प्रूफ वायर ३/२० साइज का इश्यू हुआ था और सादड़ी कार्यालय में २ कोइल ३-७-६५ को जमा हुआ। दिनांक ६-७-६५ को फालना कार्यालय से वेदर प्रूफ वायर ३/२० साइज का ५ कोइल इश्यू हुआ और सादड़ी कार्यालय में २ कोइल जमा हुआ।

दिनांक २३-११-६५ से ८-१२-६५ के बीच ६ नम्बर का कॉपर वायर फालना कार्यालय से इश्यू नहीं हुआ।

(ब) दिनांक २३-११-६५ से ८-१२-६५ के बीच नम्बर ६ का कॉपर वायर फालना कार्यालय से इश्यू नहीं हुआ। अतः उपयोग होने का प्रश्न नहीं उठता।

खेती के लिए गावों में बिजली

८९. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील निवाई में खेती के लिये कौन-कौन से गांवों में बिजली दी गई है तथा

(श्री जयनारायण सालोदिया)
कौन से गांवों में बिजली देने की कार्यवाही जारी है ?

(२) क्या यह भी सही है कि तहसील के भिलाय, सिरोही, सरिस, नआडा, चैनपुरा, आदि गांवों के व्यक्तियों द्वारा बिजली के लिये प्रार्थना-पत्र व आवश्यक कार्यवाही पूरी कर चुकने पर भी बिजली नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक उनको बिजली दी जावेगी ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न हैं। अलियावाद व सेन्दरा के विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है।

(२) इन गांवों को विद्युतीकरण के लिए स्वीकृति नहीं हुई है।

(कृपया परिशिष्ट १० देखिये)

विधान सभा द्वारा पारित विधेयक

९०. श्री **दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित ऐसे कितने विधेयक हैं जो अमल में नहीं लाये जा रहे हैं अथवा लागू नहीं किये गये हैं अथवा उनके निदेशों के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है ?

(२) ऐसे विधेयक कब-कब पारित हुए व कब कब लागू हुए और उनके पारण में कितना खर्चा राज्य सरकार को वहन करना पड़ा ?

(३) कितने ऐसे विधेयक हैं जिनके अन्तर्गत राज्य सरकार को नियम बनाने चाहिए थे परन्तु अभी तक नियम नहीं बनाये गये हैं और वे कौन-कौन से हैं ? और नियम कौन-कौन से बनाये गये हैं ?

(४) किसी विधेयक के पारित होने के कितने समय पश्चात् उस विधेयक में राज्य सरकार को नियम बनाने की दी हुई शक्ति के अन्तर्गत नियम बनाए गए और लागू किये गए ? नियमों की प्रतियां सदन की मेज पर रखी जायं।

उत्तर

(१) अधिनियम जो लागू नहीं किये गये हैं, उनकी सूची 'क' संलग्न है।

(२) ऐसे विधेयक कब पारित हुए विवरण सूची 'क' कॉलम ३ में अंकित है। इसके पारण में कितना खर्चा राज्य सरकार को वहन करना पड़ा इसका हिसाब लगाना सम्भव नहीं।

(३) जिन अधिनियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार को नियम बनाने चाहिये थे मगर नियम अभी तक नहीं बनाये गये हैं उनकी सूची 'ख' संलग्न है। ऐसे अधिनियम २८ हैं। नियम जो बनाये गये हैं उनकी अधिनियमवार सूची 'ग' संलग्न है।

(४) सूची 'ग. में अधिनियमों के प्रकाशन की तिथि तथा नियमों के लागू होने की तिथि पृथक-पृथक दर्शाई गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

एडिशनल मुंसिफ मजिस्ट्रेट कार्यालय बीकानेर से जारी वारन्ट

९१. श्री **रामकिशन** (वैर) : क्या विधि एवं न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

श्री पनेचन्द सिंघवी ने एडिशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, बीकानेर के अपने कार्यालय में कितने गवाहान के खिलाफ वारन्ट जारी

(श्री रामकिशन)
किये ? इनमें से कितने वारन्ट राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध थे ? उन अधिकारियों के नाम व पद क्या थे ?

उत्तर

श्री सिंघवी ने अपने कार्यकाल में ६२६ गवाहान के खिलाफ वारन्ट जारी किये। राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ जारी किये गये वारन्टों की संख्या व अधिकारियों के नाम इस प्रकार से हैं।

१. श्री आर० सी० कल्ला, इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स, बीकानेर।

२. श्री टी० एस० अखरनोर, सीनियर इन्सपेक्टर, लोको शेड वर्कशॉप लालगढ़।

३. श्री एस० के० यादव, सीनियर चैयरमेन, लालगढ़।

४. श्री राधेश्याम, ए. ई. एन., पी. डब्ल्यू डी०, बीकानेर

५. डॉ० डी० आर० मेहता, मेडिकल ऑफिसर, नोखा।

६. डॉ० एम० एन० हर्ष, डिस्पेन्सरी नम्बर २, बीकानेर।

७. डॉ० जी० के० भटनागर, मेडिकल ज्युरिस्ट पी० बी० एम० होस्पिटल, बीकानेर।

८. श्री पी० एन० भार्गव तहसीलदार, कोलायत।

९. डॉ० आर० के० शर्मा, होस्पिटल, बीकानेर।

१०. श्री गिरधारीलाल, पी० आर० ओ०, बीकानेर।

११. श्री रजिस्ट्रार ऑफ इन्डियन मेडिसियन, जयपुर।

१२. श्री हरिकिशन, प्रोफेसर, डूंगर कॉलेज, बीकानेर।

१३. श्री पदमाकर, जूनियर इन्जीनियर, आर० एस० ई० बी०, बीकानेर।

१४. डॉ० शिवकुमार, पी० बी० एम० एम० होस्पिटल, बीकानेर।

१५. श्री नारायणसिंह, ए० ई० एन०, पी० डब्ल्यू० डी०, बीकानेर।

केकड़ी नगर नल योजना

६२. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) केकड़ी नगर में जल योजना के अन्तर्गत पाइप फिटिंग का कार्य कब से चल रहा है ? नगर में किधर-किधर पाइप लाइनें जावेंगी ? नक्शे की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(२) अब तक नल योजना का कितना कार्य हो चुका है और कब तक पूर्ण कर नगर को पानी सप्लाई कर दिया जायेगा ?

(३) केकड़ी नगर जल योजना हेतु पानी की टंकी कहां पर बनाई जायेगी ? क्या टंकी का कार्य चालू कर दिया गया है ? अगर नहीं तो क्यों और कब तक कार्य चालू कर दिया जायेगा ?

(४) नगर में पब्लिक कनेक्शन कितने एवं कहां-कहां पर रखे गए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) केकड़ी नगर में नल योजना पाइप फिटिंग का कार्य दिनांक १६-४-६९ से चल रहा है। नगर में जहां-जहां पाइप लाइन लगाई जायेगी उनके नक्शों की प्रतिलिपि संलग्न है।

(२) पाइप लाइन डालने का कार्य प्रगति में है। बाकी के अन्य कार्य अगले वित्तीय वर्ष १९७०-७१ में धनराशि की उपलब्धि पर पूर्ण किये जा सकेंगे। नई केकड़ी में पाइप लाइन का कार्य करीब-करीब पूर्ण हो चुका है एवं शीघ्र ही नई केकड़ी में जल वितरण शुरू हो जावेगा।

(३) केकड़ी नगर योजना हेतु पानी की टंकी तहसील भवन मुख्य द्वार के सामने बनाई जायेगी। टंकी का कार्य अभी आरम्भ नहीं किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष १९७०-७१ में धनराशि की उपलब्धि पर कार्य आरम्भ होने की सम्भावना है।।

(४) स्वीकृत नल योजना में पब्लिक कनेक्शन २० का प्रावधान है।

(नक्शे की प्रतिलिपि राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

जिला जल बोर्ड के सचिव

९३. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में जिला जल बोर्ड कब से शुरू हुआ और इसके सचिव कौन-कौन रहे हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) इस सचिव को क्या वेतन व दीगर सुविधायें दी जाती थीं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें। सचिवों की नियुक्ति किस आधार पर की गई थी? सब सचिवों की शिक्षा योग्यता क्या थी?

(३) क्या जिला जल बोर्डों का ऑडिट कराया गया? यदि हां, तो कब और उसकी रिपोर्ट क्या सदन में पेश की गई थी?

(४) क्या यह सत्य है कि जो कांग्रेसी प्रत्याशी सन् १९५२ के आम चुनावों में हारे उनको यह स्थान दिया गया था? राजस्थान में जितने बोर्ड के सचिव नियुक्त किये गये उनमें कितने चुनाव में हारे हुए थे और उनके नाम क्या-क्या हैं और किस जिले के किस-किस क्षेत्र से हारे थे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(५) जल बोर्ड बूंदी के कार्य की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार कितने कार्य अधूरे पड़े हैं और कहां-कहां के और क्यों?

(६) क्या यह सत्य है कि जल बोर्ड के नाम पर सचिव और दीगर कर्मचारी कांग्रेस का प्रचार करते थे?

(७) क्या यह सत्य है कि ग्राम चड़ी, तहसील पाटन, जिला बून्दी में एक कुआ बनाया दूसरे ने और जल बोर्ड ने अपना पत्थर लगा दिया और अपने कार्य में दर्ज करके पैसे खा गये?

(स्थगित किया गया)

असहाय वृद्धावस्था पेन्शन

९४. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य सरकार ने असहाय वृद्धावस्था पेन्शन कब से देनी चालू की तथा इस सम्बन्ध में क्या कोई नियम बनाये हुए हैं?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(२) इस समय किस-किस जिले में कितने-कितने व्यक्तियों को यह सुविधा मिल रही है तथा कम से कम और अधिक से अधिक प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह कितनी राशि मिल रही है ?

उत्तर

(१) राज्य सरकार ने असहाय वृद्धावस्था पेंशन वर्ष १९६४-६५ से प्रारम्भ की और इसी वर्ष इसके नियम प्रसारित किये, जो राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन नियम, १९६४ कहलाते हैं।

(२) इस समय जिन-जिन जिलों में जितने-जितने व्यक्तियों को यह पेंशन दी जा रही है उसकी सूचना संलग्न तालिका में दी गई है। यह कम से कम १०) रुपये व अधिक से अधिक २०) रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति दी जाती है।

(कृपया परिशिष्ट ११ देखिये)

(१२.०५ म. प.)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि सन् १९६७ के आम चुनावों में मेड़ता निर्वाचन क्षेत्र की चुनाव मत पेटियों को तोड़ कर मत पत्रों में निशान बनाने आदि के सम्बन्ध में श्री भैरोंसिंह, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं दी गई थीं और इनको राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करने हेतु पेन्डिंग रखा गया था। इसी विषय से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री विजयसिंह मकराना व श्री गोरधन सोनी, सदस्य विधान सभा से भी प्राप्त हुई है। राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त हो गया है। अतः मैं सम्बन्धित माननीय मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस विषय में किसी सुविधाजनक तिथि को वक्तव्य देने की कृपा करें।

एक माननीय सदस्य : सुविधाजनक तिथि क्या होगी ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !

श्री हरिवल्लभ शर्मा, सदस्य विधान सभा ने सवाई माधोपुर जिले की तहसील सवाई माधोपुर एवं बोंली के लगभग १०० गांवों में फरवरी के अन्तिम सप्ताह में ओलावृष्टि से हुई क्षति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री जयनारायण सालोदिया, सदस्य विधान सभा ने भी टोंक जिले की कई तहसीलों व निवाई तहसील के आधे गांवों में ओला वृष्टि से हुई क्षति के सम्बन्ध में दिनांक ९ मार्च, १९७० को एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी और जिसे राज्य सरकार से जानकारी करने हेतु पेंडिंग रखा गया था। ओला वृष्टि से हुई क्षति के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कल दि० १२ मार्च, १९७० को वक्तव्य दिया जायेगा वक्तव्य देते समय इन दोनों मसलों पर भी प्रकाश डाला जाएगा। अतः मैं इन दोनों मसलों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं देता हूं।

इसके अतिरिक्त अन्य जो स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, वे इस प्रकार हैं:—

(१) श्री हीराभाई, सदस्य विधान सभा ने बांसवाड़ा जिले के भूमिहीन किसानों से

Page No. 50

(श्री अध्यक्ष)
अतिक्रमण के नाम पर बिना नोटिस दिये मनमाने ढंग से उनकी पैदावार का निर्धारण किया जाकर पैनल्टी के रूप में पैदावार की कीमत वसूल करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(२) श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य विधान सभा ने अजमेर नगर परिषद् के कर्मचारियों की तनख्वाह में राजस्थान के अन्य नगरों के समान राणावत आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ोतरी करने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(३) श्री मुन्नालाल चौधरी, सदस्य विधान सभा ने जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है उसमें पंचायत समिति टूडू से खाद-बीज की कीमत के बराबर ब्याज व पैनल्टी कायम करके किसानों से एकमुश्त वसूल करने का नोटिस जारी करने का उल्लेख किया गया है।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद तथा अनुदानों की मांगों पर बहस के लिये समय निर्धारित हो चुका है और उस समय सम्बन्धित सदस्यों को इन मामलों पर भी अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा, ऐसी स्थिति में मैं इन तीनों स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें यह कहा गया है कि हाल ही में डीडवाना, जिला नागौर और नोखा मण्डी, जिला बीकानेर में छात्रों में आपस में मारपीट की घटनाएं हुई हैं जिनके कारण सभी छात्रों में असन्तोष की भावना फैली हुई है। इस मसले में राज्य सरकार से जानकारी की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर मैं माननीय सदस्यों को यथा-शीघ्र सूचित कर दूंगा।

श्री गृह मन्त्रीजी, राजस्थान प्रदेश जनसंघ के अध्यक्ष की भूख हड़ताल पर वक्तव्य देंगे।

श्री विजयसिंह : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर एण्ड पॉइन्ट ऑफ प्रिविलेज सर।

एक माननीय सदस्य : सुन तो लो।

श्री अध्यक्ष : मैं दोनों से निपटूंगा।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, हमें कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट जब मिली तो यह मालूम हुआ कि इस रविवार को भी विधान सभा चलाई जाएगी।

एक माननीय सदस्य : अभी अनुमोदन नहीं हुआ।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, इस प्रकार की क्या इमरजेन्सी आ गई ?

श्री अध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है। समझ गया। दूसरा ले लीजिये प्रिविलेज का।

श्री विजयसिंह : प्रिविलेज का यह कि जब हमारा कार्यक्रम छुट्टियों के अनुसार हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : मेरा विश्वास है कि यह प्रश्न यहां नहीं उठाया जायगा। यह न तो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है और न पॉइन्ट ऑफ प्रिविलेज है। बिजनेस एडवाजरी कमेटी

Page No. 51

(श्री अध्यक्ष)

सभी दलों का प्रतिनिधित्व करती है, उसके सम्मुख यह प्रश्न रखा गया था। विचार-विनिमय के बाद इस प्रश्न पर यह निर्णय लिया गया। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य सभी दलों के नेता वहां पर उपस्थित थे। इसलिये प्रश्न जब वहीं से अनुमोदित हो गया तो सदन का प्रश्न बन गया। सदन का प्रश्न माननीय सदस्य को उठाना उचित नहीं है। उनके दल के प्रतिनिधि भी हैं।

श्री विजयसिंह : उन्होंने विरोध किया था।

श्री अध्यक्ष : सहमति एकमत से हुई थी।

श्री विजयसिंह : माननीय सदस्य और हमारे नेता ने विरोध किया था।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर! इसलिये यह सदन का प्रश्न स्वीकार हो चुका। यदि यह मान भी लिया जाय कि किसी ने विरोध भी किया, किसी ने यद्यपि विरोध नहीं किया किन्तु सदन में जो प्रस्ताव रखा, निर्विवाद पारित किया गया था, स्वतन्त्र पार्टी के नेता उसमें थे। श्री बाढ़दार उसमें थे। संसोपा के सदस्य थे तथा कांग्रेस और जनसंघ और स्वतन्त्र यानी इण्डिपेन्डेन्ट भी थे। अभी तक ऐसे प्रश्न यहां नहीं उठते रहे हैं। यह न तो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है न पॉइन्ट ऑफ प्रिविलेज।

एक माननीय सदस्य : हाउस में रखा जाये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर!

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था खास तौर से कि यह बात अपनी जगह है कि कार्य सलाहकार समिति के सामने यह मसला आया है, यह सही है। यह भी सही है कि सदन द्वारा समय का अतिरेक कर दिया गया है। आप इस दृष्टि से देखें कि कार्य सलाहकार समिति की सीमाओं को हमें निभाना है। आप बजट को पास कर दें। यह सदन तैयार है। हम निभाने को तैयार हैं। परन्तु क्या आप राज्य सरकार की ओर से यह आश्वासन देंगे कि यह सदन समय से पहले बुलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : तो हमको इतवार को बैठने को....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर। मैं भाषण नहीं देने दूंगा। आप दलों के अनुशासन से सम्बन्धित हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं दल की बात नहीं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर!

एक माननीय सदस्य : आपकी अनुपस्थिति में ये आप की जगह ले लेते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : विधान सभा को चलाने के लिये निश्चित समय दिया गया, उस समय विधान सभा को भंग करने की परम्परा बनाई जा रही है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! चर्चा आप चला चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : यह, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : इस तरह अपनी सुविधाओं का....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : राज्य सरकार अपने हित का इस तरह से...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! ऑर्डर प्लीज !

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : संरक्षण कराये....

श्री अध्यक्ष : हित कहां है ? आप अपनी पार्टी के लीडर का ही विरोध कर रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर !

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें ! माननीय सदस्य !

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : यह ठीक है कि इस तरह सदन के सदस्यों की आवाज दबा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय। यह नियमों का पालन हो रहा।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : आप जो आदेश देंगे वह शिरोधार्य है ×××

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। अंकित न हो।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा कि हमारी पार्टी के नेता बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी में थे और उन्होंने भी सहमति दी है तो क्या यह सही है कि हमारे नेता, हमारे दल के नेता ने इस टेंडेंसी का विरोध किया था कि रविवार के दिन भी विधान सभा की बैठक बुलाई जाय ? और उन्होंने विरोधस्वरूप एज ए प्रोटेस्ट इस बात को मंजूर किया था कि इतवार के दिन भी बैठक बुलाने को तैयार हैं। इस प्रश्न की गम्भीरता को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्नोत्तर काल नहीं है। यह सही है या नहीं यह प्रश्नोत्तर-काल नहीं है।

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, अब तो आपसे भी सवाल होने लग गये।

श्री अध्यक्ष : पूर्णतया सहमति से यह निर्णय होते हैं। समिति में इस प्रश्न पर आवश्यक चिन्तन हुआ और उस चिन्तन के आधार पर आक्रोश भी हो सकता है और विरोध की भावना भी वहां व्यक्त हुई हो सकती हैं, किन्तु अन्तिम निर्णय यह समझा जायेगा। अब क्यों यह निष्कर्ष निकला ? उसकी गति-विधि से किस प्रकार से यह

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)
निष्कर्ष निकला उस पर मैं नहीं जाना चाहता किन्तु निर्णय यह था एकमत से। यह बिल्कुल सही है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से सिर्फ यह निवेदन कर सकता हूं कि उनके प्रतिनिधियों के विचार से यदि कहीं अन्दर ही अन्दर माननीय सदस्यों में आक्रोश है....

श्री नत्थीसिंह : बिल्कुल नहीं है, हम पार्टी लीडर का अनुमोदन करते हैं। लेकिन हमारा निवेदन यह है कि आप सरकार को ताड़ना दीजिये।

श्री अध्यक्ष : वह मौके-मौके पर होता है। उसमें कोई चूक नहीं होती है। इसलिए मैं इस निर्णय को अन्तिम निर्णय मान कर चलता हूं, किन्तु फिर भी मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन कर सकता हूं कि आप अपने दल के प्रतिनिधियों से पूछ कर कोई संकेत दें तो इसमें तो मुझको कोई आपत्ति क्या हो सकती है? मेरा विश्वास है कि जो नेता आपके दल के उसमें मौजूद थे वे इतने बदलने वाले तो नहीं हैं। इसका प्रश्न नहीं है....

श्री रामकिशन (बैर) : बदलने वाले तो बिल्कुल नहीं हैं। वही बात उठा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आपका तो मुझको बड़ा....

श्री नत्थीसिंह : कटाक्ष करके इनको कमजोर करने की कोशिश न करें। यह एक चाल है।

श्री अध्यक्ष : यह सशक्त हैं। न कटाक्ष काम करता है, न कोई बात। बड़े सशक्त हैं। आप भी सशक्त हैं। ऑर्डर प्लीज! एक माननीय सदस्य खड़े हैं।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : असेम्बली से डरकर असेम्बली के समय पर क्यों नहीं बुलाना चाहते....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज!

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : यह मूल प्रश्न है। प्रश्न यह भी है कि कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को निभाने की गरज से माननीय सदस्य रविवार के दिन भी सदन में बैठना मंजूर कर लें ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। माननीय सदस्य! अंकित न हो।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, २९ जनवरी को भी सदन की बैठक अचानक स्थगित कर दी गई थी। उसके लिए आपने यह फर्माया था कि मैंने विरोधी दल के कुछ व्यक्तियों की राय ले ली थी....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! यह डिबेट का विषय नहीं है।

श्री विजयसिंह : एक प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : उस प्रश्न पर नहीं जाया जाय।

श्री विजयसिंह : यह अर्ज है कि दो-चार व्यक्तियों की राय लेकर सब कार्यवाही करना चाहें तो फिर हमारी क्या आवश्यकता है?

श्री अध्यक्ष : मुझे बड़ा खेद है। यानी खेद है कि आप अपनी पार्टी के प्रतिनिधियों पर यह रोष प्रकट कर रहे हैं। इसका

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

मुझे खेद है। हम सब माननीय नेता महोदय विरोधी दल के, के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखते हैं...

श्री नत्थीसिंह : यह दूसरी चाल है।

श्री भैरोंसिंह : हरे ! हरे !

श्री **अध्यक्ष** : तो यह उचित नहीं है। मैं पुनः आपसे कहूं, कृपया आप अपने रोष और आक्रोश को अपने दल में व्यक्त कर लीजिये, लेकिन जिनके प्रति सारे सदन की श्रद्धा और सम्मान है...

श्री **भैरोंसिंह** : हरे ! हरे !!

श्री **अध्यक्ष** : अब बैठिये !

श्री **विजयसिंह** : जितने भी विरोधी दल के नेता हैं उनके प्रति हमारे दिल में श्रीश्रद्धा है और उनके प्रति आदर है। यह चीज नहीं है कि हमारे दिल में नहीं है लेकिन यह चीज है....

श्री **अध्यक्ष** : अब देखिये, माननीय सदस्य से बात कर लूंगा अगर ऐसा है तो।

श्री **मुकुट बिहारीलाल गोयल** : श्रद्धा और असंतोष में फर्क है।

श्री **अध्यक्ष** : उतनी बुद्धि मैं ग्रहण कर रहा हूं। आप तो बहुत आगे बढ़े हुए हैं बुद्धि में।

गृह मंत्रीजी !

महारावल श्री **लक्ष्मणसिंह** (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, स्पष्टीकरण के रूप में मैं कुछ निवेदन करना आवश्यक समझता हूं। आपने उदारतापूर्वक मेरे लिए जो भावना व्यक्त की उसके लिए तो मैं अत्यन्त आभारी हूँ लेकिन उसके योग्य मैं हूं ऐसा अनुभव नहीं करता। जो बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी ने निर्णय लिया उसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ उसके पचड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता....

श्री **विजयसिंह** : पचड़ा हुआ है।

महारावल श्री **लक्ष्मणसिंह** : बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी का निर्णय वह इस सदन का मान्य निर्णय है और उसमें मेरी सहमति है—इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। आपका इस सम्बन्ध में कोई दोष नहीं है लेकिन....

श्री **विजयसिंह** : निर्दोष हैं आप।

महारावल श्री **लक्ष्मणसिंह** : यह आप जानते हैं कि आखिरकार एक परम्परा हर एक दल के अन्दर भी हुआ करती है कि जब तक अमुक सिद्धान्तों की अवहेलना नहीं हो तब तक हर एक दल के व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार हुआ करता है। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह समझता हूं कि सामान्यतः यह प्रिविलेज है हरएक सदस्य का कि रविवार को छुट्टी मनाई जाय। अगर कोई डिक्लेरेशन ऑफ वार हो या अगर कोई ऐसी बड़ी भारी एमर्जेन्सी हो तो मैं ऐसा प्रिसिडेंस हाउस ऑफ कॉमन्स का कोट कर सकता हूं कि सण्डे के दिन भी सदन की बैठक बुलाई गई है। साधारणतया अगर मैंने सहमति भी दी, तो जिस चीज पर मैं अपनी सहमति दे चुका हूं, तो क्या मेरे दल के किसी माननीय सदस्य को यह अधिकार नहीं है कि उसके प्रति असहमति सिद्धान्ततः प्रकट करे।

श्री अध्यक्ष : यह तो नहीं है। सदन के प्रांगण पर तो नहीं है। यह परम्परा नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर आपका यह निर्णय है तो यह सर्वमान्य है। मैं समझता हूं कि मुझे इसमें....

एक माननीय सदस्य : शंका है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :....संदिग्धता नजर आती है? और मैं समझता हूं कि मेरे दल के व्यक्तियों को यह जो असाधारण निर्णय लिया गया है इसके सम्बन्ध में असंतोष प्रकट करने का अधिकार है। कम से कम वह सदन की प्रोसीडिंग्स के अन्दर तो आना चाहिए ताकि आयन्दा यह परम्परा बनी नहीं रहे। वैसे मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी छुट्टी के दिन विधान सभा की बैठक नहीं बुलाई जाय, लेकिन यह जो परम्परा हम कायम करने जा रहे हैं, यह मैं स्वस्थ परम्परा और अच्छी परम्परा नहीं समझता हूं। साधारणतया जब इस विधान सभा का सदन चल रहा है तो मैं यह समझता हूं कि किसी माननीय सदस्य का यह अधिकार है कि अपनी असहमति और अपना विरोध प्रकट करे कि रविवार के दिन क्यों विधान सभा की बैठक बुलाई गई। सर्वसम्मति से यह माम्य मैं मानता हूं कि रविवार के दिन विधान सभा की बैठक बुलाई जाय-उसमें मेरी सहमति है, तदुपरान्त किसी के मुंह को....

श्री नत्थीसिंह : नहीं सीयें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :..बन्द करना मैं, मेरे ख्याल में, उचित नहीं मानता।

श्री अध्यक्ष : देखिये, मैं इस प्रश्न पर पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि रविवार को बैठक बुलाई जाय या नहीं बुलाई जाय, सदन की कार्यवाही हो या नहीं हो-इस पर कुछ सोचा जाय....

श्री भैरोंसिंह : होगी साहब। इसमें कोई सन्देह नहीं है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी में माननीय नेता ने अपनी सहमति प्रकट की, उस सहमति के अनुरूप ही निर्णय हो गया, और जैसी कि परम्परा है बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी ने जो निर्णय दिया उसको इस सदन में स्वीकार कर लिया गया। अब यह परिस्थिति बने कि उसका विरोध होता रहे तो हम यह समझेंगे कि बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी प्रतिनिधित्व इस सदन का नहीं करेगी। यह स्थिति हो जायगी तो यह गम्भीर स्थिति है। माननीय नेता महोदय, मेरा विचार है कि कोई माननीय सदस्य थोड़ी सी असहमति अनुभव करने लगे हों अपने दिल में तो उस असहमति को यहां नहीं लाया जा सकता। बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी के निर्णय में विरोधी दल के नेता महोदय की सहमति होती है और उसको उसके अनुरूप इस सदन में निभाया जाता रहा है। अब दुबारा जब बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी तो उसमें इस प्रश्न को मेरे विचार के संदर्भ में और माननीय नेता महोदय के विचार के संदर्भ में पुनः रख कर, प्रतिनिधित्व का जो इस कमेटी का रूप है, उसको किस प्रकार से रखा जाय इस पर फिर विचार करूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि वहां वही होगा जैसी कि अब तक परम्परा है, इस विधान

(श्री अध्यक्ष)

सभा की परम्परा है, संसद की परम्परा है और मदर ऑफ पार्लियामेन्ट की परम्परा है। उनके अनुरूप ही विचार हो सकता है अन्य रूप में नहीं। मैं इस प्रश्न को यहीं रोकता हूं। मैं यह नहीं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय नेता महोदय के विचार उचित हैं या उचित नहीं हैं। उनके विचार हैं लेकिन उनके विचारों को अगर स्वस्थ परम्परा के संदर्भ में आंका जाय तो मेरा विश्वास है कि बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी एक कमेटी के रूप में हो जायगी, सदन का प्रतिनिधित्व नहीं करेगी।

श्री किशनलाल शाह : सदन सर्वोच्च है। इसके अन्तर्गत कमेटी है।

श्री अध्यक्ष : दिस इज करेक्ट।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इन पंक्तियों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है।

"उपरोक्त कार्य के बंटवारे में श्री अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।"

श्री अध्यक्ष : वह तो है। वह इनहैरेन्ट पॉवर है। यदा-कदा अध्यक्ष उसका प्रयोग करता है।

श्री विजयसिंह : परम्परा के चैंज होने का सवाल है। सण्डे को बुलाने का सवाल है। उसके सम्बन्ध में हम अपने विचार व्यक्त करते हैं तो हमें दोष मत दीजिये।

श्री अध्यक्ष : वह चैंज करते रहें वह इवोल्यूशन है। यह स्टेज नहीं है कि परम्परा कायम करनी है या कोई परम्परा कायम रहती है या नहीं करनी है।

गृह मंत्री !

श्री भैरोंसिंह : यह स्टेटमेंट, अध्यक्ष महोदय, कुछ देर बाद दिलवा दीजिये क्योंकि विधान सभा की एक समिति की बैठक है उसमें शामिल होना है। इस पर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री जी !

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : तीन बजे दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : तीन बजे !

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, एक जो बांसवाड़ा के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव रखा था....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री भगवानदास शास्त्री।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न मैं उपस्थित करता हूं। जो आपने व्यवस्था दी है निर्णय के रूप में तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा में दण्ड, पैनल्टी और उसकी अपील को सुनने का जो फैसला है, धारा ६१ का नोटिस दे कर किसान को बुलाया जाता है और बुलाकर फिर उसका तहसीलदार निर्णय कर सकता है पर तहसीलदार के पुनः निर्णय से पटवारी लोगों को अधिकार है कि बिना निर्णय के दण्ड, पैनल्टी वसूल करें। आज वहां के किसानों से इस

(श्री हीरा भाई)

तरह से दण्ड और पैनल्टी वसूल की जा रही है, यह बांसवाड़ा के किसानों के साथ सरकार घोर अन्याय जान बूझ कर कर रही है इस बारे में मैंने यहां सदन में स्थगन प्रस्ताव रखा है, आपने जो व्यवस्था दी है वह मैं मानने को तैयार हूं। पर यह अलग तरह का प्रस्ताव है मन्त्री महोदय को आप आदेश दें कि वे यहां से बांसवाड़ा के अधिकारियों को आदेश भेजें....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। श्री भगवानदास शास्त्री। अमलगेमेटेड बिजली के सम्बन्ध में विद्युत् मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट): अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री विट्ठल भाई : हमारा हक है बोलने का।

श्री अध्यक्ष : नहीं है हक, व्यवस्था पर बोलने का कोई हक नहीं है।

श्री विट्ठल भाई : हमने स्थगन प्रस्ताव इसलिये रखा है कि बजट सेशन में यह नहीं चलेगा। मन्त्री महोदय से ऑर्डर दिलवाया जाय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, मैं समझ गया हूं आपकी बात को।

यस।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री बरकतुल्ला खां (विद्युत् मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सेशन में यह आया था, अब फिर यह कल आया है, इसलिये लेटेस्ट इन्फॉरमेशन नहीं दे सकूंगा।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, यह २८ जनवरी के एजेन्डा में आया था, आप (मन्त्री महोदय) उपस्थित नहीं थे। आपने कहा था कि अधिकारियों के द्वारा सूचना मिली है कि आज नहीं आयेंगे। फिर २९ तारीख को डिजॉल्व हो गई विधान सभा। आपके पास २८ तारीख को रिपोर्ट आ गई है। मुझे तो इसमें शंकाएं हैं। वह शंकाएं मैं यहां रखना चाहता हूं। कुछ वजन आये हैं मन्त्री महोदय के ऊपर। मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के पूरे समर्थन में हूं कि इसे आज ही लिया जाय।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, रात को तो यह मिला।

श्री भगवानदास शास्त्री : परसों दिया है।

श्री बरकतुल्ला खां : मुझे रात को मिला है।

श्री अध्यक्ष : माननीय शास्त्रीजी, कल रखा जाय तो क्या ऐतराज है ?

श्री भगवानदास शास्त्री : कल रख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : I fix it for tomorrow वित्त मन्त्रीजी, अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण का उपस्थापन करेंगे।

अनुपूरक अनुदानों के विवरण का उपस्थापन

श्री विशम्भरनाथ जोशी (राज्य मन्त्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों, १९६९-७० के विवरण का उपस्थापन करता हूं।

(विराम)

With your permission sir, I submit that all the demands may be taken as moved.

श्री अध्यक्ष : आपने क्या कहा, मैं अंग्रेजी नहीं समझता।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि सारी मांगें आपकी अनुमति से प्रस्तुत की हुई मान ली जांय।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, उनसे माफी मगवाई जाय कि उन्होंने अंग्रेजी मे कहा।

श्री अध्यक्ष : मांग लो गई।

(विराम)

श्री विशम्भरनाथ जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३०६ के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदानों की मांगों, १९६९-७० के सम्बन्ध में, जिन पर आज सदन में विचार किया जाने वाला है, निम्नांकित नियमों का लागू होना निलम्बित कर दिया जायः—

(१ नियम १३९, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि आय-व्ययक पर उस दिन कोई चर्चा नहीं होगी जिस दिन उसको सदन में उपस्थित किया जाय,

(२) नियम १४३ जिसमें मांगों की सदन में प्रस्तुति का क्रम निश्चित करने का प्रावधान है, तथा

(३) नियम १४४ (३) जिसके अन्तर्गत किसी अनुदान की मांग को कम करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३०६ के अन्तर्गत अनुपूरक अनुदानों की मांगों, १९६९-७० के सम्बन्ध में जिन पर आज सदन में विचार किया जाने वाला है, निम्नांकित नियमों का लागू होना निलम्बित कर दिया जाय:—

(१) नियम १३९ जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि आय-व्ययक पर उस दिन कोई चर्चा नहीं होगी जिस दिन उसको सदन में उपस्थित किया जाय,

(२) नियम १४३ जिसमें मांगों की सदन में प्रस्तुति का क्रम निश्चित करने का प्रावधान है, तथा

(३) नियम १४४ (३) जिसके अन्तर्गत किसी अनुदान की मांग को कम करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है।

(स्वीकृत)

उपरोक्त नियमों का लागू होना निलम्बित किया गया।

मांग संख्या १

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९, भू-राजस्व

Page No. 59

(श्री अध्यक्ष)

के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,४५,०००रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११ गाड़ियों पर कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२, बिक्री-कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,१८,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ५

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५, मुख्य शीर्षक १३, अन्य कर और महसूल के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,४४,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ?

बैठे-बैठे फिर बोलते हैं (स्वीकृत)।

मांग संख्या ५ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ६

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १४, स्टेम्स के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३९,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ८

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८, मुख्य शीर्षक १८, संसद, राज्य संघ राज्य क्षेत्र विधान सभाओं के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८,७९,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ९

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९, सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को

Page No. 60

(श्री अध्यक्ष)

समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १७,०३,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ११

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२, कारागार के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २२,३६,०००रु. तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ११ स्वीकार की गई।

मांग संख्या १२

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ११,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १२ स्वीकार की गई।

(विराम)

मांग संख्या १३

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २०,५६,००० रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १३ स्वीकार की गई।

(विराम)

मांग संख्या १५

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८५,७५,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १५ स्वीकार की गई।

(विराम)

मांग संख्या १७

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०–जन-स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४३,१२,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १७ स्वीकार की गई।

(विराम)

Page No. 61

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या १८

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३३,६३,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १८ स्वीकार की गई।

(विराम)

मांग संख्या २२

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,१७,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २२, स्वीकार की गई।

(विराम)

मांग संख्या २४

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५२,६२,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २४ स्वीकार की गई।

(विराम)

मांग संख्या २६

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३ व ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक), सिंचन, नौचालन तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक), सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयंत्र पर व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६८,४२,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २६, स्वीकार की गई।

(विराम)

मांग संख्या २७

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य भवन और सड़कें (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थर संयंत्र पर व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २७, स्वीकार की गई।

(विराम)

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या २८

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४–दुर्भिक्ष सहायता के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४३,००,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २८ स्वीकार की गई ।

(विराम)

मांग संख्या २९

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ६५ व ७२–निवृत्ति वेतन और अन्य निवृत्ति लाभ तथा निवृत्ति वेतनों का संराशिकरण के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १२,३१,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २९ स्वीकार की गई ।

(विराम)

मांग संख्या ३३

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३३ स्वीकार की गई ।

(विराम)

मांग संख्या ३४

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७१-विविध के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को ५४,६२,००० रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३४ स्वीकार की गई ।

(विराम)

मांग संख्या ३५

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७६-अन्य विविध क्षति पूर्ति और अभिहस्तांकन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७,१५,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३५ स्वीकार की गई ।

(विराम)

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या ३८

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ९५, कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, ७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २६,२१,००० रुपया तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३८ स्वीकार की गई ।

(विराम)

मांग संख्या ३९

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ९६–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७३,९७,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३९ स्वीकार की गई ।

(विराम)

मांग संख्या ४०

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९८–९९ एवं १००, बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत, सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) तथा सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १२,९०,०१,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४० स्वीकार की गई ।

(विराम)

मांग संख्या ४१

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १०३ सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४१ स्वीकार की गई ।

(विराम)

मांग संख्या ४३

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक १२० निवृत्ति वेतनो के संराशिकृत मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,४०,००० रु. तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४३ स्वीकार की गई ।

(विराम)

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या ४४

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १२४-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४४ स्वीकार की गई।

(विराम)

मांग संख्या ४५

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४५, मुख्य शीर्षक भा-राज्य-संघीय राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १७,७४,८०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४५ स्वीकार की गई।

(विराम)

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

(विराम)

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित किया गया ।

(विराम)

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : अध्यक्ष महोदय, मै यह प्रस्ताव करता हूं कि विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९७० को विचारार्थ लिया जाय ।

विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९७० पर विचार

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) **:** अध्यक्ष महोदय, यह अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विधेयक यहां प्रस्तुत हुआ है और इस विधेयक के जरिये विधान सभा की मोहर लगाना चाहते हैं। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : अनुरोध करते हैं या विरोध ?

श्री नत्थीसिंह : निरोध होगा ।

श्री हीराभाई : विरोध करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि हमारी जो मौजूदा सरकार है उस सरकार में केबिनेट के मिनिस्टरों ने न तो आजादी के लिये क्या कुर्बानियां करनी पड़ी हैं वह देखी है और न की है। उसके साथ-साथ वे

(श्री हीरा भाई)

राजनीति में कभी इधर और कभी उधर, कभी इस गुट में और कभी उस गुट में गये हैं। उस हालत में भविष्य में सालाना खर्चा किस प्रकार चलाया जाय, इसका यदि भान होता और प्रदेश की व्यवस्था के लिये जन-मानस के लिये काम करके कोई बजट प्रस्तुत होता तो दुबारा इनको सप्लीमेन्टरी मांगें पास कराने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या करें देश के सामने ढोंग करके ढोल बजायें उससे देश को मजा नहीं आवेगा। इन लोगों की बुद्धि भैंस से भी गयी बीती है। वरना सालाना बजट पेश होता है उसे पेश करने से पहले कैसे इनको पता नहीं चलता है कि फलां स्कीम लागू होगी उसे पूरा करने के लिये इतने पैसे की जरूरत होगी ? उससे काम न चले तब खर्चे की पूर्ति के लिये दुबारा मंजूरी मांगनी चाहिये। लेकिन जनता के पैसे का किसी प्रकार से दुरुपयोग करके घाटे की स्थिति पैदा करते हैं और फिर उस घाटे की पूर्ति के लिये दुबारा मंजूरी मांगनी पड़ती है। हमारी यह सरकार अंधेरे में चल रही है। इनकी अंधेरे की नीति और अन्धे निर्णय के कारण आज हमारे प्रदेश के जन-मानस का शोषण किया जाता है और देश को तबाह किया जा रहा है। मैं समझता हूं अगर प्रदेश के खर्चे की पूर्ति सालाना बजट के द्वारा नहीं की गई और रकम का घाटा हो जाता है तो ऐसी सरकार को इस्तिफा देकर चले जाना चाहिये क्योंकि इनमें बुद्धि नहीं है। ये 'हां पक्ष जीता' 'हां पक्ष जीता' करवा कर दुनिया को धोखा दे रहे हैं।

(१२.५० म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

दुनियां के साथ धोखा किया सो किया लेकिन घर के साथ भी धोखा कर रहे हैं। इनकी बुद्धि मर गई है। इनको नीति का अन्दाज नहीं है। अन्धेरे में जिधर चाहें उधर चले जाते हैं और जनता के धन का दुरुपयोग करवाते हैं। इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध कर रहा हूं। यह विरोध इसलिये है कि यह जरूरत क्यों पड़ी कि नाजायज ढंग से खर्च कर दें और फिर यहां आकर इसको मंजूर करवायें ? पैसा इकट्ठा करने के लिये किसानों पर किस तरह से मुसीबत ढा रहे हैं, यह इस सरकार को पता नहीं है। इसी टैक्सेशन के मामले में गंगानगर के लोगों का आपने खून किया। इस बारे में जनता में जो असन्तोष है उसका इस सरकार को पता नहीं है। जनता का खून करके यह सरकार धन इकट्ठा कर रही है और अपने मंत्रियों की फौज को बढ़ाती जा रही है। जनता के पैसे का इस तरह से दुरुपयोग नहीं होना चाहिये।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। बांसवाड़ा जिले का एक उदाहरण देकर मैं आपके सामने एक बात रख रहा हूं। मैं यह मानता हूं कि अकाल के समय राज्य सरकार ने अकाल राहत कार्य किया। जब राज्य सरकार यह मानती है कि उस क्षेत्र में भयंकर अकाल था और राज्य सरकार ने लाखों लोगों को मजदूरी देने की व्यवस्था की थी तो फिर वहां नौतोड़ की जमीन पर कहां से अनाज पक गया ? मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इसका जिम्मेदारी के साथ जवाब दें। जब उस क्षेत्र में अकाल मान लिया तो वहां अनाज कहां से पैदा हो गया ? नाजायज कब्जे वाले भूमिहीन किसानों को नौतोड़ जमीन के लिये पानी कहां से मिल गया ? इसकी कम से कम जानकारी

(श्री हीरा भाई)

तो राज्य सरकार को होनी चाहिये। अगर पानी पड़ा तो नौतोड़ वाले के खेत में और दूसरे के खेत में बराबर पड़ा और नहीं पड़ा तो दोनों के खेतों में नहीं पड़ा और फसल पकी तो दोनों खेतों में पकी और नहीं पकी तो दोनों के खेतों में सूख गई। फिर क्यों पटवारी वहां जाकर पेनेल्टी लगा देते हैं और उनसे वसूली की जाती है? यह जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा है। और इस अन्धी सरकार को, अन्धी मिनिस्ट्री को कुछ भी पता नहीं है। मैं पूछता हूं कि जब अकाल था और उस क्षेत्र को सूखा घोषित किया गया था तो वहां फसलें कहां से पक गईं? इस प्रकार जनता को परेशान करके उनसे वसूली की जा रही है जो गलत है और इस सरकार के अन्धेपन के कारण लोगों को धारा ६१ के तहत, नौतोड़ जमीन के नोटिस दे दिये गये हैं और तहसीलदारों ने उन पर पेनेल्टी लगा दी है और यह पेनेल्टी भी मनमाने ढंग से लगाई है। किसानों को कोई टाइम नहीं दिया गया और उनको फटकार करके पेनेल्टी कायम करदी जाती है। तहसीलदार, पटवारी को यह मालूम नहीं है कि उसके पास कितनी जमीन है फिर भी उस पर पेनेल्टी लगा दी जाती है। चाहे उसके पास दो बिस्वा जमीन हो, या ५ बिस्वा जमीन हो उस पर ५ रुपया पेनेल्टी लगा दी जाती है। कहीं १०० रुपया लगा दिया है और अनाज की कीमत के १०० रु० लगा दिये। इस तरह २०० रुपये आधा बिस्वा, दो बिस्वा जमीन पर लगा दिये जाते हैं। उसके पास जमीन कितनी है यह न तो पटवारी को पता है और न तहसीलदार को। यह सरकार सामन्तशाही सरकार से बढ़कर अन्याय कर रही है। कम से कम न्याय और अन्याय को तो इस सरकार को देखना चाहिये। सामन्तों से भी बढ़कर आज जनता पर अन्याय हो रहा है और जैसे चाहें वैसे जनता पर पेनेल्टी लगाई जाकर वसूली की जा रही है। एक तरफ अकाल राहत का कार्य करते हैं और दूसरी तरफ जनता से वसूली की जाती है। इस सरकार को पता नहीं है कि जो भूमिहीन किसान हैं, उसके पास जमीन नहीं है तो उससे वसूली का आदेश क्यों दिया? यह भी क्या व्यवस्था है? चाहिये तो यह कि जो उस क्षेत्र में भूमिहीन लोग हैं, बेकार हैं उनकी लिस्ट सरकार बनावे और उनकी रोटी-रोजी की व्यवस्था करें। यदि सरकार यह भी न करे तो जो लोग अपनी रोटी के लिये खेती करें उन पर तीन-तीन तरह के जुर्माना तो न करें लेकिन आप उन पर जुर्माना करते हैं और इस पर पटवारी को रिश्वत अलग से किसान को देनी पड़ती है। इतना ही नहीं उनकी वसूली के लिये तहसीलदार कुर्की अलग से जारी कर दें। यह क्या तमाशा इस सरकार ने कर रखा है? क्या यह भी कोई सरकार है? क्या जनता को इसी तरह से यह सरकार मार भगाना चाहती है? क्या सरकार उनके खून-पसीने की कमाई को छीनना चाहती है? अगर यह बात है तो अलग है। देश में अन्याय को दूर करने, लोगों की बेकारी दूर करने और आपत्ति या संकट टालने के लिये सरकार व्यवस्था करती है। परन्तु यहां उल्टा हो रहा है। सरकार कोई देखने के लिये नहीं है। हवाई जहाज में घूमने के लिये मंत्री-गण नहीं हैं। ८० हजार की कारों में घूमना ही इस सरकार के मंत्रियों का काम रह गया है। इस सरकार के पास जनता की इन विकट समस्याओं को दूर करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। यह सरकार जनता

(श्री हीरा भाई)

की समस्याओं का हल करने के बजाय उल्टी उनकी दिक्कतें बढ़ा रही है। धारा ९१ के तहत नोटिस दिया जा रहा है। पहले पटवारी जाता है और जो पहले २०० रुपया जुर्माना था वह ६०० रुपया कर देता है। इस तरह पटवारी को इस सरकार ने जनता को लूटने के लिये खुली छूट दे रखी है। पटवारी किसी को भी रसीद नहीं देता है। अगर १०० से वसूली करता है तो दस को रसीद देकर ९० की रकम को खा जाता है। इस तरह से किसानों का शोषण किया जा रहा है। किसानों के प्रति यह अन्याय हो रहा है। पटवारी कौन होते है यह निर्णय करने के लिये ? अगर पटवारी ही यह निर्णय करते हैं तो फिर एस० डी० ओ०, तहसीलदार, कलेक्टर किस लिये हैं ? अगर पटवारी ही इस तरह से निर्णय करता है तो फिर न्यायालयों की क्या जरूरत है ?

(१.०० म. प.)

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, इस समस्या के बारे में हमने स्थगन प्रस्ताव भी दिये थे उस समय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी अनुपूरक अनुदान की मांगों पर विचार होगा, बजट पर विचार होगा, उस समय आप यह प्रश्न उठा सकते हैं। लेकिन जब उस पर विचार व्यक्त किये जा रहे हैं, एक विशेष समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित किया जा रहा है उसके बारे में जवाब देने के लिये मंत्री महोदय यहां उपस्थित नहीं हैं। एक मंत्री महोदय बिराजे हुए हैं वे भी एक अक्षर नहीं सुन रहे हैं। इस तरह का जो मंत्री महोदयों ने इस सदन के प्रति रुख अपनाया है वह बहुत ही निन्दनीय है, और अनुत्तर-दायित्वपूर्ण है। ४० मिनिस्टरों की फौज है लेकिन एक भी सदन में उपस्थित नहीं है, सारे के सारे रिक्रीएशन क्लब में आनन्द मना रहे हैं। अगर मंत्री महोदय को फुरसत नहीं है इस गम्भीर समस्या को सुनने की तो सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर बात है जिन बातों पर बहस हो रही है उसका उत्तर देने के लिये कोई मंत्री मौजूद नहीं है। अगर मंत्री महोदय को समय नहीं है तो इनकी जगह सेक्रेटरीज को बिठा दीजिये। वे ठीक जवाब दे सकेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : अनुपूरक अनुदानों की मांगें वित्त मंत्री महोदय ने रखी हैं वैसी हालत में वित्त से संबन्धित मंत्री महोदय को तो अवश्य उपस्थित रहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: एक मंत्री महोदय बिराजे हैं और सुन रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वे तो इसको पायलेट भी नहीं कर रहे हैं। वे तो कृषि मंत्री हैं। यह वित्त से संबन्धित मामला है। उनका पता ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: जौइण्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, जब प्रश्नों का जवाब देने का सवाल आता है तो उस समय कहा जाता है कि यह फाइनेन्स का मामला है विद्युत् वाले इसका कैसे जवाब दे सकते हैं और जब अनुपूरक अनुदान की बात आती है या अन्य

Page No. 68

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

बात को रखा जाता है तो कहा जाता है कि जौइण्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है। जब प्रश्नों के उत्तर देने का समय आता है तब तो जौइण्ट रेस्पोन्सिबिलिटी रहती नहीं है और जब इस प्रकार से महत्त्वपूर्ण सवाल उठाये जायं कोई संबन्धित मंत्री उपस्थित न हो तो यह कह दिया जाता है कि सभी की सम्मिलित जिम्मेदारी है। कोई भी व्यक्ति बैठ जाय उसको सारी सरकार का रिप्रेजेन्टेटिव मान लिया जाता है। यह बड़ी ही दयनीय स्थिति है।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विनियोग विधेयक का प्रश्न है। इसलिये जब तक वित्त मंत्रीजी नहीं आयें तब तक कोई कार्य चलाना उचित नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, या तो ऐसा है कि हम लोग जो बोलते हैं उसको कोई महत्त्व नहीं दिया जाता। अगर महत्त्व दिया जाता है तो जो भी जनता से संबन्धित मामले हम यहां रखते हैं उनको मंत्री महोदय सुनें और उसके लिये यहां बिराजें। अगर वे नहीं बिराजते हैं तो हमारा यहां पर भाषण देने से कोई लाभ नहीं है। अगर वे नहीं आते हैं तो हम भी यहां बैठे हैं और हम संबन्धित मंत्री महोदय न आवें तब तक भाषण न दें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा आपसे यह स्पष्ट निवेदन है कि अगर विरोधी दल के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया तो हम भी उसी प्रकार का रुख अपना सकते हैं। हमारी अवहेलना का परिणाम भयंकर होगा। इसलिये मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं....

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : आप क्या धमकी देना चाहते हैं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : हां धमकी दे रहे हैं। ४० की फौज क्यों बना रखी है ? क्या रिक्रिएशन क्लब में ही बैठने के लिए यहां आते हैं। आप एक तो समय हमें बोलने के लिये देते नहीं हैं, करोड़ों रुपये की मांगें एक साथ रखकर पास करवाना चाहते हैं। वित्त मंत्रीजी का पता नहीं। अगर सरकार हमारी बातों पर तवज्जह नहीं देना चाहती तो सदन चलाने से क्या फायदा ? यह जो उपेक्षा-पूर्ण नीति सत्तारूढ़ दल द्वारा अपनायी जा रही है इसके लिये विरोधी दल को कोई लाचार होकर कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री महोदय को अनुपूरक अनुदान की मांगें सदन में चल रही हैं इसलिये उपस्थित रहना चाहिये।

(वित्त मंत्री ने सदन में प्रवेश किया)

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्रीजी आ गये। अब आप भाषण जारी करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ह्विप साहब का कोड़ा भी नहीं चल रहा है।

श्री जयनारायण सालोदिया : ये तो हमारे लिये नकारा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपके लिये तो कोई भी हो वह सब नकारे ही हैं।

श्री हीराभाई : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पटवारो को इस तरह के अधिकार दे रहे हैं मैं समझता हूं इस प्रजातंत्र में यह उचित

(श्री हीरा भाई)

नहीं है। इस तरह से . मैंने इस बारे में जो बातें कहीं हैं कि पटवारी अपने आप फैसला कर लेते हैं और अपने मन के मुताबिक वसूली भी करते हैं । रेवेन्यू मिनिस्टर साहब इस बारे में जांच करें और जो इस प्रकार की गलत कार्यवाहियां होती हैं उनको रोकने के लिये कार्यवाही करें ।

इस संबन्ध में मैं एक बात और रखना चाहता हूं। एक आदिवासी महिला जिसका नाम मैं नहीं ले रहा हूं उसके ऊपर २००) रुपये की कुर्की कर दी। उसका धणी, जिसके पास २००) रुपया चुकाने के लिये नहीं था, उसके लिये अपने मामा के पास अपनी डेढ़ एकड़ जमीन को गिरवी रखकर पैसा लाने के लिये जाता है। यह पटवारी को पता चल जाता है कि उसका धणी घर पर नहीं है। वह आज से आठ दिन पहले शनिवार को उस आदिवासी के घर पर चला जाता है और उसको पूछता है पैसे लावो- वह कहती है कि मेरा धणी पैसों के इन्तजाम के लिये गया है। खेत गिरवी रखकर लायगा। तो वह उसको पूछता है कि वह कब आयगा ? दो दिन लग जायेंगे। उस समय वह पटवारी उसकी औरत को पकड़कर उससे जबरजीना करता है, औरत चिल्लाती है तो वहां के आसपास के दो-चार आदमी आकर पटवारी को पकड़ लेते हैं। जो उसको पकड़कर बाहर ले जा रहा था उसको आकर पड़ोस के आदमियों ने पकड़ा। पटवारी को पकड़ने के बाद उस पटवारी की गुण्डा पार्टी ग्राम सेवक, सरपंच जो वहां पर थे वे आते हैं और उस औरत को कहने लगे कि तुम पुलिस को रिपोर्ट मत लिखाओ। दो दिन तक जब तक उसका आदमी नहीं आया तब तक उसको फुसलाते रहे कि तू २००) रुपया ले ले ५००) ले ले। लेकिन वह मानी नहीं। आखिर जब उसका आदमी आया तब पुलिस में रिपोर्ट लिखायी। न मालूम आगे उसका क्या हुआ। अगर ऐसे अफसरों को आप इसी लिये लगाते हैं कि वे आदिवासी बहनों की इज्जत लूटें तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका नतीजा आपके लिये अच्छा नहीं होगा। आपको तुरन्त उस पटवारी को निलम्बित कर उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये....

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री) : आप मुझे उसका नाम बता दें।

श्री हीराभाई : नाम मैं दे दूंगा। अभी मेरे पास नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : न नाम आपको याद ही है....

श्री हीराभाई : उसके बाद तहसीलदार के रीडर ने मिलकर प्लान बनाया कि इस औरत ने सरकार का पैसा उनसे छीन लिया। वे इस प्रकार की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस औरत के घर में शाम को छः बजे घुसने की क्या आवश्यकता थी ? पटवारी को सरकार की रकम वसूल करनी थी तो कानून के अनुसार उसके लिये नोटिस देना था, नहीं देने पर जमीन को नीलाम करवाना था। वह उसके घर में घुसा क्यों ? 'उल्टा चोर कोतवाल को डांटे' वाली कहावत चरितार्थ करदी। उस औरत पर यह इल्जाम लगा दिया कि इसने मेरे पचास रुपये छीन लिये और वह यह भी कहता है कि अगर मैं वहां से नहीं आता तो यह तो मेरे पास से ७५००) रुपया छीनने वाली थी। इस सारी कार्यवाही में तहसील वालों ने जाकर उनकी मदद की। इस तरह से जो कार्यवाही की जाय माननीय

(श्री हीराभाई)
उपाध्यक्षजी, ऐसी कार्यवाहियों को न तो आप न हम बर्दाश्त करेंगे। यह बात जरूर है कि हम आदिवासी हैं। गांधीजी ने एक साथ हमारा कदम मिला दिया वरना पटवारी नहीं जा सकता था। अगर यही हालत रही तो आदिवासी मुर्दे की तरह हो जायेंगे। हम २० साल से इन्सानियत को लेकर चल रहे हैं, इसलिए यह बात हो रही है। अगर आदिवासियों के साथ अच्छा व्यवहार करवाना है तो पेनेल्टी वसूल करने की बात हमेशा दूर रखो वरना कानूनी ढंग से कार्यवाही करो।

दूसरी बात, कोई भूमिहीन किसान है या नहीं, यह जांच की जाय। अगर भूमिहीन है और जमीन काबिल काश्त है उसके पास तो वह भूमिहीन नहीं है। सरकार ने एलॉटमेंट का आदेश १६६६ में दिया था लेकिन अब तक उसका पालन नहीं किया गया उसके लिए अभी तक मुकदमे जारी हैं, अभी तक एलॉटमेंट नहीं करते हैं। हमेशा जुर्माना करते चले जाते हैं और जमीन नीलाम करते जायेंगे तो सरकार को इस मामले में बिल्कुल डूबना चाहिए या इस्तिफा देकर घर चला जाना चाहिए क्योंकि सरकार चलाना इनको आता नहीं है। इनकी जिम्मेदारी नहीं है तो इनके भरोसे हम लोगों पर अन्याय होता है, हमारा शोषण होता है, यह शोषण सरकार रोक नहीं सकती। तो मैं निवेदन करूंगा कि पेनेल्टी को रोका जाय, वसूली को रोका जाय और किसानों की जमीन है या नहीं, भूमिहीन हैं या नहीं उसको देखा जाय। भूमिहीन हैं तो उनके नाम एलॉट किया जाय और बड़े जमीदार हैं तो एलॉटमेंट न करें और उनको बेदखल किया जाय लेकिन सालाना पेनेल्टी की मार से किसानों को जो मारा जाता है, उसमें उचित कार्यवाही करके उनको सुविधा दें।

इसी तरह से पुलिस का रवैया इतना मजबूत है कि जब कभी किसानों को यदि तकलीफ है तो पुलिस नहीं पहुँचेगी और बड़े आदमी का फोन आ जाय तो तत्काल पहुँच जाती है। सुखाड़ियाजी की रक्षा करने फौरन आ जायगी। सुखाड़ियाजी की रक्षा तो है ही। पुलिस सुखाड़िया सरकार के लिए तो है ही लेकिन जहां आम जनता के जान माल की रक्षा के लिए पुलिस विभाग बना रखा है, उसका नाम हटा दो, सरकार को बचाने के लिए पुलिस है। फिर पुलिस पर पैसा खर्च करो तो हम एतराज करेंगे लेकिन मेरा एतराज आप मानेंगे नहीं इसलिए एतराज हमारा चालू रहेगा, आप करते जायें।

बांसवाड़ा में एक पाटीदार है, उसने कम से कम सैकड़ों किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया और किसानों को भगा दिया और १०७ किसान वहां पहुँचे कब्जा छीनने के लिए तब कलेक्टर ने पुलिस भेज दी पाटीदार और जमीदार की रक्षा करने के लिए। लेकिन जिनकी जमीन छीन ली गई, उस बारे में पुलिस ने न तो देखा और न रिपोर्ट की। कलेक्टर ने नहीं देखा। जब सेठ उग्र हो गए तब पुलिस पहुँची। इसी तरह भूमिहीन किसानों व आदिवासियों के साथ हुआ।

ग्राम डूंगरा में एक भील की जमीन थी उसे एक नायक ने कब्जे में करली। बाद में मामला राजस्व मंडल में अजमेर तक आया। राजस्व मंडल ने फैसला किया कि जो

(श्री हीराभाई)

आदिवासी की जमीन है, उसी नाम से जमीन उनको दी जाय। इस तरह से फैसला आदिवासी के फेवर में किया लेकिन उसकी फाइलें जब नीचे आईं तो वहां फाइलें ही गायब कर दीं। अभी तक जमीन नहीं दिलवाई गई है और वहां फाइलों के लिए पूछा तो कहते हैं कि वापस राजस्व मंडल में भेजी गई हैं। आदिवासियों ने काश्त कर ली थी तब पुलिस को रिपोर्ट दी। पुलिस वाले पहुँचे और जाकर उनको गिरफ्तार किया। जब फसल पक गई उससे पहले अनधिकार को कार्यवाही करते तो ठीक था लेकिन अनाज काटकर इकट्ठा कर रहे थे तब पुलिस पहुँची और सारी फसल का अनाज नायक के घर पहुंचा दिया और उसके बाद तफतीश नहीं की कि फसल किसने बोई थी। नायक पैसे वाला था, रिश्वत से फसल अपने सुपुर्द करवा ली।

सरकार ढिंढोरा पीटती है कि आदिवासियों की जमीन गैर-आदिवासी नहीं खरीद सकते लेकिन दूसरी तरफ आदिवासी की खेती लूटकर पुलिस वाले ले जाते हैं और धनवानों की रक्षा करते हैं। इसलिए जनता का पैसा पूंजीपतियों के लिए है तो साफ कह दें वरना बजट के नाम पर पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उस बारे में हम उसका विरोध कर रहे हैं।

इसी तरह से बांसवाड़ा जिले के अन्दर अकाल है। वहां पर कुछ दिन पानी गिरा, ४५ दिन तक गिरता रहा। एक क्षेत्र में १५-२० इंच पानी गिरा उसको अकाल मान लिया और जहां ६०-६५ इंच पानी पड़ा, उस क्षेत्र को अकाल नहीं माना। अकाल मानने के लिए भी राजी नहीं हुए। जो कांग्रेस की टोपी पहनते हैं और कुर्ता पहनते हैं, वहां अकाल घोषित होता है। वहां जोशीजी मिनिस्टर अपना ट्रैक्टर किराए पर देते हैं और किराया कमाते हैं। इसी तरह कांग्रेस के लोगों के लिए अकाल सहायता है, गरीबों के लिए अकाल सहायता नहीं है। बार-बार मुझे अकाल का नाम लेने से शर्म आती है लेकिन वहां की स्थिति हमारे सामने आती है, आज लोग दाने-दाने के लिए भटक रहे हैं। इन दो-तीन महीनों में जहां कोई ४-६ आने फसल हुई थी लेकिन कलेक्टर और जोशी साहब और सरकार ने मिलकर वहां १६ आने फसल पूरी पटवारियों से लिखवाई और प्रभावग्रस्त एरिया घोषित नहीं किया। वह रुकावट बता देते हैं और जो वसूल करनी थी कर ली। आज किसानों के खेत जब्त किए जा रहे हैं। इसलिए वहां किसानों को बरबाद करने के लिए हमारी सरकार तुली हुई है। इसी तरह से जोशीजी के एरिया में ग्रामों को प्रभावग्रस्त घोषित कराया जाता है और जहां विरोधी दल के लोगों का एरिया है, ६० दिन तक पानी पड़ा, फसल पैदा नहीं हुई, उस एरिया में दुष्काल हुआ, आज वहां किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। कम से कम एक-डेढ़ हजार किसान सूरत गए, कोटा गए, मथुरा गए, कुछ रेलवे लाइन पर भटक रहे हैं और कुछ किसान मालवा गए हैं और इतनी अधिक तादाद में लोगों को निकाला जाता है कि वे अपने क्षेत्र में भटक रहे हैं। यदि इस परिस्थिति का समाधान नहीं किया तो मुझे शक है कि अराजकता रहेगी। मध्य प्रदेश में रेलें व बसें लूट रहे हैं। एक फैक्ट्री पर लोगों ने हमला किया, चौकीदार को १५-२० दिन पहले मार डाला है। कई तरह की अराजकता मध्यप्रदेश में फैल रही है। पर हमारे क्षेत्र में हमने गांधीवाद के चेले बनकर

(श्री हीराभाई)

लोगों में असन्तोष को फैलने नहीं दिया है। जिम्मेदारी के साथ हम लोग वहां इस तरह की अव्यवस्था को रोक रहे हैं। पर जिस तरह की अड़चनें आज सरकार द्वारा पैदा की जा रही हैं उनको देखते हुए जो आग फैलेगी उस पर काबू पाना न हमारे बस की बात होगी, और न सुखाड़िया साहब की पुलिस से यह काबू में होगी।

इसलिये मेरा निवेदन है कि इस सरकार को राजनैतिक षड्यन्त्र से वहां बचना चाहिये और उस क्षेत्र की जनता के लिए राहत के काम करने चाहिये। रिलीफ वर्क्स सरकार न चलावे, कोई बात नहीं। हमें कोई ऐतराज नहीं। पर मेरा तो यह कहना है कि वह पथरीला और सूखा एरिया है, हम देखते हैं आजकल बराबर अकाल वहां पड़ता रहता है तो जब तक ऊपर के हिस्सों में पानी को रोक कर बांध वगैरह बांधने का काम वहां नहीं किया जावेगा, पाताल तोड़कर पानी लाकर उस इलाके को फिर से हराभरा करने में ताकत नहीं लगावेंगे, साधन नहीं देंगे, तब तक हमेशा वहां अकाल पड़ता रहने वाला है। इसको दूर करने का यह मौका है। लोगों से पूरा काम लीजिये और पूरी मजदूरी उनको दीजिये। सिंचाई के जितने भी साधन हैं, तालाब हैं, बांध हैं, कुए हैं पांच दस मील के उस एरिया में सारों का निर्माण कराइये तभी वहां की अकाल पीड़ा लोगों की दूर हो सकती है और आगे फिर सरकार का यह एक हमेशा का साधन बन जाता है। इसलिये मैं अपील करूंगा कि इसके बारे में सरकार दिलचस्पी से ध्यान दे। वरना यह हो सकता है कि गंगानगर वाले लोगों ने जैसा मुकाबला किया है उससे भी ज्यादा मुकाबला वहां के लोग करेंगे। गंगानगर के तो लोग फारवर्ड हैं, पढ़े-लिखे भी हैं इसलिये उन्होंने शान्त, सत्याग्रह किया है पर हमारे बांसवाड़ा के लोग चोर हैं। मैं भी पहले चोर था। पूंजीपतियों का तो धर्म लेना धर्मादा लेना पसन्द नहीं करते थे। ऐसे मेरे पूर्वज लोग थे। उसी तरह से वे हमारे लोग रास्ता अपनावेंगे। चोर अब मत मुझे मान लेना। मैंने छोड़ दिया है यह रास्ता। पर बाकी लोग जरूर वही रास्ता अपनावेंगे-अपने पूर्वजों वाला। तब आपको व्यवस्था करने में फौज का, पुलिस का कितना खर्चा करना होगा। कितनी धनराशि राज्य के खजाने की वहां खर्च होगी, कितने आदिवासी लोग मरेंगे और कितना आपका नुकसान होगा यह मैं अन्दाज नहीं लगा सकता और आप भी नहीं लगा सकेंगे। इसलिये मेरा कहना है कि समय रहते वहां के लोगों को राहत पहुंचाने के बारे में सरकार सोचे। वहां के एरिया को राहत पहुंचाने के लिये स्पेशल कमीशन बैठाइये या वहां किसी को, आप अपने विश्वस्त आदमी को जांच करने भेजिये और अगर वहां किसी भी किसान के झोंपड़े में पाव भर अनाज आपको मिल जावे, दस दिन खाने जितना अन्न मिल जावे, या जेब में पैसा मिल जावे तो आप राहत के काम करना छोड़ देना। पर वाकई में मुझे और आपको ऐसा कुछ नहीं मिले और गरीबी, भूखमरी और अकाल का संकट आपको लगे तो राहत पहुंचाने का आप तत्काल प्रबन्ध करें। वरना हो सकता है गंगानगर से भी खराब हालत वहां हो जावे। यह मैं आज शान्ति से आपसे निवेदन कर रहा हूं। पर बाद में हमारे और आपके बीच में दुश्मनी पैदा होगी। इसलिये अभी से रास्ता साफ कर दीजिये।

एक सहकारिता की थोड़ी बात कहना चाहता हूं। सहकारिता को मैं मानता हूं।

(श्री हीराभाई)

राष्ट्रीयकरण को हम मानते हैं और ये कांग्रेसी, हम मानते हैं तब मानते हैं नहीं तो नहीं मानते हैं। राष्ट्रीयकरण को हम मानते हैं तो उनको डर है कि छोटी आय वाले लोग गरीब लोग जो हैं उनको नहीं बतावेंगे कि हम राष्ट्रीयकरण से उनका फायदा करने वाले हैं तो फिर इन कांग्रेसी बगुलों को पूछेगा कौन। पर ये फर्जी समाजवाद का रास्ता बताकर लोगों को भ्रम में डालना चाहते हैं और लोगों को हमारे से मोड़कर अपनी तरफ ले जाने के लिये नकली सहकारिता को और नकली राष्ट्रीयकरण को मानते हैं। और हम बिना स्वार्थ के आम जनता की भलाई करने के लिये, उनके लिये अमल में लाने के लिये राष्ट्रीयकरण और सहकारिता को मानते हैं। वे अपनी कुर्सी को बचाने के लिये, सत्ता से चिपके रहने के लिये, लोगों को सही रास्ते से भुलावा देकर मोड़ने के लिये नकली राष्ट्रीयकरण और सहकारिता को मानते हैं। पर सहकारिता लाने के लिये हम लोग हैं और यह हमारा निश्चित् उद्देश्य है कि सही माने में समाजवाद देश में आवे। पर अगर इस सरकार ने जो इसके विपरीत परिस्थितियां पैदा की हैं वे आज कायम रहीं तो जैसा कि कल हमारे एक माननीय सदस्य भी कह रहे थे जमीन टुकड़े-टुकड़े हो जावेगी और लोग भूखों मर जावेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा न हो कि लोगों को पूरा खाने-पीने को न मिले, यह आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। जब इतनी जमीन सौ आदमियों के पास है और करोड़ों के पास नहीं है तो क्या आप सौ आदमियों को ही भारत का नागरिक मानकर जिन्दा रखना चाहते हैं और बाकी को भूखों मार देना चाहते हैं? यह देश और मातृभूमि क्या उन सौ लोगों की है? कुदरत ने इस जमीन पर हर व्यक्ति को पैदा किया है चाहे वह किसी का मुनीम रहा हो, चाहे मालिक रहा हो और मालिक बनकर जमीन जोती न हो पर रोटी खाई हो। जमीनदारों का रोने का आज भले ही समय आ गया हो पर यह मानना गलत है कि जमीन किसी की बपोती है। जमीन राष्ट्र की है और इन्सान राष्ट्र का निवासी है और राष्ट्र इन्सान का है इन्सान का मालिक है। तब हमें बराबर यह देखना होगा कि कौन भूखा है और कौन ऐसा है जो पैसे का दुरुपयोग करके ऐश आराम कर रहा है और कौन ऐसा है जिसे एक टाइम खाना नहीं मिल रहा है। इसको देखना पड़ेगा और इसको देखकर सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तब जाकर हमारा राष्ट्र मजबूत बनेगा। गरीबी और भूखमरी मिटेगी। पर कहां से? जमीन का सीलिंग कर रहे हैं। अब तक क्यों रोके हुए थे उस कानून को? अभी भी तारीख निश्चित नहीं है। कहते हैं इस साल कर देंगे। कौनसी तारीख को करेंगे यह कहने में भी डर लग रहा है। तो मैं समझता हूं कि जिनके पास अधिक भूमि है उनसे कम करके भूमिहीनों को भूमि बांटी जावेगी।

पर सरकार की यह हिम्मत नहीं है तो मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि शायद आज यह कहना फिजूल जावेगा, पर कम से कम पचास साल बाद यह हो सकता है, मेरा यह मानना है, मेरी यह भावना है कि तमाम जमीन राष्ट्र की कर दी जावे। हर नागरिक को ८ घंटे काम करने के बाद रोजी-रोटी, पढ़ाई चिकित्सा और दूसरी जो शादी-विवाह और रिश्तेदारों से मिलने जुलने की सारी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार ले ले।

(श्री हीराभाई)
तमाम भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : सहकारिता पर कह रहे थे वह आप भूल गये।

श्री हीराभाई : सहकारिता से काम करें तो इस तरह से राष्ट्रीयकरण होता है। पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात का बड़ा दुःख है आज कल के युग में जितनी सहकारी समितियां बनी हैं, चाहे खेती के लिये बनी हों, चाहे और किसी काम के लिये बनी हों, खुद समिति के सदस्यों में से कइयों को यह पता नहीं कि वे उस समिति के सदस्य हैं या नहीं और नेता लोग-कांग्रेस वाले नेता लोग उस सहकारी समिति का दुरुपयोग कर रहे हैं। और वे इस तरह से छोटे-छोटे काम काज की भी सहकारी समिति बना लेते हैं जैसे ऋण की या और किसी जाति की बना लेते हैं और उसमें कार्य करने वाला, वही उसका मन्त्री, वही खजान्चो और वही ऋण लेने वाला, सारे काम वह खुद ही करेगा। वही व्यापार करेगा सदस्यों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। यदि किसी को तो पता हो तो ज्यादा बोलने वाले को दे दिया जावेगा कुछ हिस्सा और उसका मुंह बन्द कर दिया जावेगा। बाकी लोगों को किसी तरह से लटकाया जाता है। तो कांग्रेस के मुंह से राष्ट्रीयकरण की बात कही जाती है यह धोखा है। यह तो कांग्रेस पार्टी का संगठन जोड़ने वालों के लिये है। इन्हीं के लिये ये सहकारी समितियां हैं। इनका राष्ट्रीयकरण करके लोगों को मनवाएंगे सही तौर से तो वह सहकारिता सही माने में होगी। जब सही बात का लोगों को पता चलेगा तब वे लोग आप पर चढ़ जायेंगे और जब चढ़ जायेंगे तो हमको खुशी होगी। चोर को मारना चाहिये। हमारी पहले की जितनी कुर्बानी है वह कुर्बानी साफ हो जायगी इसलिये मुझे यह दुःख नहीं है कि रोटी नहीं मिलेगी तो क्या करूं, जो कुछ हालत होगी वह होगी लेकिन हमारी कुर्बानी पानी में, मिट्टी में मिल जायगी ऐसी बात नहीं है। यह बम्बई वाला नारा बेकारी को दूर भगावो, यह आन्दोलन केवल दिखावटी नारा है। उसके बारे में सरकार में सतर्कता होनी चाहिये। मेरी आपसे अर्ज है कि उसके बारे में कार्यवाही करें तब तो ठीक है नहीं तो सहकारी समितियां आपकी फैल होने वाली हैं मुझे ऐसा भय है। दूसरे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय हमारे में कई कमियां हैं। इस भारत का दुर्भाग्य है कि कितने ही राजनैतिक दल यहां पर ही हैं। अगर यह होता कि एक तो सत्ताधारी दल होता और दूसरा विरोधी दल तब तो भारत की रक्षा कर सकते थे लेकिन यहां तो सफेद टोपी वाले अलग उसमें से टूटकर लाल टोपी वाले अलग, काली टोपी वाले अलग, पीली टोपी वाले अलग, नीली वाले अलग सब अलग-अलग हैं यह सब कुनबापरस्ती है।

(एक माननीय सदस्य के व्यवधान डालने पर)

आप जानते नहीं है। मैं जानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : समय काफी हो गया है

श्री हीराभाई : अब तो खत्म कर रहा हूं। यह सब आपकी कुनबापरस्ती है और ये अन्याय करने वाले ग्रुप रहे हैं। कितने ही ढोल पीटें, हम भी मर जायेंगे न तो सरकार पर काबू पा सकते हैं और न सरकार

(श्री हीरा भाई)
सीधे रास्ते आ सकती है। मैं सबसे अपील करूंगा कि किसी तरह इन्सान की रोटी का अन्दाजा लगाइयेगा। खर्च की सीमा बान्धिये और खर्च की सीमा बान्धकर भारत के हर नागरिक के लिये रोटी की व्यवस्था करिये। देश में दो पार्टियां बननी चाहिये तब तो हम भारत को आजादी के रूप में जिन्दा रख सकते हैं। नहीं तो मुझे डर है यहां मिलिट्री शासन होगा। समाजवाद का जो उद्देश्य है वह साफ हो जायगा। कांग्रेस वालों पर मिलिट्री के अफसर बन जायेंगे। मैंने जो कुछ कहा मेरे कहने के अनुसार उसकी जांच करायें। जो बुराई हो रही है उस पर कन्ट्रोल रखने की व्यवस्था करें तो मैं आपकी, जो मन्शा है, समर्थन दे सकता हूं वरना इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय ...

एक माननीय सदस्य : नाहर जैसे बोलो।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : जितना और जैसे बोल सकूंगा वैसे बोलूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, सदन में सप्लीमेन्टरी डिमान्ड्स पेश की गयी है। इनको देखने से कुछ बातें ऐसी लगती हैं जिनके सम्बन्ध में कुछ डिपार्टमेंट्स ने करों की वसूली के लिये जीपें, गाड़ियें खरीदी हैं। यह एक नई व्यवस्था है, एक नया सिलसिला पैदा हो रहा है। हर डिपार्टमेंट खुलता है और डिपार्टमेंट के अन्दर टेलीफोन, गाड़ी की व्यवस्था और फर्नीचर की व्यवस्था एकदम कर दी जाती है। इसलिये इसके पहले कुछ कहा जाय यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि इसके द्वारा किस किस जगह कर की वसूली हुई है, जिसके लिये यह जरूरत हुई, वह वसूली कितनी हुई। यह सम्भावित खर्च क्या इस प्रकार का था कि जो करों की वसूली के लिये आवश्यक था या उसके माध्यम द्वारा करों की वसूली हुई। हमारा मत है कि जितने कर हैं मोटर कर, आबकारी कर, सेल्सटैक्स ये तीन हजार, चार हजार, पांच हजार के साधारण कर जिनमें बकाया है उनकी वसूली हुई है या जिन पर लाखों की बकाया है उनकी वसूली हुई है। मैं कहता हूं लाखों के कर बकाया हैं और उसके लिये न जीप की जरूरत है और न किसी और बात की जरूरत है। कर उनमें ही बाकी है जो किसी न किसी तरह अपना प्रभाव सरकार पर जमा लिया करते हैं। इसलिये मैं यह जानना चाहूंगा कि इस पर प्रकाश डाला जाय और यह कहें कि जो तीन चार लाख की गाड़ियां खरीदी हैं उनसे वास्तव में कितनी वसूली की गई और वे लोग कौन थे जिनमें बकाया थी और जिनसे वसूली हुई।

५००) रूपये, १००) रुपये गांव गांव में घूम कर वसूल किये और लाखों रूपये जिनमें बकाया हैं उनकी वसूली नहीं की। मुझे मालूम है सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट वाले गांव गांव में जाकर महाजनों की बहियां उठाकर ले आते हैं। मुझे यह भी मालूम है कि महाजन ईमानदार नहीं हैं, वे चोरी करते हैं। लेकिन उनका काम तो केवल घूम घूम कर उनकी बहियां ले आना है उनकी गाड़ियों का उपयोग महाजन की बहियां लाने में होता है और फिर उन बहियों को लौटाने में इसका प्रयोग करते हैं। इसलिये मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी अवस्था में गाड़ियों का उपयोग

(श्री यशवन्त सिंह नाहर)

भ्रष्टाचार को बढ़ाने में काम आता है न कि वसूली करने के काम में। मंत्री महोदय अपने जवाब में इस सदन के सामने यह अवश्य रखने का प्रयत्न करें कि कितनी वसूली हुई है ?

दूसरा खर्चा फर्नीचर, हाऊस आदि सामान का है तो मैं परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था जापान और....

(सदन में माननीय सदस्यों द्वारा आपस में जोर से बातें करने पर)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। आपस में बात न करें।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : जापान और जर्मनी में जिस समय में युद्ध के द्वारा डिमोन्सट्रेशन हुआ तब दो दो सौ तीन तीन सौ मील दूरी पर....

(माननीय सदस्यों की आपसी वार्तालाप से व्यवधान)

....रेलवे लाइन बिछा दी और टेम्प्रेरी शेड्स स्टेशनों के लिये बनाये गये और जब उन स्टेशनों से आमदनी हुई तो फिर उस आमदनी से वहां पर स्टेशनों का निर्माण किया गया लेकिन हमारे यहां इसके विपरीत है। बिल्डिंग पर रिटर्न कुछ नहीं, गवर्नमेंट अण्डरटेकिंग है उसमें भी इसी तरह का खर्चा है और इसके अतिरिक्त गाड़ियों का खरीदना, टेलीफोनों का खर्चा मकानों आदि का खर्चा किया जाता है लेकिन उन पर कोई रिटर्न नहीं है। उसका बोझा जनता की जेब पर पड़ता है इसलिये मैं समझता हूं यह खर्च कम से कम किये जाने की व्यवस्था की जाय।

तीसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने राज्यपाल महोदय का भाषण पढ़ा होगा हमारे पास यह तकाजा आ जाता है कि लैन्ड लेस को लेन्ड अलाट कीजिये....

श्री देवीदत्त गाड़िया : बाधा पड़ रही है, उपाध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य जोर जोर से बोल रहे हैं। आप नाहर साहब की बात सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : नहीं, सुन रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान की ६७–६८ की फीगर्स उपलब्ध हैं। उनके अनुसार कुल बोई हुई जमीन ३ करोड़ ७५ लाख एकड़ है। उसमें से सिंचित के आंकड़े जो उपलब्ध हैं उनके अनुसार मेरे खयाल से कमान्ड ऐरिया में ७५ लाख एकड़ सिंचित जमीन है। इसके माने यह है कि २॥। करोड़ एकड़ जमीन पर वे लोग हैं जो कि नेचर के ऊपर डिपेण्ड करते हैं और फिर हम उनको लैण्ड का अलाटमेन्ट कर रहे हैं। बैंकों के द्वारा हम पैसों की उपलब्धि कराकर कुए खुदवाने के लिए पांच–पांच हजार रुपये लोगों को दे रहे हैं। मैं नहीं कहता कि यह व्यवस्था नहीं हो। हमारे यहां देश में ८२ परसैन्ट व्यक्ति ऐसे हैं कि जो काश्त पर डिपेण्ड करते हैं और आप फिगर्स देखेंगे तो मालूम होगा कि पर–कैपिटा सिंचित क्षेत्र है ०९ हैक्टर। याने इसका मतलब यह है कि एक काश्तकार के पीछे जमीन केवल एक एकड़ से भी कम सिंचित है और उसको वह पांती में आती है जब कि हमारा अनुमान यह है कि अधिक सिंचित क्षेत्र जहां नहरों के द्वारा सिंचाई होती है एक तो पेरेनियल है दूसरी वह है कि मैं जिनको बांध नहीं कहता, जो प्रोजेक्ट की तारीफ में भी नहीं आती जैसे मेजा बांध है, सरेरी बांध है, जिनसे

(श्री यशवन्त सिंह नाहर)

रबी की फसल होती है और बरसात हो गयी तो सारी फसल नष्ट हो जाती है। तो २॥। करोड़ एकड़ जमीन पर ऐसे लोग हैं कि जो कुदरत के ऊपर आधारित हैं और कुदरत पर जी रहे हैं और जब लोग कुदरत के आधार पर जी रहे हैं तो कुछ जिलों को छोड़कर जैसे भरतपुर, अलवर और सवाई माधोपुर हैं जहां कि बाढ़ के द्वारा फसल नष्ट होती है और कोटा बूंदी को छोड़कर बाकी सब जगह केवल कुदरत की वजह से शाखें सूखी हैं, आल इन्डिया एक्ट आफ सेम्पल सर्वे के अनुसार हमारे काश्तकार की इन्कम ४० पैसा प्रति व्यक्ति प्रति दिन है। मेरे सामने वह नक्शा भी है, हमारे यहां गावों में चले जाइये हरिजन और आदिवासियों के काफी घरों में जिनकी २८ परसेन्ट जनसंख्या है उनमें से काफी लोगों की हालत ऐसी है कि जिनके घरों में ताले नहीं लगते। जब जब मैंने घरों में ताले लगे नहीं देखे तो मुझे खुशी हुई कि शायद अशोक का साम्राज्य होगा लेकिन अशोक का साम्राज्य नहीं मिला उनके घरों में और उनके पास न तो शाम के खाने का अन्न है और न एक पहनने के अलावा दूसरा कपड़ा ही है और मिट्टी के बरतनों के सिवाय दूसरे बरतन वहां देखने को नहीं मिले। तो काफी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं और उनको हम भूमि अलॉट करते हैं। लेकिन अलॉटमेन्ट आफ लेण्ड में पंचायत समितियों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा उनको ५०० रुपया तक हमने दिया था कुए खोदने के लिये। जब उसने शुरु किया तो उस कुए के अन्दर ५ फीट और ६ फीट में ही ५०० रुपया खर्च हो गया - नैक्स्ट ईयर देखा तो उस काश्तकार के पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था क्योंकि वह जमीन बकायात की वसूली के लिये जो कि साहूकार ने उसको बीज और खाद के लिये दिये थे, उसने ले ली थी। ऐसी अवस्था में ८२ परसेन्ट लोग जो हमारे यहां काश्त करते हैं उनमें १० परसेन्ट काश्तकार ऐसे होंगे जो कि कृषि के द्वारा अपनी सम्पति प्राप्त करते है और बाकी के करीब ७० परसेन्ट वह हैं कि जिनको दो टाइम भोजन मुहैय्या नहीं होता। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसके पहले कि हम हल्ले में अपना हल्ला मिलायें, लैण्डलेस को लेण्ड का अलॉटमेन्ट करें, हमें ऐसी योजना बनानी चाहिये कि जिससे लोगों का वास्तव में भला हो। क्या राजस्थान में इस जमीन का अलॉटमेन्ट करके राजस्थान का कोई हित कर रहे हैं या हम दीनता का अधिक से अधिक वितरण करने की तैयारी कर रहे हैं? मैं मानता हूं कि राजस्थान केनाल के नीचे, गंग केनाल के नीचे या जितने अन्य प्रॉजेक्ट्स बने हैं उनके कमाण्ड एरिया में हरिजनों को लैण्ड अलॉट की जायेगी तभी उनका हित होगा अन्यथा हम गरीबों को और गरीब बनाते जायेंगे और जब तक हम कोई योजना बनाकर इनको नहीं लगायेंगे तब तक कोई लाभ नहीं होगा!

मैं यहां पर रीजनल इम्बेलेन्सेस की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना नहीं चाहता हूं लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनको कहे बिना हम अपनी बात अधूरी रखेंगे। सिंचाई के मामले को लेकर बहुत बड़ा खर्चा नहरों पर और नर्बदा घाटी परियोजना, राजस्थान कैनाल पर, भाखरा पर या अन्य दूसरी केनाल हैं उन पर कर रहे हैं। उनके तहत ऐसा कहा जाता है कि शायद ३० लाख एकड़ जमीन सिंचित हो। आज इन प्रोजेक्ट्स के

Page No. 78

(श्री यशवन्त सिंह नाहर)

लिए जितना पैसा मिल रहा है उस पैसे को लेकर ७ करोड़ रुपया हमें ब्याज का देना पड़ता है। इस सदन में काफी चर्चा हुई है कि राजस्थान कैनाल के पीछे ६॥ करोड़ रुपये साल के ब्याज के रूप में सारे राजस्थान को देने पड़ते हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि राजस्थान नहर का वह इलाका नहीं बने लेकिन अगर हमें एक निर्णय करना है और वह निर्णय यह करना है कि राजस्थान में आफ्टर आल यहां की जनता को किस आधार पर पैसा देना चाहते हैं उनके साधन के लिए क्या हमारे पास है या ८२ परसेन्ट से काश्तकारों का नम्बर बढ़ाकर ९० या ९५ परसेन्ट करना चाहते हैं। तो जब तक राजस्थान कैनाल, नर्बदा वैली प्राजेक्ट्स, माही प्राजेक्ट या इसी तरह के पेरेनियल प्राजेक्ट्स हमारे पास हैं और उनके द्वारा एश्योर्ड इरीगेशन नहीं मिले तब तक लैण्ड अलाटमेन्ट के लिए हमें निश्चित मत से सोचना पड़ेगा कि लैण्ड अलाटमेन्ट करके क्या हम गरीबी का अधिक वितरण तो नहीं कर रहे हैं ? आपके लेटेस्ट फिगर हैं और उसमें कुल मिलाकर मैनेजीरियल स्टाफ और लेबर स्टाफ को लेकर केवल ७७ हजार के करीब आदमी आज तक काम में लगे हुए हैं। २ और २॥ करोड़ की आबादी में से केवल इन्डस्ट्रीयल आउटपुट है वह ७७ हजार के करीब है। बहुत बड़ी संख्या है। जैसा मैंने निवेदन किया है कि ८२ परसेन्ट लोगों में से जिनके लिए खेती लाभदायक सिद्ध हो सकती है वह है १० परसेन्ट लोग। और फिर गत वर्ष जब ५८ से ५५ साल की उम्र सरकारी कर्मचारियों की कर दी गयी तब राजस्थान सरकार ने एक सरकूलर निकाला कि जिन लोगों को पेन्शन दे दी गई है उन लोगों को जमीन अलॉट की जायगी। जमीन अलॉट भी हुई उनको। सब जगह हुई। सेवा निवृत्त राजस्थान राज्य कर्मचारियों पर हमने दया करके उनको अलॉटमेन्ट किया। वह जमीन के अलॉटमेन्ट से नये बिचौलिये बन गये। पेन्शनयाफ्ता एक भी आदमी आज खेती नहीं करता है। उनके द्वारा फिर भी लैण्डलैस काश्तकार को खड़ा करके खेती की जा रही है। तो कुछ योजना होनी चाहिए।

इसके अलावा इन्डस्ट्री पर जाते हैं तो इन्डस्ट्री के ऊपर १ हजार की लागत के पीछे एक आदमी को धंधा मिलता है। राजस्थान की इतनी बड़ी आबादी के पीछे इतने बड़े धन की आवश्यकता है कि हम उनकी उन्नति में लगा सकें और उनको नये उत्पादन के मीन्स दे सकें। इसके लिए बहुत बड़े धन की आवश्यकता होगी। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके पहले कि हम कोई चीज लें, एक तूफान आया था सन् ५२ में कि खाद का गड्ढा खोदो और जो खाद का एक गड्ढा खोदेगा उसको एक रुपया दिया जायेगा ईनाम का। यह हमारे भीलवाड़ा जिले में हुआ। वैज्ञानिक गड्ढों का तूफान सारे राजस्थान में मचा था और उसके लिए पैसे का वितरण भी हुआ था। जहां पर जितना पैसा वितरण हुआ, उससे मैं मानता हूं कि राजस्थान की जमीन का एक अंश भी बाकी नहीं रहता। वह फिगर्स मेरे पास हैं लेकिन मैं उन्हें सदन के सामने इस समय प्रस्तुत नहीं कर सकता। मैं समझता था कि इतने गड्ढे होंगे कि वह जमीन गड्ढों से भर जायगी लेकिन जब देखा तो वहां गड्ढे थे ही नहीं।

सैकिण्ड तूफान आया बीज तूफान। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन लाना था इसलिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट की तरफ से खाद और बीज का

(श्री यशवन्त सिंह नाहर)
वितरण किया गया और वह पंचायतों में फेंक दिया गया। पता नहीं किसी के पास पहुँचाया नहीं। पंचायतें ही उसके लिये जिम्मेदार हैं। तो इस तरह की कुछ योजनायें यहां पर चल रही हैं जिसके द्वारा निर्णय करना है....

श्री **विजयसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम....

श्री **यशवन्तसिंह नाहर** : उसके बाद में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें लॉ विभाग के ६० हजार रुपयों का प्रावधान ऐसा है कि जो डिक्रियों के सम्बन्ध में पेमेन्ट का है। सिविल प्रोसीजर कोड में एक प्रावधान है दफा ८० का कि राज्य सरकार को यों मानो कि उसके खिलाफ दावा मत करो, लेकिन कभी-कभी यह सुनने को मिलता है कि राज्य सरकार लिमिटेशन्स का तो कभी लाभ लेती ही नहीं। मुझे मालूम है एक बहुत बड़े कर्जे का जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के आधार पर सरकार द्वारा लिमिटेशन्स का लाभ नहीं लिया गया है और उन्होंने कर्जे की बिना दावे के भुगतान की है, ६० हजार की डिग्री का भुगतान किया है। मुझे कहीं देखने को नहीं मिला कि राजस्थान सरकार ने कोई दावा लड़ा हो और उसमें उसको खर्चा मिला हो और न कहीं यह बताया गया है। इसके मायने यह है कि उसने दो महीने के नोटिस का लाभ नहीं लिया। मैं भी एक वकील रहा हूं और मैं इस सदन को यह बता देना चाहता हूं कि मैंने भी अपनी वकालत की जिन्दगी में कम से कम २००० नोटिस दिये होंगे। इस राज्य सरकार से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि या तो सिविल प्रोसीजर कोड में जो यह प्रावधान है दो महीने के नोटिस का वह उठा लिया जाय या कम से कम लॉ डिपार्टमेंट की ओपीनियन को माना जाय जिसके आधार पर सरकार को फिजूल का खर्चा न उठाना पड़े। लेकिन यह नहीं हो रहा है। न राजस्थान सरकार किसी नोटिस का जवाब देती है और न राजस्थान सरकार को इस तरह का कोई भुगतान करने की आवश्यकता पैदा होती है जब तक कि दूसरे पहुँच करें और इसके सम्बन्ध में निर्णय न करें। इसलिए, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस तरह का निर्णय अगर आप करना चाहते हैं, इस तरह से आप तय कर लें, कि दो महीने के नोटिस का आपकी सरकार को निश्चित निर्णय लेना है तो सरकार पर जो खर्चा उठाना पड़ता है, जैसे मान लें एक प्राइवेट व्यक्ति पर पांच हजार की डिक्री होती है तो उसको ५००) रु० का खर्चा फिजूल उठाना पड़ता है, उसी प्रकार ५००) रु० का लिटिगेशन का खर्चा सरकार के माथे पर न पड़े, और अगर यह पड़ता है तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि सरकार का संबंधित अधिकारी उसके लिये जिम्मेदार है। लीगल ओपीनियन डिफर हो सकती है। प्राइमा फेसी कुछ केसेज ऐसे होते हैं कि जिनमें पहले जवाब नहीं देते हैं। उसके मायने यह है क्लियर कट कि राजस्थान सरकार केवल दावों में इन्टरेस्टेड है और केवल दावों में इन्टरेस्टेड इसलिए है कि वह किसी की ओपीनियन लेना नहीं चाहती है, और अगर ओपीनियन है और प्राइमाफेसी गलत है तो खर्चे का भार उस अधिकारी पर पड़े। मुझे मालूम है लेकिन मैं इस सदन में नहीं कहना चाहता हूं। मेरे एक मित्र गवर्नमेन्ट वकील हैं। मुझे भी एक मौका अपनी जिन्दगी में मिला था राजस्थान सरकार की सन् ५६ में

(श्री यशवन्त सिंह नाहर)

वकालत करने का। उसकी फीस का बिल बनाकर भेजा लेकिन उसका भुगतान आज तक नहीं मिला। तो मेरे एक वकील मित्र थे जिनका कि देहान्त हो गया, वे गवर्नमेंट एडवोकेट थे। उन्होंने ९२ मुकदमों के बिल बनाकर पेश किये थे लेकिन वे बिल इस सरकार के यहां जाकर अन्धकार में पड़ गये। वहां पर हर व्यक्ति की एक ही आवाज आती है और यह कहा जाता है कि प्रोसेस में है। कहीं पर कागज नहीं पड़ा है, और उनका पेमेन्ट नहीं हो रहा है।

श्री विजयसिंह : आप ऐसी सरकार में क्यों बैठे हैं ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं और आप भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं। जैसे जिम्मेदार आप हैं वैसा ही मैं जिम्मेदार हूं, और आज जो इस तरह के समाज का निर्माण हो रहा है उसके लिए विरोधी पक्ष यह कहे कि हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं तो मैं यह नहीं मानता।

श्री विजयसिंह : आप नाक़ाबिल हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं नाकाबिल नहीं हूं और ना आप नाकाबिल हैं। कौन नाकाबिल है इसका निर्णय कौन करे।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर जिले में जो सत्याग्रह हो रहा है, जिसको यहां पर सत्याग्रह कहा जाता है, उसके सम्बन्ध में निवेदन कर दूं इस सदन में और इस सदन में पहले भी निवेदन किया था कि जनतन्त्र में क्या यह तय करना सम्भव है कि पब्लिक प्रोटेस्ट किस सीमा तक रहे ? इस सदन में कल और परसों जो बड़े जोरों से कहा गया कि उधर के माननीय सदस्य प्रोफेसर केदार, जिनको हम बहुत बड़े सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, वे भूख-हड़ताल किये हुए बैठे हैं, तो फिर इस सदन के प्लेटफार्म को छोड़ दें। उसकी आवश्यकता नहीं है। जनतन्त्र इमोशनलिज्म पर नहीं चलता है, जनतन्त्र नेशनेलिज्म पर चलता है। उस दृष्टि से हर चीज का निर्णय होगा तब तो जनतन्त्र चलेगा। इसलिए आप और मैं समान रूप से दोषी हैं। आप उधर बैठें या मैं उधर बैठूं तो भी इस दोष से मुक्त इसलिए नहीं हो सकते हैं कि हमारा समाज किस ढर्रे पर जा रहा है यह नहीं देखते।

मैं यह चीज इस सदन के सामने रखना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार पंचायत राज में जोरों से बढ़ गया है उस आरोप को मैंने सुना। मैं यह पूछना चाहता हूं इस सदन की मारफत कि आप और हम क्या चोर नहीं हैं ? आप और हम अपने आपको बचाना चाहते हैं यह कह कर कि हम चोर नहीं हैं और उन व्यक्तियों को दोष दिये जा रहे हैं। आज देश में जनतन्त्र का डिसेन्ट्रेलाइजेशन हो गया है जिसके आधार पर ७ लाख भारतवर्ष के गांव उन्नति कर पायेंगे। उनको यह कहने वाले कि वे चोर हो गये है अपने आप से मुकर जाते हैं। अपना पेट भरने के लिए अगर कोई आदमी कुछ करता है सह रास्ते से तो कल आप कहेंगे कि चोर हो गया इस तरह से पंचायती राज समाप्त होगा। आज दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान में जो बात हो रही है उससे पंचायती राज बिल्कुल खोखला बना हुआ है। और मैं यह समझता हूं कि जिला परिषद् के प्रमुख की

(श्री यशवन्त सिंह नाहर)

हैसियत से जब यह सोचता हूं तब एक चीज मेरे ध्यान में आती है कि सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड था मेवाड़ में जो कि साल में २-३ दफा बैठकर मिला करता था और वह सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड राय देता था कि हुजूर की सेवा में निवेदन है कि भीलवाड़ा से उदयपुर तक सड़क बना दी जाय और आज जिला प्रमुख के नाते इतना भी नहीं कर सकते हैं। उसकी राय की कोई कीमत नहीं है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको और हमको सोचना पड़ेगा कि पंचायती राज जिसकी हमने स्थापना की है और नागौर से इस दीपक का प्रकाश फैलाया है तो उसका हमें कहीं न कहीं निर्णय करना पड़ेगा ताकि आप और हम उस आधार पर मिलें, लेकिन इस बात को लेकर कहते हैं कि पंचायती राज्य से गांव-गांव में कांग्रेस का गढ़ बन गया है तो मैं आप से आज निवेदन कर देना चाहता हूं और उस रोज भी मैंने निवेदन किया था कि आज कांग्रेस के विघटन के बाद और सन् ६७ के चुनावों के बाद कोई भी यह दावा नहीं कर सकता है कि किस का राज्य रहेगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ठीक बात है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इसलिए हमको निश्चित रूप से यह तय करना पड़ेगा कि पंचायती राज्य हमारे राजनैतिक तन्त्र के लिए, जनतन्त्र की स्थापना के लिए कहां तक आवश्यक है। यह मत कहिये कि कांग्रेस इसमें हैं, यह मत कहिये कि चोर भरे पड़े हैं, यह मत कहिये कि पंचायती राज्य किस तरह से गांवों में विघटन पैदा कर रहा है या पोलिटिकल फाइट्स पैदा कर रहा है। इसके ऊपर बैठकर जनतन्त्र के हित में निर्णय करें, और जनतन्त्र के हित में जब तक निर्णय करें तब तक इसके ऊपर उठकर गुणों के आधार पर उसका विश्लेषण करना होगा।

तो मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कि जो यहां पर बैठे हुए हैं और चूंकि इसका जिक्र किया था कि एक किताब मुझे देखने को मिली है; मैंने पहले भी निवेदन किया था इस सदन में कि इतना बड़ा अन्धकार कैसे चल रहा है, यह केवल राजस्थान में ही देखने को मिला है। मैंने भूगोल के एक एटलस में देखा है कि उसमें ५ डिविजन हैं राजस्थान के। मेरे ख्याल से वे ५६ से ही गायब हो गये हैं, लेकिन उसमें है कि राजस्थान के ५ पोलिटिकल डिवीजन्स हैं। हैं क्या? आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं। चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं कक्षा में वह एटलस पढ़ाया जाता है। जब जिला प्रमुख की हैसियत से मैं इन्टरव्यू लेने बैठता था प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स की तो मैं पूछता था कि राजस्थान के जिले कितने हैं बताओ, तो मुझे कहते थे कि पांच जिले हैं। फिर पूछता कि नाम बताइये तो कहते थे उदयपुर, जयपुर, कोटा इस तरह के हैं। मैं कहता कि ये क्या हैं ये तो डिवीजन हैं। ५६ में डिवीजन खत्म हो गये। अगर आप उस किताब को देखें तो उसमें आज भी राजस्थान के पांच डिवीजन दे रखे हैं और उन डिविजन्स के जिले और तहसीलें बता रखी हैं। वह आज भी पढ़ा रहे हैं, यह आश्चर्य की बात है। एक मेरे भाई का बच्चा ७ वीं में पढ़ता था। वह आकर पूछने लगा कि सहाड़ा कहां है? मैंने कहा कि सहाड़ा भीलवाड़ा जिले में कहां है?

(श्री यशवन्त सिंह नाहर)

उसने एटलस निकाल कर दिखाई तो लिखा हुआ है, भीलवाड़ा की एक तहसील है। दूसरी तहसील मांडल है। यह कहां से आयी ? इसी तरह से निम्बाहेड़ा। नीम्बा माने आधा, हेड़ा माने बहरा। तो कहने लगा कि यह हमारे यहां की तहसील का नाम है। दुर्भाग्य यह है कि एटलस को लिखने वाला अंग्रेजी वाला था, उसने उसका इस तरह का अनुवाद कर दिया।

एक माननीय सदस्य : श्री बरकतउल्ला खां के टाइम में हुआ होगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : डिप्टी मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के। उनके गांव का उसमें नाम था, बेगुन।

कुछ माननीय सदस्य : बेगूं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : बी ई जी यू एन था। क्योंकि ऊपर अनुस्वार लगता है। लेकिन अंग्रेजी में उसका बेगुन कर दिया। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि हरिजनों और आदिवासियों को जमीन अलॉट करना है तो उनको कमाण्ड एरिया में दीजिए ?

एक माननीय सदस्य : पहले आपने शिकायत की थी।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : नहीं, नहीं। मैंने यह नहीं कहा। राजस्थान में जिस प्रकार की एश्योर्ड इरिगेशन है, उसकी बात करिये। एक बात करिये जैसा मध्यप्रदेश और गुजरात में हो रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूं एक कुवा खुदवाया। अगर पानी निकल जाये तो काश्तकार से चार्ज कर लें। अंधेरी जमीन में कुओं के लिये कर्जा देना बेकार है। वह कर्जा भरपाई नहीं होगा। आप राजस्थान के करोड़ों लोगों की आर्थिक हालत संभालना चाहते हैं लेकिन यहां आप देखते हैं, ४० पैसे की कहीं उनको मजदूरी मुश्किल से मिलती है। तो एक ही रास्ता है कि कृषि के साधन को अपनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री जयनारायण सालोदिया : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की ६९-७० की अनुपूरक अनुदान की मांगें आज विचारार्थ प्रस्तुत की गई हैं, उनके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनमें से कई मांगें ऐसी हैं जो उस खर्चे से संबंधित हैं जो टाले जा सकते थे। राज्य सरकार ने जो अनाप-शनाप खर्चा किया है और उसकी मंजूरी जो राज्य सरकार विधान सभा से लेने जा रही है उसके विरोध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुपूरक अनुदान की मांगें सरकार ने प्रस्तुत की हैं, इनमें से कुछ मन्त्रियों को गाड़ियों व मन्त्रियों के टेलीफोन पर खर्चा दिखा कर करीब ५ लाख की अतिरिक्त खर्चे की मांगें हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां राजस्थान में एक तरफ तो अकाल पड़ा हुआ है, भूखमरी है, लोगों को रोटी नहीं मिलती है, कपड़ा नहीं मिलता है, वहां दूसरी तरफ हमारे आराम के लिए क्या-क्या किया जाता है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या पहले ही हमारे गेरेज में गाड़ियों की कमी थी जिससे कि और गाड़ियां खरीदीं ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक हद तक मैं वाजिब मानता हूं लेकिन आज हम देखते हैं कि स्टेट गेरेज की गाड़ियों की हालत क्या है।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(२.०६ म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभानेत्री, पदासीन)

पान लाने के लिए, हजामत बनवाने के लिए, शराब खरीदने के लिए इनका उपयोग किया जाता है और सिनेमा के दरवाजे पर स्टेट गेरेज की गाड़ियां खड़ी रहती हैं। इसी तरह से मन्त्री महोदय की गाड़ियों को देखें। यह समाजवाद क्या समाजवाद से निम्नस्तर का वाद है। प्रत्येक गरीब और भूखी जनता की जेब से जबरदस्ती पैसा निकलवायें। उस पैसे से अनापशनाप खर्चा किया जाए। टेलीफोन पर अनापशनाप पैसा जाता है। मेरी समझ में नहीं आता है, सभानेत्री महोदया, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्रियों की यह जो प्रवृत्ति बढ़ रही है यह समाजवाद तो नहीं लायेंगे लेकिन इससे एक ऐसी स्थिति आ रही है कि लोग मन्त्रियों की गाड़ियों को सड़कों पर निकलने नहीं देंगे। आप सिनेमा का शौक फरमाने के लिए गाड़ियां लिये फिरते हैं। (हियर-हियर) क्योंकि सारा पैसा गरीब जनता की जेब से निकलता है। आप अपनी जेब से भुगतें तो आप को मालूम हो। जनता का पैसा ऐशो आराम पर खर्च किया जाता है।

माननीय सभानेत्रीजी, इसी तरह से टेलीफोन का खर्चा भी इसमें दिखाया है। मैं देखता हूं, कभी-कभी बदकिस्मती से मन्त्रियों के यहां जाना पड़ता है। तो मैं देखता हूं टेलीफोन का किस तरह से उपयोग होता है। उनके नोकर, बीबी, बच्चे और चपरासी तक किस प्रकार से टेलीफोन का दुरुपयोग करते हैं। टेलीफोन पर रंगरेलियां भी होती हैं। टेलीफोन पर औरतें बातें करती हैं।

एक माननीय सदस्य : टेलीफोन पर रंगरेलियां किस तरह की होती हैं?

श्री विजयसिंह (मकराना) : आप के कहने का मतलब है कि रंगरेलियों का अपाइंटमेंट होता है।

एक अन्य माननीय सदस्य : आप तो रोज करते हैं फिर क्यों पूछते हैं?

श्री जयनारायण सालोदिया : कोई भी वाजिब काम लेकर जाता है तो कहते हैं अर्थाभाव के कारण नहीं कर सकते हैं। क्या उनका प्लान है? क्या उनकी बात है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ करोड़ रुपयों के लिए २५ हजार आदमियों को निकाल दिया। उनसे कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, तनख्वाह चुकाने के लिए इसलिए आपको निकालते हैं नौकरी से। दूसरी तरफ माननीय मंत्रियों पर इस तरह का नाजायज, बिल्कुल वाहियात खर्चा हो। इस खर्च के लिए, सभानेत्री महोदया, मैं आपकी मार्फत माननीय राज्य मंत्री जी वित्त से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रियों पर जो बढ़ा हुआ खर्चा होता है, जो मंत्रियों की फौज बढ़ा दी है, चालीस मंत्रियों की पल्टन खड़ी कर दी है–उसके खर्च पर कंट्रोल करिये, उनके खर्च पर आप सीलिंग लगाइये कि अमुक मात्रा में मंत्री और उप-मंत्री पेट्रोल खर्च करेगा, अमुक मात्रा में मंत्री और उप-मंत्री टेलीफोन कर सकता है, अमुक मात्रा में मंत्री और उप-मंत्री गाड़ी में घूम सकेगा, अमुक कन्डीशन की गाड़ी मंत्रियों के पास रहेगी। आज तो मंत्रियों ने राजा और नवाबों को भी

(श्री जयनारायण सालोदिया)
मात कर दिया है। एक गाड़ी चौबीस घण्टे उनकी ड्यूटी पर रहती है, दूसरी गाड़ी टूर पर जाती है, तीसरी गाड़ी उनके स्टाफ के लिए जाती है। आज जब मंत्री टूर पर जाते हैं तो जैसे राजा महाराजा की सवारी निकलती है यह कहां का समाजवाद है, यह कहां का प्रजातंत्र है ? देश को आज आप किधर ले जा रहे हैं ? आज गरीब जनता के ऊपर आप बोझ बन कर बैठे हैं फिर भी सोचते हैं कि देश की....

श्री विजयसिंह : देश को डुबा कर छोड़ेंगे। देश का बेड़ा गर्क कर दिया है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर) : यह ऐसे कहने से नहीं मानेंगे। इनके बंगले घेर लो तब मानेंगे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : बहुत दिन से आये हैं आप।

श्री रामचन्द्र आर्य : तब इनकी अक्ल ठिकाने आयेगी।

श्री मूलचन्द डागा : आपका स्वभाव गैर कानूनी काम करने का है।

श्री रामचन्द्र आर्य : सरकार गैर कानूनी काम करती है तो जनता को गैर कानूनी काम करने का अधिकार है।

श्री मूलचन्द डागा : सरकार गैर कानूनी काम करती नहीं है।

श्री विजयसिंह : गैर कानूनी कार्य क्या करे, सरकार है ही नहीं।

श्रीमती सभानेत्री : आप अपना भाषण जारी रखें। इनको डिस्टर्ब न करें।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो साहब इन्टरप्शन बराबर करते हैं।

श्रीमती सभानेत्री : ऑर्डर ऑर्डर !

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : इनको समझा दीजिये।

श्री जयनारायण सालोदिया : सभानेत्री महोदया, मै आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को यह महसूस करना चाहिए कि उनके हाथ में राजस्थान सरकार है, राजस्थान के लोगों का भाग्य निर्माण करने का कार्य उनके हाथ में है, राजस्थान के लोगों की सेवा करने का संकल्प उसने लिया है, राजस्थान की बहबूदी करने का कर्त्तव्य उनके सामने है फिर भी वह सरकार इस तरह अपनी सारी जिम्मेदारियों को बलाये ताक रख कर बिल्कुल मदान्ध की स्थिति में होकर, अपनी सारी जिम्मेदारियों को भूल कर एक ऐशो इशरत की स्थिति में चली जाय तो इस सरकार को सरकार नहीं मानता हूं। यह सरकार सरकार नहीं हैं, न यह सरकार सरकार कहलाने के लायक है, न इस सरकार को राज्य करने का अधिकार है। आज देश के अन्दर लोग एक तरफ दाने-दाने के लिए मोहताज हैं, एक तरफ दवाइयों के लिए मोहताज हैं, एक तरफ ओला वृष्टि से जनता त्राहि-त्राहि कर रही है फिर भी उसका क्रन्दन न सुन कर यह सरकार ऐशो इशरत, आराम के अन्दर गाफिल हो रही है। इसको मालूम नहीं है कि आज क्या हो रहा है राजस्थान में। ऐसी सरकार सरकार कहने के लायक नहीं है। यह ऐसी निकम्मी सरकार है। यह सरकार कतई सरकार कहने के लायक नहीं है। इसको राज्य करने का अधिकार नहीं है, यह निकम्मी सरकार है....

श्री विजयसिंह : हिग्रर हिग्रर !

श्री जयनारायण सालोदिया : सभानेत्री महोदया, इसी तरह एक दूसरा खर्चा ग्रौर दिखाया है गैराज में पांच लाख की गाड़ियां ग्रौर खरीदी हैं। मैं माननीय राज्य मंत्री वित्त से निवेदन करना चाहता हूं, यह कौनसी गाड़ियां हैं। एक खर्चा तो ग्रापने दिखाया है पहले चार लाख के करीब मिनिस्टरों की गाड़िग्रों पर, दूसरा खर्चा फिर ग्रापने दिखाया है विभाग में-३ लाख ४३ हजार गाड़ियों की मरम्मत के लिए ग्रौर दो लाख की गाड़ियां खरीदीं। यह कौनसी गाड़ियां हैं ? ग्रापने दो बार खर्चा दिखाया है। मुझे जहां तक जानकारी है, यह गाड़ियां शायद ग्रापने गंगानगर ग्रान्दोलन के लिए खरीदी हैं। गंगानगर ग्रान्दोलन पर कंट्रोल पाने के लिए, या कैदियों को इधर से उधर भेजने के लिए ग्रापने खरीदी हैं। ग्राप जानते हैं, ग्राप एक जन-ग्रान्दोलन के लिये लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, जन-ग्रान्दोलन को दबाने के लिए खर्च करते हैं, दूसरी ग्रोर उनकी मांग को सुनते नहीं हैं, जनता को वाजिब सहूलियत देते नहीं हैं ग्रौर उनके ग्रान्दोलन को दबाने के लिए रुपया खर्च करते हैं जब कि उस ग्रान्दोलन में जनता टैक्स का विरोध कर रही है ग्रौर टैक्सों का विरोध करने के लिए हजारों की तादाद में लोग जेलों में गये हैं, महीनों तक जेलों में सड़ी है, जनता जो भूखों मर रही है-उसकी ग्राप सुनवाई नहीं करते हैं ग्रौर उस जन-ग्रान्दोलन को कुचलने के लिए, उसको दबाने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए ग्राप गाड़ियां खरीदते हैं ग्रौर वह भी जनता के टैक्स के पैसे से खरीदते हैं-यह कहां का वाजिब न्याय है ? यह बिल्कुल निम्न स्तर की बात है जो कि किसी भी वाजिब सरकार को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जन-ग्रान्दोलन को कुचलने के लिए जनता के पैसे से गाड़ियां खरीदें ग्रौर उनकी वाजिब मांगों को नहीं सुनना चाहें-यह न्यायसंगत नहीं है। यह इस तरह से गाड़ियां खरीदीं जैसे कोई चीन ग्रौर पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी जा रही हो। जो गाड़ियां खरीदीं वह उस टाइम पर नहीं खरीदीं जब देशों ने चिढ़ाई की। ग्राज निरीह जनता के ग्रान्दोलन को निर्मम रूप से दबाने के लिए गाड़ियां खरीदीं। ग्रौर उस पैसे को टैक्स के रूप में जनता से लेना चाहते हैं। यह गैर वाजिब खर्चा है, नाजायज खर्चा है ग्रौर यह किसी भी सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है। यह लज्जा की बात है, डूब मरने लायक बात है।

माननीय सभानेत्रीजी, इसी तरह से मंत्री जी का विभाग है लौटरी डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट के लिए कुछ पैसा मांगा है। मेरी समझ में नहीं ग्राता, यह लौटरी डिपार्टमेंट क्या है ? मैं तो इसको सीधे मायने में जुग्रा कहता हूं। ग्रौर यह मैं ही नहीं, हिन्दुस्तान के ग्रौर राजस्थान के सभ्य नागरिक इसको जुग्रा कहते हैं। उसमें फर्क यह है कि यह जुग्रा सरकार खेलती है, इसमें सरकार लोगों की जेबों से जबर्दस्ती पैसा निकालती है इसलिए सरकार इसको जुग्रा नहीं मानती है। लेकिन बात वही की वही है। इस तरह से यह सरकार जुग्रा खेलने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है, उनकी जेबों से जबर्दस्ती पैसा निकालती है। इस तरह से लौटरी की मार्फत सरकार जबर्दस्ती लोगों की जेबों से रुपया निकलवाती है ग्रौर उनका खर्च करवाती है। माननीय सभानेत्रीजी,

(श्री जयनारायण सालोदिया)

लौटरी का प्रकोप जयपुर के अन्दर इतना है कि सारे शहर के और दूसरे बड़े-बड़े शहरों के कौने-कौने पर, सड़क-सड़क पर, हर दुकान के सामने लौटरी-लौटरी–इस तरह का बवण्डर होता है। न सोने देते हैं, न उठने-बैठने देते हैं। पोस्टर में इस तरह का आकर्षण दिखाते हैं कि हरे-हरे नोट के बण्डल पड़े हैं, जैसे वह मंत्री महोदय की जेब से ही निकल रहे हों और किसी को मिल रहे हों....

श्री विजयसिंह : ठग विद्या है।

श्री जयनारायण सालोदिया : इस तरह के आकर्षण दिखा-दिखा कर लोगों की, गरीब लोगों की जेब से पैसा निकलवाते हैं। कई लोगों की तो आदत इस तरह की हो जाती है। कई लोग मुझसे कहते हैं, हम तो मजबूर हैं, हर महीने दस-बारह रुपये के लौटरी के टिकट खरीदने पड़ते हैं क्योंकि केवल राजस्थान की ही लौटरी नहीं है, कई स्टेटों की लौटरी है, इस स्टेट की, उस स्टेट की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के लिये यह बिल्कुल खराब धन्धा है। इससे तो अच्छा है कि आप किसी प्रकार का और टैक्स लगा दें। यह लौटरी तो खाली जुआ है। आज हर गली में, हर सिनेमा के दरवाजे पर, हर सड़क पर इस तरह का बाजार लगा रहता है। वहां पर लोग लाउड स्पीकर से चौबीस घन्टे चिल्लाया करते हैं, न उनके ऊपर कोई कन्ट्रोल है, न उनकी भाषा के ऊपर कोई कन्ट्रोल है, न सरकार का लौटरी के एजेन्टों पर कन्ट्रोल है। वह जिस भाषा का उपयोग करके जिस तरह से जनता की जेब से पैसा निकालते हैं, उनको उस तरह निकालने के लिये छूट दे दी है। सड़क पर कहीं भी खड़ी लगा कर बैठ जाते हैं इसकी उनको छूट है। चौबीस घण्टे लाउडस्पीकर लगाने की उनको छूट है। इस तरह की छूट देकर आज जनता की लूट हो रही है। आप महरबानी करके इसको रोकिये। आज लौटरी को जो बढ़ावा दिया है, यह खाली जुआ है। इसको महरबानी करके बन्द कर दीजिये राजस्थान के अन्दर।

माननीय सभानेत्री महोदया, इसी तरह से पंचायत-चुनाव की तैयारी करने के लिये जो खर्चा हुआ है उसको मांगा है। माननीय सभानेत्रीजी, बारह लाख के करीब यह खर्चा हुआ है। बार-बार हमारे यहां राजस्थान में पंचायत और नगरपालिका के चुनाव की तारीख राज्य सरकार द्वारा तय की गई है और राजस्थान सरकार ने बार-बार इन तारीखों को पोस्टपोन किया है। इसमें जनता का क्या कसूर था ? बेचारी गरीब जनता ने क्या किया जिससे आप उसकी जेब से टैक्स लगा कर पन्द्रह लाख के करीब रुपया लेना चाहते हैं ? यह इसलिये करना चाहते हैं क्योंकि आपने पंचायत चुनाव की तैयारी में पन्द्रह लाख रुपया खर्च कर दिया फिर चुनाव नहीं करा सके और इसलिये अब जनता के ऊपर टैक्स लगा कर उसकी जेब से यह पैसा वसूल करना चाहते हैं ? क्या अधिकार है इस तरह करने का ? आपने तारीख तय की और फिर आपने उनको पोस्टपोन किया। जिसका आपके पास कोई कारण नहीं, कोई वह नहीं कि क्यों तारीख तय की और फिर क्यों पोस्टपोन किया ? फिर जनता से क्यों वसूल करना चाह रहे हैं आप—यह समझ में नहीं आता है। जनता ने आपसे आग्रह नहीं किया था कि वह चुनाव के लिये तैयार

(श्री जयनारायण सालोदिया)

नहीं है। इसके साथ-साथ मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, पंचायत चुनाव में पन्द्रह लाख रुपये के करीब सरकार का खर्चा हुआ और पंचायत चुनाव को आखिरी तारीख तक सरकार ने पोस्टपोन नहीं किया इसलिये जो उम्मीदवार चुनाव में खड़े होने वाले थे उन्होंने गाड़ियां किराये पर लीं और इस प्रकार पचास लाख रुपया उन लोगों ने खर्च किया होगा। यह सरकार की अनभिज्ञता के कारण, सरकार की उदासीनता के कारण लाखों रुपया पंचायत चुनाव में खर्च हुआ है। इस पंचायत चुनाव को पोस्टपोन करने की वजह से यह सरकार नाकामयाब साबित हुई है। जनता तो तैयार थी चुनाव कराने के लिए। जनता आज भी तैयार है। चुनाव सरकार नहीं करवाना चाहती है और पैसे का वजन जनता पर डालती है—यह न्यायसंगत बात नहीं है। सरकार ने जो टाइम निश्चित किया था उस पर पंचायत चुनाव हो जाते तो यह बर्डन गरीब जनता पर टैक्स के रूप में नहीं पड़ता। इसलिये जो गलतियां सरकार करे, गलतियां सरकार करे और चुनाव स्थगित आप अपने राजनैतिक कारणों से करें और उसका बर्डन जनता पर पड़े, उसका खमियाजा जनता को उठाना पड़े, यह कतई न्यायसंगत बात नहीं है।

गाड़ियों के करों की चोरी को रोकने के लिये हमने ४० हजार के करीब रुपया मांगा है। गाड़ियों के करों की चोरी को रोकने वाली बात के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह सरकार जहां एक तरफ फिजूलखर्ची में माहिर है, वहां दूसरी तरफ अपने करों की वसूली में इतनी लापरवाह है कि........

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : ऑन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन सर, माननीय सदस्य ने चुनावों को स्थगित करने के कारण करोड़ों का खर्चा होने का कहा यह उनको भ्रम है। इलेक्टोरल रोल्स जब चुनाव होते हैं तो तैयार करवाने पड़ते हैं, यह खर्चा तो अनिवार्य था वह फिजूल नहीं गया है अब जब दुबारा चुनाव होंगे तो वे काम आ जायेंगे, दुबारा नहीं छपवाने पड़ेंगे। दूसरे आपने राजनैतिक कारणों से चुनावों को पोस्टपोन करने का कहा वह सही नहीं है, कान्स्टीट्यूशन के अमेंडमेंट को एन्डोर्स करना था इसलिये पोस्टपोन किये गये। वैसे आप कहने के लिये कहते हैं तो मुझे एतराज नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपको कानून की जानकारी नहीं है। चुनावों की तिथि निर्धारित की तब वोटर लिस्ट छपवाई अब दूसरी तिथि निर्धारित होगी तो फिर वोटर लिस्टें छपवानी पड़ेंगी। इस तरह चुनावों को पोस्टपोन करने से खर्चा होता है। मतदाताओं के नाम घटाने-बढ़ाने का अपना क्रम चलता रहता है, इसलिये वोटर्स लिस्ट्स पुनः प्रकाशित होंगी।

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : रिविजन कर दिया जाता है, दुबारा पुनर्निर्माण नहीं होता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पुनर्निर्माण होता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : करोड़ों का खर्चा मैंने इस तरह बताया कि कुछ खर्चा तो वोटर्स लिस्टें छपवाने में हो गया इसके अलावा पोलिंग एजेन्ट्स मुकर्रर हो गए, पोलिंग देखने चले गये, तहसीलदार और कलेक्टर्स ने दौरे किये, इसमें खर्चा हो गया।..

Page No. 88

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : पोलिंग एजेंट नहीं पोलिंग ऑफिसर होंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया : पोलिंग ऑफिसर। तो इस सब व्यवस्था के अन्दर खर्चा हुआ। इसके अलावा उम्मीदवारों को खर्चा करना पड़ा, उन्होंने गाड़ियां किराये पर लेलीं। सारा कसूर तो आपका, गलतियां सारी आपकी और जनता को उसका दंड भुगतना पड़े यह कहां का न्याय है। यह बात मैंने कही है।

माननीय सभानेत्रीजी, गाड़ियों के करों की चोरी को रोकने के लिये हमने कुछ पैसा मांगा है। मैंने अभी निवेदन किया कि कर हम ठीक तरह से वसूल नहीं कर रहे हैं। जब भी मैं प्राइवेट गाड़ियों में दौरा करता हूं तो टिकट दिया जाता है, वह डुप्लीकेट नहीं होता कॉपी जैसी होती है, उसमें कोई गारन्टी नहीं कि कितनी कॉपियां छपी हैं, उनमें से कितनी कॉपियां बेच दीं और कितनी का टैक्स दिया, इसका कोई इन्द्राज आपके यहां नहीं है। एक ही तरह की कई कॉपियां मोटर मालिक छपवा लेते हैं और आपको कह देते हैं कि हमने यह चार-पांच कापियां छपवाई हैं। उसका आपके पास कोई रैकार्ड नहीं है। इसलिये मेहरबानी करके ऐसी व्यवस्था रखिये कि या तो टैक्स के टिकिट पहले लगा दिये जायं या फिर उन पर आपके कर विभाग की सील लगवाइये, जिससे मालूम रहे कि यह प्रमाणित है और आपको भी मालूम रहे कि इतनी कापियों पर टिकिट लगा कर दिये हैं।

(गला बैठने व खांसने पर विराम)

श्री मूलचन्द डागा : गला बैठ गया है, आपने कॉफी देर तक कह लिया है, अब आप विश्राम कीजिये।

श्री विजयसिंह : यह सरकार को डालडा की व्यवस्था का कसूर है जिसके कारण गला बैठ गया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय सभानेत्रीजी, मैं ओला वृष्टि से किसानों को हुए नुकसान के सम्बन्ध में निवेदन कर देना चाहता हूं। ओला वृष्टि से राज्य में किसानों को बहुत नुकसान हुआ है पर सरकार की तरफ से अभी तक उन गरीब लोगों की मदद के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। खड़ी फसलों पर ओला वृष्टि होने के कारण किसानों की फसलें बरबाद हो गईं, चारा नष्ट हो गया, अनाज नष्ट हो गया, मकान गिर गये, जानवर खत्म हो गये उनके पास खाने के लिये १५-२० दिन से ज्यादा का अनाज नहीं रहा। ऐसे किसानों के लिये जल्दी से जल्दी कोई व्यवस्था करनी चाहिये।

मैं मेरी तहसील और डिस्ट्रिक्ट के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि निवाई तहसील के करीब ४०-५० ऐसे गांव हैं जिनमें ओला वृष्टि के कारण बिलकुल कुछ भी नहीं रहा। मैं उन गांवों में गया तो वहां के लोग रोने लग गये, उन्होंने कहा कि अब अगला एक साल हम लोग कैसे निकालेंगे, न हमारे पास अनाज है न चारा है, अब कैसे निकालेंगे एक साल ? तो मैं सरकार से यह बात पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि ओला वृष्टि से पीड़ित लोगों के लिये फौरन ऐसी व्यवस्था की जाय कि उस व्यवस्था से वे लोग काम करके अपना गुजारा कर सकें।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : ये गोली चला सकते हैं, गोली चलवानी हो तो इनको ले जावें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आपका भी गला बैठ जायगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : जिन गोलियों के चलाने की प्रक्रिया इन्होंने शुरू की है वही प्रक्रिया इन पर भी हो सकती है, जनता पर इन्होंने गोलियां चलाई, जनता इन पर भी चला सकती है ।

श्री मूलचन्द डागा : इन पर फूल बरसेंगे ।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि राहौल, बैकवा, मूडिया हमारे यहां ऐसे गांव हैं कि वहां पर पूरा अनाज खत्म हो गया है, उनके पास साल भर जिन्दा रहने के लिये, दूसरी फसल को तैयार करने के लिये कोई दूसरा साधन नहीं है इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे गांव जहां ओला वृष्टि के कारण आठ आना से ज्यादा नुकसान हुआ है वहां राहत कार्य खोलने चाहियें जिससे वहां के पीड़ित लोग मजदूरी करके जीवन निर्वाह कर सकें । ऐसे बान्धों के, तालाबों के, नहरों के या सड़कों के कार्य या और प्रकार के राहत कार्य ऐसे गांवों के आस-पास खोले जाने चाहियें जिससे वहां के लोगों को तत्काल राहत मिले, मजदूरी मिले, जिससे वे लोग अपनी भूखें मिटा सकें और एक साल जिन्दा रह सकें ।

माननीय सभानेत्रीजी, मैं आपकी मार्फत शराबबन्दी के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । सरकार ने समय-समय पर राजस्थान में शराबबन्दी की घोषणाएं की है पर इस गांधी शताब्दी वर्ष में शराबबन्दी एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय है । महात्मा गांधी का शराबबन्दी आन्दोलन बहुत ही प्रिय आन्दोलन था । वे अपने प्रवचनों में सदा कहा करते थे कि चाहे मुझे शिक्षा को रोकना पड़े, और आवश्यक काम रोकने पड़ें पर मैं चाहता हूं, मेरी भावना है कि जब भी हिन्दुस्तान आजाद हो तो शराबबन्दी दूसरे दिन ही हो । आज २२ साल भारत को आजाद हुए हो गये । २२ साल से हिन्दुस्तान और राज्यों में कांग्रेस का राज कायम है, कांग्रेस वाले कहते हैं कि वे गांधीजी के अनुयायी हैं लेकिन वे सारा आचरण उनके विपरीत करते हैं । गांधीजी ने कहा था कि छुआछूत खत्म हो लेकिन आज तक छुआछूत है ....

श्री मूलचंद डागा : हमारे यहां नहीं है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपके घर पर नहीं होगी....

श्री मूलचंद डागा : आप उस पार्टी को छोड़ दो ।

श्री जयनारायण सालोदिया : हमारी पार्टी फारवर्ड है । आपके यहां तो बैठने की भी छुआछूत है । आप तो अनुसूचित जाति के मंत्रियों को विभाग नहीं देते हो, हरिजन विधायकों को पीछे बिठाते हो, आपको बिल्कुल शर्म आनी चाहिए, गांधीजी का नाम लेकर....

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री विजयसिंह : श्री अमृतलाल यादव शिड्यूल्ड कास्ट के हैं, इसलिए उनके पीछे पड़े हो ।

श्री मूलचंद डागा : प्रिवीपर्सेज को खत्म कराओ ।

श्रीमती सभानेत्री : जल्दी समाप्त करिए।

श्री जयनारायण सालोदिया : समाप्त नहीं करने देते मुझे।

श्री मूलचंद डागा : इतने समय से, एक घंटे से बराबर बोल रहे हैं, आप यह भी नहीं कह रहे हैं कि हम प्रिवीपर्सेज को खत्म करेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया : सरकार ने बार-बार शराबबन्दी की घोषणायें कीं और बार-बार उन घोषणाओं से मुकरी। अगर वह सरकार समाजवाद की सरकार है, अगर वह गांधीवाद की सरकार है, अगर जनतंत्र सरकार है, तो कोई कारण नहीं कि शराबबंदी को पूर्व-निश्चय के अनुसार १९७२ तक लागू न करे। लेकिन मैं देखता हूं एक तरफ सरकार घोषणायें करती है कि १९७२ तक पूर्ण शराबबंदी करेंगे, दूसरी तरफ राजस्थान में नए-नए शराब के कारखानों का लाइसेन्स देते हैं। सरकार वही है तो कहां है समन्वय सरकार की घोषणाओं का ? एक तरफ कहते हो कि हम गांधीजी के आदर्शों का पालन करते हैं और दूसरी तरफ हम लौटरी के द्वारा जुआ खिलवाते हैं। छुआछूत नहीं मिटी है, अनुसूचित जाति के लोगों की हालत में २२ साल के बाद भी सुधार नहीं हुआ, यह ढकोसला है, गांधीजी के नाम से हरिजनों का वोट लेने की प्रवृत्ति है और उनकी जेब काटी, उनको धोखा दिया, आपने उनके साथ गद्दारी की....

(घंटी)

अब मैं पंचायत राज के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि पंचायती राज नाम मात्र है। मैं जानता हूं कि पंचायत राज, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के पास क्या है, सिवाय टैक्स लगाकर वेतन बांटने के, इनके पास कुछ नहीं। अगर पंचायती राज को आप जिंदा रखना चाहते हैं, कायम रखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, जनतंत्र में आपकी आस्था है तो फिर इन संस्थाओं को कुछ पैसा दें। उनके पास तनख्वाह बांटने के लिए पैसा नहीं है, फिर पंचायत राज को कायम रखना चाहते हैं, यह धोखा है जनता के साथ। पंचायत समितियों के पास तनख्वाह बांटने के बजट के सिवाय और कोई बजट नहीं है तो फिर पंचायत समितियां किस मतलब की हैं ? अगर उनको जिंदा रखना चाहते हैं तो उनको ताकत दीजिए या खत्म कर दें। धोखा देकर जनता को भुलावे में रखकर तरह-तरह की बात करना चाहते हैं।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : पंचायत राज नहीं, राज की पंचायतें चलती हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : समाज कल्याण के लिए आपने कुछ पैसा मांगा है। छात्रवृत्तियां जो समाज कल्याण विभाग के मार्फत मिलती हैं, मैं उनका भुक्तभोगी हूं। मैंने समय-समय पर आप से निवेदन किया है कि ये छात्रवृत्तियां जो शिक्षा विभाग द्वारा दी गई हैं वे समय पर नहीं मिलती हैं, और शिक्षा विभाग इस काम को फिजूल का काम, बेगार का काम समझता है, हरिजनों के नाम पर आप खर्च दिखाते हो लेकिन वह अनुसूचित जाति के लोगों को इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि शिक्षा विभाग से मिलता है। मंत्रीजी आपसे कह रहा हूं....

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मैं एक-एक बात को सुन रहा हूं, एक-एक बात का जवाब दूंगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : पहली मांग यह है कि अगर वाकई अनुसूचित जाति के लोगों को छात्रवृत्तियां देनी हैं तो समाज कल्याण विभाग के मारफत बंटवायें। दूसरी बात समाज कल्याण के गैर-जरूरी कामों में छोटी-मोटी रकमें पड़ी हैं, उनको निकाल कर छात्रवृत्ति के मद को बड़ा बनावें जिससे हर छात्र को चाहे दूसरी या तीसरी श्रेणी में परीक्षा पास हो तो भी उसको छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। ५८ प्रतिशत और ४५ प्रतिशत नंबरों का जो झगड़ा है वह बहुत ही दिक्कतपूर्ण है। इसलिए इस पर पुनः विचार करें और जो लड़के परीक्षा में पास होते हैं और दूसरी क्लास में जाने के योग्य होते हैं उनको यह छात्रवृत्ति दी जाय। जब सारे कामों के लिए योग्य घोषित किया जाता है तो छात्रवृत्ति के लिए ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। उसके पास होते ही वह उसे मिलनी चाहिए। यह सरकार की गारंटी होनी चाहिए न कि एक साल मिली, दूसरे साल नहीं मिली, उसने पढ़ाई छोड़ दी, सरकार का पैसा बेकार गया, तो यह व्यवस्था सुधरनी चाहिए।

(घंटी)

एक मिनिट में आपकी आज्ञा से और निवेदन करना चाहता हूं। गंगानगर आन्दोलन के संबंध में हमने कुछ पैसा मांगा है। यह आन्दोलन जनता का आन्दोलन है....

श्री रामनारायण चौधरी : बंद होगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपके घर में बंद हो गया, अगर बंदी भी हो गया तो....

श्री रामचंद्र आर्य : बंद हो गया या न हो गया, गंगानगर में जाकर देखो, यह बंद होने वाला नहीं है, आज भी गंगानगर से आन्दोलनकारी रेल में सवार होकर जयपुर में आए हैं, गंगानगर में आन्दोलन अब भी चल रहा है, बिलकुल तगड़ा आन्दोलन चल रहा है, आप गलत बात कह रहे हैं। सरकार नाम की चीज गंगानगर में नहीं रह गई, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। मिलिटरी बुलवाई, पुलिस ने उनको दबाया, गोली चलाई, लाठियां चलाईं लेकिन गंगानगर आन्दोलन यह सरकार नहीं दबा सकी और सरकार पूंछ दबाकर बैठी है....

श्रीमती सभानेत्री : स्थान ग्रहण करें।

श्री जयनारायण सालोदिया : गंगानगर आन्दोलन का नाम सदन में जब कभी किसी रूप में आता है तो कांग्रेस पक्ष के लोगों को मिर्ची लगती है। गंगानगर आन्दोलन ही ऐसा है जिसने कांग्रेस को सबक सिखाया, इस आन्दोलन के सामने सरकार को घुटने टेकने पड़े हैं, बार-बार घोषणायें करनी पड़ती हैं, यह वहां की जनता को जीत है, किसानों की जीत है और सरकार की हार है, किसी भी सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है। एक तरफ किसान आन्दोलन करें, वाजिब मांगों को लेकर और आप उन पर डंडे बरसायें गोलियां चलायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य !

श्री जयनारायण सालोदिया : यह आन्दोलन होते हैं और आपको झक मार कर झुकना पड़ता है। गंगानगर का आन्दोलन....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

Page No. 92

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य ! कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं आपकी आज्ञा से अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामनारायण चौधरी !

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभानेत्रीजी, हर पार्टी के वक्ता का नाम आना चाहिये। कांग्रेस, स्वतन्त्र पार्टी के वक्ता बोल चुके है। मेरी पार्टी का अभी तक नम्बर नहीं आया है।

(शोर-गुल, व्यवधान)

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्यों बैठें ? ××× चूंकि आप कांग्रेसी हैं इसलिये यह अन्यायपूर्ण और अनुचित है।

(शोर-गुल, व्यवधान) (अश्रव्य)

श्री मूलचन्द डागा : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य ! पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर आ रहा है जरा स्थान ग्रहण करिये आप।

श्री मूलचन्द डागा : विरोधी दल के ही वक्ता अभी बोल रहे थे। फिर भी आसन को यह कहा गया कि ××× इन शब्दों को प्रोसिडिंग से निकाल दिया जाय। यह हाउस का अपमान है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कोई अपमान नहीं है। यह कोई पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर भी नहीं है।

(शोर-गुल) (व्यवधान)

श्रीमती सभानेत्री : आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य एक बार इधर के और एक बार उधर के बोलते हैं। (श्री देवीदत्त गाड़िया के स्थान ग्रहण नहीं करने पर) अब मैं आपको समय नहीं दूंगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ×××

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : ये शब्द निकाल दिये जायं।

श्री मूलचन्द डागा : निकाल दिये जायं।

श्री विजयसिंह : क्या-क्या निकालेंगे।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य आप उत्तेजित न हों।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप उत्तेजित कर रही हैं।

श्रीमती सभानेत्री : मुझे अफसोस है कि जिस ढंग से बोलते हैं। माननीय सदस्य ! आप आसन के साथ सम्मान से बात करें। आप उत्तेजित होकर बात न करें। आपको समय दिया जायगा। पहले रामनारायणजी बोलेंगे और फिर आप बोलेंगे।

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : उन शब्दों को एक्सपन्ज किया जाय।

×××अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

श्रीमती सभानेत्री : मैं सदन की अनुमति से उन शब्दों को एक्सपन्ज करती हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया : कैसे एक्सपन्ज कर दें, यह काकाजी का राज है?

श्री भगवानदास शास्त्री : रामनारायणजी बोलना शुरू कर रहे हैं और अब कैसे एक्सपन्ज होंगे?

श्रीमती सभानेत्री : आप भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, मैं फिर याद दिला दूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : शासन खुद भी भारतीय संस्कृति में विश्वास करता है या नहीं?

श्रीमती सभानेत्री : बिलकुल।

श्री भगवानदास शास्त्री : आपका भी भारतीयकरण हो गया।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : सभानेत्री महोदया, अनुपूरक अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में जो विधेयक रखा गया है उसका समर्थन करते हुए कुछ सुझाव सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। चालू वित्तीय वर्ष में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय, घोषणायें सरकार की तरफ से हुई हैं। चालू वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों को भूमि वितरण, सरकारी नोकरियों में १२॥ परसेन्ट से २८ परसेन्ट नौकरियां सुरक्षित करने की सरकारी घोषणायें हमने पढ़ी हैं और उनकी कार्यान्विति हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने विचार हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

सभानेत्री महोदया, हम जिस समाज का निर्माण करना चाहते हैं, जैसी कि हमारी घोषणायें हैं, जो संकल्प हमने बम्बई में लिया है और जो नीतियां हमारी प्रधानमंत्री ने देश के लिये निर्धारित की हैं जिनको हम पालन करना चाहते हैं तो हमें अपने आपको भी बदलना होगा। और कुछ सिद्धान्त तय करने होंगे कि उस प्रकार के समाज के निर्माण को करने में हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। आज हम समाजवादी समाज की स्थापना तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे बुनियादी दृष्टिकोण में परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है।

मैं शिक्षा के मामले को ही लेना चाहता हूं। राज्य सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह देश और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा के मामले में समान अवसर प्रदान करे और समान प्रकार की शिक्षा लोगों को दे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि शिक्षा के माने में राजस्थान में एक बड़ा भेदभाव है। इस प्रदेश के एक गांव की प्राथमिक पाठशाला को लीजिये और दूसरी तरफ जयपुर के पब्लिक स्कूल और मिशन स्कूल को लीजिये। उनके पाठ्यक्रम और पढ़ाई को तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो दोनों में बहुत अन्तर है। देहात में प्राथमिक पाठशाला में पढ़ने वाला, यहां पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले का किसी भी माने में मुकाबला नहीं कर सकता है। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सरकार निश्चित रूप से समाजवादी समाज के दृष्टिकोण में और समाजवादी समाज की स्थापना में विश्वास करती है तो यह एलान करे कि राजस्थान में कोई पब्लिक स्कूल नहीं होगा। तमाम पब्लिक स्कूल बन्द कर देने चाहियें और वही शिक्षा देनी चाहिये जो देहात में उपलब्ध है। आप यदि इस प्रकार का भेद नहीं चाहते हैं कि गांव का प्राइमरी स्कूल का बच्चा और यहां

(श्री रामनारायण चौधरी)

के पब्लिक स्कूल का प्राइमरी का बच्चा आगे जाकर किसी प्रकार भेदभावपूर्ण कम्पीटिशन में खड़ा न हो तो आपको इन पब्लिक स्कूल को बन्द कर देना चाहिये। आज नौकरशाही जिस प्रकार से समाज में छा रही है उसका कारण ही पब्लिक स्कूल्स हैं। हमारे गांव के बच्चे कभी शहरों के इन पब्लिक स्कूलों के बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते। पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले उच्च वर्ग के बच्चे होते हैं, या तो राजा महाराजाओं के बच्चे होंगे या बड़े अधिकारियों और पूंजीपतियों के बच्चे होंगे। उनके मुकाबले में किसान का बच्चा नहीं ठहर सकता।

श्री मदनसिंह : या मिनिस्टर के होंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : सभानेत्री महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार समान शिक्षा दे। उन पब्लिक स्कूल को सरकार से अनुदान मिलता है उनको बन्द कर देना चाहिये और उनको अनुदान नहीं देना चाहिये और उनके केरीकुलम को अपने हिसाब से निर्धारित करना चाहिये और वही पाठ्यक्रम हो जो कि गांवों की शालाओं में होता है।

सभानेत्री महोदया, दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि तथाकथित गंगानगर आन्दोलन की बात चली। इस तथाकथित आन्दोलन की सारी चर्चा सुनी।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह तथाकथित कैसे है ? यह सही है।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक तरफ तो आन्दोलन चलाने वाले समाजवादी समाज की व्यवस्था में विश्वास करते हैं और दूसरी तरफ उसको चलाते हैं जिसमें विश्वास नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप जैसे प्रतिनिधि होंगे तो यह सरकार चलेगी। हम जनता में कहेंगे कि यह सरकार पक्षपाती तरीके से पनप रही है और इसको उखाड़ फेंक देना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : मैं माननीय आर्य से निवेदन करूंगी कि जो कुछ उनको कहना है वह बाद में कह दें।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह कैसे कहते हैं कि तथाकथित आन्दोलन है ?

श्रीमती सभानेत्री : आप बाद में कह दें।

श्री रामनारायण चौधरी : समाजवादी समाज की व्यवस्था के लिये मेरा यह सुझाव है कि राजस्थान केनाल में भूमि का अलॉटमेन्ट बन्द कर देना चाहिये और समाजवादी समाज की व्यवस्था के अनुसार सरकार को उस पर खेती करनी चाहिये।

सभानेत्री महोदया, मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप वहां की जमीन का आवंटन करेंगे....

श्री रामचन्द्र आर्य : सरकारी फार्म सूरतगढ़ में है। उसका हिसाब देख लीजिये। क्या हालात हैं वहां के और सालाना कितना घाटा है।

श्री रामनारायण चौधरी : अगर आप एलॉट कर देते हैं और वह बारानी जमीन ५ बीघा देते हैं तो वहां के काश्तकारों को

(श्री रामनारायण चौधरी)

आर्थिक स्थिति में इतना बड़ा भेद हो जायेगा कि वे लोग दूसरे लोगों से जिनके पास अधिक जमीन है कोई मुकाबला नहीं कर पायेंगे। और समाजवादी व्यवस्था वहां कभी भी कायम नहीं हो पायेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि जमीन का एलॉटमेंट, इरिगेटेड लैण्ड चाहे वह राजस्थान केनाल क्षेत्र में हो, भाखरा के क्षेत्र में हो, चम्बल के क्षेत्र में हो, उसके एलॉटमेंट का आप प्रबन्ध करिये और उसकी खुली बिक्री करना बंद कर दें। उस पर सरकारी फार्मिंग के जरिये काश्त करवाई जानी चाहिये। इससे बेकारी की समस्या का भी हल होगा और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे हरिजनों, आदिवासियों का एलॉटमेंट भी बंद कराना चाहते हैं। इसमें आपको क्या फायदा है ?

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य आप उनको बोलने दें। जो कुछ भी उन की राय होगी वे कह देंगे। आप बीच में व्यवधान न डालें।

श्री रामनारायण चौधरी : राजस्थान सरकार ने हरिजनों और आदिवासियों के लिये जमीन सुरक्षित कर रखी है और वह इन्हीं लोगों को एलॉट होगा। मैं अपना एक बुनियादी दृष्टिकोण रखना चाहता हूं, चाहे वह हरिजन हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे किसान हो या चाहे और कोई हो। हमें यह देखना होगा कि हम व्यक्तिगत हित में प्रोत्साहन देना चाहते हैं यदि व्यक्तिगत तौर पर बड़े-बड़े फार्म, या बड़ी-बड़ी जमीनें बराबर एलॉट करते रहेंगे तो मेरा निवेदन है कि समाज के अन्दर आज जो आर्थिक असमानता है वह और बढ़ेगी और समाजवाद का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि व्यक्तिगत एलॉटमेंट बंद किया जाना चाहिये वरना सीलिंग के जो मायने हैं वह पूरा नहीं हो पायेगा। जितनी भी जमीन सरकार के पास है उस पर सरकारी फार्मिंग होना चाहिये, उस पर मैकेनाइज्ड तरीके से खेती की जानी चाहिये। सरकारी फार्मिंग जिस तरह से होती हो वह की जानी चाहिये और एलाटमेंट करेंगे तो जिन आदमियों को इरिगेटेड लैण्ड मिलेगी उनकी आर्थिक स्थिति दूसरे लोगों के मुकाबले में बढ़ जायेगी। यह समाजवादी नीति के विपरीत है। एक तरफ एक आदमी बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ हम दूसरे आदमी को और कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जमीन के ऊपर समान अवसर सब को मिलने चाहिये।

सभानेत्री महोदया, दूसरा निवेदन मैं आपकी मार्फत सरकार से यह करना चाहता हूं कि जो आज सैल्स टैक्स में पेसेन्जर टैक्स की जिस प्रकार से चोरी हो रही है उसको रोका जाना चाहिये। आज पैसेन्जर टैक्स में, इस प्रकार के टैक्स की खुली चोरी हो रही है। असली आदमी से टैक्स आ जाता है और वसूली करने वाला उस पैसे को खा जाता है। इसके लिये वित्त मंत्री महोदय को कोई फार्मूला निकालना चाहिये। आपको सुझाया भी गया था और उसको आपने स्वीकार भी किया था कि जैसा दूसरी रियासतों में, जैसे यू० पी०, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में टिकिट पर स्टाम्प लगाने का जो सिस्टम है वही तरीका आपने यहां लागू करने का स्वीकार किया था और यह घोषणा भी हुई थी कि इस प्रकार से लागू किया जायेगा। लेकिन अभी तक मालूम नहीं वह

(श्री रामनारायण चौधरी)

क्यों नहीं लागू हुआ। जहां तक मुझे मालूम है सरकार की नीति बदली तो नहीं है लेकिन वह मोटर मालिकों को ६-६ माह का एक्सटेन्शन देती जा रही है कि यह सिस्टम अभी लागू नहीं किया जायेगा। मैं इस मामले में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति पर यह साबित हो जाये कि इस व्यक्ति ने पैसेन्जर टैक्स का गबन किया है तो उस पर गबन का मुकदमा चलाया जाये बजाय इसके कि उस पर दो-तीन गुना टैक्स लगाकर छोड़ दिया जाये। उस पर गबन का केस दर्ज करके उसका चालान किया जाना चाहिये। उसको कोई हक नहीं है कि वह खजाने में आने वाले धन को बीच में रख ले, उसका गबन करले, जिस प्रकार पटवारी लगान वसूल करता है उसी प्रकार वह पैसेन्जर टैक्स वसूल करने की एक एजेन्सी है। वह आपका पैसेन्जर टैक्स, सेल्स टैक्स की वसूली करता है और उसको खजाने में जमा करायेगा। और वह अगर उस रकम को जमा नहीं कराता है तो साधारण तरीके से डबल या तीन गुना टैक्स का लगाकर आप उसको नहीं छोड़े, उस पर मुकदमा दायर करें। ४०६ और ४२० का मुकदमा दायर किया जाये।

मैं राजस्थान सरकार की इस नीति से सहमति प्रकट करता हूं कि अभी हाल ही में सरकार ने जो घोषणा की है मद्यनिषेध के बारे में कि जैसलमेर, बाड़मेर और सिरोही में पूर्ण मद्यनिषेध लागू किया जायेगा यह सराहनीय है। मैं इस नीति का समर्थक हूं मगर इसमें सरकार की नीति या नियत स्पष्ट नजर आती है। सिरोही, जैसलमेर और बाड़मेर में ही शराबबंदी करने के कोई मायने नहीं है। सिरोही की आबादी एक लाख, डेढ़ लाख के करीब है, जैसलमेर की आबादी भी इतनी ही है और वहां पिछले कई वर्षों से अकाल चल रहा है। वहां के लोगों को खाना ही नहीं मिलता फिर वे क्या शराब पीयेंगे। उनके पास शराब पीने के लिये साधन ही नहीं हैं। इसलिये अगर आपकी शराबबंदी में निष्ठा है आप प्रोहिबिशन के बारे में गंभीर हैं तो आप गंगानगर जिले में इस को लागू करिये। गंगानगर के अलावा सीकर, झुंझुनूं, चूरू में इसको लागू करते तो मैं समझता कि आपकी निष्ठा प्रोहिबिशन में है। यह तो टालमटोल करने की बात है। इसके क्या मायने कि आप सिरोही, जैसलमेर और बाड़मेर में लागू करें। सब से अधिक शराब की खपत गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है। गंगानगर जिले में जितनी नाजायज शराब बाहर से जाती है, सरकारी कारखाने से जाती है, उतनी शराब की सारे राजस्थान में भी खपत नहीं होती होगी, वहां तो आप ध्यान नहीं देते हैं और जैसलमेर जैसे जिले में प्रोहिबिशन लागू करते हैं जहां कि गत ६ साल से अकाल है और वहां के लोगों के पास खाने के लिये अनाज का एक दाना भी नहीं है। वैसी ही हालत बाड़मेर की है। फिर वहां कौन शराब पियेगा ? सरकार की नीति धीरे-धीरे सम्पूर्ण राजस्थान में शराबबंदी की है लेकिन मुझे इसमें शंका है। सरकार की निष्ठा में कमी है और वह प्रोहिबिशन पूर्णतया लागू नहीं करना चाहती है। जैसलमेर, बाड़मेर और सिरोही को छोड़कर दूसरे जिलों में भी आदिवासी रहते हैं। आदिवासी पिछड़ी जाति के लोग हैं और ज्यादा शराब-पीने के आदी नहीं हैं। जितनी शराब ऊंची जाति के लोग पीते हैं उतनी निम्न जाति के लोग नहीं पीते हैं। वे उसका एक अंश भी

(श्री रामनारायण चौधरी)

नहीं पी पाते हैं। इसके लिये आप चाहें तो जयपुर के ही आंकड़े ले लें। आपके सरकारी अफसर, पैसे वाले या बड़ी क्लास के जो लोग हैं, मैं इन पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मेरी इनके प्रति निष्ठा है, लेकिन जितने अधिक पैसे वाले लोग हैं, या जो अधिक कमाते हैं, अफसर हैं वे सबसे पहले शराब पसन्द करते हैं। शराब उनकी दिनचर्या का एक आइटम हो गया है। अगर सरकार की निष्ठा शराबबंदी के प्रति है और सरकार इसको चाहती है तो बाकायदा दृढ़तापूर्वक सरकार को यह निर्णय करना चाहिये और इसको लागू करना चाहिये। मैं जानता हूं कि सरकार को शराब से आमदनी बहुत अधिक है, लगभग ११-१२ करोड़ की सालाना आमदनी सरकार को होती है, परन्तु शराब की इस आमदनी से हम कितने दिनों तक टिके रह सकेंगे। हमारी आमदनी का एक और जरिया लॉटरी का हमने निकाला है। यह रास्ता सब से पहले केरल ने निकाला। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां बताया। केरल में उस समय जो सरकार थी उसका किसी मीन्स में विश्वास नहीं था। साधन कैसे होने चाहिये इसमें उनका कोई विश्वास नहीं था। उनका तो उद्देश्य ही यही था कि किसी भी प्रकार के साधन हो उनको तो आमदनी चाहिये चाहे वह किसी भी तरह से होती हो। लेकिन हमने तो अपना गान्धीवाद का आदर्श रखा है। गान्धीजी हमेशा यही कहते थे कि किसी भी मकसद पर पहुँचने के लिये साधन पवित्र होने चाहिये। पवित्र आमदनी आनी चाहिये और उसके लिये उसी प्रकार के पवित्र साधन ढूंढने चाहिये। हम चाहते हैं कि हमारा शासन शराब और लॉटरी की आमदनी से चले और उसी आमदनी से हम अपने प्रान्त को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यह मैं समझता हूं उचित नहीं है। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि शराब और लॉटरी की आमदनी से हम अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। समाज का जो सब से बड़ा विकार है वह है सट्टा। मैं सट्टे में और लॉटरी में किसी प्रकार का फर्क नहीं मानता, जहां सट्टा में दो आदमी खेलते हैं एक आदमी दूसरे से धन छीनता है उसी प्रकार नागरिकों को एक रुपये में साढ़े तीन लाख का लोभ देकर हम उस नागरिक से पैसा छीनते हैं। इस तरह से आज लॉटरी से स्टेट और नागरीक के बीच सट्टा चल रहा है। इस प्रकार की आमदनी को मैं अपवित्र मानता हूं। इस प्रकार की अपवित्र आमदनी को पवित्र कामों के लिये नहीं खर्च करना चाहिये। इस प्रकार की आमदनी से किये गये पवित्र काम भी अपवित्र हो जायेंगे।

मैं आपके जरिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको आमदनी के जरिये बढ़ाने चाहिये। और वे साधन जो हों वे अच्छे हों। यह मैं मानता हूं राज्य सरकार को लॉटरी और शराब से काफी आमदनी है। १४-१५ करोड़ के करीब राज्य कोष में आमदनी आती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो कार्य चल रहे हैं कि शराब पीना बुरा है, जो इस प्रकार के साइन बोर्ड लगा रखे हैं कि जुआ खेलना बुरा है तो उस हालत में इस प्रकार के कार्यों से हम अपना राज्यकोष भरें यह उचित नहीं है। आज आप देखेंगे बड़े-बड़े क्लब्स चलते हैं। समाज के अन्दर एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है जो रमी का खेल खेलते हैं। मुझे तो यह मालूम नहीं कि रमी किस चीज को कहते हैं....

Page No. 98

श्री भैरोंसिंह : रमी क्या है इसके बारे में आप मंत्री महोदय से पूछ लें।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं सुनता हूं कि रमी से एक-एक आदमी चार-पांच हजार रुपया बड़ी आसानी से कानून के दायरे में रहता हुआ कमा लेते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : तो क्या आप उस पर टैक्स लगाने की बात कह रहे हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : मैं तो चाहता हूं इसको बिल्कुल बन्द किया जाना चाहिये। मैं तो यह चाहता हूं कि जो जुआ कानून बना रखा है, इसको भी जुए की परिभाषा में लेना चाहिये और जो इस प्रकार से रमी खेलते है उनका भी जुआरी की तरह चालान होना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको जुआ नहीं माना है।

श्री रामनारायण चौधरी : सुप्रीम कोर्ट तो केवल कानून का इन्टरप्रिटेशन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बैंक नेशनेलाइजेशन को अवैध करार दे दिया लेकिन हमने उसको दुबारा लागू कर दिया। विधान सभा सर्वोपरि है इसको सभी प्रकार का कानून बनाने का अधिकार है।

सरकार की आमदनी के साधन पवित्र होने चाहिये तभी हम पवित्र उद्देश्य को प्राप्त करने में कामयाब होंगे।

दूसरा, सभानेत्री महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं हम बड़े-बड़े कामों को करने की घोषणायें करते हैं और बड़े-बड़े काम हमने किये भी हैं और सरकार कर भी रही है। लेकिन इसके साथ-साथ छोटी-छोटी बातें कुछ ऐसी हैं जिनका जन-मानस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है।

हमारे यहां नियम है कानून है कन्सोलिडेशन ऑफ स्माल होल्डिंग्स का, फ्रेगमेन्टेशन ऑफ होल्डिंग्स का मेरे खयाल में मैं जिस जिले से आता हूं झुन्झुनूं में १६ बीघा ४ बिस्वा से नीचे जिसके पास जमीन है उसका बंटवारा नहीं हो सकता। किसी किसान के पांच लड़के हैं उसके पास ४० बीघा जमीन है हरेक को आठ बीघा के हिसाब से तबादला नहीं हो सकता। इससे किसानों को इतनी दिक्कत हो रही है न वे उससे लोन ले सकते हैं, न उसको गिरवी रख सकते हैं और न उसको बेच ही सकते हैं। आज हम हरित क्रान्ति का नारा लगाते हैं और इसमें सफलता भी मिली है। आज जहां संयुक्त परिवार है, उन परिवारों के अन्दर इस प्रकार का बंटवारा हो जाने पर भी कानून उसको मान्यता नहीं देता। कानून के अन्दर इस प्रकार का ट्रान्सफर एलाउ नहीं करते, इन्तकाल भरा नहीं जाता इस कारण उस भूमि पर वे लोन भी प्राप्त नहीं कर सकते न उसको सरकार से लोन मिल सकता है न तकावी मिल सकती है और न बिजली ही मिल सकती है। इस प्रकार की कठिनाई को मेरे जिले के पचास प्रतिशत किसान महसूस करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पचास प्रतिशत काश्तकार मेरे जिले के इस कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं इसलिये यह जो पाबन्दी है कि १६ बीघा ४ बिस्वा से नीचे की खेती का बंटवारा नहीं हो सकता इसको हटाया जाना चाहिए, इस पर पुनर्विचार करना चाहिये। इस प्रकार करने में यदि हमें कानून में भी परिवर्तन करने की जरूरत हो तो वह कदम भी उठाना चाहिये। एक काश्तकार के पास

(श्री रामनारायण चौधरी)

जो जमीन है उसका बंटवारा करने का अधिकार उसको होना चाहिये, और जिसके पांच बीघा भी जमीन हो उसके नाम से खातेदारी होनी चाहिये, और उसको बंटवारे की इजाजत दी जानी चाहिये।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अभी तक तो कानून आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार बनाते जा रहे हो।

श्री रामनारायण चौधरी : हमने सहकारी समाज की रचना करने का सोचा था और हम इस तरफ आगे भी बढ़े थे। सहकारी समाज के लिये हमने कई प्रकार की योजनायें भी चालू की थीं। उस योजना के तहत गांव के लोगों को सहकारी भावना की तरफ बढ़ाने के लिये, उनको प्रशिक्षण देने के लिये स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमने कुछ संस्थायें कायम की थीं। जिलों में सबोर्डिनेट इंस्टीट्यूशन्स चलती थीं। उनमें काम करने वाले काफी आदमी थे। मेरे अन्दाज से उनकी संख्या १०० के आसपास होगी। इस प्रकार के ५६ कार्यकर्त्ता जिन्होंने इस प्रकार की सहकारी प्रशिक्षण को प्राप्त किया उन्होंने गांव-गांव जाकर इस सहकारी भावना को आगे बढ़ाया है। इस वर्ष हमने उनका अनुदान बन्द कर दिया। इससे ५६ आदमी जो इस क्षेत्र में काम करते रहे हैं, जिन्होंने आठ-दस साल तक सेवा की है, जिन्होंने सहकारी भावना को घर-घर पहुँचाया है, आज हम उनको यह इनाम दे रहे हैं कि उनको बेकार बना रहे हैं। आज इस तरह से ये ५६ परिवार बेकार हो रहे हैं। इनके आश्रितों की क्या हालत होगी इस जमाने में यह अन्दाज आप लगा सकते हैं? इसलिये मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर आप पुनर्विचार करें। सहकारिता के मामले में जो ग्रान्ट आप रख रहे हैं उसमें यह न मिलने से खास तौर से मुझे निवेदन करना पड़ रहा है। मैं समझता हूं इन पर व्यय होने वाली रकम लाखों में न होकर केवल हजारों में ही होगी उसको आप सदन के सामने रखेंगे तो सदन उसको सहर्ष स्वीकार करेगा। आज हो यह रहा है कि जिस व्यवस्था को हमने स्वीकार किया था उसको आज हम काट कर फेंक रहे हैं यह उचित नहीं है। अगर आपने इस काम को बन्द कर दिया है, आप इसको समाज के लिये उपयोगी नहीं मानते हैं, तो आप कम से कम इसमें काम करने वालों को तो कोई दूसरा स्थान दीजिये। उनकी योग्यता के अनुसार उनको एडजस्ट करिये। इस समय उनको रोजगार देना जरूरी है। पंजाब सरकार ने भी इस प्रकार के काम को बन्द किया था लेकिन उसमें काम करने वालों की योग्यता के मुताबिक उनको एडजस्ट किया गया। मुझे यह भी मालूम है कि ये लोग तीन चार दिन से अपनी मांगों को सदन में प्रस्तुत कराने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने उनका दृष्टिकोण आपके सामने रख दिया है। आशा है आप इस तरफ ध्यान देंगे।

इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपने कथन को समाप्त करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री गाड़िया !

श्री रामसिंह कुड़ी : रामनारायणजी ने मांग की थी उसका फल है।

राजस्थान प्रदेश जनसंघ के अध्यक्ष के भूख हड़ताल के संबंध में शासकीय वक्तव्य

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : सभानेत्री महोदया, श्री गुमानमलजी लोढ़ा, अध्यक्ष,

(श्री दामोदरलाल व्यास)
राजस्थान जनसंघ की भूख हड़ताल के सम्बन्ध में आज मुझे यहां वक्तव्य देने के लिये आदेश दिया गया था।

श्री हूजा, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पोकरण गये हुए हैं और जांच अभी जारी है। मैंने कोशिश की थी इस बात की कि श्री गुमानमलजी लोढ़ा भूख हड़ताल पर न बैठें। ज्योंहि उनका पत्र मुख्य मन्त्री के नाम समाचार-पत्रों में मैंने पढ़ा। पढ़ते ही वापिस पत्र लिख कर मैंने उनसे नम्रता पूर्वक निवेदन किया था कि वे भूख हड़ताल पर न बैठें और जो दो मुद्दे उन्होंने अपने पत्र में उठाये थे उनके बारे में उनको सन्तोष दिलाने के लिये जो कदम सरकार ने उन पर उठाये थे उनसे उनको अवगत करा दिया था।

पहला मुद्दा उनका यह था कि पोकरण जो म्युनिसिपल क्षेत्र है उसमें उन लोगों को जो कृषि पर निर्भर करते हैं उनको नकद में जो अनुदान सरकार की ओर से दिया जाता है उसे दिलाने के बारे में था। जो जगह अकालग्रस्त थी उसके बारे में मैंने उनको लिख दिया था कि कैबिनेट ने फैसला कर लिया है इसके लिये और ये आदेश दो तीन दिनों में ही जारी हो जावेंगे।

दूसरा मुद्दा जो उनका था जिसमें वहां के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ, वहां के दो कार्यकर्ताओं को मारपीट करने की शिकायत थी इसके लिये श्री हूजा, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इन्क्वायरी के लिये मुकर्रर कर दिया गया है और जल्दी ही उम्मीद है, वे इन्क्वायरी समाप्त कर देंगे। और उनकी जो एन्क्वायरी की रिपोर्ट होगी उस पर सरकार तत्परता से आवश्यक कार्यवाही करेगी। मुझे खेद है कि इतना लिखने के बावजूद भी श्री गुमानमलजी लोढ़ा ने भूख हड़ताल पर बैठना मुनासिब समझा, और उन्होंने अपने जवाब में मुझे लिखा कि वे चाहते हैं कि वे दोनों अधिकारी जिनके खिलाफ उन्होंने शिकायत की है उनको तुरन्त सस्पेण्ड न कर दिया जावे तब तक वे भूख हड़ताल के अपने निश्चय को नहीं छोड़ेंगे।

(३.१४ म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी सभापति, पदासीन)

मैंने उनसे निवेदन किया कि जब तक प्राइमा फेसी केस साबित न हो उनको उससे पहले सस्पेण्ड करना मुनासिब भी नहीं होगा और मुमकिन भी नहीं होगा। इसलिये आप अपनी भूख हड़ताल पर न बैठें। हमने श्री हूजा को जांच करने के लिये तुरन्त भेजने का तै किया है। पर इस पर भी श्री गुमानमलजी लोढ़ा ने भूख हड़ताल पर बैठना मुनासिब समझा।

जहां तक मैरिट का सवाल है इस मामले में शिकायत में कितना तथ्य है किस कर्मचारी का कितना दोष है यह तो सब एन्क्वायरी से ही मालूम होगा। श्री हूजा को दूसरे रोज ही यहां से पोकरण एन्क्वायरी के लिये रवाना होने के आदेश दे दिये गये थे और उन्होंने भी पोकरण पहुंचकर तुरन्त एन्क्वायरी शुरू भी कर दी। इन सब बातों की भी सूचना मैंने श्री गुमानमलजी लोढ़ा को दे दी थी, और साथ ही यह भी निवेदन किया था कि आप वहां पधार कर इस जांच में सहयोग दें। उनको यह भी इत्तिला की गई कि जांच इतवार के दिन ही ११ बजे प्रातः

(श्री दामोदरलाल व्यास)

से शुरू कर देंगे। इसके बाद कल श्री हूजा का वायरलैस मैसेज आया। जिसमें उन्होंने यह लिखा था कि एन्क्वायरी इतनी जल्दी वे कर भी नहीं सकते थे और कर भी नहीं सके हैं। वायरलैस मैसेज जो मुझे उनका प्राप्त हुआ है, वह मैं सदन में पढ़कर सुना देता हूं :

"Regret inability to complete enquiry today despite working sixteen hours. Eight witnesses examined including Shri Tribhuvan lasting seven hours and Shri Parsa Maharaj six hours. Both declined to produce witnesses.........Some witnesses dropped........Shri Tribhuvan declined going Jodhpur for x-ray.........Site inspection yet to be organised. Report not possible at this stage. It is premature. Can submit report by 13th."

This is the wirelese messags which I have received from Mr. Hooja. एन्क्वायरी अभी कम्पलीट नहीं नहीं है।

अब जहां तक सरकारी अधिकारियों का सवाल है, माननीय सभापतिजी, आपके जरिये में माननीय सदस्यों से यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर कोई सरकारी अधिकारी किसी के प्रति ज्यादती, सख्ती और कानून के खिलाफ कार्यवाही करें तो बराबर उसको सजा देनी चाहिये और हम देते हैं। उसके साथ हम कभी कोई रियायत नहीं बरतते। पर साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान और कानून और कायदों ने सरकारी कर्मचारियों को पूरा संरक्षण दे रखा है, वह भी उनको मिले, हम यह भी चाहते हैं जिससे सैंस आफ अनसिक्योरिटी उनमें पैदा न हो। इसलिये मैंने अर्ज किया था और श्री गुमानमलजी को लिखा था कि एक बार एन्क्वायरी से प्राइमा फेसी बन जावे तो सख्त से सख्त कार्यवाही सरकार करेगी। पत्र में यह भी लिखा था कि केवल महकमाना कार्यवाही ही नहीं अगर कोई क्रिमिनल ऑफेन्स बना होगा तो प्रोसीक्यूट करने के लिये भी कार्यवाही करेंगे। परन्तु इसके बाद वैसे भी वहां के एस. डी. ओ. का रूटीन में ट्रान्सफर हो चुका था और एस. डी. ओ. पोकरण के ट्रान्सफर ऑर्डर जारी हो भी गये, हालांकि वह इस मामले से सम्बन्धित नहीं है। रूटीन में ट्रान्सफर था और एस. एच. ओ. के भी पोकरण से दूसरी जगह ट्रान्सफर करने के ऑर्डर दे दिये हैं। यह ख्याल पैदा होते हों कि पुलिस के अफसरों के कारण एन्क्वायरी में रुकावट पैदा होती हो तो मौजूदा एहतियाती आर्डर भेज दिया है इन्क्लूडिंग डी. एस. पी. को भी यह हिदायत दे दी गई है कि वे यह देखें कि एन्क्वायरी में किसी तरह का कोई दखल न दें।

साथ ही साथ कुछ लोग जो गिरफ्तार हुए थे, १०७ और १५१ के तहत गिरफ्तार जिनको किया गया था उनको छोड़ने के लिये भी कार्यवाही की जा रही है। मैं समझता हूं कि एक तरफ राजस्थान के सबसे उच्च अधिकारी को चीफ सेक्रेटरी के बाद जो ऊंचा अधिकारी है दूसरे नम्बर पर उनको इस एन्क्वायरी के लिये मुकर्रर किया है तो वह अधिकारी इस जांच का काम कर रहे हैं, और इसकी शिकायत माननीय सदस्यों को भी नहीं हो सकती है। हम इस बात का विश्वास कर रहे हैं कि वे पूरी शहादत लेकर नतीजे पर पहुँचें। पर जैसा कि वायरलैस मैसेज

(श्री दामोदरलाल व्यास)

से महसूस हुआ कि परसा महाराज और त्रिभुवन एडवोकेट अपनी तरफ से शहादत पेश नहीं कर रहे हैं। इसके लिये जनसंघ के नेता से भी मैंने निवेदन किया था कि वे अपना इन्फ्लुएन्स यूज करके उनको तैयार करें कि वे शहादत भी पेश करें और साथ साथ एक्स-रे एग्जामिनेशन के लिये जोधपुर अस्पताल में भी जावें। मुझे भरोसा है कि उन्होंने कुछ किया होगा। जिससे कि प्रोसीडिंग्स सारी कम्पलीट हो जावे और एन्क्वायरी से भी नतीजा निकल सके। मैं इस बात का सदन को और सम्बन्धित सभी महानुभावों को यह विश्वास दिलाता हूं कि चाहे कितना ही बड़ा कोई अफसर हो, प्राइमा फेसी केस में कसूरवार साबित होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही जो करनी चाहिये, वह की जावेगी। और दूसरी तरफ जैसा अर्ज किया कि हमने ऐसे मामलों में कोई रियायत नहीं की, किसी प्रकार का कोई विलम्ब नहीं किया। ऐसी स्थिति में माननीय सदस्यों का भी कर्त्तव्य है, जो जिम्मेदार नेता हैं उनका भी कर्त्तव्य है कि वे सभी श्री गुमानमलजी लोढ़ा से अनुरोध करें कि वे भूख हड़ताल को छोड़ दें क्योंकि उनकी तबियत भी ठीक नहीं है और मैं खुद भी अपील करता हूं जनसंघ के नेता से भी कि वे भी श्री गुमानमलजी से निवेदन करें कि अब भूख हड़ताल छोड़ कर एन्क्वायरी के नतीजे का इन्तजार करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : सभापति महोदय, मैंने गृह मन्त्रीजी के वक्तव्य को ध्यानपूर्वक सुना। मैं यह मानता हूं कि वे इस सम्बन्ध में इन्साफ करना चाहेंगे। मैं कभी भी यह नहीं कह सकता कि सरकारी कर्मचारी और खास कर पुलिस के सरकारी कर्मचारियों को उचित कानूनी और संवैधानिक संरक्षण नहीं दिया जावे, अवश्य दिया जावे। आज देश का वातावरण जो है वह हमें बाध्य करता है कि हम गैर जिम्मेदाराना बातें ज्यादा न करें।

मै इतना साथ-साथ अवश्य निवेदन करूंगा आपके द्वारा मन्त्री महोदय को कि इस बारे में जो कुछ मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उसके द्वारा मैं यह महसूस करता हूं, अनुभव करता हूं कि पुलिस कर्मचारियों ने ज्यादती की है। बहुत ज्यादा ज्यादती की है और मद्दे तौर से ज्यादती की है। परन्तु, चूंकि, इस सम्बन्ध में जांच जारी है, मैं इस बारे में विशेष निवेदन नहीं करते हुए राजस्थान जनसंघ के अध्यक्ष श्री गुमानमलजी लोढ़ा, जिनसे में स्वयं मिला.......

(३.२० म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री पदासीन)

उनकी हालत अच्छी नहीं है। मैं गृह मंत्रीजी को इस बात पर विश्वास करते हुये कि वे निश्चित रूप से अपने आश्वासन को पालेंगे, श्री गुमानमलजी को मेरे दल की ओर से और मेरी ओर से पुरजोर शब्दों में निवेदन करता हूं कि वे भूख हड़ताल तोड़ें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : जनसंघ के राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष भाई गुमानमलजी लोढ़ा जिन्होंने भूख हड़ताल की है उनके साथ हम सबकी हमदर्दी है और गृह मंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिया है इसलिये मैं भाई गुमानमलजी से यह अपील करना चाहूंगा कि इस आश्वासन को देखते हुए वे भूख हड़ताल को तोड़ें। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

करूंगा कि इस तरह की बातें आइन्दा न हों, अब तक होती रही हैं, आइन्दा न हो इसके लिये भी उपाय करें। किस तरह सार्वजनिक क्षेत्र में उनको पीटा गया यह एक लज्जा की बात है, दुःख की बात है। किसी की इज्जत आज सेफ नहीं है, किसी की आबरू आज सेफ नहीं है इसलिये मैं आशा करता हूं कि जांच के नतीजे के बाद गृह मंत्रीजी और सरकार उचित कार्यवाही करेंगे और दोषी अधिकारियों को दन्ड दिया जायगा इसी आशा के साथ विश्वास दिलाया है। मैं माननीय जनसंघ के जो प्रदेश जनसंघ के प्रेसीडेन्ट हैं उनको अपनी ओर से, अपने दल की ओर से और व्यक्तिगत रूप से क्योंकि वे एडवोकेट भाई हैं निवेदन करूंगा कि भूख हड़ताल समाप्त कर दें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : सभानेत्री महोदया, राजस्थान के अन्दर जनसंघ के प्रधान इस प्रकार के अमानवीय कृत्य को लेकर भूख हड़ताल करें यह अपने आप में एक महत्त्व का सवाल है कि राजस्थान के अन्दर कानून की व्यवस्था किस हद दर्जे तक चली गई है कि एक वरिष्ठ पार्टी के उच्चतम राज नेता को भूख हड़ताल का सहारा लेना पड़ा है। क्या ही अच्छा होता जैसे ही कोई अमानवीय घटना किसी अधिकारी के द्वारा की गई वैसे ही उसके खिलाफ तुरन्त एक्शन लिया जाता। यहां पर सरकारी अधिकारी के संरक्षण की बात भी अभी-अभी कही गई। मैं सभानेत्री महोदया, इस बात के सख्त खिलाफ हूं। जहां आप राजाओं के प्रिविलेजेज को खत्म करने की बात करते हैं वहां पर भारत के संविधान की तरफ दृष्टिपात करें तो संविधान के ओपनिंग में ही प्रिएम्बल में ही लिखा गया है कि इस हिन्दुस्तान के अन्दर हम एक ऐसा गणराज्य स्थापित करना चाहते हैं....

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : क्या उसमें कहीं ऐसा भी लिखा है की भूख हड़ताल करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं समझता हूं माननीय रामनारायण जी कानून के बारे में और संविधान के बारे में बच्चे हैं। वे संविधान के बारे में अभी कुछ नहीं जानते हैं....

(शोरगुल, अश्रव्य) (घंटी)

मैं चुनौती देकर कहता हूं....

श्री रामनारायण चौधरी : भूख हड़ताल करियेगा कहां लिखा हुआ है ?

(दोनों के साथ-साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्रीमती सभानेत्री : आॅर्डर, आॅर्डर।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं निवेदन कर रहा था जनतन्त्र के अन्दर अगर आप इस तरीके को पसन्द नहीं करते तो फिर गृह मंत्री महोदय....

श्री रामनारायण चौधरी : आप परसों तो माननीय सदस्य केदारनाथजी का अनशन तुड़वाने की बात कर रहे थे। यदि उनमें आत्मबल था तो उनको डटे रहना चाहिये था और आज आप अपील कर रहे हैं भाई गुमानमल जी को अनशन तुड़वाने की। मैं भी अपील करता हूं कि किस बात की अपील करते हैं, अगर उनके दिल में दर्द है तो उनको भूख हड़ताल करने दें...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सभानेत्री महोदया, रामनारायणजी का एक विचार है। वे अपने विचार उचित तरीके से इस सदन में रखते। मैं समझता हूं उनमें सहिष्णुता नहीं है, जनतन्त्र का अभाव है, बुद्धि का दिवालियापन है। जब कोई सम्माननीय सदस्य बोल रहा हो उसके बीच में दालभात में मूसल चन्द की तरह ...

(घंटी) (दोनों माननीय सदस्य बराबर बोलते रहे, अश्रव्य)

और फिर वही बात है, अभी आप....(अश्रव्य) अभी आप उन्हें परम्परा सिखाइये, किस तरह से बोलते हैं इनको यह समझाइये। इनको यहां नहीं तो किसी दूसरे हाउस में बिठाइये जहां कानून और संविधान की ट्रेनिग दी जाय। जब कोई बोल रहा हो तो बीच में अपना वितंडावाद फैलाते हैं। कुछ सहिष्णुता रखनी चाहिये, बुद्धि को ठिकाने रखना चाहिये, कुछ धैर्य रखना चाहिये। आप में कोई भावना है, कोई तौर तरीके हैं तो इस सदन की परम्परायें हैं, आप केवल सदन को दुहाई देते हैं और संविधान की खिलाफत करते हैं...

(दोनों माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

आप संविधान की बात करते हैं और वह भी मेरे सामने।

श्रीमती सभानेत्री : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं निवेदन कर रहा था कि आज इस घटना का महत्त्व अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। राजस्थान के अन्दर, इस सदन के अन्दर कुछ वितंडवाद पैदा करना चाहते हैं, जो शान्ति भंग करना चाहते हैं, राज्य सरकार की यहां भी और बाहर भी। ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गृह मंत्रीजी से एक गंगानगर का आन्दोलन आया और कह दिया कि कुछ नक्सलवादी घुस आये हैं। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों में मैं कहता हूं कुछ नक्सलवादी घुस आये हैं....

(घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं सभानेत्री महोदया, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो भाषण में व्यवधान करने वाले हैं उनको आप कन्ट्रोल करें। आप सभानेत्री महोदया हैं। आपका यह प्रमुख कर्त्तव्य है।

श्रीमती सभानेत्री : आज आपने जो परम्परा सिखाई है मुझे विश्वास है आप उस पर चलेंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं निवेदन कर रहा था सरकारी अधिकारियों के संरक्षण की बात कही गई, कानून के अन्दर संरक्षण मिलना चाहिये, किन्तु संरक्षण का मतलब अत्याचार का संरक्षण करें, यह तो नहीं है। सरकारी अधिकारियों को जो विशेषाधिकार मिले हैं वे आज भारतीय गणराज्य में, इस स्वतन्त्र देश के अन्दर बेमेल हो गये हैं, लेकिन आप उनको संरक्षण दे रहे हैं। क्रिमिनल कोड की धारा १६५ है जिसमें यह लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अदालत में इनके खिलाफ कॉगनिजेन्स नहीं ले सकता है। यह इस प्रकार की धारा है

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

जिसके अन्तर्गत इन लोगों को छूट होती है और वे लूट कबड्डी कर सकते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था अगर ऐसी बात नहीं होती तो एस० पी० मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मारपीट नहीं कर सकते थे और जब लोग दूसरे तरीके से आवाज उठायें तो जांच नहीं हो। मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि जांच के बारे में कुछ कहूं लेकिन चाहता कि जांच निष्पक्ष हो। जब जांच चल रही है और गृह मंत्रीजी ने तमाम आश्वासन इस सदन में दिये हैं तो मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से निहायत नम्रता के साथ भाई गुमानमलजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दें ताकि स्वस्थ परम्परा के अन्तर्गत दोषी अधिकारियों को दण्ड दिलाया जा सके। उनका स्वास्थ्य खराब है, ब्लड प्रेसर के वे रोगी हैं। आज उन जैसे युवक नेता की हमें दूसरी-दूसरी सेवाओं में ज्यादा आवश्यकता है। भूख हड़ताल समाप्त नहीं की तो हम उनकी और सेवाओं से वंचित रहेंगे। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपनी भूख हड़ताल को समाप्त कर दें और इन अत्याचारों से लड़ने के लिए तैयार हो जायें।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : सभानेत्री महोदया, जो गुमानमलजी की भूख हड़ताल हो रही है इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती कि गुमानमलजी जैसा कार्य-कर्त्ता राजस्थान के अन्दर मिलना मुश्किल है, और मैं समझता हूं कि उनका जो जीवन है वह अमूल्य है। यह निश्चित बात है कि ऐसे व्यक्ति को किसी तरह का कष्ट हो तो एक नागरिक के नाते भी जाकर निवेदन करना चाहिए कि वह भूख हड़ताल न करें। यह नयी परम्परा जैसी चल रही है सदन में कि किसी नेता की भूख हड़ताल के लिए एक मंत्री खड़े होकर अपील करें और उसके पीछे-पीछे हम चलें यह नयी परम्परा है। इसमें दो राय नहीं है। आज तक इससे भी ज्यादा लोग भूख हड़तालों में मरे हैं....

श्री रामचन्द्र आर्य : ऐसी सरकार के सामने भूख हड़ताल करनी ही नहीं चाहिए। ऐसी सरकार के सामने तो लड़ना ही चाहिए। भूख हड़ताल करने वाला अपने आप को कमजोर समझता है। ऐसी सरकार के सामने कभी भी भूख हड़ताल करने के लिए गांधीजी ने नहीं कहा क्योंकि यह सरकार तो ज्यादातर लोगों को मारने और दबाने के लिए अपने अधिकारियों का उपयोग करती है। इसलिए ऐसी सरकार के सामने आत्मसमर्पण करके इसके सामने भूख हड़ताल करें मैं तो उस आदमी को अक्लमन्द नहीं समझता।

श्री मदनसिंह : सभानेत्री महोदया, शायद आपका अनुभव यह कहता हो और मैं समझता हूं कि भूख हड़ताल में एक ताकत है और वह ताकत होने के कारण चाहे वह भूख हड़ताल गंगानगर की हो चाहे पोकरण की हो आज पहला मौका है कि चीफ मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर के ऊपर इसका असर पड़ा है और आज इन्होंने अपील की है। इसलिए गांधीजी के सिद्धान्त का दोनों नेताओं पर इस तरह जरूर असर हुआ है लेकिन कई आदमियों पर लाठियां भी चलीं तो इनके ऊपर उसका असर नहीं हुआ। इसका असर है कि होम मिनिस्टर साहब ने खड़े होकर अपील की है। भैरोंसिहजी कहते थे कि इनके आश्वासन को तो हम आश्वासन ही नहीं मानते....

श्री रामचन्द्र आर्य : यह असर भूख हड़ताल का नहीं है। गंगानगर की हड़ताल का है। इनको हवा निकली हुई है।

श्री मदनसिंह : सभानेत्रीजी, यह तो मैं नहीं कह सकता कि इनकी हवा कितनी निकली है। जैसे पैट्रोल पम्प पर मीटर होता है वह शायद बी० के० डी० में हो। इस परम्परा से गवर्नमेन्ट अपना मुंह बचाकर अपील करती है तो मुझे खुशी है और मैं सबकी तरफ से और व्यक्तिगत रूप से निवेदन करूंगा। मैं उनके जीवन से ज्यादा परिचित हूं। यों भी हम चले जाते तो भी मैं समझता हूं कि गुमानमलजी हमारी बात को अवश्य मानते, और मुझे विश्वास है वे मानेंगे और माननीय होम मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि आन्दोलनों को इसी तरह से विश्वास दिया जाय। जो आज आपकी भावना है उसके अनुरूप ही कार्यक्रम शुरू हों तो आपके प्रति आइन्दा लोगों को विश्वास प्राप्त होगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : माननीय सभानेत्री महोदया....

श्रीमती सभानेत्री : यह आवश्यक नहीं है कि सभी व्यक्ति इस पर बोलें। काफी विवाद हो चुका है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपने एक मिनिट तो वैसे ही लगा दिया। मुझे एक मिनिट ही बोलना है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सदन में प्रत्येक सम्माननीय सदस्य का अधिकार है बोलने का।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभानेत्री महोदया, मैं एतराज नहीं करता लेकिन बयाना से आने वाले माननीय सदस्य जो कानून के जानकार हैं वे कहते हैं कि उनको बोलने का अधिकार है। मैंने स्टेटमेंट आज दिया है। यह पहले तय हो चुका है कि स्टेटमेन्ट के ऊपर किसी को भाषण देने का अधिकार नहीं है। केवल स्पेसिफिक सवाल ही पूछ सकते हैं। आपका यह कहना कि अधिकार है यह आपका खयाल गलत है और अध्यक्ष महोदय ने तय कर दिया है कि किसी स्टेटमेन्ट के ऊपर कोई भाषण नहीं होगा और केवल क्लेरीफिकेशन के लिए कुछ क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं।

श्री विजयसिंह : सभानेत्री महोदया इनका स्टेटमेन्ट था ही नहीं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सभानेत्री जी, मंत्री प्रवर ने अपनी योग्यता के साथ इस सदन का ध्यान और मेरा ध्यान खास तौर से इस बात की तरफ उठाया कि सदन में कुछ तय हो गया है कि स्टेटमेन्ट के बाद कोई स्टेटमेन्ट नहीं होगा। मैं जहां तक समझ पाया हूं माननीय मंत्री प्रवर का कोई स्टेटमेन्ट नहीं आया उन्होंने अपील की और उसके साथ ही मैंने भी अपनी अपील लगा दी। लेकिन मैं समझता हूं कि इतना न जाने कहां तक समझ पाये हैं कि उनका स्टेटमेन्ट हो गया है और उस गाड़ी में अकेले ही चलें वह और दूसरों की पूंछ भी नहीं लग सकती। यह उनकी बुद्धि है जिसके लिये मैं कुछ नही कहना चाहता हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभानेत्री महोदया, माननीय गृह मंत्रीजी ने जिस भावना से अपील की है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं और हूजा साहब जैसे ईमानदार और सच्चे आदमी को, ऊंचे से ऊंचे पद वाले को इसके लिये नियुक्त किया है इससे पूरी आशा है कि निश्चय ही अच्छे

Page No. 107

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

परिणाम आयेंगे और पूरा न्याय होगा। माननीय लोढ़ा साहब ने जो उपवास किया है किसी भी कार्यकर्त्ता की पिटाई के ऊपर अगर उनका लीडर उपवास करता है तो कार्यकर्त्ता निश्चित-रूप से काम कर सकते हैं इसमें कोई शक नहीं। इसलिये मैं लोढ़ा साहब को बधाई देता हूं लेकिन अब मैं साथ में यह भी प्रार्थना करता हूं कि जब गृह-मंत्रीजी ने इतनी भावना के साथ अपना स्टेटमेंट दिया है, उनका जीवन मूल्यवान है इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि वह उपवास को तोड़ दें, और साथ ही सत्ताधारी ग्रुप से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उनके ध्यान में होना कि आज वो सत्ता के ऊपर हैं। और कल दूसरी पार्टी सत्ता के ऊपर आ सकती है और अगर इधर के कार्यकर्ताओं की पिटाई हो सकती है और उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो वह स्थिति भी आ सकती है कि दूसरे कार्यकर्ताओं की पिटाई हो। लेकिन मेरा विश्वास है कि गृह-मंत्रीजी के ध्यान में है। इसलिये पूरी निष्ठा के साथ इसमें लगे हुए हैं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि वह अपना उपवास तोड़ें। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शिवनाथसिंह (गुंडा) : सभानेत्री महोदया, अभी जैसा कि हाउस के सामने है, मैं मानता हूं लोढ़ा साहब का जीवन बहुत ही मूल्यवान है और हम उनको बहुत ही श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और उन्होंने आत्मा की प्रेरणा से कदम उठाया है। हम अनशन को अच्छा मानते हैं। उन्होंने किसी अन्याय के खिलाफ सर उठाया है, यह हाउस सर्वोपरि है। लेकिन मैं मानता हूं कि जब आत्मा की आवाज उठी है तो हाउस की अपील कोई माने नहीं रखती। आत्मा की आवाज बहुत ऊंची होती है। अब केवल यह कि हाउस का सारा वर्ग उनसे अपील करें....

श्री रामचन्द्र आर्य : यह हाउस की अपील नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : This is an appeal of individuals and party leaders.

श्री शिवनाथसिंह : उसी रूप को लेकर यदि उनकी इच्छा थी कि सभी पार्टियों के नेता और सदन के सदस्य मुझसे अपील करें और उससे मेरा गौरव बढ़ेगा, तो मैं निवेदन करूंगा कि वह अपनी हड़ताल छोड़ दें। यह नहीं होना चाहिये कि किसी अन्याय के खिलाफ किसी बात को गलत मानते हुए जो अनशन किया है उसे हाउस की अपील से तोड़ें। अनशन तो आत्मा की शुद्धि के लिए होता है। वह अपनी आत्मा को शुद्ध करें और दूसरों पर असर डालें। उनका जो पवित्र उद्देश्य है उसमें यह बाधक नहीं हो सकता और इस अपील से उनके उद्देश्य की पूर्ति होगी या अब उनका उद्देश्य पूरा हो जाय तो अनशन तोड़ें, इससे उनको बल मिलेगा और जिस खास उद्देश्य के लिये और पवित्र काम के लिये वह अनशन कर रहे हैं हमको उससे बल मिलेगा। कल को हमें भी अनशन करना पड़ सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वह अपने विवेक से काम लें और अपनी आत्मा की आवाज को मानें।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसका मतलब यह हुआ कि वह भूख हड़ताल नहीं तोड़ें।

श्री मदनसिंह : इसका मतलब यह है कि जो आत्मा का बल है वह इन्दिराजी के पास है, उनसे अपील करवायें?

श्री भैरोंसिंह : माननीय सभानेत्री महोदया, माननीय गृह मंत्रीजी के वक्तव्य के बाद और जिस भावना से उन्होंने गुमानमलजी लोढा से यह निवेदन किया है कि वे अपनी भूख-हड़ताल तोड़ दें, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की स्थिति के पैदा होने के पहले यदि सरकार पहले से ही सतर्क हो जाती तो न तो भूख-हड़ताल करने की नौबत आती और न ही इस हाउस में इस प्रकार की चर्चा होने का यह अवसर आता। माननीय सदस्यों को जानकारी होगी कि यह घटना २० तारीख को है और २० तारीख के बाद गुमानमलजी लोढ़ा ४ तारीख को पोकरण गये उस समय तक सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभानेत्री महोदया, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि यह बात सही नहीं है कि सरकार ने किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की। सरकार के पास २६ तारीख को टैलीग्राम आया जनसंघ का और २६ तारीख को ही ऑर्डर इश्यू हो गये कि कलेक्टर रिपोर्ट भेजे, और इससे पहले ही कलेक्टर के पास शिकायत पहुंच गई और कलेक्टर ने पहले ही एन्क्वायरी के आर्डर कर दिये। इसलिए यह सवाल आपका कि सरकार ने कार्यवाही नहीं की, सही नहीं है। जनसंघ का नसीराबाद का रिजोल्यूशन ६ तारीख को आया है तीन तारीख का भेजा हुआ। उस के बाद गुमानमलजी का पत्र अखबारों में प्रकाशित हुआ। ज्योंही जानकारी मिली तुरन्त कार्यवाही की गई और तुरन्त एक्शन लिया गया सरकार की ओर से चाहे वह कलेक्टर के लेवल पर हो, चाहे स्टेट लेवल पर हो। किसी प्रकार की कोई डिले एक दिन की भी नहीं की गई।

श्री विजयसिंह : इतने दिनों में क्या किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप बैठे रहिये। आपकी समझ में नहीं आयेगा।

श्री भैरोंसिंह : मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि २० तारीख की घटना के बाद जो आज सरकार ने एक्शन लिया है कि रेवेन्यू बोर्ड के चैयरमेन को जांच के लिए नियुक्त किया है, मैं समझता हूं (श्री शिवनाथसिंह के बोलने पर) आप जरा सुनिये यह बात भी।

मैं यह बात कहना चाहता हूं कि सरकार ने उस समय तक कोई एक्शन नहीं लिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही हो सकता है कि सरकार ने कलेक्टर को जांच करने के आदेश दिये हों, लेकिन गृह मंत्रीजी इस को स्वीकार करेंगे कि यह बात भी सही है कि कलेक्टर ने एस. डी. ओ. को जांच करने के लिए नियुक्त किया था। गृह मंत्रीजी इस बात को भी स्वीकार करेंगे कि गुमानमलजी ने अपने पत्र में एस. डी. ओ. के खिलाफ इस बात का भी आरोप लगाया है कि एस. डी. ओ. के परामर्श से पुलिस अधिकारियों ने त्रिभुवन एडवोकेट को पीटा है, इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य ऐसा मिल जाय वह यह कह दे कि जिस व्यक्ति की शिकायत की हो उसी को स कार जांच के लिए नियुक्त करे तो उस जांच के बारे में लोगों में किस प्रकार की धारणा बनेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं, सभानेत्री महोदया, आपकी सूचना के लिए यह बात

Page No. 109

(श्री दामोदरलाल व्यास)

बताना चाहता हूं कि जहां तक मैंने कागजी को देखा है वहां तक एस. डी. ओ. के खिलाफ गुमानमलजी के पत्र में पहले एक भी एलीगेशन कोई नहीं लगाया गया था। तार जो दिये गये थे उनमें से किसी में उनके खिलाफ शिकायत नहीं थी बल्कि एस. डी. ओ. के समक्ष त्रिभुवनजी एडवोकेट और परसा महाराज ने एप्लीकेशन पेश की है उसमें एक भी एलिगेशन नहीं था और एस. डी. ओ. को कलेक्टर ने स्वतः ही जांच के लिए नियुक्त किया और जो रिपोर्ट यहां आई थी उसके पहले ही मुकर्रर कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : ऐसा नहीं है। मुझे खेद प्रकट करना पड़ेगा कि सरकार यदि यही मानकर चले कि जिसको पीटा है वह जब तक इत्तिला न दे तब तक सरकार मूव नहीं करेगी। इस बात के कितने खतरनाक परिणाम हो सकते हैं सरकार स्वयं अन्दाज लगा ले। मैं ऐसा समझता हूं कि जब तक एडवोकेट गुमानमलजी लोढा जो जनसंघ के कार्यकर्ता हैं इस प्रकार का एक्शन नहीं लेते तो सम्भव है कि कोई एक्शन आप नहीं लेते।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : एक्शन तो उसके पहले ही हो गया था।

श्री भैरोंसिंह : उसके पहले जो एक्शन हुआ वह कलेक्टर ने लिया और एस. डी. ओ. को नियुक्त किया और एस. डी. ओ. के खिलाफ लोगों की शिकायतें थीं और उन शिकायतों.......

श्री मूलचन्द डागा : एस. डी. ओ. के खिलाफ शिकायत नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह : आप जरा पढ़कर देखेंगे तो आपको पता लगेगा।

श्री मूलचन्द डागा : पहले नहीं थी।

श्री विजयसिंह : आप पाली तक पढ़े हैं।

श्री भैरोंसिंह : एस. डी. ओ. के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गई, लेकिन जिनकी पिटाई की गई है उनको निश्चित रूप से मालूम था कि एस. डी. ओ. के कारण यह घटना हुई है तो वे लोग एस. डी. ओ. को आपरेट करने को तैयार कभी नहीं होंगे।

इस प्रकार की सिचुएशन बनी है कि कांग्रेस पार्टी ने जो प्रस्ताव पास किया है यदि उस प्रस्ताव को ही ध्यान से पढ लें तो आपको कम से कम इस बात का विश्वास होगा कि कितनी निर्ममता से इन लोगों की पिटाई हुई है। आप जनसंघ पार्टी पर विश्वास न करें यह समझ में आ सकता है मेरे पर विश्वास न करें यह समझ में आ सकता है, संसोपा और बी. के. डी. पर विश्वास न करें यह समझ में आ सकता है लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो प्रस्ताव पास किया है उसमें गम्भीर आरोप लगाये हैं, उसमें निर्ममता से पिटाई करने का उल्लेख किया है, वह बात तो उन्होंने भी लिखी है कि इस तरह से त्रिभुवन एडवोकेट के मजिस्ट्रेट के चेम्बर में पीटा गया है और परसा महाराज को पीटा गया है, ये सब बातें हुई हैं। यह बात भी नहीं है कि सरकार को इसकी जानकारी नहीं मिली हो या सरकार को केवल जनसंघ ने जानकारी दी हो तब तक उसको जानकारी नहीं मिली हो, इस को कांग्रेस पार्टी ने मूव किया है, इसको जोधपुर के एडवोकेट्स ने मूव किया है और

(श्री भैरोंसिंह)

उन्होंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शिकायत की है। जानकारी जितनी दी जा सकती थी उतनी दी गई है। उसके बावजूद भी कोई प्रभावी कार्यवाही नजर नहीं आई तो गुमानमलजी लोढा ने सरकार को इस सम्बन्ध में निवेदन किया था और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का फैसला किया कि राजस्थान की जनता में राजनैतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ यदि इस प्रकार का व्यवहार होगा तो राजनैतिक दल और राजनीति ही नहीं रहेगी बल्कि लोकतन्त्र भी नहीं रहेगा। इस मजबूरी के साथ में उन्होंने भूख हड़ताल का निर्णय लिया उनकी प्रतिष्ठा भूख हड़ताल पर बैठने वाली नहीं थी माननीय शिवनाथसिहजी यदि हाउस की अपील पर भूख-हड़ताल समाप्त करने को अपनी प्रतिष्ठा समझते हों तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की अपील से गुमानमलजी की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ने वाली है बल्कि लोकतन्त्र के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ती है, इस हाउस के प्रति इज्जत होती है, इस हाउस के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ता है। गुमानमलजी लोढा के लिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वे एक राजनैतिक दल के कार्यकर्ता हैं, लेकिन यदि इस लोकतन्त्र के मन्दिर से हम किसी नागरिक को अपील करें तो मैं समझता हूं कि इससे हाउस के अपमानित होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस बात में गौरव अनुभव करने की आवश्यकता है कि हम लोकतन्त्र में विश्वास करते हैं और लोकतान्त्रिक पद्धति से केवल राजनैतिक दल ही नहीं, बल्कि राजस्थान का कोई भी नागरिक भूख-हड़ताल करता है तो इस हाउस को काग्नीजेन्स लेना चाहिए और काग्नीजेन्स लेने के बाद जिम्मेदारी के साथ में उस व्यक्ति से कहे कि भूख-हड़ताल न करे क्योंकि सरकार इस मामले में जांच कर रही है और जांच के परिणाम जो आयेंगे उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री शिवनाथसिंह : इस हाउस को उनके लिए टूल नही बनना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : मुझे इस बात का दुःख है कि आप इस बात को हाउस को टूल बनाने की बात मानते है। यह बात आप इस तरह से यहां पर मत कहिये। आप पहले मुख्य मंत्रीजी से कहें कि गृहमंत्रीजी जिन्होने इस हाउस को टूल बनाया है, फिर से कहिये जिन्होंने इस हाउस को पहले टूल बनाया है। वहां जाकर तो आपसे कहने की हिम्मत नही बनती है, लेकिन हाउस की प्रतिष्ठा गिराने के लिए यहां पर कहते हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने समय-समय पर टूल बनाया है, यह आप कहें। यह आप निश्चित: मानकर चलें कि इससे हाउस टूल नही बना है टूल बने हैं तो मुख्य मंत्रीजी बने हैं, टूल बने हैं। तो गृह मंत्रीजी बने हैं मैं यह कहना चाहूंगा कि हम टूल नहीं बना रहे हैं। हमने तो इससे हाउस के सम्मान को ऊंचा किया है। यदि इस प्रश्न को टूल बनाने की बात को लेकर चलें तो आप आइये उदयपुरवाटी में आज जो किसान मांगों को लेकर आन्दोलन चला रहे हैं और आप भूख-हड़ताल पर बैठ जाइये तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपसे गृहमंत्रीजी और मुख्यमंत्रीजी ही नहीं यह सारा हाउस आपसे अपील करेगा कि शिवनाथसिंहजी भूख-हड़ताल कर रहे हैं।

श्री शिवनाथसिंह : मै ऐसा नहीं करने वाला हूं।

श्री विजयसिंह : हिम्मत नहीं है।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : आप तो बिड़लाजी की मोटर में चढ़ने वाले हैं।

श्री भैरोंसिंह : माननीय रामनारायणजी चले गये हैं। बिहार में कांग्रेस के लोग भूख-हड़ताल पर बैठे हैं। दिल्ली में कांग्रेस के लोग भूख-हड़ताल पर बैठे हैं, यू. पी. में कई दिनों तक भूख-हड़ताल का क्रम चलता रहा तो उन लोगों ने अपील की है। इन्दिराजी को सन्त फतेहसिंह से अपील करने की आवश्यकता नहीं थी। हमारे राजनैतिक जीवन में हमें इस प्रक्रिया को लेकर चलना पड़ेगा कि सरकार और जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के माध्यम अपनाने होंगे।

(३. ४८ म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

संविधान के अधिकारों की जानकारी के अभाव में यह कह दें कि यह संविधान में प्रदत्त अधिकार नहीं है, तो शिवनाथसिंहजी और रामनारायणजी मुझे क्षमा करेंगे कि इस प्रकार का अधिकार सबको मिला हुआ है जनता का ध्यानाकर्षण करने के लिए।

अब जहां तक मूल मुद्दे का प्रश्न है तो मैं इस विश्वास के साथ कि माननीय गृह मंत्रीजी यह बात कह रहे हैं कि एन्क्वायरी रिपोर्ट आने के बाद, एन्क्वायरी निष्पक्ष होने के बाद उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जायगा। उसमें किसी प्रकार की बात नहीं होगी। एस. डी. ओ. को जैसा कि कहा गया है कि रूटीन वे में ट्रान्सफर कर रहे हैं और सब-इन्सपेक्टर का ट्रान्सफर कर रहे हैं और सिक्योरिटी में इस मामले के मुल्जिमों को पकड़ा गया है उनको रिहाई के आदेश दे रहे हैं। इस भावना के आधार पर मैं गुमानमलजी से अपील करूंगा कि उन्हें भूख-हड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है और उनको अपनी भूख-हड़ताल तोड़ देनी चाहिए।

श्री सभापति : श्री देवीदत्त गाड़िया।

श्री विजयसिंह : सभापति महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है। स्थगन प्रस्ताव केवल रखने के लिए नहीं है। मैं बोलना चाहता हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि पुलिस अधिकारी इस प्रकार की हरकतें करते हैं। राजनैतिक लोगों को दबाने के लिए क्या-क्या किया जाता है। मैं गृह मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि बेरी कमीशन रिपोर्ट में आये हुए पुलिस अधिकारियों को फीतें मिली हैं। वहां एस० पी० को और फीतें मिल जाएं। ऐसे निकम्मे अधिकारियों को चेतावनी दे देना चाहता हूं कि हम थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देंगे। और गोली का जवाब गोली से देंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदय ?

एक माननीय सदस्य : महोदया नहीं महोदय बैठे हैं। (हंसी)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सभापति महोदय, जयपुर से आने वाले श्री भैरोंसिहजी ने एक बड़ा सिद्धान्त सदन के सामने रखा है। मैं इस सम्बन्ध में उनका ध्यान आकर्षित

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

करना चाहता हूं। जनतन्त्र प्रणाली का नाम लेकर आप ने जो बात कही है, मैं उस अपील के लिये धन्यवाद देता हूं जो माननीय गृह मंत्री ने की है। एक तथ्य है जिस पर हम को सोचना पड़ेगा। सोचना यह पड़ेगा कि यह उपवास का तरीका जनसंघ के अध्यक्ष गुमानमल लोढ़ा ने अपनाया है तो मेरा खयाल है कि कानून की किताबें बन्द कर देनी चाहिए। इस जनतन्त्र के युग में सार्वजनिक कार्यकर्त्ता की पुलिस द्वारा या अधिकारियों द्वारा पिटाई हो रही है, उसका निर्णय हम उपवास के द्वारा करने लगे हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि यह रास्ता महात्मा गांधी का बताया हुआ नहीं है। हम आजादी के लिए उस रास्ते से लड़े। लेकिन आज जनतन्त्र प्रणाली में वह दबाव का रास्ता अपना रहे हैं। रामलू मर गये। फेरूमान मर गये। हमें जनतन्त्र में यह निर्णय करना है। हमें वैधानिक मार्ग द्वारा निर्णय करना है। पुलिस की ज्यादती हो तो उसका भी हमें निर्णय करना है। यह जनसंघ के महान नेता किसी जनतान्त्रिक पद्धति का निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले यह सोचना पड़ेगा कि आखिर हम सदन को कहां ले जाना चाहते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतन्त्र का यह रास्ता नहीं है। लोकतन्त्र का रास्ता विचारों के द्वारा, विचारों के दोहन के द्वारा समस्या को हल करना है। इसके लिए जनतन्त्र का तरीका है। उपवास का तरीका नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : लोकतन्त्र कहां है? कौन सी दुनियां में लोकतन्त्र है? क्या राजस्थान की सरकार लोकतन्त्र मान रही है?

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य : गंगानगर के सत्याग्रह में लाठियों और गोलियों से सब को मारा है। महिलाओं को मारा है। कहां है लोकतन्त्र? शर्म नहीं आती है कहते हुए।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : माननीय रामचन्द्रजी जनता द्वारा ही इस सदन में बैठे हैं। जनतन्त्र द्वारा ही सरकारें बनी हैं।

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं। गलत।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह जनतन्त्र से नहीं बनी हैं। लोगों को मार कर बनी हैं। जौहरी बाजार में लोगों को गोलियों से मार कर बनी है। यह हत्यारी सरकार है।

कई माननीय सदस्य : (कांग्रेस पक्ष) गलत। गलत।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : आप सब साथ बोल रहे हैं तो यह भी बोल रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप कहने लायक नहीं हैं। इस सरकार ने देश के प्रजातन्त्र का दिवाला निकाल दिया है।

(हीयर-हीयर)

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, मैं माननीय नाहर साहब से निवेदन करूंगा मैं आपकी मार्फत निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री दौलतराम सारण : इस अवसर पर विवादास्पद मुद्दे नहीं उठायें तो ज्यादा अच्छा होगा। इस समय कटुतापूर्ण वातावरण नहीं बनाएं तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप लोकतन्त्र की बात करते हैं। इन्होंने नक्सलपन्थी होने का स्टेटमेंट दिया था। जब जनता के सामने भण्डा फूट जाता है तब उसी मुंह से यह क्या कहते हैं? एक महीने में लोगों को रौंद कर रख दिया है। कहते हैं वहां के लोग नक्सलपन्थी हैं।

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज। श्री नाहर साहब, आप जल्दी समाप्त करें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इन्हीं शब्दों में और इन्हीं की भाषा में बोलने की कोशिश करूं तो शायद ईंट पत्थर की बात होगी।

श्री मदनसिंह : होम मिनिस्टर ने कुछ अच्छी बातें कही हैं। आप गोलियां खिलवा रहे हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : लोढ़ा साहब कानूनी रास्ता लें। बुरा नहीं है लेकिन हम भूख-हड़तालों का अब तक का महत्व देख रहे हैं। यह लोकतन्त्र का रास्ता नहीं है। इसके लिए बुद्धिवाद ही एक रास्ता है।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। श्री देवीदत्त गाड़िया।

(४ म० प०)

विनियोग (संख्या २) विधेयक, १६७० पर अग्रेतर विचार

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय सभापति महोदय, आज वित्त मंत्रीजी ने सदन के अन्दर अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में यह विनियोग विधेयक जो पेश किया गया है और छियालीस मांगों के सम्बन्ध में लाखों रुपयों का बजट पेश किया है....

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : यह किसे सुना रहे हैं? वित्त-मंत्रीजी नहीं हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : कोई नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अनुपूरक बजट में लाखों रुपयों की स्वीकृति लेने और लाखों रुपयों के धन की स्वीकृति लेने से ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है....

श्री रामसिंह कुड़ी : कहां ? सरकार उठ गई है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कोई मंत्री महोदय नहीं बैठे हुए हैं, सभापति महोदय, यह सदन का अपमान है। एक माननीय सदस्य बजट पर चर्चा कर रहे हैं और मंत्री महोदय नहीं हैं–यह क्या बात है ?

श्री सभापति : उप-मंत्री बैठे हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : इनको सब्जेक्ट नहीं है। वित्त मंत्री कौन है ?

श्री पृथ्वीसिंह : वित्त मंत्री कौन है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह सिद्धान्ततः खिलाफ है....

श्री यशवन्तसिंह नाहर : हैं, और एक और आ गये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माफ कीजिये, मैंने आपको देखा नहीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार से एक दिन के अन्दर लाखों रुपये की अनुपूरक मांगों को पास करवाना जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो इस सदन में आकर बैठते हैं, उनकी भावनाओं को उनके विचारों के ऊपर ध्यान नहीं देकर इस तरह की बातों को उन पर थोपना-इससे ऐसा लगता है कि राजस्थान की सरकार लोकतंत्र से हट कर तानाशाही के पथ पर अग्रसर हो रही है।

आज हमारे सामने यहां राजकीय गाड़ियों के सम्बन्ध में करीब पांच लाख रुपये की मांग की बात प्रस्तुत की, मंत्रियों की कारों के सम्बन्ध में। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि आप बारम्बार मंत्रियों के लिए कारों के खरीद के बारे में यह मांग रखते हो, राजस्थान की गरीब जनता के ऊपर यह जबरन भार थोप रहे हो-क्या यह कार इसलिए खरीदी जाती है कि मंत्री का लड़का सरकारी कार में बैठ कर जाय साथ में हथियार लेकर जाय और विवेकानन्द छात्रावास...

श्री मूलचन्द डागा : यह गलत है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : विवेकानन्द छात्रावास में जाकर विद्यार्थियों पर हमला करे और उनकी जान के साथ में खिलवाड़ करे....

श्री मूलचन्द डागा : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर !

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, इस प्रकार की बात उस मामले के लिए कहना उचित नहीं है जो केस सबजुडिस है और कोर्ट में चल रहा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कोर्ट में नहीं चल रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : इस मामले पर डिस्कस करने का सवाल पैदा नहीं होता जिसे आप उठा रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपको पता नहीं है।

श्री भगवानदास शास्त्री : लड़के हमला करें और जान से मारने की कोशिश करें उसके बाद में भी उनको छुपा कर घर में बैठा रखा था।

श्री मूलचन्द डागा : मैं कहना चाहता हूं कि यह जो मामला है, इसमें जमानत हो चुकी है। कोर्ट में मामला है यह कोर्ट ने इसको देख लिया है, इसका कॉग्नीजेंस लिया है। आप इस पर न बोलिये।

श्री भगवानदास शास्त्री : आपको इसका ज्ञान नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपको कैसे मालूम पड़ा कि यह कोर्ट में चल रहा है।

श्री सभापति : यह ठीक कह रहे हैं। यह सबजुडिस है। आर्डर प्लीज ! यह ठीक कह रहे हैं। यह सबजुडिस है। आप जिस तरह बोल रहे हैं वह आक्षेप लगाने की तरह बोल रहे हैं।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : यह सबजुडिस नहीं है जिस पर आप बोल रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : भासन का निर्णय हो गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या निर्णय हो गया। बैठ जाओ।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, जब आसन का निर्णय हो गया...

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, सभापति महोदय वैसे जो आपने व्यवस्था दी है मैं उसके सम्बन्ध में निवेदन नहीं करना चाहता। लेकिन एक बार पुनः अपील मैं करना चाहूंगा कि यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या हम यह मान कर चलें कि किसी घटना के होने के बाद जैसे ही पुलिस काग्नीजेंस उस केस को लेती है और मुलजिमों को पकड़ कर सी. आर. पी. सी. के तहत रिमाण्ड के लिए कोर्ट में मुलजिमों को पेश करना चाहती है और उसके साथ साथ मुलजिमों को बेल एप्लीकेशन देने का अधिकार हो जाता है—तो क्या इस स्थिति में मान कर चलें कि वह केस सबजुडिस हो गया ?

श्री मूलचन्द डागा : अब कोर्ट में चला गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : Let me express my own opinion.

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्यों चिल्लाते हो।

श्री मूलचन्द डागा : बराबर हक है। गलत बात कह रहे हो।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जाय। कहीं इस स्टेज पर यह कह कर कि यह मामला सबजुडिस है, हमेशा के लिए हमारे विचार व्यक्त करने के अधिकार को तो समाप्त नहीं कर देना चाहते हैं ? अभी स्टेज इतनी ही है कि इस केस का चालान गवर्नमेंट द्वारा नहीं हुआ है। पुलिस द्वारा मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस द्वारा रिमाण्ड लिया गया है। उसके बाद में बेल एप्लीकेशन मूव हुई है। और वह एक्सेप्ट हुई है। मैं समझता हूं कि इस स्टेज पर यह कह कर कि मामला सब जुडिस है, कहीं हमारे विचार व्यक्त करने के अधिकार को तो समाप्त नहीं करना चाहते हैं। मैटर सब जुडिस तब होगा जब इसका चालान हो जायगा, कोर्ट कॉग्नीजेंस ले लेगी और केस स्टार्ट हो जायगा मैं निवेदन करता हूं कि आपने जो निर्णय दिया है उस पर आप पुनः विचार करें।

श्री मूलचन्द डागा : कोर्ट में मामला चला गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वकील होकर इस प्रकार की बात कहते हो।

श्री मूलचन्द डागा : आप गलत आक्षेप लगा रहे हो।

श्री भगवानदास शास्त्री : आप इस तरह की बात करते है. आपको शर्म आनी चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : आप जिस प्रकार की बात कर रहे हैं यह बात कह कर आप केस को प्रिजुडिस करते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं जो कह रहा हूं वह अन्डर सेन्टीमेंट्स नहीं कह रहा हूं। मैं जो कुछ कह रहा हूं, वह अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए कह रहा हूं, भविष्य के लिए अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए कि इस मामले को भविष्य में उठा सकते हैं, यह समझकर कह रहा हूं। इसको सेन्टीमेंट्स और इमोशनल वे में नहीं कह रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : बिल्कुल इमोशनल वे में कह रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं कह रहा था कि इस प्रकार से जो मंत्रियों को कारें दी जाती हैं उनका राज्य कार्य के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। वह कार इसलिए नहीं दी जातीं कि उनके अन्दर मंत्रियों के लड़के और मंत्रियों के रिश्तेदार इस प्रकार से बैठें, उसमें इस प्रकार से हथियार रख कर जायं और विश्वविद्यालय के छात्रावास में घुस कर विद्यार्थियों पर अत्याचार करें और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करके उस कार के माध्यम से वह फरार हो जायं और पुलिस उनको पकड़ नहीं सके। सभापति महोदय, यह राज्य की कार इसलिए नहीं है कि मंत्रियों के लड़के इस प्रकार से लड़कियों को ले जाकर गवर्नमेंट होस्टल के अन्दर और विधायक पुरी के अन्दर व्यभिचार का अड्डा बनायें....

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, इस प्रकार से वेग....

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से गैर सरकारी कार्य के अन्दर सरकार की कार का उपयोग किया जाय....

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, इस प्रकार से वेग, जनरल एलीगेशन और बेसलेस एलीगेशन लगा रहे हैं। डिस्कशन हो रहा है, डिमाण्ड पर और आप बोल रहे हैं मंत्रियों के लड़कों पर। इस प्रकार जनरल एलीगेशन लगाना दोषपूर्ण है। इन्हें प्रोसीडिंग्स से हटाया जाय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपको ध्यान नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : बिल्कुल ध्यान है।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज !

श्री मूलचन्द डागा : मेरा सख्त विरोध है, सभापति महोदय ! माननीय सदस्य इस प्रकार गन्दे आक्षेप और लांछन न लगायें।

श्री विजयसिंह : आप पीछे बैठे हैं, आप रोक नहीं सकते।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप वकील होते हुए इस प्रकार की बात कहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, यह उत्तेजनापूर्ण वातावरण पैदा करना चाहते हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य ! आप संयत भाषा का प्रयोग करें।

श्री विजयसिंह : किस प्रकार भाषा असंयमित हो गई है। कार के बारे में कहना किसी पर लांछन है। यह मिस यूज ऑफ कार है।

श्री सभापति : इस प्रकार की भाषा का प्रयोग न करें। संयमित भाषा का प्रयोग करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं वही कर रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : वही कीजिये। मैं जानता हूं, आप वह नहीं कर रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : (श्री यशवन्तसिंह नाहर के खड़े होने पर) माननीय नाहर साहब, आप बोल रहे थे तब आपने कहा था

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

कि आप व्यवधान न डालें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री यशवन्तसिंह नाहर : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ आर्डर। मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री विजयसिंह : यह कोई मिनिस्टर के बाप का राज्य है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या ? बाप का राज्य क्या होता है ?

श्री विजयसिंह : बिल्कुल नहीं है। मिनिस्टर के ताऊ का राज्य नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : इस प्रकार की भाषा अनपार्लियामेन्ट्री है।

श्री विजयसिंह : यह बात कोई अनपार्लियामेन्ट्री नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, इस प्रकार बाप बाप बोलते हैं, यह भाषा अनपार्लियामेन्ट्री है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सभापति महोदय, अभी जैसा....

श्री विजयसिंह : न मिनिस्टर के ताऊ का राज्य है, न मिनिस्टर के चाचाजी का राज्य है, न हम उन्हें जानते हैं। इस प्रकार की बातें बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

श्री मूलचन्द डागा : इस प्रकार बाप शब्द क्यों यूज करते हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सभापति महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने ऐतराज उठाया, सबजुडिस मामला होने का, और उसके बाद में कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने ऐतराज उठाया....

श्री विजयसिंह : कांग्रेस के ताऊ जी का राज्य नहीं है यह।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह विवादास्पद बात छोड़ दीजिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सभापति : बस, मामला समाप्त हुआ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सब-जुडिस है या नहीं यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। मैं इसके अलावा सदन का ध्यान रूल्स ऑफ प्रोसीजर के रूल २७३ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं :

"procedure regarding allegation against a person. No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply."

श्री मूलचन्द डागा : यह नियमों को तोड़ना चाहते हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। आप ठीक कहते हैं। आप जो बात कह रहे हैं, उस बात का कॉग्नीजेंस ले लिया है। आप इस प्रकार की बात न कहें जो आक्षेप की

(श्री सभापति)

तारीफ में आती हो, अभियोग की तारीफ में आती हो।

श्री भगवानदास शास्त्री : पर्टीक्यूलर नाम लेने पर आक्षेप होता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो भी कहा है उसमें स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम लेकर कहने की बात है। यह तो कोई घटना सामने रखी है और जनरल बात कही है।

श्री सभापति : इनडाइरेक्टली आप बात ऐसी न कहें जो पाइन्ट आउट करती हो किसी व्यक्ति विशेष को।

श्री मूलचन्द डागा : आप जनरल बात करिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदय!

श्री सभापति : आपको जनरल बात कहने का हक है। इनडाइरेक्टली ऐसी बात न कहें जो किसी व्यक्ति विशेष को पोइन्ट आउट करती हो।

श्री दिग्विजयसिंह : व्यक्ति विशेष की बात समझ जायं तो दोष किसका है?

श्री कृष्णकुमार गोयल : वह अपने आप समझते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं निवेदन कर रहा था, यह सरकारी जीप, यह सरकारी कार इसलिए होती हैं कि वह राज्य सरकार के काम के उपयोग में लाई जाय। मैं यह निवेदन कर रहा था कि जनता-हित के कामों में ये कारें, जीपें काम में आयें, पर वास्तव में कारें इसलिये नहीं हैं....

श्री मूलचन्द डागा : जनता के हित में काम में आती हैं...

श्री कृष्णकुमार गोयल : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से फिर निवेदन करूंगा और चेअर से प्रोटेक्शन चाहूंगा कि ये माननीय सदस्य के भाषण में इस प्रकार बाधा न डालें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य को आप (श्री डागा से) बोलने दें, कोई व्यवधान पैदा न करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं निवेदन कर रहा था कि यदि इस तरह जीपों, कारों के अन्दर चाहे वे मंत्रियों के लड़के हों, चाहे जन प्रतिनिधियों के लड़के हों, चाहे सरकारी अधिकारियों के लड़के हों या रिश्तेदार हों, इस प्रकार सरकारी कार के अन्दर शस्त्र रख कर, षड़यन्त्र रच कर किसी की हत्या करने के लिये, किसी छात्रावास में जायें और किसी छात्र की हत्या करें तो यह सदन उन कारों के लिये किसी प्रकार की अनुदान की मांगों पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता। मन्त्री का लड़का था इसलिये सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, वह हत्या कर के फरार हो गया, मन्त्री का लड़का होने के कारण उसे प्रोटेक्शन मिला, वह दूसरी जगह चला गया। लोकतन्त्र में हमने राजाओं का, सामन्तशाही का विरोध क्यों किया। राजाशाही एक व्यक्ति के अधिकार की बात थी इसलिये हमने सामन्तशाही का विरोध किया। आज जनतन्त्र में मन्त्री का लड़का खून कर दे तो खून के अपराध में

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

गरीब मजदूर हो या कोई मन्त्री हो जनतन्त्र में सबके अधिकार समान हैं इसलिये मैं निवेदन करूँगा कि....

श्री मूलचन्द डागा : जो करेगा सजा पायेगा। जिसने जुर्म किया है वह सजा पायेगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदय, मैं पुनः निवेदन करता हूं कि माननीय डागाजी बार-बार व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

श्री सभापति : आप भी कोई विवादास्पद बात नहीं कहें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कोई विवादास्पद बात नहीं कह रहा हूं।

मन्त्री का लड़का था इसलिये पुलिस ने प्रोटेक्शन दिया। ये पुलिस के अधिकारी इसलिये नहीं हैं। यदि विरोधी दलों के कार्यकर्त्ता, जनसंघ के, स्वतन्त्र पार्टी के, बी. के. डी के या और किसी विरोधी दल के कार्यकर्त्ता जनहित की मांग को लेकर लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अन्तर्गत आन्दोलन करें तो पुलिस के अधिकारी उनको दबाने के लिये उन पर जुल्म करते हैं। पोकरण के न्यायालय में एस. पी., थानेदार घुस गया जब कि किसी न्यायालय में घुसने का, किसी को गिरफ्तार करने का किसी पुलिस अधिकारी को अधिकार नहीं। एस. पी. पोकरण के न्यायालय में घुस गया और जनसंघ के अध्यक्ष श्री त्रिभुवन एडवोकेट को पकड़ कर मुंसिफ कोर्ट में ले गया।

श्री मूलचन्द डागा : इस मामले की जुडिशियल एन्क्वायरी चल रही है। एन्क्वायरी पर आप क्यों बोल रहे हैं?

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदय, इनकी बुद्धि कहां चली गई है? रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन एन्क्वायरी कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : एन्क्वायरी चल रही है...

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने बेरी साहब की खुले आम आलोचना की थी, आपने हाई कोर्ट के जज की आलोचना की थी....

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, अभी यह निर्णय हुआ कि जिन मामलों की जुडिशियल एन्क्वायरी चल रही हो उस पर नहीं बोला जाय, रेवेन्यू बोर्ड के हूजा साहब इस मामले की एन्क्वायरी कर रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह प्रेलिमिनरी एन्क्वायरी है, जुडिशियल एन्क्वायरी नहीं है।

श्री विजयसिंह : क्यों सुखाड़ियाजी की चमचागिरी कर रहे हो?

श्री मूलचन्द डागा : जिस मामले की एन्क्वायरी हो रही हो उस पर आप नहीं बोलेंगे?

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदय, इस प्रकार एक ओर पुलिस के अधिकारी नेताओं को, मन्त्रियों को खुश करने के लिये गलत प्रोमोशन पाने के लिये विरोधी पार्टियों के नेताओं पर जुल्म करके लोकतन्त्र की हत्या करते हैं, जिस प्रकार तानाशाही के जमाने में, अंग्रेजों के समय में अत्याचार होते थे उसी तरह के अत्याचार आज लोकतन्त्र में विरोधी पार्टियों के नेताओं पर पुलिस करती है। यदि मन्त्री का लड़का

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

किसी की हत्या कर जाय तो आई. जी. पी. की हिम्मत नहीं, किसी एस. पी. की हिम्मत नहीं कि उसको गिरफ्तार करे, क्योंकि आई. जी. पी. को डर है कि यदि उस मन्त्री के लड़के को गिरफ्तार कर लिया तो वह आई. जी. रहेगा या नहीं, और एस. पी. देखता है कि अगर मन्त्री के लड़के को गिरफ्तार कर लिया तो जो प्रोमोशन मिलने वाला है वह प्रोमोशन नहीं मिलेगा। आज इस प्रकार की तानाशाही राजस्थान में हो रही है, इससे जनता में भय की भावना, असुरक्षा की भावना घर करती जा रही है।

आज तो पुलिस के अधिकारियों ने यह रवैया अपना लिया है कि छात्र यदि अपनी न्यायोचित मांगों के लिये आन्दोलन करते हैं तो उन पर लाठियां चलाओ, गोलियां चलाओ, यदि किसान आन्दोलन करते है तो उन पर गोलियां चलाओ, गंगानगर का किसान आन्दोलन इसका जीता-जागता प्रमाण है, वहां पर किसानों पर गोलियां चलाई गईं।

झालावाड़ में वहां के विद्यार्थियों ने १३ तारीख को स्वर्गीय श्री दलीपसिंह की सहानुभूति में एक प्रदर्शन किया, हड़ताल की। १३ तारीख को हड़ताल का प्रदर्शन करने के बाद २ विद्यार्थी कोतवाली में खड़े थे, एक सिपाही ने उनसे पूछा कि यहां क्यों खड़े हो तो उन्होंने कहा कि बातें कर रहे हैं तो पुलिस वाले ने कहा कि यहां बातें नहीं कर सकते। इस पर कुछ उग्रता बढ़ गई और बहुत से पुलिस कर्मचारियों ने एक साथ मिल कर बेरहमी से विद्यार्थियों पर हमला बोल दिया और उन दोनों विद्यार्थियों को बुरी तरह से पीटा। जब विद्यार्थियों ने सुना तो १४ तारीख को झालावाड़ में हड़ताल की और यह मांग की कि निरपराध विद्यार्थियों को जिन पुलिस कर्मचारियों ने पीटा है उनको सस्पेन्ड किया जाय। एस. पी. वहां आये, कलेक्टर वहां आये और कहा कि जिस पुलिस के सिपाही ने विद्यार्थियों के साथ अशिष्ट व्यवहार किया है, उससे माफी मंगवा देंगे और कहा कि आप स्टेडियम पर आ जाइये। विद्यार्थियों ने कहा कि हमें पुलिस से खतरा है, तो एक हैड मास्टर ने जिम्मेदारी ली कि उनके साथ किसी प्रकार की ज्यादती नहीं की जायगी। इस पर झालावाड़ के १५०० विद्यार्थी स्टेडियम पर पहुंचे। वहां पर वह पुलिस का सिपाही सिविल ड्रेस में आकर बड़ी नजाकत के साथ कहता है। आई एम वेरी सॉरी। विद्यार्थियों ने कहा कि यह क्या क्षमा हुई, पुलिस ड्रेस में आकर उस पुलिस कर्मचारी को, जिसने कि विद्यार्थियों के साथ मार-पीट की व अभद्र व्यवहार किया, विद्यार्थियों से क्षमा मांगनी चाहिये। एस. पी. ने कहा कि क्षमा नहीं मांगेगा। एस. डी. एम. ने कहा कि कुछ नहीं होगा। वहीं पर पास में ट्रक खड़े हुए थे जिनमें मशीनगन थी, अश्रु गैस थी, बन्दूकों से लैस सिपाही थे, २०० सिपाहियों ने १५०० निहत्थे विद्यार्थियों पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, तीन मील दूर तक उन विद्यार्थियों को पीटते गये और १४४ धारा लगा दी। शाम से रात को १२ बजे तक पुलिस के निकम्मे अधिकारी और कर्मचारी झालावाड़ के नागरिकों के घरों में घुस गये, जैसे डाकू घुस गये हों, नागरिकों के मकानों की छतें तोड़ दीं, दरवाजे तोड़ दिये, खिड़कियां तोड़ दी और छात्रों को घसीट-घसीट कर बाहर निकालते रहे, उन्होंने माताओं और बहनों के साथ अशिष्ट व्यवहार किया। कोतवाल एक बुढ़िया के घर में घुस गया

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

और उसने उस बूढ़ी औरत से कहा, बुढ़िया तू मुझे नहीं जानती, मैं झालावाड़ का कोतवाल हूं, कलेक्टर ने मुझे तुम्हारा मकान तहस-नहस करने का हुक्म दे रखा है। इस तरह छतें तोड़ तोड़ कर, खिड़कियां तोड़ तोड़ कर और दरवाजे तोड़ कर, विद्यार्थियों को घरों में से खींच-खींच कर, घसीट-घसीट कर ले गये और उनको बुरी तरह से पीटा गया। क्या यह पुलिस इसलिये है कि जो लोग न्याय की मांग करें उन पर हमला कर के उन पर अत्याचार करे ?

इतना ही नहीं पुलिस की शर्मनाक ज्यादती का एक और उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं।

(श्री मूलचन्द डागा के कुछ बोलने पर)

डागाजी, आपमें जरा भी लोकतन्त्र के प्रति विश्वास है, श्रद्धा है तो आपका सिर लज्जा के मारे नीचा हो जायगा। ब्यावर के एस. पी. भरतरिया ने ब्यावर के सेठ के लड़के नेमीचन्द को बुरी तरह से मारा और घसीटकर कोतवाली ले गया। उसे इतनी बुरी तरह से मारा कि वह बेहोश हो गया, पर इससे भी उस एस. पी. की प्यास नहीं बुझी। उसने उस लड़के को बिल्कुल नंगा कर दिया और कोतवाली के सामने डाल दिया। पुलिस का एस. पी. भरतरिया वहां खड़ा था, एस. डी. एम. खड़ा था, सेठ के लड़के को बिल्कुल नंगा कर दिया। सिर्फ शरीर पर बनियान था, शरीर के अंग-प्रत्यंग दिखाई देते थे और उसे कोतवाली के दरवाजे पर पटक रखा था। क्या पुलिस इसलिये है कि लोगों को पीटे, नंगा कर दे, पुलिस की कतार खड़ी देखती रहे, एस. डी. एम. खड़ा खड़ा देखता रहे। ब्यावर का शिष्ट मंडल यहां आया था, सरकार ने क्या किया ? उस एस. पी. के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सके।

इतना ही नहीं, आपके पुलिस के अधिकारियों का हौसला कितना बढ़ गया ? आपको सुनकर ताज्जुब होगा। सवाई माधोपुर जिले में यदि कोई अपनी लड़की को लेकर बस में बैठकर आए तो पुलिस अधिकारी, हैड कॉन्स्टेबल या थानेदार उनको नीचे उतार लेते हैं। अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए। उसके बाद व्यभिचार करते हैं, फिर मारकर लाश को गायब कर देते हैं, इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है।

इतना ही नहीं आज इन सरकारी अधिकारियों का हौसला कितना बढ़ गया है ? एक ओर वित्त मंत्रीजी कहते हैं कि बांसवाड़ा के अंदर शराबबंदी कर दी और अकाल सहायता के पैसे का दुरुपयोग नहीं हुआ। लेकिन बड़े अदब के साथ मैं जानकारी देना चाहता हूं कि ४ जून, १९६९ को सकवा का जो बांध है वहां ए. ईएन. सक्सेना था। जिस समय उसका तबादला हुआ तो दावत दी गई। दावत कैसी ? जिस बांसवाड़ा जिले में शराबबंदी है, जहां अकाल राहत काम चल रहे थे, वहां खुले आम दावत के अंदर शराब उड़ रही थी। मेरे पास फोटो है, इसमें सरकारी अधिकारी ए. ईएन. व ठेकेदार बैठे हुए हैं। सभापति महोदय, किस प्रकार ये ऐशो आराम करते हैं, महफिल लगी हुई है और अकाल राहत के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इस फोटो को सदन में पेश कर रहा हूं।

श्री सभापति : फोटो दुपहर के समय की होगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जांच करवा लें। बेरी आयोग की जिस समय जांच चली तो गोली चलाने के संबंध में सरकार ने समय के संबंध में एक प्लीं ली थी, तो उसमें आयोग ने एक्सपर्ट को बुलाया और उसने जांच करके बताया कि गोली अमुक समय पर लगी थी। आप जांच करवायेंगे तो आपको पता लगेगा।

श्री मूलचंद डागा : आपने खुद ने फोटो खींची ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं आपकी भी फोटो खींचने वाला हूं। पाली के मामले में तो जिस एस. पी. ने पोकरण के अंदर बहादुरी कमाई और उस तरह से एक पुरस्कार लेने के लिये जन संघ के आंदोलन को कुचला, वहां कई पाकिस्तानी जासूस आए और उन्होंने षड्यंत्र रचा और कई व्यक्ति तो पाकिस्तान चले गए। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस एस. पी. ने लोगों को बेरहमी से पीटा, वहां उसने पाकिस्तान के जासूसों को, जो चले गये, क्या किया ?

इतना ही नहीं मैंने गत सत्र में एक बात कही थी कि पोकरण के अन्दर एक मदरसा है। २६ जनवरी को जो गणतंत्र दिवस था, वहां राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। पाक तत्वों ने उस झंडे को उतारा, राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया और पाकिस्तानी झंडा लहराया। एस० पी० व कलेक्टर को जानकारी दी लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस मदरसे के खिलाफ कार्यवाही कर सकें। आज उसी का दुष्परिणाम है कि पोकरण के अंदर पाकिस्तानी जासूस सैकड़ों की तादाद में हैं।

आप कर लगाना चाहते हैं लेकिन क्या आपने इस बात की जांच कराई कि कितना व्यापारी वर्ग के अंदर बिक्री-कर बाकी है, कितना उद्योगपतियों के अंदर बाकी है? वित्त मंत्रीजी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बारां के अंदर एक कमल साइकल स्टोर है, उसमें राज्य सरकार के करीब १६ हजार बाकी हैं, उसने अपनी फर्म समाप्त कर दी और दूसरी फर्म खोल ली और उसने ६ साल तक रिटर्न्स नहीं भरे। इतना ही नहीं, लोगों का इतना हौसला बढ़ गया कि सरकारी अधिकारियों से सांठगांठ करके, आज सी० एस० टी० के फार्म्स गायब हो गए, उसको तरफ ३८ सी० एस० टी० फार्म्स बाकी हैं, उनका पता नहीं। लाखों रुपये बिक्री-कर के बाकी हैं, लेकिन राज्य सरकार उनसे वसूल नहीं कर सकती।

आपने गाड़ियों के लिए और पंचायत चुनावों के लिए पैसा मांगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आप बारंबार चुनाव स्थगित करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, वोटर्स लिस्ट्स बनाते हैं, यह आपकी तुगलकशाही राजस्थान की जनता के लिए उपयुक्त नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो मुझे १५ मिनिट ही हुए हैं। भू-राजस्व के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। कल वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि हमने इस वर्ष आदिवासियों, अनुसूचित जाति व जन-जातियों को ११,००० बीघा जमीन आवंटित की है। इस प्रकार से वित्त मंत्रीजी ने थोथी वाहवाही लेने के लिए यह नाटक रचा है। कोटा जिले में जिलाधीश ने ६ हजार अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोगों को ११,००० बीघा जमीन आवंटित की यानी एक व्यक्ति को दो बीघा। क्या इससे वे लोग भूमिहीन नहीं रहेंगे? क्या वे भूमियों के मालिक बनाए गए? क्या

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

वे अपना रोजगार चला सकते हैं ? ये थोथे आंकड़े हैं। जमीन किनको मिलती है ? सभापतिजी, आप किसान के बेटे हैं, राजनीति में भाग लेने के नाते, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा जिले में किशनगंज व शाहबाद में सहरिया हैं, वहां २० हजार की आबादी इनकी है जिनके बारे में नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं। स्वर्गीय माणिक्यलालजी वर्मा की स्मृति में मेरी आंखें नीची हैं, जिन्होंने १९६१-६२ में उनको जमीन दिलाने के लिए संघर्ष चलाकर सुखाड़ियाजी से एक सब-कमेटी बनवाई और सहरियों को जमीन दिलाई, लेकिन उस भूमि पर आज सहरियों का कब्जा नहीं है। उस समय सहरियों को करीब २० हजार बीघा भूमि आवंटित की गई। लेकिन वह आज उनके पास नहीं है, वह नाटक किस प्रकार से हुआ ? जमीन आवंटित की गई, पट्टा दे दिया गया लेकिन वहां के तहसीलदार, एस० डी० एम० और कलेक्टर ने पट्टे देने के बाद, राजस्व मंत्री, आप जरा कान खोलकर सुनलें, आपके विभाग से संबंधित है, किस प्रकार से वहां के इलाके के सहरियों की जमीनों के पट्टे मिल गए लेकिन उनके खाते नहीं बांधे गए और उस समय के सेटिलमेंट ऑफिसर श्री दुलीचंद जैन ने १९६१-६२ में टुकड़े काटकर जिन सहरियों को जमीन दी थी, वह बड़े जमीदारों के नाम फर्जी कार्यवाही करके खाते बांध लिए। बाकी जमीन जो बची, किशनगंज व शाहबाद के उन सहरियों के नाम न कराकर बड़े-बड़े जमींदारों के नाम दो गवाह लेकर सहरियों की सारी जमीन, जिनके पास ५-५ हजार बीघा जमीन है, उनको दे दी और माणिक्यलालजी वर्मा ने जिनको खून-पसीना एक कर जमीन दिलाई थी, उस जमीन पर बड़े-बड़े जागीरदारों व जमीदारों ने कब्जा कर रखा है। आपने उस पर क्या किया ?

आज तहसीलदारों का कितना हौसला बढ़ गया है। लोग कहते हैं कि तहसील का काम बड़े सुचारु रूप से चल रहा है, लेकिन जो आदमी आज जिंदा है उसके लिए लिख दिया जाता है कि फौत हो गया। उसके बाद लड़के के नाम से वह इंतकाल करा दिया जाता है। उसका उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूं। मांगरोल तहसील में ग्राम सीसवाली है वहां पर एक आदमी ने षड़यन्त्र रच कर यह लिखा कि एक बेवा है वह मर चुकी है, पटवारी ने सर्टिफिकेट दे दिया। उसकी जमीन को इन्तकाल कर खाते बान्ध दी। आज भी वह औरत जिन्दा है। सीसवाली के ग्राम पंचायत के सरपंच ने यह सर्टिफिकेट दे दिया है कि मरा नहीं है और उसने यह तस्दीक कर दी कि यह औरत जिन्दा है। लेकिन कौन सुनता है। खुले आम रिश्वत चल रही है। कानूनगो और पटवारी मिलकर सहरियों की जमीनों पर कब्जा करवा रहे हैं दूसरों का।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, पंचायत समितियों में कोई काम नहीं रहा। बी० डी० ओ०, तहसीलदार, डी० वाई० एस० पी० भूमि आवंटित करने में लग रहे हैं। शाहबाद के बी० डी० ओ०, चौधरी रणधीरसिंह ने अपने भाई-भतीजों के नाम पर जमीनें ले ली हैं। उसका एक भाई जो यू० पी० में रहता है जहां उसकी सकूनत है उसने बी० डी० ओ० से मिलकर पठानी गांव में जमीन एलॉट करा ली है। इस बी० डी० ओ० ने सुरेन्द्रपालसिंह, आनंदसिंह और विजयसिंह के नाम से पन्द्रह-पन्द्रह बीघा जमीन

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

एलॉट करवा ली एक-दो दिन का अन्तर देकर। ग्राम केलवाड़ा के अन्दर सुरेन्द्रसिंह सन ऑफ भीमसिंह, मानन्दसिंह सन ऑफ हरिरामसिंह, चक्रगलसिंह सन ऑफ शुक्लसिंह, हरनाथसिंह और हरजीरामसिंह सन ऑफ जगतसिंह इस प्रकार से एक जगह पर चार आदमियों के नाम से ६० बीघा जमीन एलॉट की, और बी० डी० ओ० ने केलवाड़ा में एलॉट की। भूमिहीनों के नाम से एलॉट करायी जिसका भाई शाहबाद तहसील में नहीं रहता, बल्कि यू० पी० में रहता है उसको एलॉट करवाई। किस प्रकार से एलॉटमेंट हुआ इसका एफिडेविट दिया है। उस इलाके के आदिवासी और सहरिये बार-बार चिल्ला रहे हैं। गत वर्ष मुख्य मंत्रीजी के कहने पर मैंने यह पूरा पोथा दिया था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। पूरी की पूरी रामायण इन काले कारनामों की है।

श्री मूलचन्द डागा : आपने....

(शोर-गुल) (अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि जरा भी नैतिकता है, जरा भी लोकतन्त्र की रक्षा करते हुए पिछड़े हुए लोगों को उठाने की हिम्मत है तो यह सुखाड़ियाजी रामायण है....

श्री मूलचन्द डागा : यह आपका पोथा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वित्त मन्त्रीजी ने गत वर्ष यह आश्वासन दिया था कि जितनी भी नगरपालिकायें हैं उनके क्षेत्र में सिर पर मैला ढोने की प्रथा बन्द कर दी जावेगी, हाथ ठेले दिये जावेंगे। उन पैसों का क्या हुआ? इन शब्दों से हरिजनों का उद्धार नहीं होने वाला है। अनुसूचित जाति में, खटीक, बेरवा, रेगर आदि हैं इनको जमीन मिल सकती है लेकिन हरिजनों को जमीन नहीं मिलती।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, अकाल के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। अकाल के सम्बन्ध में कल सदन में बताया गया था कि एक अरब से अधिक का खर्चा हुआ है। अकाल के धन का दुरुपयोग न हुआ हो तो क्या राजस्व मन्त्रीजी आपमें हिम्मत है? यदि है, तो यह जांच करावें और बतावें कि किस-किस मन्त्री के खेत पर ट्यूब वेल खुद गयीं, किस-किस पी. ए. के खेत पर ट्यूब वेल खुद गयीं और बन्धे बन गये? चाहे उप-मन्त्री विद्युत् हों और कोई हों। क्या आपकी हिम्मत है? आपकी आंखों के सामने यह है। अकाल के नाम पर सरकार की बेंचों पर बैठने वाले मन्त्रियों, नेताओं और एम. एल एज. के खेतों में बन्धे बन गये, ट्यूबवेल खुद जायें, अकाल पीड़ितों को पैसा न मिले, इन्जीनियर खा जाय, करोड़ों रुपया बेकार चला जाय क्या आप में हिम्मत है उसकी जांच करने की? एक तरफ तो सरकार ने गरीबों के रुपयों को खर्च कर दिया और दूसरी तरफ प्रकृति का प्रकोप भी गिरा। फरवरी, ७० में कोटा जिले में भीषण ओला-वृष्टि हुई है और उसके कारण चार तहसीलों की दस ग्राम-पंचायतें साफ हो गयीं। कोटा जिले की ८ तहसीलों में ४०० के करीब गांव ओला-वृष्टि से वीरान हो गये। गेहूं की खड़ी

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

फसल साफ हो गयी। मैं कहना चाहूंगा कि उसको अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

जाय। कोटा जिले की तहसील में गांव के गांव बरबाद हो गये हैं, उनको प्रभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाय और किसानों पर पानी की पिलाई बन्द कराई जाय। सरकारी कर्जा, उसकी किश्त और ब्याज माफ करायी जाय। हजारों नागरिक किसान और मजदूर ओला-वृष्टि से भूखों मर रहे हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिये, और इसके साथ-साथ अकाल राहत के कार्य खोलने चाहियें। अगर सरकार की क्षमता हो तो क्षतिपूर्ति की जाय नुक्सान की। धन्धे खोले जायें तब तो लोग जिन्दा रहेंगे अन्यथा मर जावेंगे।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिये मैं आभारी हूं। एक बात और कहना चाहूंगा।

श्री सभापति : अब समाप्त करिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक ही बात और कहना चाहूंगा।

कुछ दिनों पहले हमारे देश के गृह मंत्री चौहान साहब केशोराय पाटन शुगर फेक्टरी का उद्घाटन करने गये। वहां सुखाड़ियाजी ने डींगें मारी थीं। हमारे वित्त मन्त्री और दूसरे मंत्री भी गये थे, वहां यह कहा था कि अक्टूबर, ६९ में शुगर फेक्टरी चालू हो जावेगी, लेकिन चालू नहीं हुई। अब भारत सरकार के गृह-मंत्रीजी आये और घोषणा कर गये। खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि वित्त मन्त्रीजी ने यह कहा था कि शुगर फेक्टरी चालू हो गई, यह उन्होंने गलत सूचना दी। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि उस शुगर फेक्टरी का चक्का जाम हो गया है, बन्द पड़ी है, और दावे के साथ कह सकता हूं कि तीन महीने तक तो चालू नहीं हो सकती। सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि किसानों के गन्ने का क्या हुआ? वह गन्ना उनके खेतों में ही सूख गया। सरकार ने जो आश्वासन दिया था उसका क्या हुआ? सभापति महोदय, इस सहकारी शुगर फेक्टरी को चलाने के लिये फर्जी शेयर शामिल किये गये, और उनका आज तक कोई वितरण नहीं हुआ, और आज हम से लाखों रुपयों की, २९ लाख रुपये की मांग कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस शुगर फेक्टरी के अन्दर जो मशीनें आईं वे रेलवे स्टेशन पर ही पड़ी रहीं और ६ महीने बाद छुड़ाई गईं और डेढ़ लाख का डेमरेज फेक्टरी को देना पड़ा। इतना ही नहीं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस फेक्टरी के अन्दर जो असिस्टेंट इन्जीनियर और जो दूसरे अधिकारी हैं उनकी उम्र क्या है? वे ६० साल से अधिक हैं, ५५ साल से अधिक हैं। यह कौनसा नियम है? क्यों नहीं नौजवानों को भर्ती किया जाता? ५५ साल के बूढ़े खूसट को क्यों रखा जाता है? क्यों नहीं नौजवानों को मौका दिया जाता है? इस बूढ़ी खूसट कांग्रेस के दो टुकड़े हो गये। एक इन्डीकेट और दूसरा सिन्डीकेट हो गया। मुझे खुशी है कि माननीय नाहर साहब ने इस बात को स्वीकार किया है कि ७२ के आने वाले आम चुनावों में कोई भी पार्टी दम भर कर यह नहीं कह सकती कि उसको पार्टी को बहुमत

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

मिल जायेगा। इसलिये हमें बैठकर विचार करना चाहिये। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले कांग्रेस के माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम उनसे ज्यादा लोकतन्त्र में विश्वास करते हैं, उनसे

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

ज्यादा संसदीय प्रणाली में विश्वास करते हैं। अगर आप इसमें विश्वास करते हैं तो क्यों नहीं पुलिस को दण्ड देते हैं, क्यों नहीं आप अपने गृह मन्त्रीजी को कहते हैं ? पुलिस के लाठी चार्ज से लोकतन्त्र नहीं चलेगा। मन्त्री के लड़के हत्या कर दें तो यह लोकतंत्र नहीं चलेगा, यह लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा........

(कांग्रेस के सदस्यों द्वारा व्यवधान-आवाजें यह गलत है।)

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह तो जीता-जागता उदाहरण है। इसको आप गलत नहीं कह सकते।

अन्त में, मैं एक बात और, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं। ये अनुपूरक की मांगें इस प्रकार से रखी गई हैं कि यह लोकतंत्री मर्यादाओं के अनुकूल नहीं हैं। समय भी नहीं है और एक दिन में ही आप ये मांगें मंजूर कराना चाहते हैं। पिछले सत्र के अन्दर जो जनवरी में हुआ था उसमें भी आपने मांगें रखी थीं। उस समय क्यों नहीं इसको रखा गया। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी सरकार की अक्ल का दिवाला निकल गया। आप को ज्ञान नहीं है कि कितना खर्चा हुआ और कितना होने वाला है। सभापति महोदय, अगर ज्ञान होता तो यह सरकार जनवरी के अन्दर ही ये मांगें पेश कर सकती थी। मुझे दुःख है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष तीन करोड़ के नये टैक्स लगाये हैं और ये अनुपूरक की मांगें रखी हैं। आप पहले अपने घर को टटोलें। सरकार चाहती तो अपने घर में ही मितव्ययता कर सकती थी और ये अनुपूरक की मांगें उसे पेश नहीं करनी पड़तीं। सरकारी जीपों, कारों में आफिसरों की औरतें, बच्चे घुमते रहते हैं। मंत्रियों की कारों में बाल-बच्चे और रिश्तेदार घूमते रहते हैं, और यह सारा गरीब जनता के टैक्सों के पैसे पर किया जा रहा है। अगर आज मेरे दल की सरकार होती तो तीन करोड़ के टैक्स लगाने के बजाय जो आज इस सरकार द्वारा गरीब जनता पर लगाये गये हैं उन में राहत देता। राहत देना तो दूर रहा आज जनता पर तीन करोड़ के टैक्सों का अतिरिक्त भार आ पड़ा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि लोकतंत्र के अन्दर मितव्ययता की अधिक जरूरत है। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा !

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार बजट बनाती है और फिर सप्लीमेंटरी बजट भी पेश करती है। २ अरब ६२ करोड़ ३६ लाख २० हजार का यह एप्रोप्रियेशन बिल हमारे सामने है। क्या राजस्थान का बजट इस प्रकार से ही बनता है ? और फिर शार्ट नोटिस देकर याने कल आपने डिमाण्ड रखी और आज हम से कह रहे हैं कि इसको पारित कर दिया जाये। यह क्या सही है ? आप बजट रखते जायें और हम पास करते जायें। आपकी परफारमेन्स कुछ न हो और करोड़ों रुपया ब्याज का दें, आमदनी नजर नहीं आवे तो आने वाला जमाना क्या कहेगा, आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी ? यह बहुत बड़ा सवाल है। आप जब बजट बनाते हैं तो आप अपने रेवेन्यू के खाते को देखिये, कितनी आमदनी करते हैं और सरकार का खर्चा दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। आपकी आमदनी हो नहीं, खर्चा बढ़ता जाये और ब्याज ही ब्याज

(श्री मूलचन्द डागा)

देते जायें तो मैं समझता हूं कि हमारा बजट तैयार करने का तरीका सही नहीं है यह कहना होगा । हम हिचकिचाते हैं पूंजीपतियों पर टैक्स लगाने से। हमें उन पर टैक्स लगाना चाहिये । मेरे दिमाग में यह बात भी है कि कुछ खर्चा तो हमारे ये विरोधी भाई बढ़ा देते हैं । कई बार भूख-हड़ताल पर बैठ जाते हैं जो गैर-कानूनी होती है । इन हड़तालों से गवर्नमेंट का पुलिस का खर्चा बढ़ जाता है । उस को लॉ एण्ड आर्डर को मेन्टेन करना पड़ता है और हजारों लाखों रुपया सरकार को इस मद में खर्च करना पड़ता है । मैं एक बात और कहना चाहता हूं । हमारे विरोधी भाई भूख-हड़ताल पर बैठे हैं । एक वकील महोदय भूख-हड़ताल पर बैठे हैं । उन्हें इस प्रकार का कदम नहीं उठाना चाहिये । कानून का दरवाजा उनके लिये खुला हुआ है । कानून को बलाये ताक रख कर उन्होंने यह कदम उठाया है ।

(४. ४६ म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सच तो यह है कि इन राजनीतिक पार्टियों के पास कोई प्रोग्राम नहीं है और जब इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं होता है तो वे इस प्रकार के स्टंट रखती हैं कि भूख-हड़ताल पर बैठ जाओ । क्या आप भूख-हड़ताल कर के दया लेना चाहते हैं, महरबानी चाहते हैं ? आपका यह तरीका नहीं होना चाहिये। आप काम करें । और काम नहीं करें तो भूख हड़ताल का स्टंट बंद कर दें । इसके जरिये गलत लोगों की आप मदद करते हैं, जो असामाजिक तत्व हैं उनको आप प्रोत्साहन देते हैं । ऐसा करना गवर्नमेंट के खर्चे को भी बढ़ाता है। यह एक बड़ा धोखा है । क्या तकलीफ होती है आपको कि आप सरकारी कर्मचारियों की वकालत करना शुरू कर देते हैं ? आपको कोई कहे या न कहे आप बीच में कूद पड़ते हैं, दाल-भात में मूसलचंद बन बैठते हैं । आपको पता नहीं है आप जो जुलूस निकालते हैं उसके लिये सरकार को कितनी पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ती है । मैं एक बात कहना चाहता हूं ये जो छोटी-छोटी पार्टियां हैं उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है । अगर उनके पास प्रोग्राम नहीं है तो वे अपने दरवाजे बंद कर दें कि हमारे पास प्रोग्राम नही है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये जो सफेद हाथी बना कर बैठा रखे हैं, उनको कम करो ।

श्री मूलचंद डागा : जनसंघ यू. पी. में नहीं रहा । वहां उनकी हालत क्या है ? अब उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है ? मैं कहता हूं कोई प्रोग्राम हो तो बताओ । प्रोग्राम नहीं तो भूख-हड़ताल पर बैठ जाओ । गंगानगर में आन्दोलन होता है उसमें आप कूद जाते हैं । आपको क्या लेना है उस से ? आन्दोलन में कितना खर्चा होता है, कुछ पता है आपको ? इसलिये मेरा निवेदन है कि राजनीतिक पार्टियां अपना-अपना प्रोग्राम लेकर जनता के पास, जनता के सामने जावें । वे जनता के सामने स्टंट लेकर न जावें । एक मामूली सा सवाल हो और उसमें आप लॉ एन्ड ऑर्डर का सवाल पैदा कर दें । दालभात में मूसलचन्द बीच में पड़ जाते हैं । सवाल यह है कि कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके पास इकोनोमिक प्रोग्राम नहीं हैं, वे साम्प्रदायिकता के छोटे-छोटे दायरे में चलती हैं । स्वतंत्र पार्टी क्यों नहीं यह कहती कि हम समाजवाद के लिये अपने विशेषाधिकारों,

(श्री मूलचन्द डागा)

प्रिवीपर्सों को समाप्त करते हैं, उनको छोड़ते हैं ? मंत्री लोग गाड़ियों में क्यों घूमते हैं, इसकी आपको चिन्ता है । इन राजनीतिक पार्टियों की गैर-कानूनी हरकतों के कारण हमारे बजट का नक्शा बदल जाता है । जो सही काम हो रहा है उसमें रुकावट हो जाती है । राजस्थान नहर का काम हो रहा है । उससे जमीन को फायदा हुआ है लेकिन बजट बिगड़ जाता है इन आन्दोलनों की वजह से । हरेक प्रान्त आज घाटे का बजट पेश करता है । वह इसलिये कि केन्द्र के पीछे लग जाते हैं । केन्द्र से अनुदान पाने की चेष्टा करते हैं...

श्री रामसिंह कुडी : काश्तकारी कानून के मुताबिक ..

श्री मूलचन्द डागा : ये जो काश्तकारों के नाम से ऐसे नुमायन्दे खड़े हो जाते हैं जो पूंजीपतियों के एजेण्ट हैं । बजट में घाटा नहीं, इनकी अक्ल में घाटा है इसलिये बजट में ये लोग घाटा डाल देते हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने बाकी पार्टियों की तो बातें बता दी हैं । बी० के० डी० के बारे में आपकी क्या मान्यता है ?

श्री मूलचन्द डागा : आप मेहरबानी करके मुझे डिस्टर्ब न करें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान की तमाम अपोजीशन पार्टीज के बारे में आपने अपना मन्तव्य जाहिर कर दिया । भारतीय क्रान्ति दल के बारे में आपकी मान्यता क्या है ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं तो यही निवेदन करता हूं जिन पार्टियों के पास में कोई प्रोग्राम नहीं है उनको राजनीति में नहीं आना चाहिये । हरेक पार्टी के पास जो राजनीति में प्रवेश करना चाहती है रचनात्मक काम होना चाहिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप जिन पार्टियों की निन्दा करते हैं वहां आपकी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चरणसिंह के चरण चूम रही है । जब आप मानते हैं कि इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है तो आप उसको समर्थन क्यों दे रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : यह बात तो सभी जानते हैं कि कौन किस लिये किसको समर्थन देता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो वैसे हैं यदि मैं चीफ मिनिस्टर बनता हूं तो मेरे सामने लेट जाओगे ।

एक माननीय सदस्य : यह आपको उम्मीद है क्या ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : निश्चित है ।

श्री मूलचन्द डागा : विभिन्न राज्यों के अन्दर १९६१-६२ के अन्दर राज्यों की कुल आय कितनी रही इसके आंकड़े आये हैं वह मैं बताना चाहता हूं । पंजाब में ८५ प्रतिशत, गुजरात में ५८ प्रतिशत, मद्रास में ५८ और हमारे राजस्थान में उस समय ५५ प्रतिशत थी जो ६६-६७ में घटकर ४९ हो गई है । जहां हमारे इतने परफॉर्मेन्सेज बढ़ रहे हैं, जमीन ज्यादा काश्त में आ रही है फिर भी आमदनी की कमी होने के क्या कारण हैं ? हम कोई भी काम हाथ में लें उसके साथ हमें यह भी देखना चाहिये कि इस काम से कितनी यील्ड होगी । लाखों-करोड़ों रुपये इरिगेशन में खर्च कर रहे हैं ।

(श्री मूलचन्द डागा)

आखिर हमें यह देखना तो चाहिये कि इतना केपिटल इनवेस्ट किया आखिर रिकवरी उससे कितनी हो रही है। आपके परफॉर्मेन्सेज कुछ नहीं हैं। इस तरह का जो बजट रखा जाता है वह गलत रखा जाता है। हमें किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले यह भी देखना चाहिये कि आगे इसकी कितनी आमदनी होगी। हम इतनी जमीन एलॉट कर देते हैं, हमें यह भी देखना है कि उस हिसाब से लैण्ड रेवेन्यू बढ़ी या नहीं। लैण्ड रेवेन्यू बढ़ने के साथ-साथ आप कर्मचारियों की जमात बढ़ाते जाते हैं। कुशलता तो तो इस बात में है कि खर्च न बढ़ाकर कुशलता बढ़ायी जाय। जितने भी कर्मचारी हैं वे मेहनत और ईमानदारी से काम करें। बजट को बढ़ाया आपने उसके साथ-साथ कर्मचारियों की फौज भी आपने बढ़ादी। मितव्ययता के साथ कुशलता आनी चाहिये। काम करने का तरीका भी उसके अनुरूप होना चाहिये। एक बार हमारे गृह मन्त्री चव्हाण साहब ने कहा था कि हमारे फाइनेन्स में गरीब आदमी का बड़ा हिस्सा है, उसके लिये समान सुविधा होनी चाहिये जो एक एम० एल० ए० या मिनिस्टर के लिए होती है। आज सरकार में एक गरीब की भी वही इज्जत होनी चाहिये जो विधान सभा सदस्य या मिनिस्टर की होती है। एडमिनिस्ट्रेशन यह मानकर चले कि जनता उनसे भी ऊपर है, वे जनता के नौकर हैं। हमारे बजट में उनका भी बड़ा हिस्सा है, उनको भी वही इज्जत मिलनी चाहिये।

गाड़ियों पर टैक्स बढ़ा देते हैं तो उसका खर्चा भी गरीबों पर पड़ता है, चीजों के भाव बढ़ते हैं।

श्री रामसिंह कुडो : गाड़ियों पर टैक्स बढ़ने से गरीबों पर कैसे भार, बढ़ेगा यह बता दीजिये ?

श्री मूलचन्द डागा : आन्दोलन करके आपका दिमाग खराब हो गया। मामला चौपट हो गया। यह जरूरी नहीं मैं आपकी बात का उत्तर दूं।

इसके अतिरिक्त ब्याज देने वाली बात जो रखी गई है क्या यह बात बजट में पहले नहीं आ सकती थी। एक करोड़ रुपया ब्याज का देना है पहले जो बजट पेश किया उसमें आप इसको क्यों नहीं दिखा सके ? क्या आपको मालूम नहीं था कि किस-किस चीज को प्रॉयोरिटी दी जानी चाहिये ? नये आइटम्स ये-ये लेना चाहते हैं इसका आपको पूरा ज्ञान रखना चाहिये। केन्द्र आखिर में कितनी रूपया देगा ? इस बारे में केन्द्र की एक कमेन्ट्री पेश करना चाहता हूं वह यह है कि हर स्टेट की यह हालत हो गई है कि वह केन्द्र की तरफ देखेगा। केन्द्र के पैसे के आधार पर आप अपने साधन कब तक बढ़ाते रहेंगे ? केन्द्र अगर सहायता नहीं दे तो सभी योजनायें गायब। यह जो एप्रोप्रियेशन बिल पास करना चाहते हैं। आज हम पर केन्द्र का भारी कर्जा हो गया है जो निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। आपके २६ करोड़ के घाटे में आपने तीन करोड़ वसूल कर लिया तो इससे होने वाला क्या है।

आप बजट को इस प्रकार से रखिये ताकि हमारे रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो। सर्विसेज पर जो आपका निरन्तर खर्चा बढ़ रहा है उसको आप कम कीजिये। आप जितने भी साधन जुटाने में समर्थ हों वे जुटाइये। आप पूंजीपति पर टैक्स का भार नहीं डालते हैं

(श्री मूलचन्द डागा)
और फिर सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड रखना चाहते हैं।

आपके ऊपर जो दावे होते हैं उसका एक कारण तो यह है कि आपके अधिकारी अपने केस को प्लीड नहीं करते हैं इसलिये डिक्री हो जाती है। इससे हमें आगे जाकर कई गुनी रकम देनी पड़ती है।

श्री भगवानदास शास्त्री : सदन का समय बढ़ाने के लिये इजाजत सदन को ले लीजिये, उपाध्यक्ष महोदय !

एक माननीय सदस्य : अभी तो दो मिनिट बाकी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय आधा घण्टे के लिये बढ़ाया जाता है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : हम जब बोलते हैं तब तो समय नहीं बढ़ाते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : समय जिनका खत्म हो गया उन्हीं का बढ़ाया जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : सवाल सामने यह है कि जब मामला कोर्ट में जाता है तो उसकी पैरवी ठीक ढंग से नहीं होती इस कारण डिक्री हो जाती है। इसका खास कारण है रेड टेपिज्म जो निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं हरिजनों को आप उठाने की बातें करते हैं इसके लिए मेरा निवेदन है कि कस्टमरी जो सिस्टम है उसको वाइप आउट करने से ही यह हो सकेगा। हरिजनों की जो जातीय प्रथा है उसका उन्मूलन नहीं होगा तब तक उनकी उन्नति नहीं होगी। लेकिन आप

(५ म. प.)

खत्म करना चाहते नहीं और एडीशन में गाड़िया दे रखी हैं। पानी नहीं है। गाड़ियां चलती नहीं हैं। बेकार जाता है। इस मामले में भी हमें सावधान रहना पड़ेगा।

सामान्य प्रशासन में भी रुपया बढ़ाया है। आप कोई भी प्लान बनाते हैं, बजट बनाते हैं तो मालूम होना चाहिये कि इतने बड़े-बड़े गेप रह जाते हैं। इस प्रकार की डिमान्ड्स सही नहीं हैं।

श्री रामसिंह कुडी : यह कांग्रेस सरकार की अयोग्यता का द्योतक है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता !

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्षजी, हमारी भूल तो यहां से ही हो गई कि जब गांधीजी की सब बातों को हम भूल गये।

उन्होंने प्रारम्भ में ही कहा था कि जवाहरलाल में और मुझ में एक बड़ा फर्क है। जवाहरलाल चाहता है कि अंग्रेज चले जावें पर अंग्रेजियत बनी रहे। और मैं यह कहता हूं कि अंग्रेज भले ही यहां सुख से रहें पर अंग्रेजियत चली जावे, यह मूलभूत अन्तर उन दो महापुरुषों की मान्यता में था। तो जो भारतीय परिस्थिति को देखकर उसके अनुरूप जो हमें काम करने थे वे नहीं किये हमने। इसी कारण जो इतने भारी-भारी टैक्सों से रुपया सरकार वसूल करती है। करोड़ों-अरबों का खर्चा करती है पर फिर भी दिन-दिन हालत खराब होती जा है। आखिर राज्य से सब अलग क्यों हैं ? जनता इस राज्य में दिलचस्पी क्यों नहीं

Page No. 131

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

लेती ? जनता आखिर क्या चाहती है ? जनता यह चाहती है—

"जनता चावे राज सूं,
बोलन को अधिकार।
शिक्षा, रक्षा, न्याय, घर,
औषध अर रुजगार।"

तब इन चीजों में से एक-एक के बारे में सोच लीजिये। शिक्षा मन्त्रीजी बोलते हैं तो कहते हैं कि एक करोड़ से १८ करोड़ तक ले गये हैं। पर परिणाम क्या हुआ ?

मैं उनको भी दोष नहीं देता।

"शुद्ध कमाई रीत की,
काम करावे शुद्ध;
जो न कमाई शुद्ध तो,
रखे न संवली बुद्ध"

जब अच्छी कमाई हो तो बुद्धि भी शुद्ध रहती है। तो जहां शराब की कमाई से, जुए की कमाई से विकास का काम होता हो तो सिवाय विनाश के कुछ नहीं होने वाला है। पर मैं शराब के सम्बन्ध में बजट पर बोलूंगा तब निवेदन करूंगा।

अभी तो इतना ही अर्ज किया है।

तो शिक्षा के मामले में शिक्षा कैसी दी है—

"राज कराई यूं कसी,
भली भणाई आज,
पाव बोझ ले चालता,
सुत ने आवे लाज।"

आज बच्चे को पाव वजन लेकर चलने में शरम आती है। बाप लड़का चला रहे हैं, मां बीमार पड़ी है पर पैंट कोट पहने हुआ) लड़का स्कूल से जब छुट्टी में घर जाता है तो बाप के काम में, घर के काम में, मां के काम में मदद नहीं दे सकता।

बुनियादी तालीम पर गांधीजी ने कहा पर आज इन लोगों ने बुद्धि और श्रम को इतना दूर पटक दिया कि जिसकी वजह से आपकी स्कूलों से निकला हुआ लड़का किसी काम का नहीं है। कभी-कभी मन्त्रीजी फरमाया करते हैं कि इन्जीनियरों को सरकारी खजाने से जब तक वे नौकरी में नहीं लगें तब तक दो सौ रुपया माहवार देंगे। कब तक देंगे यह आप ? यह तो फैक्टरी ऐसी है कि हर साल माल निकलता है इसमें से। कहीं तक कन्जूम करेंगे ? शिक्षा में परिवर्तन करिये जल्दी से। ८०/८५ लाख की रकम है शिक्षा की, व्यर्थ है।

हरिजनों की मद में भी मांग है। क्या किया आपने हरिजनों के लिये ? वे तो आज भी वही मैल ढो रहे हैं। अनपढ़ हैं, पिछड़े हुए हैं। आप आज भी उनको अलग-अलग रखना चाहते हैं। उनके अलग छात्रावास खोलना चाहते हैं, अलग बिठाये रखना चाहते हैं। आप हमेशा के लिये उनको अलग से रखना चाहते हैं, उनमें से वही एक ऊंचा तबका जरूर बन जावेगा, पर बाकी तो वैसे ही रह जावेंगे। आपके आज के इन तरीकों से तो औषधि के लिये भी मांग है ४०/४१ लाख की। मैं अपने क्षेत्र की बात कह सकता हूं पंचायत के लिये किसी पंचायत में औषधालय नहीं हैं। वैद्य नहीं है, दवाइयों का कोई प्रबन्ध नहीं है। सब भगवान भरोसे चलते हैं। वहां कई गांव आज भी ऐसे हैं जहां मोटर आज भी नहीं जाती है। लोग चन्द्रलोक में पहुंच गये हैं। पर हमारे यहां ऐसी पंचायतें

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

हैं जहां यातायात के साधन आज तक उपलब्ध नहीं हैं। आखिर आपने किया क्या २० साल तक?

पंचायत समितियों को देखिये। २३२ हाथी बान्ध रखे हैं आपने सफेद। कुछ काम वहां नहीं होता है। जो इनीशियेटिव या मर गया है और दिन-रात राज पर आश्रित रहने की वृत्ति जग रही है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये मांगें तो पूरी होंगी, पर कृपा करके सोचिये तो सही की आखिर हमें क्या करना है?

करोड़ों-अरबों रुपया अकाल में खर्च करें फिर भी अकाल का अकाल रहा हर साल। दो-तीन काम आपने ठीक सोचे हैं इस बार। आपने इस बार सोचा है कि कुछ स्थायी काम करने हैं। इसके लिये बधाई देता हूं। आप इतने पैंडॉक्स बनाइये कि फिर से जंगल हरे भरे हो जावें। वर्षा इसके बिना नहीं होगी। जहां-जहां आप पानी रोक सकते हैं वहां-वहां पानी रोक कर बान्ध बनाने की आप चेष्टा करिये। जहां-जहां बिजली लगा सकते हैं बिजली लगाइये, पर अकाल के भी आपको दो तीन भाग करने होंगे। एक प्रत्यक्ष वह जगह जहां अकाल हो दूसरा वह हो जहां अकाल तो नहीं है, पर अकाल वालों की मदद करने की क्षमता रखते हैं। मैं अपने ही क्षेत्र के बारे में कहूं कि मेरे क्षेत्र में अकाल तो नहीं है पर नदियां, पहाड़ बहुत हैं जंगल बहुत हैं तो वहां पैंडॉक्स लगाइये, नदियों को बान्धिये। हम अकाल वाले क्षेत्रों के लिये अनाज भेजेंगे। जैसे युद्ध में दो तरह से लोग भाग लेते हैं, एक प्रत्यक्ष युद्ध करते हैं, दूसरे उनके लिये साधन जुटाते हैं, बीमारों को उठाते हैं, घायलों को ले जाते हैं, दवाइयां पहुंचाते हैं, गोला-बारूद और खाद्यान्न पहुंचाते हैं, हर तरह का सामान पहुंचाते हैं जो युद्धस्थल पर तो नहीं रहते, वहां से काफी दूर रहते हैं पर वहां रहकर वे उनकी मदद करते हैं। तो इसी तरह से ऐसी जगहों पर भी हमें अकाल को ध्यान में रख कर काम करने चाहियें जो अकाल निवारण की क्षमता रखते हों।

आज न्याय के लिये कहते दुःख होता है, कौन रिश्वत खाता है, कौन नहीं खाता है। यह तो सारे कुए में ही भांग पड़ी है। और तो क्या बाहर से इतना पैसा आता है, अकाल के नाम से आता है, उसको भी लोग उड़ा जाते हैं, बरबाद कर देते हैं, अपनी जेबों में डाल लेते हैं, डकार जाते हैं। यह सब देख सुन कर कितनी शर्म और दुःख होता है। अकाल-पीड़ितों के लिये पैसा आता है उसमें से भी खा जाते हैं। पर भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार कहना मैंने अब बन्द कर दिया है। इसको शिष्टाचार कहने लगा हूं। इस शिष्टाचार पर निवेदन करता हूं कि जिस तरह से आपने जुए की आमदनी को पकड़ रखा है, शराब की आमदनी को पकड़ रखा है, इसी तरह से इस शिष्टाचार की आमदनी को भी पकड़ लें। इस पर भी टैक्स लगा दें कि सौ में से २५) जमा कराओ। क्या हालत हो गई है। लोग क्या कहते हैं? अगर कुए में राई डाल दें तो उसको ढूंढना तो सम्भव है पर कचहरी में या सेक्रेटरियेट में कहीं कोई कागज हाथ से छूट जावे तो उसका मिलना बिल्कुल ही दुर्लभ है—

"राई नाक कर कूप में,
खोजो तो मिल जाय।
कर सूं छुट्यो राज में,
कागद हाथ न आय"

श्री उपाध्यक्ष : राई तिरती है, इसलिये मिल जाती है आसानी से।

श्री मनोहरसिंह मेहता : ठीक है साहब पर इसमें दोष किसका है ? अधिकारियों का है ? नहीं, सबसे अधिक दोष हमारा है। सत्ताधारी पार्टी का ही नहीं है, उससे भी अधिक दोष हमारा है जो चुपचाप सहन करते हैं। जितना दोषी जुल्म करने वाला होता है उससे अधिक सहन करने वाला है। पर हमें और आपको सोचना पड़ेगा कि अगर देश को सही रास्ते पर लाना है तो गांधीजी की एक-एक बात भूली हुई को फिर से याद करना पड़ेगा।

मैं गांधीजी का संस्मरण पढ़ रहा था। बापू ने भोजन के बाद कहा कि आधा लौंग लाओ। एक लौंग में से आधा तोड़ कर बापू को दिया। फिर दूसरे दिन कहा कि वह आधा हिस्सा लौंग का जो कल बचाया था, लाओ। अब घबराई वह बहन। न तो वह यह कह सकती थी कि लौंग जो आधा बचा था वह उसने फेंक दिया या ढूंढने पर मिला नहीं। आखिर उसने सच-सच कह दिया। इस पर बापू ने कहा कि इस तरह से राष्ट्र की सम्पत्ति को फेंक देना हमें शोभा नहीं देता। वह राष्ट्र की सम्पत्ति थी। हमें एक-एक टुकड़े की रक्षा करनी है। पर आज क्या हो रहा है, अरबों-खरबों रुपया बाहर से आया है, आ रहा है उसने हमें करप्ट कर दिया। अगर बाहर से यह मदद नहीं आती तो हम कभी भी करप्ट नहीं होते। हमारे देश के लिये वह दिन मंगलमय होगा शुभ होगा जिस दिन यह धन बाहर से आना बन्द हो जायगा। बाहर से मदद आनी बन्द होगी। तब एक-एक पाई का मूल्य हम समझेंगे।

आठ-दस लाख रुपया इस विधान सभा के भवन पर खर्च अभी-अभी कर दिया गया। एम. एल. एज. के लिये खर्च होगा। आपने राजा महाराजाओं के, जागीरदारों के प्रिविलेजेज खत्म कर दिये। पर इसके साथ-साथ यह कितनी विडम्बना है कि वही प्रिविलेज हमें अच्छे लग रहे हैं, हम उन पर अधिक से अधिक चिपकते जाना पसन्द कर रहे हैं, यह भी सोचना है। आज कितने मन्त्री हैं ? कृपा करके इन ३६ की जगह आप सभी को मन्त्री बना दें—

"कृपा कर छत्तीस ने,
करया मिनिस्टर आप।
पण पूछूं सादर थाने,
बोहतर रो कई पाप॥"

मैं तो कहता हूं आपने इन ३६ को ही क्यों बनाया, १३६ को बना दें। इनकी गाड़ियां अन्धाधुन्ध जाती हैं, काफी दुरुपयोग होता है, कभी आपने पुरुषोत्तमदासजी टंडन की बात भी सोची। असेम्बली में आये तो कार का उपयोग किया, वापिस गये और गैराज बन्द करके ताला बन्द। वहां घरेलू काम के लिये उसे काम में नहीं ले सकते थे कोई। पर आज कितना दुरुपयोग होता है ? भगवान ही मालिक है। यह सारी राष्ट्र की सम्पत्ति है। पैसा यह किनकी जेब से आता है यह उनका पैसा है जो आज भी भूखे हैं, गरीब हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, अपने क्षेत्र की निवेदन करना चाहता हूं कि अभी-अभी १५ गांवों में भयंकर ओला-वृष्टि हुई है। पूर्ण फसल नष्ट हो गई है। अगर हम लोगों का किसान के प्रति प्रेम होता तो उनकी हालत आज अच्छी हो गई होती। उनकी वही की वही गतियां चली आ रही

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

है। अगर किसी किसान के पास अच्छा पैसा हो गया तो शराब पीयेगा और किसी का सिर फोड़ देगा। कहावत है "कन्धे पर डोर और गठरी बान्धकर वह गंगोज करेगा।" इसका परिणाम यह होगा कि एक साल भी फसल खराब हो जायगी तो वह बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। १५ गांवों में बिल्कुल फसल धराशायी हो गई।

जिन महाजनों से उनको उधार मिलता था वह भी अब बन्द हो गया। मैं नहीं कहता कि राज्य सरकार मदद नहीं देगी। राज्य सरकार भी मदद देगी, राज्य बान्ध बनवा रही है उसका भी मैं आभार मानता हूं। लेकिन एक तरफ हम लोग हैं और एक तरफ किसान हैं। कितना अन्तर है उनमें और हम में, यह आप विचार करें। इसलिये मैं कहता हूं कि अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में हमें सोचना होगा। कितना सरकार ने खर्च किया जो अनावश्यक था। अरबों रुपयों की मांगें आजे पेश होने जा रही हैं। २२ लाख रुपया गंगानगर वालों की जेल व्यवस्था में लग गया। आप करते क्या हैं, आपकी आदत हो गई है। पहले तो आप सोचते नहीं और जब नुकसान हो जाता है तब सुनते हैं, जब गोलियों की स्थिति आती है तब सुनते हैं। "मैं देखो इन्सान की बड़ी विचित्र टेक, हाण हुयां पाछे सुणो, पेली सुणो न एक" आप पहले सुनना सीखें और अच्छा काम करें और अगर कोई गलत काम होता है तो आपको उस पर दृढ़तापूर्वक अमल करना चाहिये।

मैं उपाध्यक्षजी, गंगानगर के समर्थन में नहीं हूं और मैं इसलिये नहीं हूं कि खुशहाली कर का विरोध करते हैं पर वहां शराब की नदियां बह रही हैं सो वहां सर्वनाश होने वाला है। गंगानगर को मिट्टी में मिला दिया है और आज नहीं तो कल होने वाला है। एक वक्त था जब शकुनी मामा ने दुर्योधन को जिताया था तो निश्चय ही शकुनी मामा के गले में माला पड़ी होगी लेकिन यह नहीं देखा इससे सर्वनाश होने वाला है और शकुनी मामा को आगे चलकर गलत नाम से याद करेंगे। ठीक इसी तरह गान्धीजी के नाम को, अगर आप नहीं संभलेंगे और शराब को बन्द नहीं करेंगे तो यही हाल होगा। देश बरबाद हो जायगा, पार्टी बरबाद हो जायगी। आज उनको देश के अच्छे हालात नजर नहीं आते हैं। मैं मानता हूं राज्य को इससे केवल गंगानगर जिले से दो करोड़ की आय आती है। लेकिन आज उसका परिणाम देख लीजिये क्या हो रहा है। बड़े नेताओं से और प्रो० केदारजी से भी मैंने कहा था आपको शक्ति लगानी चाहिये कि शराब वहां से हटे। गंगानगर से सबसे पहले शराब हटनी चाहिये। लेकिन हो नहीं रहा है। जितना पैसा हमारा खर्च हो रहा है उसका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, सदुपयोग कम हो रहा है।

अभी थोड़े दिन पहले मुझे एक सुपरवाइजर मिला। उसने ६ हजार रुपये खाये थे। जिस मोटर में मैं आ रहा था वह भी उसी में आ रहा था। वह चक्की और मोटर खरीद कर लाया था। कहने लगा इलेक्ट्रिसिटी वाले बड़े बेईमान हैं। कनेक्शन देने के १००) रु० मांगते हैं, मैंने कहा जब तुमने ६ हजार रुपये खाये हैं तो १००) रुपये देने में क्या दिक्कत है। आप ६ गुणा खाते हो तो एक गुणा खिलाने में क्या बात है? अपना मुंह तो दर्पण में नहीं देखते हैं और दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। मैं कहता हूं कृपा करके पानी और बिजली पर भी

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

सीलिंग लगा दीजिये ताकि एक-एक एम० एल० ए० दो-दो सौ रुपये पानी-बिजली पर खर्च करते हैं वह न करें। हमने राष्ट्र को अपना समझा ही नहीं। हमने तो समझा है पहले हम और बाद में राष्ट्र; पहले हमारा परिवार और उसके बाद में राष्ट्र है। जब तक यह भावना हम लोगों में रहेगी तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता है। अगर देश को खुशहाल करना है तो राजस्थान को बहुत बड़ा त्याग और तपस्या करनी होगी। बहुत बड़ा बलिदान करना होगा। इसलिये मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि कृपा करके २०, ३० या ४० रुपये माहवार जितनी बिजली चाहिये उसका एक सीलिंग मुकर्रर कर दीजिये। घर से जब हम लोग जायं तो कम से कम बिजली बन्द करना नहीं भूलें, पंखा बन्द करना नहीं भूलें, हीटर को कम से कम खुला रखें इतना तो हमें ध्यान रखना होगा लेकिन नहीं रखते हैं। कहां जायगा यह देश ? जब हम लोग ही यह नहीं सोचते तो सत्ताधारी लोगों को क्या कह सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने आपको सोचना होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं कहता हूं जिसको जितना मिलता है वह उतना ही ब्लेक करेगा। किसी को एक बोरी मिलती है तो वह उतना ही ब्लेक करेगा और अगर किसी को एक सेर मिलता है तो वह भी उसमें से उतना ही ब्लेक करेगा। इसलिये हमें यह सोचना होगा कि सारी राष्ट्रीय सम्पत्ति है हमें उसको सबके लिये अवेर कर रखना होगा तभी जाकर राष्ट्रीय मार्ग दर्शन कर सकते हैं।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : (राज्य मंत्री-वित्त) उपाध्यक्ष महोदय, १५ मिनट रह गये है। आखिर १०-१५ मिनट मुझे भी लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय इन सप्लीमेन्टरी डिमान्ड्स के जरिये काफी सदन में विचार विमर्श हुआ है। इस बात के लिये हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं। जब शुरू में बजट बना था तब सरकार को जिस मुद्दे में खर्च करना था उसको क्यों नहीं ध्यान में रखा। बजट बनाया जाता है तो हो सकते हैं कुछ मुद्दे जिनका सरकार को ध्यान न हो, रह जाय और सप्लीमेंटरी से मांगा जाय तब तक तो ठीक है लेकिन इतने रुपयों को सप्लीमेंटरी में मांगा जाय यह उचित नहीं है। इनका शुरू में ही ध्यान रखा जाय तो ठीक होगा। मैं तीन-चार बातों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। सबसे पहले जल प्रदाय योजना के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। यह जनता की बेसिक मांग है, हमारे राजस्थान में पानी की कमी है। बहुत से जिलों में पानी का बहुत अभाव है, इसमें मैं सरकार की नीति का समर्थन नहीं करता। सरकार की एक दोहरी नीति है। देहाती इलाकों में सरकार का पानी पिलाने की एक अलग क्राइटेरिया है और जो शहरी इलाका है उसमें एक अलग क्राइटेरिया है। शहरों में म्यूनिसिपेलिटीज जल प्रदाय योजना बनाती हैं। सरकार जनता से कुछ नहीं मांगती है, सरकार जितना रुपया म्यूनिसिपेलिटी को चाहिये उतना दे देती है लेकिन देहाती क्षेत्रों के लिये ऐसा नहीं है। सरकार देहाती क्षेत्रों से पानी की सप्लाई के लिये कन्ट्रीब्यूशन मांगती है और जो शहरों में रहने वाले हैं उनसे कोई

(श्री शिवनाथसिंह)

कन्ट्रीब्यूशन नहीं मांगती है। शहर वालों को तो पेइंग केपेसिटि भी ज्यादा होती है लेकिन वहां तो मांगती नहीं और देहात वालों से इस योजना के लिये ५ प्रतिशत, १० प्रतिशत कन्ट्रीब्यूशन मांगा जाता है। इसका मैं विरोध करता हूं। सरकार को इसमें सुधार करना चाहिये।

दूसरे रेशियों के बारे में है। जो पैसा योजनाओं से या करों से एकत्रित होता है उसमें शहरी योजना में और देहाती योजना में बड़ा अन्तर है। शहरी योजना पर आय का ८०-८५ प्रतिशत व्यय होता है जबकि देहाती योजनाओं पर आय का १५-२० प्रतिशत ही खर्च करते हैं। इसमें सरकार को कुछ परिवर्तन करना चाहिये। शहरों और गांवों को सरकार को बराबर की दृष्टि से देखना चाहिये। आशा है, सरकार इस पर सोचेगी ऐसा मेरा निवेदन है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं सहकारिता पर। सहकारिता पर काफी वर्षों से यह कहना चाहिये, सोचते आ रहे हैं। हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री नेहरू जी ने कहा था और एक बार ऐसा समय आया भी था जब सहकारिता नजर आने लगी थी लेकिन पिछले ४-५ सालों में जो कुछ हो रहा है उससे ऐसा लगता है, सहकारिता बन्द होती जा रही है, सरकार सहकारिता को बन्द कर रही है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा रहा है। मेरे एक पूर्व वक्ता ने बताया कि राज्य सहकारी संघ है उसमें ६०,७० या ५० के आस पास लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है उसके द्वारा गांवों में काम किया गया। हो सकता है उनमें कमी हो और किसी प्रकार की शिकायत आई हो लेकिन शिकायत मात्र से उसको बन्द तो नहीं करनी चाहिये। शिकायत की जांच की जानी चाहिये। ग्रान्ट को आप बिलकुल बन्द कर रहे हैं। उन ६० आदमियों को आप बे रोजगार कर रहे हो, यह समझ में आने वाली बात नहीं है। कोई भी योजना शुरू करें उससे पहले आप सोचलें। इसमें केवल ३-४ लाख का सवाल था, कोई अधिक का सवाल भी नहीं है। मैं समझता हूं सरकार इस पर सोचे और उनको ग्रान्ट इन-ऐड दे ताकि प्रशिक्षण को जारी रखा जा सके।

तीसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर किसान आन्दोलन गंगानगर का जिक्र किया गया। अब मुझे कहने में संकोच नहीं है कि गंगानगर का जो किसान आन्दोलन है उसको हमारी सरकार ने समाप्त तो किया है और आन्दोलन की वजह से सरकार ने जो मांगें वाजिब समझी उनको माना है। इसलिए इस दृष्टि से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के किसानों को गंगानगर के इलाके ने अगवाई दी है। जो इतने सालों से किसानों में आन्दोलन दबा हुआ था उसको उन्होंने उठाया और उस आन्दोलन से सारे ही किसानों को फायदा मिला। लेकिन यह आन्दोलन हुआ क्यों? गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य भी किसानों की मांगों को रखते आये थे लेकिन सरकार ने उस समय नहीं सोचा और इस वजह से यह आन्दोलन बढ़ा और उसमें सरकार की तरफ से जो आग में घी का काम हुआ है वह उस आर्डीनेन्स के जरिये हुआ। सरकार ने उस आर्डीनेन्स को विथड्रा कर लिया यह अच्छा है लेकिन हमारी कांग्रेस सरकार है और एक वैल्फेयर सरकार है और हम संकोच नहीं करते कहने में कि हम जनता

(श्री शिवनाथसिंह)

की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन आर्डीनेन्स जैसा सरकार ने इश्यू किया था वैसा राजा महाराजाओं के समय में भी नहीं आया। यह आर्डीनेन्स हमारी सरकार ने वापिस ले लिया और यह अच्छा ही हुआ। यह हमारी सरकार की नीति का द्योतक है और हम जनता को फेस नहीं कर सकते कि हमारी क्या नीति है? इसलिए यह जो आन्दोलन हुआ उसके लिए सरकार का अनावश्यक खर्चा हुआ। जिस समय यह आन्दोलन चालू हुआ था उसी समय मांगों को स्वीकार करके इस आन्दोलन को बन्द किया जा सकता था। इसलिए ऐसे कदम जो कि जनता की आवाज होती है उसके लिए जितना सोचा जाये उतना ही अच्छा है।

आखिरी निवेदन और करना चाहूंगा कि हमारा खर्चा बढ़ रहा है, हमारी राज्य सेवाओं में दिनों दिन भरती हो रही है। लेकिन हम नहीं सोचते कि जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं उसका रिटर्न मिल रहा है या नहीं। हम सभी लोगों को नौकरी दें यह जरूरी नहीं है। आज समय आ गया है कि इसकी जांच करें और छानबीन करें कि सरकारी कर्मचारियों को जितना पैसा दिया जाये उतना ही उनसे काम लिया जाये। जितने सरकारी ऑफ़िसर्स हैं वह बढ़ाये जा रहे हैं और जितना काम उनसे लेना चाहिए उतना नहीं लेते हैं। उनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं और सरकार के ऊपर आये दिन भार बढ़ता है। किसी भी अदालत में चले जाइये, सेक्रेटेरियट में चले जाइये, जनता को शिकायत है कि हमारा काम ठीक टाइम पर नहीं होता है। जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि राई मिल सकती है लेकिन कागज नहीं मिल सकते। राज्य की सेवाओं की संख्या को देखिये, कितने काम के पीछे कितने आदमी और कितने मुकदमों के पीछे कितने आदमी हों इसके लिए आप कमेटी बैठायें और इसका विश्लेषण हो और उस आधार पर सरकार की सेवाओं में लोग रखे जाने चाहिए। उनको जितना रुपया देते हैं उतना काम उनसे लेना चाहिये। जो भी बंधे हुए घन्टे हैं उसमें काम करते हैं या नहीं इसकी चिन्ता किसी को नहीं है।

आखिर में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा के संबंध में विश्वविद्यालय के लिए अनुदान की मांग की गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। अनुदान देना चाहिए लेकिन जैसी हालत हमारी आज है उस पर भी हमें सोचना चाहिए। अभी हमने कल भी देखा और मैंने भी प्रश्न उठाया था कल भी राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र यहां आये थे और जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया वह कोई अच्छी बात नहीं थी। विश्वविद्यालय हमारी शिक्षा का घर है और पवित्र स्थान है और वहां ऐसी शिक्षा हम लड़कों को देते हैं तो यह हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। उनमें अनुशासन नहीं है। वहां के जो अधिकारी हैं, प्राध्यापक हैं, वाइस चान्सलर हैं उनको इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए कि किसी भी शिकायत का मौका न मिले। वहां पर इतना अनुशासन ही नहीं रहा कि हड़ताल हुई और उन्होंने कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया और ३ फरवरी को एक दुर्घटना हुई और उसमें एक विद्यार्थी की जान गयी। हम इसके लिए बहुत दुखी हैं कि इस तरह की घटना विश्वविद्यालय के प्रांगण में हुई। लेकिन उसके पीछे क्या राज था। अगर विश्व विद्यालय के अधिकारी वहां के वाइस चान्सलर, प्राध्यापक ठीक समय रहते हुए

(श्री शिवनाथसिंह)

इसका इलाज करते तो कुछ हो सकता था। लेकिन गुण्डागर्दी को बढ़ने दिया गया। सिनेमाओं को लूटा जाता था, होटलों को लूटा जाता था। नीरोज और कौन कौन सी होटल हैं उनका टूटा हुआ फर्नीचर और फूटी हुई प्लेटें आज भी बताती है कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन वाइस चान्सलर और विश्व विद्यालय के प्राध्यापक उनकी इन हरकतों को बरदाश्त करते रहे और उनका केवल एक ही ध्येय था कि किसी तरह से हड़ताल न हो। उसके बाद यह हुआ कि विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर और वहां के प्राध्यापकों ने अपने आपको राजनीति में प्रवेश कर दिया। जब मामले को सी० बी० आई० को कनविक्शन के लिए दे दिया गया लेकिन उसके बाद में भी हमने नहीं देखा कि विश्वविद्यालय का कोई भी अध्यापक या वाइस चान्सलर या प्राध्यापक चौपड़ पर आकर भाषण करे। वह राजनीति में इतने लिप्त हो गए कि उन्होंने उस मामले को राजनीति का रूप दे दिया। इसलिए मैं नहीं कहता कि विश्व-विद्यालय को ग्रान्ट नहीं दी जाये। उनको ग्रान्ट दी जाये लेकिन जो उनका मैनेजमेन्ट है, जो वहां का स्टाफ है उसको वहां पर पूरी तरह से कन्ट्रोल करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि उनका वहां पर कोई कन्ट्रोल नहीं है। इन बातों की तरफ सरकार ध्यान दें। इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हमारा विश्व विद्यालय जिसको शिक्षा के लिए कायम करना चाहते हैं उसमें कतई सुधार नहीं होगा। उसमें गिरावट आयेगी। आज भी हम देखते हैं कि वहां आज की ही इत्तला है कि पांच-सात लड़के, जो बदमाश हैं और जो कि पढ़ना नहीं चाहते और जिनकी कि अटेन्डेन्स शार्ट है और जिनको परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं मिल सकती, आज वे कॉलेज के सामने खड़े हो गए कि हम राजस्थान कॉलेज में लड़कों को नहीं जाने देंगे और जिन लड़कों को पढ़ाई करने की इच्छा है, जो परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए वह रुकावट पैदा करने चाहते हैं। आखिर हमारे लड़के भी कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारी भी गाढ़ी कमाई का रुपया खर्च होता है, हमारे विद्यार्थियों का समय खर्च होता है, और सिर्फ पांच-सात लड़के कहते हैं कि हम और लड़कों को भी परीक्षा नहीं देने देंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे भी लड़के हैं और उनका भी इन्तजाम किया जाये और परीक्षा के लिए हमने देखा कि अखबारों में वह कहते हैं कि हमने जैसा जयपुर को पहले बना दिया वैसा ही फिर बना देंगे। अगर वह ऐसा करना चाहते हैं तो कर दें। कुछ भी करो लेकिन क्या राज्य सरकार बैठी रहेगी और उसका कोई इलाज नहीं करेगी। तो फिर मैं समझता हूं कि इसके बहुत भंयकर परिणाम होंगे और मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं, यूनीवर्सिटी के अध्यापकों को आगाह करना चाहता हूं कि विद्यार्थियों को पूर्ण सुरक्षा दी जाये और कुछ लोगों की गुण्डागर्दी के कारण और लोगों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया तो इसके भंयकर परिणाम होंगे। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं उनमें आपस में भयंकर लड़ाई होगी। समय रहते ही कार्य-वाही नहीं करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी, विश्व विद्यालय के मैनेज-मेन्ट पर रहेगी। इसलिए राज्य सरकार इसका इन्तजाम नहीं करेगी तो इसके गम्भीर परिणाम होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : राज्य मंत्री।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (राज्य मंत्री, वित्त) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुपूरक मांगों पर

(श्री विशम्भरनाथ जोशी)

हुई बहस के दौरान में यह कहा गया कि राज्य सरकार ने बजट बनाते समय दूरदर्शिता से काम नहीं लिया और सरकार को यह भी अन्दाजा नहीं है कि कितना उसका खर्च है और आमदनी कितनी है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! सदन की अनुमति से बैठक का समय इस विधेयक के पारित होने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया सदन के दोनों ही ओर के माननीय सदस्यों के द्वारा कि इतनी भारी रकम के लिए सदन के सामने सरकार को आना पड़ता है और कोई व्यवहारिकता के आधार पर बजट नहीं बनाया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यद्यपि यह रकम २२६ करोड़ ५६ लाख की है अनुपूरक अनुदानों की मांगों का केवल योग देखने में बड़ा भयावह और डरावना प्रतीत होता है। लेकिन माननीय सदस्य इसको भी ध्यान से देखें और इसका विश्लेषण करके देखेंगे तो साफ समझ में आ जायेगा कि यह डरावनी बात नहीं है बल्कि यह सारा बुक एडजस्टमेन्ट का सवाल है और केवल कागजी काम को पूरा करने का सवाल है। वर्ना मैं निवेदन करना चाहूंगा कि २२६ करोड़ की रकम है उसमें से जैसा कि इसमें कहा गया है कुल भुगतान करने वाली ३२ करोड़ की रकम है। क्योंकि जो प्रक्रिया है हमारे यहां सरकार में अकाउन्ट्स रखने की उसकी वजह से यह रकम इतनी बड़ी दिखती है। यह रकम जो अदा की जायेगी, यह रकम पेमेन्ट ही गिना जायेगा। इसलिए इसकी भी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। और वह ५० करोड़ जो लिये गये हैं उसकी रिसिट शो करनी पड़ेगी और पेमेन्ट शो करना पड़ेगा। अगले महीने वह फिर हो जायगा तो उसके चुकारे के लिए रकम दी जायगी और फिर उसको शो करना पड़ेगा। यह सारी प्रक्रिया है जिसकी वजह से, टैक्निलिटी की वजह से ३२ करोड़ रुपये की रकम आकर पड़ी है जिसका पेमेन्ट किया गया है। उसमें १८ करोड़ की रकम तो वह शामिल है कि असलियत में राजस्थान सरकार को व्याज के चुकारे की जो देनदारी है उस समय वह देय थी लेकिन भारत सरकार से पत्र-व्यवहार चल रहा था, नेगोसियेशन्स चल रही थी कि जो राजस्थान के इन्ट्रेस्ट के चार्जेज के चुकारे के लिए एक शेड्यूल था डेट रिपेमेंट का इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट की जो है उसको रिवाइज करना चाहिए था और हम आशा करके चलते थे कि भारत सरकार इसको स्वीकार कर लेगी और उसको रिवाइज कर देगी और हमें वह रकम पे नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए १८ करोड़ रुपये की रकम का यह फर्क पड़ गया। वह फिजूलखर्ची नहीं है। हमारी देनदारी कम हुई है। वह तो देना ही पड़ता आगे या पीछे। तो १८ करोड़ रुपये की रकम इस प्रकार की बताई गई है आपको। भिन्न मदों के हिसाब से बताते हुए २६२ करोड़ की रकम है लेकिन असलियत में इसमें से ४३ करोड़ की रकम तो फेमीन की शामिल है जिसके लिए हम यह आशा करते थे कि भारत सरकार से रकम उस वक्त मिल जायगी लेकिन वह सहायता नहीं मिल पाई तो हमें तो खर्च करना पड़ा तो वह उसमें शामिल है।

(श्री विशम्भरनाथ जोशी)

. . इस प्रकार से मैं यह कह रहा था कि यह राजस्थान केनाल पर दो करोड़ रुपयों का अतिरिक्त खर्चा हुआ है। यह भी इसमें शामिल है। १६३ करोड़ रुपये की रकम जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अपना जो एकाउटिंग प्रोसीजर है उसकी वजह से रकम कई बार शो की गई है इसलिए बुक एडजस्टमेंट का सवाल पैदा हुआ है। और १६३ करोड़ रुपयों में से १८ करोड़ की रकम इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट की थी। बजट में उस वक्त प्रोवीजन इसलिए नहीं रखा गया था क्योंकि यह खयाल था कि भारत सरकार स्वीकार कर लेगी रिवीजन ऑफ दी पेमेन्ट ऑफ इन्ट्रेस्ट चार्जेज के।

इसके अलावा १ करोड़ रुपये का यह बोण्ड रिपेमेन्ट का है वह उसमें शामिल है। चार करोड़ लोन फेमीन के शामिल हैं। १२ करोड़ का वह लोन इसमें शामिल है लोन टू आर० एस० ई० बी०। और १ करोड़ ४० लाख का अग्रिम का है। राजस्थान सरकार की विभिन्न श्रेणियों के कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों की जबरदस्त मांग थी कि उनको अनाज खरीदने के लिए अग्रिम दिया जाय ताकि वे साल भर का अनाज खरीद कर रख लें क्योंकि रोजमर्रा कीमतें बढ़ती हैं तो उससे परेशान नहीं होना पड़े। तो इस मांग को वाजिब समझते हुए ४० लाख का एडवान्स कर दिया गया। इसको इसलिए यहां शामिल किया गया है कि जब तक इस सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हाउस की स्वीकृति न हो वह ठीक नहीं।

इस तरह से २६२ करोड़ की धनराशि में से केवल ९ करोड़ रुपये ऐसे हैं....

कई माननीय सदस्य : समझ गये हैं।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : इसके बाद ९ करोड़ बचता है तो उसका ब्योरा मैं बता देता हूं। माननीय सदस्य अपोजिशन की ओर से आपत्ति की गई है कि जरूरत से ज्यादा खर्चा कर देते हैं। तो मैं विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो सबसे ज्यादा खर्चा हुआ है तो उसके लिए विरोधी दल के माननीय सदस्य जिम्मेदार हैं। २२ लाख रुपये केवल गंगानगर के आन्दोलन की वजह से जेलों के ऊपर ज्यादा खर्च किया गया है हजारों की तादाद में आन्दोलनकारी आये थे तो उनके खाने के लिए और बिस्तर के लिए यह खर्चा करना पड़ा है।

श्री रामसिंह कुड़ी : शिवनाथसिंहजी बोल रहे थे तो आप सुन नहीं रहे थे क्या ? फिर रिपीट कर रहे हैं उसी गलती को।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : फिर जो अग्रिम ग्रान्ट दी गई है उस के लिए ४० लाख का खर्चा करना पड़ा है। एग्रीकलचर पर ३४ लाख का खर्चा करना पड़ा है इसी प्रकार से को-ऑपरेटिव के इन्वेस्टमेंट के लिए १२ लाख का खर्चा किया गया है। आर. एस. ई. बी. को ट्रान्सफर किया गया है, ४ करोड़ ६५ लाख, रीपेमेन्ट ऑफ लोन के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया है १८ करोड़ रुपया जो कि बजट में प्रोवीजन नहीं रखा था वह रखा गया है।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि असलियत में अगर आप विश्लेषण करके देखें तो बजट में जो रिसीट्स थीं, जो भी हमने

(श्री विशम्भरनाथ जोशी)

कूंता था खर्चा और आमदनी के अनुमान से तो उन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : कितना फर्क पड़ा है जो कुछ कूंता है उस में ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मैं बता रहा हूं। ऐसा है कि सम्भवतः माननीय सदस्यों को इस बात का ध्यान होगा कि पिछले साल के बजट के दौरान में करीब २२ करोड़ रुपयों का..

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) ग्रॉर्डर प्लीज, माननीय सदस्य शान्त रहें।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : २२ करोड़ की राशि एकाउन्ट व डेफिसिट बजट में यह कहकर रखा था और इस खयाल से रखा गया था कि फाइनेन्स कमीशन के एवार्ड के रूप में इतनी राशि मिल जायेगी और यह डेफिसिट वाइप ग्राउट हो जायगा। वह भी राजस्थान सरकार के हाथ की बात नहीं थी। २२ करोड़ रुपयों में से केवल ९ करोड़ रुपये मिले तो १३ करोड़ का वह हो गया।

उसके बाद में १६ करोड़ का इसमें....

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के बात करने पर) ग्रॉर्डर, ग्रॉर्डर प्लीज !

श्री शिवनाथसिंह : साधन जुटाने का कुल खर्च कितना है ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : १६ करोड़ रुपया इन्ट्रेस्ट चार्जेज के थे और बजट में कह दिया गया था कि भारत सरकार से पत्र-व्यवहार हो रहा है और हम आशा करते थे कि पेमेन्ट शेल बी मेड, उसका रिवीजन कर दिया जायेगा..

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आपका सारा बजट आशाओं पर ही बनाया गया था क्या ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : यह सारा कुछ प्रोसपेक्ट्स पर ही बनता है, वर्ना यह कौन कह सकता है कि ओले पड़ जायेंगे या परसों जाकर गड़बड़ हो जाय तो एन्टिसिपेशन पर ही होता है।

श्री रामसिंह कुड़ी : मिसलेनियस में आप जो डालते हैं वह किस आधार पर डालते हैं ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : एक बात....

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आपकी सारी आशाओं पर ओले पड़ गये।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मैं यह बताना चाहता हूं ...

श्री देवीदत्त गाड़िया : (श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत से) आपसे ज्यादा समझदार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको तकलीफ हो रही है खड़े रहने में।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को इस बात की सूचना दे रहा था कि राजस्थान राज्य का जो बजट था वोटेड आइटम्स का, उसमें पिछले

(श्री विशम्भरनाथ जोशी)

साल २२६.५६ करोड़ था और चाउर्ड १०८.९६ इस प्रकार से ३३५ करोड़ ५२ लाख का था इसमें कुल ८४ लाख का फर्क रहा है।

मैं आपको बता रहा हूं कि २२ करोड़ का एक्सपेक्टेशन था कि फाइनेन्स कमीशन के एवार्ड में मिलजायगा वह कुल ९ करोड़ ही मिला और १३ करोड़ उसमें रह गया। १६ करोड़ इन्ट्रेस्ट चार्जेज के पेमेन्ट करने पड़े, क्यों कि भारत सरकार ने एग्री नहीं किया शेड्यूल को रिवाइज करना, तो इस प्रकार से १६ और १३ यानी २९ करोड़ का रिवाइज्ड एस्टीमेट रहा। माननीय सदस्यों को खयाल होगा कि जो फिगर्स दिये गये हैं बजट में वह २८ करोड़ १६ लाख का घाटा मानकर चलते हैं उसके मुकाबले में ३२ करोड़ का निकला है तो ८५ लाख का फर्क पड़ा है। उसमें इतने सारे परिवर्तन लाने पड़े क्योंकि हमारे यहां ओले पड़े, आंधियां आई और अकाल पड़ा, इस प्रकार से अनफोरसीन सरकम्स्टान्सेज आ गये।

इसके बाद में यह कहना चाहूंगा कि ३३५ करोड़ ५२ लाख के बजट में अगर ८४ लाख का फर्क रहता है साल भर में तो मैं समझता हूं कि इसका मतलब यह नहीं समझा जाय कि अन्दाजा सही नहीं लगाया गया था या दूरदर्शिता पूर्ण नहीं लगाया गया था। बल्कि मैं कहना चाहूंगा, इतने परिवर्तन के बाद इतना फर्क नहीं है। इसलिए वित्त मंत्रालय के अनुभवी अधिकारियों के एस्टीमेट काफी ठीक हैं....

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : माननीय मंत्री, मैं एक बात जानना चाहूंगी, इस साल स्पेशली राज्य सरकार ने, माननीय मंत्रीजी ने जिस समय फैसला किया था कि अकाल वर्ष होने के कारण हम इकोनामी करेंगे, किफायतसारी करेंगे, उसके बाद में कितनी इस साल की ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह बतायें।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने यदि राजस्थान राज्य के बजट का भाषण, जो वित्त मंत्रीजी ने दिया, ध्यान से पढ़ने की कृपा की होती तो उनको यह शंका नहीं होती।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आप मुझे यह बता दीजिये, कि मिनिस्टरों के मद में कितनी कटौती हुई टेलीफोन के बिलों में पहले के मुकाबले में कितनी कमी आई, बिजली-पानी के बिलों में पहले के मुकाबले में कितनी कमी आई है ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : यह दिया हुआ है।

एक माननीय सदस्य : सेक्रेटरी से पूछ लें।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : एक करोड़ कुछ लाख रुपये, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, इस वित्त वर्ष के दौरान इकोनामी मेजर्स के फलस्वरूप खर्च में कमी हुई है। १ करोड़ ९३ लाख रुपये की किफायत इस वित्तीय वर्ष के दौरान हुई है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : चैरिटी बिगिन्स फ्रॉम होम। मिनिस्टरों ने क्या और कितनी किफायतसारी इन मदों में की ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : For that you kindly adress a Question and I will reply.

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लोज।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न बड़ा अहम है। माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, वास्तव में एक महत्वपूर्ण मुद्दे का सवाल उठाया है। उन्होंने यह कहा, हमारे बड़े मंत्री भी वित्त के यहां मौजूद हैं, तो आपने यह कहा था कि किफायतसारी करेंगे, कटौतियां करेंगे, उसके आधार पर...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लोज ! आपकी बात समझ ली गई है। मिनिस्टर ज्यादा दौरा करेंगे, खर्च करेंगे तभी तो किफायत करवा सकेंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मिनिस्टरों ने कितनी कटौती की, टी. ए., डी. ए. में कितनी कटौती की है, टेलोफोन के बिलों में कितने खर्चे की कमी आई है....

श्री उपाध्यक्ष : वह ज्यादा खर्च आयेगा तभी तो किफायत करेंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कितनी पेट्रोल के खर्चे में कमी आई, कितनी बिजली के बिल में कमी आई? यह आप बतायें। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य ! माननीय मंत्री का उत्तर पूरा होने दीजिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मेरा आरोप है कि जरा सी कटौती करने के नाम पर इन मदों में पहले फिजूलखर्जी में जितना बजट प्रोवीजन था, उससे भी दुगुना, तिगुना खर्च किया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह बात सही है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, किसी पर्टीक्यूलर हैड में कितनी इकोनामी हुई यह माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो वह जानने के लिए विधिवत् जरिये से अलग से सवाल पूछें तो मैं मालूम करके बता सकता हूं। आखिर इतने बड़े आंकड़े हैं, इतनी बड़ी सरकार है, जिसका अरबों का बजट है। तो एटरैन्डम कुछ बताना पॉसिबल नहीं है।

श्री रोशनलाल शर्मा : इतनी बड़ी सरकार है जिसके सदस्य चालीस हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : माननीय मंत्री, मैं राज्य सरकार के अलग-अलग आइटम न पूछ कर, फाइनेन्स मिनिस्टर और आप, दोनों ने क्या कटौती की है, आप अपना दोनों का बता दीजिये, बाकी की चीजों को छोड़िये।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मैं इसका जवाब दे चुका हूं। किसने क्या कटौती की है इसके बारे में आप पूछना चाहें तो उसका जवाब मिलेगा। मैं सारे आंकड़े जेब में रख कर नहीं चलता हूं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आप घर का फर्मा दीजिये।

श्री विशम्भर नाथ जोशी : बिल्कुल कटौती हुई है।

श्री रोशनलाल शर्मा : प्रश्न इसमें यह है...

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : बिल्कुल कटौती हुई है।

श्री रोशनलाल शर्मा : माथुर साहब, आप रहने दीजिये। हम इनसे पूछ रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : घर का जवाब तो घर वाली से पूछ लें। यहां का पूछना है तो मुझसे पूछें।

श्री रोशनलाल : हम पूछना चाहेंगे कि चालीस मंत्रियों ने कितनी कटौती की? कितनी कमी खर्च में की? यह बता दें।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : इसके लिए अलग से प्रश्न पूछ लें। उसका जवाब मैं दे दूंगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : और तो लम्बे-लम्बे आंकड़े दे देते हैं। अपना क्यों नहीं बताते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : घर वाली से पूछ लें–इसका तात्पर्य क्या है?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : राज्य मंत्री का यह कहना कि आप अलग से प्रश्न कर दीजिये तब जवाब देंगे, कोई बल नहीं रखता है। कारण? कारण यह है कि जब सदन में उन्होंने नियमों को सस्पेन्ड करके एट ए टाइम सभी मांगों को मूव किया, उस वक्त यह उम्मीद करके चलते कि वह तमाम जानकारी अपने पास रख लेंगे जो बहस के दौरान मुद्दे उठ सकते हैं क्योंकि कट मोशन तो पेश करने का हमको मौका नहीं मिला। इसलिए अब प्रश्न को आड़ लेकर चलना चाहते हैं कि हम प्रश्न करें तब उसका जवाब और जानकारी देंगे–यह बात इस स्टेज पर नहीं चल सकती। आप बतायें, माननीय सदस्या ने जो पूछा है उसका जवाब दीजिये।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अन्दर इस सम्बन्ध में दल के नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि इस प्रकार की बात नहीं रखेंगे। उसके आधार पर यह मूव किया गया है रिलेक्सेशन का और उसे हाउस ने स्वीकार किया है और तब यह रखा है। इसलिए यह अधिकार आपको नहीं रह जाता है कि आप उसको चैलेंज करें। यह कामन कन्सेन्ट ऑफ पार्टीज से हुआ है जो हुआ है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : पार्टी ने यह नहीं कहा कि प्रश्नों का जवाब न दिया जाय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा प्रश्न पूछने का अधिकार समाप्त हो गया?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल में यह किसी से आशा नहीं की जा सकती कि वह इतना हाजिर जवाब हो कि कोई प्रश्न किया जाय उसका रेडी रिप्लाई दे दे। यह आंकड़ों से सम्बन्धित प्रश्न है, तथ्यों से सम्बन्धित नहीं है। यह आने पाई से सम्बन्धित है, इसलिए बिना रिकार्ड देखे मैं ऑफ हैंड जवाब नहीं दे सकता।

Page No. 145

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : आना पाई मत बताइये, रुपये बता दें। इससे संतुष्ट हो जायेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसका मतलब यह है कि आप यह कह दीजिये....

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मैं बेशक दे सकता हूं, लेकिन यह आंकड़े तब तक नहीं दे सकता जब तक कि मैं वेरीफाई नहीं कर लूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपकी योग्यता के बाहर की बात है, तब हम क्षमा कर देगें।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : जो सदन की प्रक्रिया को नहीं समझते हैं वह अपनी अयोग्यता प्रदर्शित कर रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसका मतलब है कि आपको जानकारी नहीं है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मैं समझता हूं कि यह योग्यता का प्रदर्शन नहीं है कि बिना जांच किये हुए मैं एटरेन्डम जवाब दे दूं।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर !

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मेरा खयाल है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री पी. के. चौधरी : मेरा पाइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि बहस में जिन महत्त्वपूर्ण बातों को नहीं उठाया गया हो उनके बारे में सवाल नहीं पूछा जा सकता।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : लीजिये आपने वकील कर लिया। उन्होंने संरक्षण प्रदान कर दिया।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मिनिस्टर के खर्च के सम्बन्ध में सवाल उठाया है, इधर बैठे हुए माननीय सदस्य ने उठाया है, इसलिए इसका जवाब देना पड़ेगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (मावली) : नहीं उठाया था।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : मिनिस्टर को पता नहीं कि मिनिस्टर के खिलाफ सवाल उठाया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : श्री पी. के. चौधरी उस वक्त मौजूद नहीं थे इसलिए उन्होंने कह दिया।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : मैं एक जानकारी चाहता हूं....

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री) : मिनिस्टरों के खर्च के सीगे में क्या इकानोमी हुई, इस बात को जानने की इनकी बहुत ही इच्छा है कि इसके आंकड़े बताये जांय। वैसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मिनिस्टरों के खर्च के आंकड़ों में तनख्वाह, टी. ए., डी. ए., पेट्रोल, टेलीफोन खर्च कई चीजें आती हैं। लेकिन जैसे-जैसे जवाबदारी बढ़ती जायगी राजस्थान की हालत को देखते हुए तो उसमें इकोनामी पासिबल नहीं है। यह मैं साफ कर देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : फिर इकोनामी का ट्रेण्ड इन्ट्रोड्यूज किया नहीं, यह समझना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : यह पालिटिकल इश्यू है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन बार-बार पूछ रहे हैं कि मिनिस्टरों के सीगे में क्या इकोनामी हुई, घर में क्या इकोनामी हुई, तो वैसे तो एम. एल. ए. को पूछने का

(श्री मथुरादास माथुर)

अधिकार नहीं है। यह पूछ नहीं सकते। लेकिन मैं बता सकता हूं कि आंकड़े मौजूद हैं, १६६६-७० के अन्दर ३६-२६ था और १६७०-७१ के अन्दर ३३ है, उस प्रकार छः लाख की करने का यह नतीजा हुआ है। मैं निवेदन करूं कि छः लाख की इकोनामी कम है, ज्यादा है इस पर दो मत हो सकते हैं, मगर जो रेसपान्सिबिलिटी होती है, जैसे गंगानगर का आन्दोलन हो गया, उसके बारे में टेलीफोन करके मालूम करके सदन में इत्तला न दें तो परेशानी। इधर परेशानी उधर परेशानी, जेल में कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो रोज उसको अटेन्ड करना पड़ता है राजस्थान भर में।

श्री रामसिंह कुड़ी : गंगानगर का काम बढ़ गया।

श्री मथुरादास माथुर : इसलिए निवेदन है कि और जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम है उनमें दिलचस्पी लें तो राजस्थान की भलाई होगी। मिनिस्टरों की मद में इकोनामी की चिन्ता न करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पहले तो इन्होंने घोषणा कर दी....

श्री उपाध्यक्ष : पहले मन्त्रीजी को उत्तर दे देने दें, माननीय सदस्य बाद में प्रश्न पूछें।

श्री रामनारायण चौधरी : उत्तर आ गया।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : राजस्थान मे जो ओला वृष्टि हुई है और उससे किसानों की फसल नष्ट हुई है....

श्री रोशनलाल शर्मा : पास! पास! पास कर दिया माथुर साहब ने कह दिया उससे हमें संतोष है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मैं यह कहना चाहूंगा....

कई माननीय सदस्य : पास! पास!

श्री उपाध्यक्ष : शांति से सुनें!

कई माननीय सदस्य : पास! पास! पास!

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ओलावृष्टि के बारे में कह रहे हैं, इनको कहने दीजिये। ओला वृष्टि के बारे में इनका क्या कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : इनको कहने दें।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : माननीय सदस्यों ने परेशानी जाहिर की है वह वाजिब बात है, उनका कहना है कि राजस्थान सरकार ने कुछ नहीं किया और किसान परेशान हो रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ओला वृष्टि के कारण जो खेती को नुकसान हुआ है, उनके नुकसान की पूर्ति के लिए राहत देने के लिए निर्णय ले लिया है और सम्बन्धित कलेक्टर्स को आदेश दिये जा रहे हैं। और दस लाख की एडहॉक बेसिस पर सैंक्शन भी कर दी है....

श्री देवीदत्त गाड़िया : दस लाख से क्या होगा?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : और जो खर्च होना है वह हो जायगा। इसका डिस्ट्रिब्यूशन शुरू हो जाने वाला है....

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं कहना चाहता हूं राज्य मंत्री महोदय को कि....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य! ऑर्डर प्लीज!

श्री देवीदत्त गाड़िया : कोटा के अन्दर करोड़ों रुपये की फसल नष्ट हो गई।

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है। ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुझे बड़ा अफसोस है, राजस्थान के कई जिलों के अन्दर ओला वृष्टि हुई है, सवाई माधोपुर...

श्री विशम्भरनाथ जोशी : आप सुन नहीं रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! पहले मंत्री महोदय को उत्तर दे देने दीजिये, उसके बाद में कोई शंका रह जाय तो आप पूछ सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : दे दो।

कई माननीय सदस्य : पास ! पास ! हम संतुष्ट हैं।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो रकम स्वीकृत की गई है, यह कोई अन्तिम नहीं है, जितनी आवश्यक होगी नियमों के अनुसार रिलीफ बांटा जायगा। यदि ज्यादा रकम बांटने की आवश्यकता हुई तो ज्यादा रकम बांटी जायगी।

इसके अलावा एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य ने बड़े जोश खरोश के साथ कहा कि अगर मेरी पार्टी पावर में होती तो यह नहीं होता, वह नहीं होता, मैं एक ही सेन्टेन्स में जवाब देना चाहता हूं कि....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हम एक ही कलम से २० मिनिस्टरों को डिसमिस करते।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मन के लड्डू फीके नहीं होते।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आज हालत क्या है यह सबको पता है, आपको भी पता है, मन के लड्डू फीके क्यों कहने से काम नहीं चलेगा।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : आपने बड़ी गर्वोक्ति की कि हमारी पार्टी पावर में होती तो यह नहीं होता, वह नहीं होता, यह कर देते, वह कर देते। मैं यह कह देना चाहता हूं कि राजस्थान की दो करोड़ जनता की जिम्मेदारी अगर आप पर होती तो न मालूम आप किस तरह से निभाते, जयपुर और कुछ दूसरे शहरों में आपकी जनसंघ की म्युनिसिपैलिटी आई तो आप सड़कों पर झाड़ू तक नहीं लगवा सके।

श्री देवीदत्त गाड़िया : हमने तो झाला-वाड़ में और दूसरी जगहों पर कांग्रेस को झाड़ू लगा कर साफ कर दिया १६६७ के चुनावों में।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : यह तो आप ५२ से कहते आ रहे हैं। दुनियां उम्मीदों पर कायम रहती है, आप भी इस पर कायम रहें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप तो वही हैं, दिन में इण्डीकेटी और रात में सिण्डीकेटी।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : इसके साथ मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि बुक एडजस्टमेंट की ६ करोड़ की राशि ऐसी थी जिसका ब्योरा दे दिया गया है, कुल ८४ लाख का फरक पड़ा है, जो खर्चा हुआ वह ठीक हुआ, अदालतों का खर्चा दिया गया, फेमीन का दिया गया।

(श्री विशम्भरनाथ जोशी)

इसलिये मैं निवेदन करूँगा कि सारी मांगों को स्वीकार किया जाय।

(श्री उपाध्यक्ष के खड़े होने पर)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं सीनियर वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि लोक परम्परा के अनुसार जिस व्यक्ति की टाट के बाल उड़ गये हों, वह दिवालिया हुआ करता है....

श्री उपाध्यक्ष : इसके विपरीत बात होती है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इसीलिये राजस्थान का वित्त मन्त्री ऐसा व्यक्ति नहीं बनाया जाय जिसकी टाट के बाल उड़े हुए हों, नहीं तो यह सरकार हमेशा दिवालिया ही रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री मनोहरसिंह मेहता : वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है जिसके सिर पर बाल नहीं होते।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इस जगह बाल नहीं होते वह भाग्यशाली होता है। जिसके सिर के बीच में बाल नहीं होते वह दिवालिया होता है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९७० को पारित किया जाय।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं कि राजस्थान पर आज के दिन तक कितना कर्जा है और उस कर्जे पर सालाना कितना ब्याज राजस्थान को देना पड़ता है, कर्ज पर राजस्थान को सालाना कितना ब्याज चुकाना पड़ता है....

श्री देवीदत्त गाड़िया : कितना ओवर-ड्राफ्ट है, यह भी बता दें।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री) : अगर माननीय सदस्य इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो इसमें समय लगेगा, १४-१५ को मैं जवाब दे रहा हूं। उस समय यह सब डिटेल्स में बता दूंगा।

आज तक ३५ करोड़ रुपया ओवरड्राफ्ट है, यह आज का है कल का मुझे पता नहीं। ३५ करोड़ का ओवरड्राफ्ट है।

बाकी कुल कर्जा और उस पर ब्याज का आप जानना चाहते हैं तो अलग-अलग हैड का अलग-अलग कर्जा है, उस पर अलग-अलग हैड के कर्ज के ब्याज के अलग-अलग आंकड़े हैं क्योंकि डिफरेन्ट हैड के कर्ज के डिफरेन्ट रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट अलग है। कितना एरियर है कितना पेमेन्ट हो चुका है, इसके लिये मेरा बजट भाषण आप पढ़ लीजिये उसमें आपको आपकी सब बातों का जवाब मिलेगा, उसमें अगर समझ में नहीं आये तो मैं आपको सदन में पूरा जवाब दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : कितना रुपया कर्जा है और उस पर हमें सालाना ब्याज का कितना देना पड़ता है, यह आप बता दीजिये ।

श्री मथुरादास माथुर : अलग-अलग योजना का अलग-अलग कर्जा है, योजना का अलग है, गैर योजना का अलग है, एडहॉक के अलग आंकड़े हैं, प्लान के हैड के कर्जे का रेट ऑफ इन्टरेस्ट अलग है, नॉन प्लॉन का अलग है, राजस्थान कैनाल के कर्ज का रेट आफ इन्टरेस्ट बिलकुल अलग है ।

श्री रामनारायण चौधरी : पूरा कर्जा कितना है और उस पर हमें इन्टरेस्ट कितना रुपया सालाना चुकाना पड़ता है ।

श्री मथुरादास माथुर : टोटल इन्टरेस्ट अलग अलग स्कीम-वाईज अलग-अलग है, इसलिये इसको इस समय तो नहीं बताया जा सकता क्योंकि इस साल का लोन है उसका इन्टरेस्ट तय ही नहीं हुआ है, ४८ करोड़ रुपया हमको मिला था एडहॉक लोन का उसका रेट ऑफ इन्टरेस्ट तय ही नहीं हुआ है । इसके अलावा फेमीन का लोन है, उसमें कितना लोन होगा कितनी ग्रान्ट होगी, उस आधार पर इन्टरेस्ट गिना जायगा । आप दो दिन सब्र रखें ।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या राजस्थान के फाइनेन्स मिनिस्टर को यह मालूम नहीं है कि हमारे ऊपर आज के दिन कितना कर्जा है और उस कर्ज पर कितना इन्टरेस्ट हमें प्रति वर्ष देना पड़ता है ।

श्री मथुरादास माथुर : क्या मालूम है क्या नहीं मालूम है मुझे, मेरा इम्तिहान मत लीजिये....

श्री देवीदत्त गाड़िया : कितना इन्टरेस्ट देते हैं....

श्री मथुरादास माथुर : फाइनेन्स मिनिस्टर को जो मालूम है, वह फाइनेन्स मिनिस्टर की स्पीच सामने है, उसे आप पढ़ना भी नहीं चाहते, उसका तो मैं क्या करूं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह पूछने का हमारा अधिकार है, माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं, उसका उत्तर वित्त मंत्रीजी को देना चाहिये ।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा भी अधिकार है यह कहने का कि डोक्यूमेंट में सब कुछ है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह क्या बात हुई ? यह तो आपको बताना चाहिये, बड़े अफसोस की बात है कि राजस्थान का वित्त मंत्री यह नहीं बता सकता कि राजस्थान सरकार पर आज के दिन कुल कितना कर्जा है और उस कर्ज पर राजस्थान को प्रतिवर्ष कितना ब्याज चुकाना पड़ता है ।

श्री मथुरादास माथुर : फाइनेन्स मिनिस्टर का इम्तिहान लेने के लिये आपको कुछ काबलियत हासिल करनी होगी, अभी आपको असेम्बली में आये दो साल ही हुए हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप भी बीच में कहां चले गये थे । यह हमारा अधिकार है पूछने का आपको इसका उत्तर देना चाहिये ।

श्री खेतसिंह (उपमंत्री) : आपको बोलने का तरीका नही आता ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपको तो कुछ भी नहीं आता, आपका तो रंग ही काला, भैंस के बराबर है।

श्री मथुरादास माथुर : फाइनेन्स का मामला होता है उसमें मैं कभी अपनी मेमोरी से जवाब नहीं देता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : मेमोरी टेस्ट नहीं है। आपने समय मांगा है, बिलकुल ठीक है पर यह तो आप बता सकते हैं कि कुल आज के दिन राजस्थान पर कितना कर्जा है और उस पर हमें कितना इन्टरेस्ट सालाना देना पड़ता है।

श्री मथुरादास माथुर : जैसा कि मैंने बताया अलग-अलग हेड का अलग-अलग लोन है और अलग-अलग हेड के कर्ज पर रेट ऑफ इन्टरेस्ट अलग-अलग है, फिर भी मैं बता दूं कि टोटल इन्टरेस्ट जो हमें देना पड़ता है वह करीब-करीब ३५ करोड़ है। लोन ब्रेकअप को केलकुलेट करना होगा, लोन ब्रेक अप अलग-अलग हेड्स का अलग-अलग है, फेमीन का लोन अलग हेड में जाता है, प्लान का लोन अलग और नॉन-प्लान का अलग। आप असेम्बली के इतने मेम्बर हैं, नम्बर बता सकते हैं पर यह नहीं बता सकते कि कुमले सदस्यों की उम्र कितने हजार वर्ष है।

श्री शिवनाथसिंह : आप ने ३७ करोड़ का ओवरड्राफट बताया। ४-५दिन पहले अखबारों में था ५७ करोड़ का ओवरड्राफ्ट। दोनों में से कौनसी बात सही है?

श्री मथुरादास माथुर : दोनों सही है। आज से ४ दिन पहले ५७ करोड़ का ओवरड्राफ्ट था। कल मैंने देखा था ३५ करोड़ था आज लेटेस्ट ३८ करोड़ हो गया है। समझने की बात यह है कि भारत सरकार से हमारा ड्यू पेमेंट था, ५७ में से १८ करोड़ पेमेंट होकर रिजर्व बैंक में गया। आज तीन करोड़ का पेमेंट हो गया। मार्च का महीना है, पेमेंट बहुत होता है तो ज्यादा बढ़ जायगा तो ओवरड्राफ्ट फाइनेन्शिल पोजीशन का नमूना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १६७० को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ६.१ बजे दिनांक १२ मार्च, ७० के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–१

(तारांकित प्रश्न सं० ४५ की सूची)

सूची वर्ष १९६२-६३ में उप-खण्ड अधिकारी, मकराना का कार्यालय पृथक् स्थापित होने से नागौर की आय निम्न वर्षों में इस प्रकार हुई है :—

	वर्ष	आय
(१)	१९६२–६३	७,१०,८५०.००
(२)	१९६३–६४	८,३०,१०२.००
(३)	१९६४–६५	७,६१,५७३.००

वर्ष १९६५–६६ से नागौर जिले में दो विभागीय परियोजनाएं चलाई गई, जिनकी आय निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मकराना उप-खण्ड	जिप्सम परियोजना	टंगस्टन परियोजना
१९६५–६६	७,६५,९८२	१,२९,२८०	१,१०,१९०
१९६६–६७	११,२२,८८३	८३,३८२	२,६३,५२७
१९६७–६८	९,६६,९९०	१,१०,६००	८,०५,५७१
१९६८–६९	११,८३,४०७	१,५५,०११	२,५१,५८५
१९६९–७०	७,८७,३६१	१,०८,०३३	५,५५,३००

(२)

सहायक अभियन्ता, मकराना का पद दिनांक ३०-५-६१ से है तथा जिन-जिन व्यक्तियों ने कार्य किया उनकी सूची इस प्रकार है :—

१	श्री रामगोपाल गुप्ता	८-६-६१ से १९-९-६१
२	,, के० पी० गुप्ता	२०-९-६१ से ११-११-६१
३	,, ए० एस० खवास	१२-११-६१ से १५-८-६२
४	,, गेहरालाल माथुर	१६-८-६२ से १०-११-६४
५	,, सीताराम	१६-११-६४ से १४-९-६७
६	,, आर० सी० भार्गव	१८-९-६७ से २१-५-६८
७	,, बी० एम० शर्मा	२२-५-६८ से ९-१-६९
८	,, एस० एम० भंडारी	१०-१-६९ से आज तक

परिशिष्ट—२

(तारांकित प्रश्न सं० ५० की सूची)

पलाना खान में उत्पादन के आंकड़े

वर्ष	उत्पादन (टनों में)	विशेष
१९५०	२२,०००	
१९५१	३२,०००	
१९५२	४५,०००	
१९५३	३५,०००	
१९५४	३०,०००	
१९५५	२७,५००	
१९५६	२५,०००	
१९५७	१७,५००	
१९५८	१२,०००	
१९५९	२४,४२७	
१९६०	४१,६०३	
१९६१	६०,६८४	
१९६२	३६,२९२	
१९६३	४,५४५	
१९६४	१,२०५	
१९६५	११,१८९	
१९६६	७,१७९	
१९६७	२,०७८	
१९६८ (नवम्बर तक)	४,६३७	

परिशिष्ट–११ मार्च, १९७०–परिशिष्ट

आय-व्यय एवं लाभ-हानि के आंकड़े

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय	शुद्ध लाभ	शुद्ध हानि	विवरण
१९५०-५१	१,२७,०८०	४,१८,६९६	—	२,९१,६१६	
१९५१-५२		—			
१९५२-५३	५,०५,३९१	३,४७,०७८	१,५८,३१३		
१९५३-५४	३,४६,४६२	२,५५,००४	८१,४५८		
१९५४-५५	४,३७,९९४	२,५४,८७०	१,८३,१२४		
१९५५-५६	४,७८,१९६	२,१४,५४७	२,६३,६४९		
१९५६-५७	४,८२,२५७	४,००,२६५	८१,९९२		
१९५७-५८	३,६७,०६३	३,७०,४७४	—	३,४११	
१९५८-५९	२,२८,०७६	५,७६,२३६	—	३,४८,१६०	
१९५९-६०	७,३८,६८३	११,४८,४९०	—	३,०३,२६४	
१९६०-६१	१३,२६,६६०	१३,२४,१९०	—	३,३९८	
१९६१-६२	११,६०,६४०	१५,०२,१७०	—	१,५६,९६९	
१९६२-६३	८,७९,९४५	१६,१७,३०८	—	७,९५,४५९	ये आंकड़े बजट व प्रोफोर्मा लेखा से लिये गये हैं।
१९६३-६४	१,४९,२१०	८,४४,५०९	—	—	
१९६४-६५	१,८६,०६०	८,०७,७४७	—	२,७६,०१८	
१९६५-६६	३,८१,६९५	८,५९,४०६	—	८,५५,६५१	
१९६६-६७	१,९५,६३३	७,७२,८३५	—	८,०४,९६०	
१९६७-६८	१,४०,४०७	४,६९,६०७	—	६,२९,४५१	

परिशिष्ट ३

समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

टोपीदार बन्दूक के लाइसेंस का रिन्यूवल करते समय वसूली

६४. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि टोपीदार बन्दूक के लाइसेंस का रिन्यूवल उप-जिलाधीश कार्यालय से होता है ?

(२) क्या यह सही है कि बन्दूक के लाइसेन्स रिन्यू करते समय उप-जिलाधीश को उस व्यक्ति की तरफ यदि किसी प्रकार का सरकारी कर्जा व लगान आदि बकाया हो, तो उसकी वसूली की कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है ?

(३) क्या यह सही है कि छबड़ा (जिला कोटा) के उप-जिलाधीश ने उन किसानों से जिन्होंने बन्दूक के लाइसेन्स रिन्यू कराने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये उस समय उनसे रिपोर्ट मांगी कि तुम तहसीलदार व पटवारी आदि की तस्दीक करवाकर लाओ कि तुम्हारी तरफ किसी प्रकार का सरकारी कर्जा व लगान बाकी नहीं है ?

(४) यदि हां, तो क्या परगना अधिकारी, छबड़ा को यह कार्यवाही करने का अधिकार है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) परगना अधिकारी (राजस्व) होने के नाते उनको सरकारी मतालबा वसूल करने का निरन्तर अधिकार है।

(३) हो सकता है कि उप-जिलाधीश ने किसी मामले में ऐसी तस्दीक की जरूरत समझी हो। शस्त्र लाइसेन्सों के नवीनीकरण करने से पहले उप-जिलाधीश का कर्त्तव्य है कि वह अनुज्ञापत्रधारी की हैसियत यानी सामाजिक स्तर, चरित्र एवं चाल-चलन की तस्दीक करें। उसके हथियार रखने की जरूरत पर जानकारी लें।

(४) चलन और हैसियत के बाबत निर्णय करने के लिए वह उन सब बातों की जानकारी ले सकता है कि जिससे वह उपरोक्त निर्णय पर पहुंच सके।

कस्बा बीदासर की जलप्रदाय योजना

६५. श्री रावतराम (छापर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कस्बा बीदासर (चुरू) के लिये जलप्रदाय योजना की स्वीकृति कब की गई ?

(२) उक्त योजना के लिये कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है और इसके लिये सरकार ने कितनी धनराशि स्वीकृत की है तथा जन सहयोग कितना और किसने दिया है ?

(३) कस्बा बीदासर के लिये प्रति दिन कितने पानी की आवश्यकता का अनुमान है तथा यह पानी कहां से लिया जायेगा ?

(४) क्या यह सही है कि जिस जगह से पानी लिया जायगा वहां पर्याप्त पानी है और वहां की सर्वे हो गई है ? जलप्रदाय विभाग द्वारा इस योजना के लिये की गई सर्वे की रिपोर्ट व पूरा विवरण सदन की मेज पर रखें।

(५) इस योजना के संबंध में स्थानीय नगरपालिका से एग्रीमेंट कब हुआ ? कृपया एग्रीमेंट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(६) उक्त योजना का ठेका किसको और कब दिया है और योजना कब तक पूरी होने का अनुमान है ? क्या आगामी गर्मियों में उक्त योजना के तहत कस्बे को पानी दिया जा सकेगा।

उत्तर

(१) दिनांक १९-१-७० को।

(२) योजना की अनुमानित लागत रुपये १५.८१ लाख है। जन सहयोग का प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) कुल १,२५,००० गैलन पानी प्रति दिन पानी धनेरु नल कूप से लिया जावेगा।

(४) जी हां। योजना की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(५) कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ।

(६) योजना दि० १९-१-७० को ही स्वीकृत हुई है। अतः अभी तक ठेका देने का प्रश्न ही नहीं उठता। साधारणतया धन व सामग्री की उपलब्धि पर एक योजना के कार्य को पूरा करने में इसे ४ वर्ष की अवधि लग जाती है।

Particulars for Bidasar Water Supply Scheme, District Churu

1.	Population as per census 1961	9,389 Souls.
2.	Designed Population considering 30 years period	15,000 ,,
3.	Rate of supply	20 G. P. C. D.
4.	Daily Supply	3,00,000 Gallons per day.
5.	Source of supply	1st phase : one existing tubewell and other proposed to be developed. II phase : Two tubewell proposed.
6.	Location of source	Village Dhaneru.
7.	Proposed yield of source	4000 G. P. H.
8.	Rising main	8" dia. A. C. main 15000 ft.
9.	Type of power	Diesel engine driven set proposed as the electricity is not available.
10.	Ground level G. W. R.	1st phase : 40000 gallons (forty thousand) Capacity.
11.	R. C. C. overhead tank	40,000 gallons Capacity on 50 ft in stangin
12.	Total cost of the Scheme	I phase Rs. 11,22,000/- II phase Rs. 4,59,000/- Rs. 15,81,000/-

राहूवास नदी पर पुल का निर्माण

६६. श्री शम्भूराम (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) दौसा-लालसोट मार्ग पर राहूवास नदी के पुल के निर्माण के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(२) क्या यह सत्य है कि अब तक इसकी मरम्मत स्वरूप कितना धन लगाया जा चुका है उससे नवीन स्थायी पुल का निर्माण हो सकता था ?

उत्तर

(१) कोजवे के निर्माण के लिये ५४,००० रु० की वित्तीय वर्ष ६९-७० में स्वीकृति दे दी गई है।

(२) ९८५९ रु० व्यय हुये हैं जो पुल निर्माण के लिये पर्याप्त नहीं है।

खंडार तहसील में बिजली

६७. श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले की खंडार तहसील में आज तक बिजली नहीं पहुँचाई गई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(२) क्या यह भी सही है कि जिला परिषद् व पंचायत समिति द्वारा इस संबंध में कई बार प्रस्ताव करके भिजवा दिया गया है ?

(३) क्या खंडार तहसील विद्युतीकरण के नियमों में आती है ? यदि हां, तो अब तक विद्युत् नहीं देने का क्या कारण है ? और अब विद्युत् कब तक दे दी जायेगी ?

उत्तर

(१) जी हां। परियोजना प्रतिवेदन बनाने पर लाभप्रद नहीं होने के कारण।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता। अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

रतनगढ़–सालासर सड़क

६८. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(१) गत वर्ष रतनगढ़ से सालासर मार्ग पर कच्ची सड़क कितने माइल बनी ?

(२) क्या सरकार इन सड़कों को जो कि बीच–बीच में खण्ड-खण्ड में बनी हुई हैं, को पूर्ण करने का विचार रखती है ?

(३) क्या सरकार रतनगढ़ तहसील में हो रहे अकाल राहत कार्य में इस कार्य को हाथ में लेने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) ५ किलोमीटर कच्ची सड़क।

(२) जी नहीं। अभी कोई योजना नहीं है।

(३) इस विभाग से संबंध नहीं है।

दिल्ली गेट, अजमेर के बाहर का स्लॉटर हाउस

६९. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर–पश्चिम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि अजमेर नगर काफी फैल चुका है और दिल्ली गेट के आसपास घनी बस्ती है ?

(२) क्या यह सही है कि दिल्ली गेट के बाहर फैली घनी बस्ती में बकरे काटे जाते हैं ? यदि हां, तो क्या जन स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक है ?

(३) क्या सरकार यह उपयुक्त नहीं समझती कि वहां से यह स्लॉटर हाउस कहीं अन्य जगह हटा दिया जावे ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) देहली गेट के बाहर स्लाटर हाउस की पक्की इमारत बनी हुई है।

(३) स्लॉटर हाउस को अन्य स्थानान्तरित करने का मामला नगर परिषद् के विचाराधीन है।

सोल्जर्स बोर्ड, बीकानेर के सचिव के पद पर नियुक्ति

७०. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बीकानेर में सोल्जर्स बोर्ड के सचिव के पद पर श्री गोपाल सेन चौधरी को नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो कब और किसके आदेश से ?

(२) क्या यह सही है कि श्री गोपालसेन के विरुद्ध गबन एवं अनियमित कार्यवाही करने के आरोप हैं, जिनकी कई मामलों में विभागीय जांच चल रही है और कई मामले अदालत में विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो किस-किस प्रकार के किन-किन मामलों की, किस-किस स्तर पर विभागीय कार्यवाही चल रही है और किन-किन मामलों में अदालती कार्यवाही हो रही है ? कृपया इन मामलों की एक तालिका विवरण सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) सोल्जर्स बोर्ड की सेवा में यह अधिकारी कब से है और अब तक किन मामलों में किस समय से किस समय तक निलम्बित रहे हैं ? इन मामलों में क्या-क्या कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

(१) जी नहीं। श्री गोपाल सेन चौधरी की प्रथम नियुक्ति जोधपुर में सचिव, जिला सैनिक नाविक एवं वैमानिक मण्डल के पद पर की गई थी। हाल में वे नागौर जिले में इस पद पर कार्य कर रहे हैं। उनकी नियुक्ति राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक ४०/रा. से. म./२४-५८/४८२७-३१, दिनांक ३१-७-५८ द्वारा की गई है।

(२) जी हां। यह सही है कि इनके विरुद्ध गबन एवं अनियमितता के आरोप थे। इनके विरुद्ध एक मामले में विभागीय जांच जारी है, एक मामला अदालत में चल रहा था जिसमें वे अदालत द्वारा रिहा कर दिये गये हैं। अब कोई मामला उनके विरुद्ध अदालत में चल रहा है या नहीं इसकी जानकारी विभाग को नहीं है। कई प्रकार के आरोप इनके विरुद्ध थे जिन पर विभागीय जांच चल रही है। इसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) श्री गोपाल सेन चौधरी दिनांक ९ अगस्त, १९५८ से सोल्जर्स बोर्ड में सचिव, जिला सैनिक नाविक एवं वैमानिक मण्डल, जोधपुर के पद पर कार्य कर रहे थे। विभिन्न अनियमिततायें बरतने के कारण दिनांक १६ अगस्त, १९६६ से दि. २३-११-६७ तक निलम्बित रहे। इन अनियमितताओं के विरुद्ध विभागीय जांच, जांच आयुक्त के कार्यालय में चल रही है।

(राजस्व मंत्री)

तत्पश्चात् २९-२-६८ से २३-७-६८ तक पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड विधान की उप-धारा ४२० के अन्तर्गत गिरफ्तार होने के कारण निलम्बित रहे व सम्बन्धित मामले में अदालत द्वारा रिहा होने पर उन्हें पुनः २३-७-६८ से रि-इन्स्टेट (Re-instate) कर दिया गया।

तालिका

(क) नियमानुसार भ्रमण नहीं करने परः—

१२ जुलाई, १९६२ तक कोई भ्रमण नहीं किया जबकि स्थायी निर्देशानुसार सचिव, जिला सैनिक नाविक एवं वैमानिक मण्डल को एक माह में न्यूनतम भ्रमण करना आवश्यक है।

(ख) नियमानुसार सैनिक मण्डल की बैठकें नहीं होने परः—

दिनांक १२ जुलाई, १९६२ तक जिला सैनिक नाविक एवं वैमानिक मण्डल की कोई भी बैठक नहीं बुलाई जबकि स्थाई निर्देश के अनुसार हर तीसरे माह सैनिक नाविक एवं वैमानिक मण्डल की बैठक बुलाई जाना आवश्यक है।

(ग) मैडल्स एवं स्टार्स का वितरण नहीं करने परः—

जिला मण्डल जोधपुर को भेजे गये तमगे (मैडल्स/स्टार्स) को तुरन्त वितरण करने में पूर्ण जिम्मेदारी को नहीं निभाया गया तथा इस कार्य में उदासीनता प्रकट की।

(घ) अनियमित तौर पर राजस्थान एक्स-सर्विसमेन बनवोलेन्ट फंड के १६४० रुपये का वितरण करने परः—

के० गोपाल सेन चौधरी द्वारा उक्त पद पर कार्य करते हुए बैंक से १६६०) रु० की राजकीय धनराशि २९-६-६२ को नकद अनुदान सहायता वितरण हेतु निकाली गई परन्तु १४६०) रुपये की धनराशि अवांछनीय व्यक्तियों को वितरण कर राजकीय धन का दुरुपयोग एवं गबन किया गया।

(ङ) श्री गोपाल सेन चौधरी के द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर अवांछनीय टिप्पणी करने परः—

के० गोपाल सेन चौधरी ने उक्त पद पर कार्य करते हुए वरिष्ठ निरीक्षण अधिकारियों के निरीक्षण समीक्षा प्रतिवेदनों पर अवांछनीय टिप्पणियां कर अनुशासन भंग कर चरित्रहीनता की पराकाष्ठा दिखाई।

(अ) ले० कर्नल राजसिंह, उप-सचिव, राजस्थान सैनिक नाविक एवं वैमानिक मण्डल, जयपुर के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक १२-७-६२ पर की गई अवांछनीय टीप।

(राजस्व मंत्री)

(ब) कर्नल गुरुचरणसिंह, कमान्ड लाईजन ऑफिसर, वेस्टर्न कमाण्ड, शिमला के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक १८-३-६८ पर की गई अवांछनीय टीप।

(च) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्ति के ६५५०) रुपये में ५८५) रुपये की धनराशि को छात्रवृत्ति की स्वीकृति सूची के अनुसार वितरण नहीं करने पर:—

के० गोपाल सेन चोधरी ने उक्त पद पर कार्य करते हुए उनको दिनांक २९-३-६२ को राज्य सरकार द्वारा ६५५०) रुपये की छात्रवृत्ति धनराशि स्वीकृत सूची के अनुसार वितरण हेतु भेजी गई थी, जिसका भुगतान सूची के अनुसार नहीं कर ५८५) रुपये की राजकीय धनराशि का अवांछनीय तरीके से वितरण कर दुरुपयोग किया गया।

(छ) होट एण्ड कोल्ड वेदर चार्जेज़ के ५०) रुपये खर्च कर टी सेट खरीदने पर:—

के० गोपाल सेन चोधरी द्वारा उक्त पद पर कार्य करते हुए दिनांक ३-१०-६१ को ५०) रुपये की धनराशि क्राकरी खरीदने के लिये अनियमित रूप से राजकीय मद से निकाली एवं क्राकरी नहीं खरीद कर राजकीय धनराशि का दुरुपयोग एवं गबन किया गया।

परिशिष्ट–४

(अतारांकित प्रश्न संख्या ५९ की सूची)

List of Scheduled Castes Sub-Inspectors

S. No.	Name	Date of Apptt.	Present place of posting (Distt.)	Police Station with date
1.	Shri Lila Ram	8-1-55 C. P.	Jaipur	SHO Kotputli, 23-6-69
2.	,, Shyam Lal	1-2-68 C. P.	Jaipur	Under Practical Training, P. S. Manak Chowk, 1-2-68
3.	,, Om Prakash Panwar	2-1-56 C. P.	Jaipur	Police Lines, Jaipur, 25-11-68
4.	,, Sohan Lal	27-11-65 A. P. SI	Jaipur	Police Lines, Jaipur, 6-10-69
5.	,, Banshidhar	1-1-66 C. P.	Alwar	Police Lines, Alwar, 6-10-68
6.	,, Bodhan Ram	1-1-54 C. P.	Alwar	M. O. B. 1-11-68
7.	,, Hari Prasad	1-2-68 C. P.	Alwar	P. S. I., Laxmangarh, 11-9-68
8.	,, Sri Ram	1-2-68 C. P.	Bharatpur	Kotwali Bharatpur, 7-2-69 (Under Trg.)
9.	,, Sohag Ram	14-5-48 C. P. 1-1-56 S. I.	S. Madhopur	P. S. I., Sawai Madhopur, 8-12-68

10.	,,	Shiv Narain	1-1-56 C. P.	Sikar	Under suspension, 7-6-68 (Police Lines) Sikar
11.	,,	Ghanshyam Lal	10-4-52 C. P. 8-4-63 S. I.	Kotah	P. S., Mangrol, 25-8-69
12.	,,	Jhamman Lal	1-8-48 C. P. 8-1-55 S. I.	Kotah	Reader, Crime Branch, 29-4-69
13.	,,	Mukh Ram	1-1-66 C. P.	Kotah	Under suspension (Police Lines, Kotah), 13-4-68
14.	,,	Virendra Singh	6-8-69 C. P.	P. T. S.	Under Training in P. T. S. (UK Range), 6-8-69
15.	,,	Ratan Lal	7-8-69 C. P.	CID IB JPR.	Under Training in P. T. S. 6-8-69
16.	,,	Madan Lal Panwar	28-7-51	P. R. O.	P. R. O. Jaipur, 28-7-51
17.	,,	Bhagwant Swaroop	8-1-55 C. P.	CID CB, Jaipur	30-12-67, CID CB, Jaipur

परिशिष्ट–५

(अतारांकित प्रश्न संख्या ६३ की सूची)

सूची–१

जिलेवार सर्वे के परिणाम हेतु खनिजों का जो पता लगा उसकी सूची

उदयपुर	फॉस्फेट, बेराईटीज, फ्लोर्सपार, मैंगनीज ओर, आयरन ओर, लाइम स्टोन, लेड, जिंक, कोपर और क्ले इत्यादि ।
डूंगरपुर	काइनाइट, मेगनेसाइट, फ्लोस्पार
बांसवाड़ा	लाइम स्टोन, मैंग्नीज ओर
चित्तौड़गढ़	लाइम स्टोन, क्ले
भीलवाड़ा	फ्लोर्स्पार, कोपर, लेड
अजमेर	मेगनैसाइट, वर्मीक्योलाइट, ग्रेफाइट, ऐसबेस्टोस, फ्लोराइट, मारबल, लेड, जिंक, कोपर, गारनेट इत्यादि
जयपुर	सॉपस्टोन, आयरन ओर, केलसाइट, गारनेट, क्ले
सीकर	फ्लोर्स्पार, एपेटाइट, गारनेट, इलेमेनाइट, पायराइट, केल्साइट, कोपर, लाइम स्टोन, डोलोमाइट
झुंझुनूं	कोपर
टोंक	गारनेट
अलवर	बेराईटीज, कोपर, क्ले, आइरन ओर
भरतपुर	बेराईटीज
सवाई माधोपुर	लेड, जिंक, क्ले, आइरन ओर, सिलिका
कोटा	सिलिका, क्ले, लाइम स्टोन
बूंदी	लाइम स्टोन, बेराईटीज, लेड जिंक, कोपर ओर
झालावाड़	कोपर, लाइम स्टोन, ऐगेट
जोधपुर	क्ले, लाइम स्टोन
नागौर	जिप्सम, क्ले, लाइम स्टोन, टंगस्टन ओर, मारबल, लेड, बेराईटीज

परिशिष्ट–११ मार्च, १९७०–परिशिष्ट

बाड़मेर	सेलेनाइट, लिगनाइट, क्ले, बेंटोनाइट, जिप्सम, फास्फेट
जैसलमेर	फास्फेट, आइल एण्ड गैस, जिप्सम, लाइम स्टोन, फास्फेट, मारबल
सिरोही	लाइम स्टोन, लैड, जिंक, कॉपर, फ्लोर्स्पार
पाली	ग्रेफाइट, लाइम स्टोन, क्ले, निकल ओर, मेगनेसाइट, एण्डालुसाइट
जालोर	ग्रेफाइट, आइरन ओर, क्ले
बीकानेर	लिगनाइट, क्ले, फुलर्स अर्थ, सिलिका, लाइम स्टोन, जिप्सम
चूरू	कॉपर, जिप्सम
गंगानगर	जिप्सम, क्ले

सूची–२

खनिज पर आधारित लगे उद्योग और लगने वालों की सूची

खनिज	उद्योग जो लग गये हैं	उद्योग जो लगने वाले हैं
लाइम स्टोन	सीमेंट–चित्तौड़गढ़, दरोली, खेमली	निम्बाहेड़ा, ब्यावर सीमेंट उद्योग
फ्लोराइट	—	मांडव की पाल, डूंगरपुर
रॉक फास्फेट	—	उदयपुर
कॉपर	—	खेतड़ी
पायराइट	—	सलादीपुरा
लेड जिंक	देबारी	राजपुर दरीबा
मारबल	—	मैन्दरा
आइरन ओर	—	उदयपुर
टंगस्टन ओर	—	डेगाना

परिशिष्ट–६

(अतारांकित प्रश्न संख्या ६४ की सूची)

राजस्थान सरकार

राजकीय ऊनी मिल, बीकानेर के चालू होने से अब तक जितने कर्मचारी जिस-जिस पद पर कार्य कर रहे हैं उनकी सूची

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पद	वेतन शृंखला	स्थाई या अस्थाई	वेतन मूल	वेतन महँगाई भत्ता	मकान भत्ता	योग	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१.	श्री विद्यासागर सूद	महा प्रबन्धक	११००-१५००	अस्थाई	११००/–	१००/–	१५०/–	१२००/–	
२.	,, जयनारायण झा	तकनीकी प्रबन्धक	१८००-२२५०	,,	१९५०/–	१००/–	(कार भत्ता)	२२००/–	
३.	,, राजसिह निर्बाण	वाणिज्य प्रबन्धक	७००-१२००	,,	७४०/–	१२०/–	—	८६०/–	
४.	,, बी. के. कथूरिया	सहायक अभियन्ता	३७५-८५०	,,	३७५/–	१४६/–	४०/–	५६१/–	
५.	,, बी. बी. चक्रवर्ती	पारी अभियन्ता	३७५-८५०	,,	३७५/–	१४६/–	४०/–	५६१/–	
६.	,, अशोककुमार	,,	३७५-८५०	,,	२८५/–	१४६/–	४०/–	*४७१/–	
७.	,, हरेन्द्रसिंह	फोरमैन (उत्पादन)	२२५-४८५	,,	२३५/–	१४६/–	३५/–	४१६/–	
८.	,, बिहारीलाल	,,	२२५-४८५	,,	२२५/–	१४६/–	३५/–	४०६/–	

९.	,, सुरेन्द्रसिंह	फोरमैन (वर्कशॉप)	२२५-४८५	,,	२३५/-	१४६/-	३५/-	४१६/-
१०.	,, भगवतीलाल माथुर	सहायक फोरमैन (विद्युत्)	१७०-३८५	,,	१८०/-	१२२/-	३०/-	३३२/-
११.	,, रमणलाल पंचाल	जोबर	१४०-३८०	,,	१२०/-	९८/-	२०/-	२३८/-
१२.	,, प्रमोदकुमार भार्गव	,,	१४०-३८०	,,	१४०/-	९८/-	२५/-	२६३/-
१३.	,, प्रभातकुमार गोयल	फिटर	१२०-३००	,,	१२०/-	९८/-	—	२१८/-
१४.	,, यतेन्द्रनारायण	,,	१२०-३००	,,	१२५/-	९८/-	२०/-	२४३/-
१५.	,, दिग्विजयसिंह	,,	१२०-३००	,,	१२०/-	९८/-	—	२१८/-
१६.	,, चुन्नीलाल करल	विद्युत्कार	१०५-२४०	,,	१५०/-	९८/-	२५/-	२५३/-
१७.	,, अनन्तलाल पारीख	,,	१०५-२४०	,,	१३०/-	९८/-	२५/-	२५३/-
१८.	,, नन्दकिशोर गोयल	,,	१०५-२४०	,,	११०/-	९८/-	२०/-	२२८/-
१९.	,, भीमाराम	बायलर अटेन्डेन्ट	१०५-२४०	,,	११०/-	९८/-	२०/-	२२८/-
२०.	,, सोहनलाल पंवारिया	सहायक किस्म नियन्त्रक	११०-२३०	,,	११५/-	९८/-	२०/-	२३३/-
२१.	,, स्वतन्त्रप्रकाश माथुर	,,	११०-२३०	,,	११५/-	९८/-	२०/-	२३३/-
२२.	,, महावीरप्रसाद	लेखाकार	२००-४८५	,,	२३०/-	१४६/-	३५/-	४११/-
२३.	,, हरिकिशन गहलोत	स्टेनो	१६०-३२०	,,	२००/-	१२२/-	—	३२२/-
२४.	,, मदनलाल	लेखालिपिक	१३०-३००	,,	१५४+१०/-	१२२/-	३५/-	३११/-
२५.	,, ज्ञानचन्द ठोलिया	वरिष्ठलिपिक	१३०-३००	,,	२२५+१०/-	१४६/-	३५/-	४१५/-
२६.	,, गणेशदास	,,	१३०-३००	,,	१५४/-	१२२/-	—	२७६/-

*परन्तु अभी इस वेतन शृंखला में फिक्स नहीं हुए और २८५/- ८०६/- में कार्य कर रहे हैं।

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
२७.	श्री गणेशनारायण	कनिष्ठलिपिक	११०-२३०	अस्थायी	११०+१०/–	९८/–	२०/–	२३८/–	
२८.	,, राधाचरण शर्मा	,,	११०-२३०	,,	१२०/–	९८/–	२०/–	२३८/–	
२९.	,, मुमताजमहम्मद	उत्पादनलिपिक	११०-२३०	,,	११०/–	९८/–	—	२०८/–	
३०.	,, सुरजाराम	ड्राइवर	११०-२३०	,,	११५/–	९८/–	२०/–	२३३/–	
३१.	,, आसूराम	चौकीदार	६०-८५	,,	६०/–	७१/–	१२.५०	१४४/५०	
३२.	,, जुगलकिशोर	,,	६०-८५	,,	६१/–	७१/–	१२.५०	१४४/५०	
३३.	,, रेवतसिंह	,,	६०-८५	,,	६१/–	७१/–	१२.५०	१४४/५०	
३४.	,, कानसिंह	,,	६०-८५	,,	६१/–	७१/–	१२.५०	१४४/५०	
३५.	,, बन्नेसिंह	,,	६०-८५	,,	६१/–	७१/–	१२.५०	१४४/५०	
३६.	,, मूलचन्द	,,	६०-८५	,,	६१/–	७१/–	१२.५०	१४४/५०	
३७.	,, शिवकैलाश	,,	६०-८५	,,	६१/–	७१/–	१२.५०	१४४/५०	
३८.	,, हनुमानसिंह	,,	६०-८५	,,	६०/–	७१/–	१२.५०	१४३/५०	
३९.	,, सूरजकरण	,,	६०-८५	,,	६०/–	७१/–	१२.५०	१४३/५०	

परिशिष्ट–७

(अतारांकित प्रश्न संख्या ६९ की सूची)

अध्यक्ष व सदस्यों के नाम की सूची

१.	श्री द्वारकाप्रसाद पुरोहित	अध्यक्ष
२.	,, उसमानखां	सदस्य
३.	,, बूदाराम पारीक	,,
४.	,, राभामल	,,

परिशिष्ट–द

(अतारांकित प्रश्न संख्या ७९ की सूची)

सूची 'क'

क्रमांक	नाम तहसील	भूमि आवंटन की तादाद
१	झालरापाटन	१२३६-१०
२	पिड़ावा	४१९
३	पचपहाड़	२६४०
४	खानपुर	१५८०·७९
५	अकलेरा	१६१२
६	गंगधार	१८८१
	योग	९३६८-८९

सूची 'ख'

कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये	पाटन	पिड़ावा	पचपहाड़	खानपुर	अकलेरा	गंगधार
इनमें से भूमि आवंटन हुई	५२८३	१५६१	३०३८	३६७३	१९१५	१८०५
					योग....	१७२७५
अनुसूचित जाति	२९५	९७	३८६	२२३	२७६	३२०
					योग....	१५९७
अनुसूचित जन-जाति	१४७	३	४५	९१	१३३	३
					योग....	४२२
कुल एलॉटमेंट	७७१	१६२	८३७	७६८	७६०	६२३
					योग...	३९२१
प्रतिशतः–अनु० जाति	३८	६०	३८	२९	३५	५१
					योग...	३८
प्रतिशतः–अनु० जन-जाति	१९	२	४	१३	१७	१/२
					योग....	१०

परिशिष्ट–९

(अतारांकित प्रश्न संख्या ८७ की सूची)

क्र० सं०	नाम व्यक्ति	ख० नं०	रकबा
१.	श्री चंदनसिंह पुत्र रावतसिंह निवासी सेला, तहसील बाली, उच्च लिपिक, जिलाधीश कार्यालय, पाली	२८४	२५) बीघा
२	श्री हरीसिंह, मोटर व्हीकल इन्सपेक्टर, सर्कल पाली	२८४	२५) बीघा
३.	श्री भूरसिंह, सर्कल ऑफिसर, आरक्षी विभाग, पाली	२८४	५०) बीघा
४.	श्री सुखवीरसिंह गहलोत, भूतपूर्व तहसीलदार, सोजत, हाल तहसीलदार, आबूरोड़	२८४	२५) बीघा

परिशिष्ट–१०

(अतारांकित प्रश्न संख्या ८६ को सूची)

तहसील निवाई, जिला टोंक के ग्रामों का विद्युतिकरण

क्र० सं०	नाम	विद्युतिकरण का दिनांक
१	निवाई	५०–५१
२	वनस्थली	५०–५१
३	पालाई	२५–४–६४
४	खंडावत	४–१२–६५
५	डांगस्थल	९–९–६६
६	पहाड़ी	२८–१२–६६

परिशिष्ट–११

(अतारांकित प्रश्न संख्या ६४ की सूची)

वृद्धावस्था एवं अपाहिज व्यक्तियों को इस समय जिलेवार लाभान्वित व्यक्तियों की सूची

क्रमांक	जिले का नाम	वृद्धावस्था	अपाहिज
१.	बूंदी	८९	२०
२.	सवाई माधोपुर	१०१	१८
३.	कोटा	१३१	—
४.	सीकर	३६३	—
५.	अलवर	७१०	—
६.	नागौर	१८२	—
७.	पाली	११९	३६
८.	बांसवाड़ा	८८	—
९.	चित्तौड़गढ़	६९	—
१०.	चूरू	१०७	—
११.	भरतपुर	४८२	४६
१२.	जैसलमेर	७५	२४
१३.	बीकानेर	३५२	—
१४.	सिरोही	७२	—
१५.	झुन्झुनू	९२	—
१६.	अजमेर	६२९	७२
१७.	जालोर	२	५
१८.	गंगानगर	५२	—
१९.	डूंगरपुर	४५	—
२०.	झालावाड़	१५०	१०
२१.	उदयपुर	५२२	—
२२.	भीलवाड़ा	२५१	—
२३.	जोधपुर	८७१	—
२४.	जयपुर	१२९४	—
२५.	टोंक	८३	१७
२६.	बाड़मेर	५३	५३
	योग....	६९८४	१०१
	कुल योग....	७०८५	

शुद्धि-पत्र

बुधवार, दिनांक ११ मार्च, १९७०

स्कम्भ-संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१.	३	११३	११.३
९.	१५	१०,०००.०६	१०,०००.०६
११.	१२	का	की
१३.	अन्तिम से ७	लौट	लौटने
२८.	३	है दी	दी है
५०.	अन्तिम से १०	रेग्यूले ाइज	रेग्यूलेराइज
५०.	,, ९	क	के
१०२ से १०८.	शीर्षक	कार्य-सलाहकार समिति-११ मार्च, १९७० के प्रश्न पर विवाद	कार्य-सलाहकार समित-११ मार्च, १९७०-के प्रतिवेदन पर विवाद
१०९.	१९	में	मैं
११८.	अन्तिम से १२	संसद	संसद्
१२९ से १९७	शीर्षक	विनियोग संख्या २-११ मार्च, १९७०-विधेयक, १९७० पर विचार	विनियोग (संख्या २)-११ मार्च, १९७०-विधेयक, १९७० पर विचार
१३०.	अन्तिम से १२	काय	कार्य
१९२.	१०	श्री बरकतउल्ला खां	श्री बरकतुल्ला खां
२१०.	अन्तिम से ५	नीं	नहीं
२१८.	१४	प्रस ाव	प्रस्ताव
२२२.	८	अपैमी	अपनी
२२२.	अन्तिम से ६	(हंसी)	"हंसी" को नहीं पढ़ें
२२५ एवं २९५.	शीर्षक	विनियोग (संख्या २)-मार्च, १९७०	विनियोग (संख्या २)-११ मार्च, १९७०

१	२	३	४
२३०.	शीर्षक	अग्रतर	अग्रेतर
२५४.	२	होतो	होती
२५४.	११	लनके	उनके
२५७.	१३	ता	'ता' को नहीं पढ़े
२६५.	अन्तिम से १२	बापू	बापू
२६५.	अन्तिम से २	पदद	मदद
२६५.	अन्तिम	हुन	हम
२७७.	८	होन	होने